खण्ड-400, अंक-8
शुक्रवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(22 फरवरी, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1–2
श्री अर्जुन सिंह यादव, सदस्य विधान सभा के एक दिन के लिए सदन से निलम्बन का प्रस्ताव ..	3
प्रश्नोत्तर ..	5–92
नियम 301 की सूचनायें ..	92–93
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन की कतिपय ग्राम सभाओं की कृषि योग्य भूमि का वन विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में राजकीय नलकूपों की खराबी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
जनपद शाहजहांपुर में लगातर विद्युत् कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में गोमती नदी पर सुबेहा–देवागंज देवागंज सिहद्धौर जैदपुर मार्ग राजघाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जनपद सोनभद्र में आनपारा तापीय विद्युत् परियोजना में तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94–95
जनपद फैजाबाद के के0 एम0 शुगर मिल, मसौधा तथा दुर्गाबंशल फर्टीलाइजर द्वारा प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
जनपद इलाहाबाद की कौशाम्बी ब्लाक में कथित रूप में किये जा रहे घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95–96
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	96–97
मेरठ में हुए हत्याकांड के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा कार्यवाही किये जाने के विषय में आश्वासन दिये जाने की मांग ..	95–99
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ..	99
श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा बजट को आवंटित धनराशियां समय से जनपदों के विभागाध्यक्षों को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न ..	99–101
श्री अग्निशेखर द्वारा आय–व्ययक के साथ लेखानुदान प्रस्तुत किये जाने पर उठाया गया औचित्य का प्रश्न	101–108

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 26 दिसम्बर, 1990 को श्री बाल चन्द्र मिश्र, स0 वि0 स0 के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने एवं कारागार, फतेहगढ़ में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	104-106
जनपद आगरा में खारी नदी के ऊपर गांव रामनगर पिनानी में बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	106-108
उ0 प्र0 विधान सभा की आश्वासन समिति का 61वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	108
उ0 प्र0 विधान सभा की आश्वासन समिति का 62वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	108
उ0 प्र0 विधान सभा की आश्वासन समिति का 63वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	109
उ0 प्र0 विधान सभा की आश्वासन समिति का 64वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	109
उ0 प्र0 विधान सभा की आश्वासन समिति का 65वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गवा) ..	109
सत्रकाल में जिला स्तरीय बैठकें बुलाये जाने की मांग ..	109-110
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	110-128
वित्तीय वर्ष 1990-91 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग ..	129
लखनऊ के दयनिधान पार्क में जनता दल के जलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	129-130
वित्तीय वर्ष 1990-91 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान (जारी) ..	131
श्री रविदास मेहरोत्रा सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	132
श्री शारदा प्रताप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	132-133
श्री मूलचन्द्र, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री सोमांश प्रकाश, श्री किरन पाल सिंह, श्री नरेन्द्र पाल सिंह, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री बदन सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री विश्राम दास, श्री जी0 एस0 विनोद, श्री रमेश करन, श्री हरिवंश सहाय, श्री सुखवीर सिंह गहलोत, श्री होशियार सिंह, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश दिवाकर तथा श्रीमती गौरी देवी, सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	133-134

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1990-91 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान	
अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग..(स्वीकृत) ..	134-135
अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज)..(स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)..(स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	135-136
अनुदान संख्या 8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	136
अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)..(स्वीकृत) ..	136
अनुदान संख्या 10--ऊर्जा विभाग..(स्वीकृत) ..	136
अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) ..	137
अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	137
अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ..	137
अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ..	138
अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ..	138
अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ..	138
अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ..	139
अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ..	139
अनुदान संख्या 19--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत) ..	139
अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	140
अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ..	140
अनुदान संख्या 22--खाद्य एवं रसद विभाग..(स्वीकृत) ...	140

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 23--खेल विभाग..(स्वीकृत)	..		140-141
अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना)..(स्वीकृत)	..		141
अनुदान संख्या 25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	..		141
अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	..		141
अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस)..(स्वीकृत)	..		142
अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	..		142
अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)..(स्वीकृत)	..		142
अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना तथा अन्य व्यय..(स्वीकृत)	...		142-143
अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	..		143
अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	..		143
अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)			143
अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)..(स्वीकृत)	..		144
अनुदान संख्या 37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	..		144
अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग..(स्वीकृत)	..		144
अनुदान संख्या 39--नियुक्ति विभाग..(स्वीकृत)	..		144-145
अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग..(स्वीकृत)	..		145
अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग..(स्वीकृत)	..		145
अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग..(स्वीकृत)	..		145
अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग..(स्वीकृत)	..		146
अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग..(स्वीकृत)	..		146
अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग..(स्वीकृत)	..		146
अनुदान संख्या 47--पर्वतीय विकास विभाग..(स्वीकृत)	..		146-147
अनुदान संख्या 49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	..		147
अनुदान संख्या 50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	..		147
अनुदान संख्या 51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	..		147

विषय			पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत)		..	148
अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग..(स्वीकृत)		..	148
अनुदान संख्या 54—वन विभाग..(स्वीकृत)		..	148
अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		..	148–149
अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (कोषागार एवं लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		..	149
अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग(राज्य लाटरी..(स्वीकृत)		..	149
अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)		..	149
अनुदान संख्या 60—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)..(स्वीकृत)		..	150
अनुदान संख्या 61—विधान परिषद् सचिवालय..(स्वीकृत)		..	150
अनुदान संख्या 62—विधान सभा सचिवालय..(स्वीकृत)		..	150
अनुदान संख्या 63—विधानी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) (स्वीकृत)		..	150–151
अनुदान संख्या 64—विज्ञान एंव पर्यावरण विभाग..(स्वीकृत)		..	151
अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)..(स्वीकृत)		..	151
अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)..(स्वीकृत)		..	151
अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)..(स्वीकृत)		..	152
अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)..(स्वीकृत)		..	152
अनुदान संख्या 69—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)..(स्वीकृत)		..	152
अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)..(स्वीकृत)		..	153
अनुदान संख्या 71—श्रम विभाग (सेवायोजन)..(स्वीकृत)		..	153
अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)		..	153
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)		..	153–154
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)		..	154
अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)		..	154
अनुदान संख्या 79—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)..(स्वीकृत)		..	154
अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)..(स्वीकृत)		..	155

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 8 --संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) . .	(स्वीकृत) ..	155
अनुदान संख्या 82--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	(स्वीकृत) ..	155
अनुदान संख्या 83--संस्थागत वित विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	(स्वीकृत) ..	155-156
अनुदान संख्या 84--सचिवालय प्रशासन विभाग . .	(स्वीकृत) ..	156
अनुदान संख्या 85--सतर्कता विभाग . .	(स्वीकृत) ..	156
अनुदान संख्या 86--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	(स्वीकृत) ..	156
अनुदान संख्या 87--सांस्कृतिक कार्य विभाग . .	(स्वीकृत) ..	157
अनुदान संख्या 88--सामान्य प्रशासन विभाग . .	(स्वीकृत) ..	157
अनुदान संख्या 90--सूचना विभाग . .	(स्वीकृत) ..	157
अनुदान संख्या 91--सैनिक कल्याण विभाग . .	(स्वीकृत) ..	157-158
अनुदान संख्या 92--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	(हरिजन कल्याण) (स्वीकृत) ..	158
अनुदान संख्या 93--हरिजन एवं सामज कल्याण विभाग	(समाज कल्याण) (स्वीकृत) ..	158
अनुदान संख्या 94--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	(जनजाति कल्याण) . . (स्वीकृत) ..	158
उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991	(पारित) ..	159-181
बजट साहित्य वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	..	181
वित्तीय वर्ष 1991-92 का आय-व्ययक . .	(प्रस्तुत किया गया) ..	181-217
वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग (पांच माह--अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1991) के लिए लेखानुदान . .	(स्वीकृत) ..	217-218
उत्तर प्रदेश विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1991	पारित ..	218-230
नियम 51 की सूचनाएं	..	
प्रदेश में सरकारी धन के क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों की भूमिका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	231-233
तालिकायां	..	235-243

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अजय प्रताप सिंह लहला भइया, श्री	गोण्डा	रणजीत सिंह, श्री	देहरादून
अनिल कुमार मारद्वाज, श्री	रामपुर	राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	राजधारी, श्री	बलिया
अरुण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल	राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबद
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया	रुद्र प्रसाद, श्री	मिर्जापुर
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
गोमती यादव, श्री	आजमगढ़	विपिन बिहारी, श्री	हरदोई
जगदीश लाल, श्री	महाराजगंज	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी	शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र	शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री	बिजनौर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर	संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच	सी० बी० इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
परमाई लाल, श्री	हरदोई		
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर	सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद	हरीश कुमार गंगवार, श्री	पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 1991

(विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अर्जुन सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा के एक दिन के लिए सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

(श्री अर्जुन सिंह यादव सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व से ही वेल आफ दि हाउस में लेटे हुए थे ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अर्जुन सिंह जी आप यहां से उठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । जो कुछ कहना है वह अपने स्थान से कहें । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं श्री अर्जुन सिंह को सदन छोड़ने के लिए इंगित करता हूं ।

लोक निर्माण, आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अर्जुन सिंह यादव को एक दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री अर्जुन सिंह यादव को एक दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मार्शल अपने साथियों के साथ श्री अर्जुन सिंह को सदन के बाहर ले गये ।)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रदेश की जनजीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को यह लोग शोर करके यहां पर उठाने नहीं देना चाहते हैं । मुलायम सिंह जी ने इनको मंत्री नहीं बनाया है, तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है । यह सब विक्षिप्त हो गये हैं और सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शासन की नीति के अनुसार सभी निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत किया जाना

**1—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की घोषित नीति के अनुसार प्रदेश में सभी निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अनुदान शीघ्र स्वीकृत कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

प्रदेश की सभी निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है बल्कि 2,35,720 निराश्रित विधवाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पंचानन राय—

माननीय, जब से सदन गठित हुआ, निरन्तर सरकार की ओर से कहा गया कि जो निराश्रित विधवायें हैं, उनको पेंशन स्वीकृत की जायेगी, लेकिन विभागों में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है । आजमगढ़ के तीन ब्लाकों की सूचना दी गयी है । एक ब्लाक में 72 की संख्या दी गयी है, दूसरे में 88 की दी गयी है और तीसरे में 240 की संख्या दी गयी है । इन तीनों ब्लाकों की जनसंख्या बराबर है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो किसी को पेंशन दी जा रही है या स्वीकार की गयी है, वह घूस देने पर स्वीकार की गयी है । पूरा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है । माननीय, यह शासन भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है, एक ही प्रकार के जुर्म में अगर तीन अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो उनको एक सा दंड नहीं दिया जाता है ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण न दें ।

श्री पंचानन राय—

जातिगत आधार पर अधिकारियों को प्रश्रय मिल रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति निश्चित करेगी जिससे निराश्रित विधवाओं को बिना भ्रष्टाचार के पेंशन देना सुनिश्चित हो सके ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति बनाये रखें आपस में बात न करें ।

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय पंचानन राय जी ने शासन की घोषणाओं के बारे में आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट किया है । मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन तथा माननीय राय जी को बताना चाहता हूं कि 5 दिसम्बर, 1989 को यह सरकार बनी, सरकार बनने के

बाद ही पहली जनवरी, 90 से 100 रु० पेंशन निराश्रित विधवाओं को देने की घोषणा ही नहीं की बल्कि उसे बंटवाने के कई आदेश दिये और यह भी किया कि कल्याण शिविरों के माध्यम से और मनीआर्डर के जरिये दिया जाय। कल्याण शिविरों में जन प्रतिनिधि और विधायक भी सम्मिलित हों। हमने कहा है कि इस 15 मार्च तक जितनी भी निराश्रित विधवायें हैं दो लाख 5 हजार 720 विधवाओं को जो निराश्रित हैं, जिनको पेंशन स्वीकृत की गयी है 15 मार्च तक पेंशन दे दी जाय।

(व्यवधान)

दूसरी बात भी सुन लें जो आपने कहा है भ्रष्टाचार के संबंध में तो जब मुझे इसका चार्ज मिला मैंने अपने विभाग की समीक्षा की। जहां-जहां भ्रष्टाचार की शिकायत मिली मैंने संबंधित अधिकारियों को निलम्बित ही नहीं किया बल्कि उन्हें जेल भेजने का भी काम किया। आदरणीय पान्डेय जी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं उन्होंने सूचना दी कि सन् 1982 से परेशान हैं कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसमें एफ० आई० आर० दर्ज कराई लगभग 17 लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये (व्यवधान) मिर्जापुर को जैसे ही शिकायत मिली (व्यवधान) जेल भेजने की कार्यवाही की गयी (व्यवधान) इसी तरह हमीरपुर में जैसे ही जानकारी मिली तत्काल कार्यवाही की (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप शांति से सुनें जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही है उसके संबंध में उन्होंने क्या कार्यवाही की (व्यवधान) माननीय तिवारी जी आप कृपया बैठे मैंने राम चन्द्र बख्श जी का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

उसके बाद हमें भी मौका दें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करता हूं कि कृपा करके आप माननीय मंत्री जी से मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 14 साल के शासन में क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में कितनी निराश्रित विधवायें हैं और कितनी निराश्रित विधवाओं ने पेंशन के लिए फार्म भरे हैं और दफ्तर में कितनी विधवाओं के फार्म जमा हुए हैं और इन फार्मों पर किस क्रम में विचार किया जाता है ? क्या इस तरह की कोई सूचना माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय सदस्य के सवाल में तीन सवाल हैं। एक यह कि प्रदेश में कितनी निराश्रित विधवायें हैं, दूसरे इनको पेंशन वितरित करने की क्या व्यवस्था है और तीसरा यह कि प्रदेश में कितना विधवाओं के आवेदन-पत्र आये हैं पेंशन वितरित करने के लिए। तो इस दिशा में मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन किया है कि यह पेंशन हम वित्तीय संसाधन के आधार पर वितरित कर रहे हैं। इसके लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है कि प्रदेश में कितनी विधवायें हैं क्योंकि उनकी संख्या बराबर घटती-बढ़ती रहती है। इसलिए इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन होगा कि आज की तारीख में प्रदेश में कितनी निराश्रित विधवायें हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप सब लोग बैठ जाइये। यह माननीय पंचानन राय जी का प्रश्न है इसलिए मैं उनको प्रश्न करने का मौका दे रहा हूं।

श्री पंचानन राय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 2,35,720 निराश्रित विधवाओं को ये पेंशन दे रहे हैं। मैं पहली बात तो यह जानना चाहता हूं कि जब से आप मंत्री बने हैं या यह शासन गठित हुआ है तब से कितनी निराश्रित विधवाओं को पेंशन स्वीकार की गयी है? दूसरा सवाल यह है कि जैसे माननीय मंत्री जी ने उदाहरण दिया भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में कि ये दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ जिले के बारे में जानता हूं कि एक ब्लाक में 240 विधवाओं को पेंशन दी गई और दूसरे ब्लाक में केवल 72 विधवाओं को पेंशन दी गई जबकि आबादी दोनों ब्लाकों की बराबर ही है। इस सम्बन्ध में ये सर्वेक्षण कराना ही नहीं चाहते हैं। एक ब्लाक में 240 विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गई और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी नाम ले लिया। उसमें भी सवाल यह था कि गौर में भ्रष्टाचार हुआ, इनके निदेशालय में रिपोर्ट दबी रही, सूचना दी नहीं कि संख्या कितनी है। दूसरे भ्रष्टाचार उन्मूलन का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो उदाहरण दिया गौरा के मामले में तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कितने-कितने आदमियों को निलम्बित किया गया और कौन-कौन लोग इनकी बिरादरी के थे?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय, आदरणीय राय जी ने सवाल किया कि कितनी विधवाओं को पेंशन दी गई तो 2,35,720 निराश्रित विधवाओं को पेंशन वितरित की जा रही है। इनको पहले 60 रु0 पेंशन मिलती थी।

श्री पंचानन राय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री जी से कहिये कि कृपा करके यह बतलायें कि कितनी निराश्रित विधवाओं को इन्होंने पेंशन स्वीकृत की है। मैं यह संख्या जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यदि आपके पास आनुपातिक सूचना है तो कृपा करके इसकी संख्या बतला दीजिये।

श्री अवधेश प्रसाद—

मैं बतला रहा हूं कि अब उनकी पेंशन बढ़ा करके 100 रु0 कर दी गई है और अब इनको प्रति माह 100 रु0 पेंशन दी जा रही है। 15 मार्च तक हर हालत में उनको वितरित कर देंगे।

श्री पंचानन राय—

जबसे मंत्री जी सत्ता में आये हैं तब से संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी किया है यह बतायें? सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये इसे स्थगित करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी संख्या के बारे में बतायें ? यदि सूचना उपलब्ध हो तो बता दें ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद--

(व्यवधान) मान्यवर, जहां तक संख्या का सवाल है कि कितनी विधवायें इस प्रदेश में हैं ....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना उपलब्ध नहीं है तो बतायें ?

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

मान्यवर, प्रश्न दीगर हैं और उत्तर दीगर है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रार्थना-पत्र पड़े हैं विधवाओं के वह कुल कितने हैं ? उनका क्रमानुसार रजिस्टर मेन्टेन है कि नहीं ? पेंशन आयु प्रमाण के आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार पर दी गई है ? मंत्री जी के माथे पर भ्रष्टाचार मिटाने की बात है लेकिन उसे मिटाने का क्या तरीका है वह नहीं कहते हैं । यदि प्रमाण के अनुसार पेंशन नहीं दी गई है तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

निराश्रित विधवाओं की सीमा जिन्हें पेंशन स्वीकृत की जायेगी वह विधवा होनी चाहिये (हंसी) (व्यवधान) वह भारत की नागरिक होनी चाहिये और जिसकी आय.... (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

प्रश्न संख्या 2, श्री श्याम देव राय चौधरी ।

(घोर व्यवधान)

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, इस पर चर्चा करायें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस सवाल को अब स्थगित करता हूं ।

प्रश्न संख्या 2 (व्यवधान)

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

यह गम्भीर प्रश्न है, इसलिए इसे स्थगित नहीं करना चाहिये । (व्यवधान) ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हमने प्रश्न संख्या 1 को स्थगित कर दिया है, इसलिए आप लोग बैठ जायें ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है । शासन ने बार-बार यह घोषणा की है और जो घोषणा की है वह वास्तविकता से कहीं दूर है । इसमें माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं, सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिये । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर आधा घंटे की चर्चा करा दें, जिससे माननीय सदस्य भी अपनी सारी बात कह दें और सारी बातें सामने आ जायें । आप चर्चा कराइये ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हम पूरे सदन की भावना को देखते हुए इस पर आधा घंटा की चर्चा स्वीकार करते हैं । प्रश्न संख्या 2 ।

श्री विजय सिंह राणा—

मेरा एक माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । इस समय कोई व्यवस्था नहीं सुनी जायेगी ....

(घोर व्यवधान)

हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं । कोई बात रिकार्ड में नहीं आयेगी । राणा जी जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा । आप बैठिये मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं

(व्यवधान)

आप कुछ भी कह जाइये, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा । हम प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं सुनेंगे ।

(घोर व्यवधान)

नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, हम आपका इस मामले में संरक्षण चाहेंगे । आप हमारी बात सुन लें, हमें हमेशा आपका संरक्षण मिलता रहा है ....

(सर्वश्री विजय सिंह राणा, सत्य प्रकाश विकल व हरिद्वार दूबे एडवोकेट एक साथ बोलते रहे । जिससे घोर व्यवधान होता रहा) ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । विकल जी कृपया बैठ जाइये ....

(व्यवधान)

सदन चलाने का उत्तरदायित्व आप पर है । यह कोई चौराहा नहीं है । इस तरह से यहां नहीं चलेगा । दुबे जी आप खड़े किस लिए हैं, आपको बैठ जाना चाहिये, हम खड़े हैं । यह सदन गरिमामयी ढंग से, नियमों से चले, परम्पराओं से चले, यह हमें सोचना चाहिये । इसे चलाने में हम आप सबका सहयोग चाहते हैं ....

(व्यवधान)

आप सबके सहयोग के बिना सदन नहीं चल सकता है ।

("घोर व्यवधान" अनेकानेक सदस्य अपने स्थानों से खड़े होकर एक साथ बोलते रहे ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, केवल लोगों को एक बात का क्षोभ है कि प्रमोद तिवारी जो खड़े हुए, उन्होंने व्यवस्था पर आपसे आग्रह किया, कोई सदस्य लिखकर दे तो आप चर्चा स्वीकार कर लेंगे यह सही बात है । लेकिन आपने उनके कहने पर चर्चा स्वीकार कर लिया, आपने इसमें कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन राणा जो भी खड़े हुये, व्यवस्था उठाई, आप उनकी बात भी सुनकर उस पर अपनी व्यवस्था दे देते तो यह उनको स्वीकार होती ।

जब इन्होंने बात कही, तो आपने सुनने से मना कर दिया । आप सुनकर अपनी व्यवस्था दे देते, तो वह इन्हें शिरोधार्य होती आपने एक सदस्य को तो कह दिया कि आपकी व्यवस्था सुन लेंगे और एक को कह दिया कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो यह तो उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप जब खड़े हुए, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं, अपने दल के नेता हैं आपको समय दिया । इसी तरह से माननीय तिवारी जी चीफ व्हिप हैं इसलिए उनको समय दिया ।

(व्यवधान)

श्री हरद्वार दुबे, एडवोकेट --

माननीय, आपने अनुमति नहीं दी आपकी व्यावहारिकता से सदन चलाना है ;

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्नकाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है । आपने प्रश्नकाल का एक रोज का समय तो नष्ट कर दिया अब आज भी नष्ट कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय, विश्वा जैसे विषय पर प्रश्न हो रहे थे और आदरणीय सदस्यों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया पहले तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करती हूं ।

व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्तिपूर्वक सुन लें ।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने की योजना

**2—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू कर दी जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने हेतु वर्ष 1985 तथा 1988 में पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया, किन्तु इसकी रूप-रेखा के अनुसार कार्यान्वयन नहीं हो सका । अतः शासन ने पुनः विचार कर जनवरी, 1991 में प्रदूषण मुक्त एवं रोजगार-परक नई पर्यटन विकास नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार पर्यटन को उद्योग घोषित करते हुये इस उद्योग को विभिन्न सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है ।

नयी पर्यटन नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 325/41-91-232-89, दिनांक 28 जनवरी, 1991 जारी कर दिया गया है । यह नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नयी पर्यटन विकास नीति के अन्तर्गत सुविधायें क्या हैं ? हम सब जानते हैं कि बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी कतार है । शिक्षित बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत कोई प्राथमिकता मिलेगी, अगर नहीं तो क्यों ? अब तक इस नीति के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? पिछली नीति क्रियान्वित नहीं हो सकी । तो क्या इस वर्तमान नीति को क्रियान्वित करने के लिए कोई उपाय सरकार करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

पर्यटन उद्योग नीति घोषित की गई है इससे रोजगार मिलेगा । उत्तर प्रदेश, विशेष तौर से जो पर्यटन में सोने की खान कहा जाता है जहां लोग आते हैं । धर्म-स्थलों पर लोग आकर ठहरें और यहां की सभ्यता सीखें । स्वच्छ धार्मिक स्थल पर आकर ठहरें इसलिए इस नीति को बनाया गया है । जो नीति घोषित हुई है इससे

आगे काम बढ़ेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो नवयुवक शिक्षित हैं, चूंकि पर्यटन में तकनीकी काम होता है, तो जो लोग इसकी ट्रेनिंग किए हुए होंगे वह विशेष तौर से रोजगार पायेंगे । जहां पर्यटक स्थल होता है वहां चारों तरफ बहुत से उद्योग बढ़ते हैं गृह उद्योग, कुटीर उद्योग जहां डलियां आदि बनती हैं या और उद्योग होते हैं वहां उसका उद्योगीकरण होती है ।

इसलिये इस नीति के तहत हमारे प्रदेश में छोटे उद्योगों का उद्योगीकरण होगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और यह उद्योग आगे बढ़ेगा । दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या सुविधायें दी जायेंगी तो मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 सितारा होटल हैं उसमें 25 फीसदी की छूट देंगे । जो 4 सितारा होटल हैं उसमें 20 फीसदी छूट देंगे और जो 3 सितारा तथा उससे छोटे होटल हैं उसमें 15 फीसदी छूट देंगे जिससे हमारे प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में जो लंबे-लंबे सफर करते हैं उनको सुरक्षा और सुविधा के साथ ठहरने की व्यवस्था हो सके और हमारे प्रदेश में धन भी आये । अब तक इसको उद्योग घोषित नहीं किया गया था इसलिये इसके लिये लोगों को कर्जे नहीं मिल पाते थे, इसलिये उद्योग घोषित किया गया है ताकि इसका विकास हो सके ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 28 जनवरी का आदेश जारी किया गया है यह सुविधायें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को प्राप्त होंगी या प्रदेश के किन्हीं विशेष जनपदों को प्राप्त होंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों, देहरादून, ऋषिकेष, मसूरी, नैनीताल को छोड़कर, इनकी परिधि के 5 किलोमीटर को छोड़कर बाकी सम्पूर्ण प्रदेश में यह सुविधायें प्राप्त होंगी ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, मैं आभारी हूं पर्यटन मन्त्री जी का जिन्होंने वह घोषणा कर दिया जो कांग्रेस सरकार ने पहले कार्यान्वित कर दी थी ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, मुझे कष्ट सिर्फ इतना है कि कुछ लोग न तो प्रश्न करना चाहते हैं और न करने देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनका काम सिर्फ डिस्टर्ब करना है ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके पास पर्यटन के लिये संसाधन बहुत कम हैं लेकिन घोषणायें बहुत ज्यादा हैं । यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक आप ज्वाइंट सेक्टर में लोगों को आमंत्रित न करें जो अपनी पूंजी इसमें लगा

सकें । इसलिये ज्वाइंट सेक्टर में होटल इंडस्ट्री स्थापित करें । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हरियाणा में एक अधिकारी थे और आजकल वह प्रधान मंत्री सचिवालय में हैं वह श्री एस0 के0 मिश्र हैं । उन्होंने पर्यटन के लिये कार्य किया है । मैं पर्यटन मन्त्री जी से कहूंगा कि वह श्री एस0 के0 मिश्र से करीब का संपर्क बनाकर उत्तर प्रदेश के लिये कुछ और योजनायें लाने की कृपा करेंगी और यदि आप उनसे परिचित हैं तो अपना सम्बन्ध बताने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, दूसरा जो प्रश्न है उस पर आपको एतराज करना चाहिये यह मैं आपसे आग्रह कर रही हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरे प्रश्न का उत्तर न दें

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सुझाव दिया लो हम इसमें बाहर के लोगों का सहयोग ले रहे हैं । पहाड़ के लियें योजनायें बनायी गयी हैं । जैसे हमारा बुद्धिष्ट स्मारक है, इस पर काम शुरू हो गया है और जापान हमें सहायता दे रहा है । पहाड़ में विशेष तौर से उद्योग शुरू करने वाले हैं उसमें हमें बाहर से सहायता लेनी है । उनकी सहायता से पहाड़ पर पर्यटन अच्छी तरह से चला सकते हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जैसा कहा कि होटलों के निर्माण में वह छूट देने की सुविधा देने जा रही हैं, तो क्या जो मौजूदा में होटल चल रहे हैं, उन्हें विकसित करने की कोई सुविधा देगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

नहीं ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि भारत सरकार के माननीय उप प्रधान मन्त्री श्री देवी लाल जी ने घोषणा की है कि पांच सितारा होटलों में गांव के रहने वाले और धोती पहनने वाले लोगों को आधी छूट की व्यवस्था की जायेगी, तो क्या माननीया मन्त्री जी इसका अनुपालन उत्तर प्रदेश में करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, जो माननीय उप प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर विचार कर लूंगी ।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री असवन्त सिंह विष्ट--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पांच सितारा होटल हैं, चार सितारा होटल हैं और तीन सितारा होटल हैं, उनको तो आप छूट देने की सुविधा दे रही हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे होटल हैं, जिनमें साधारण लोग भोजन करते हैं या टिकते हैं और रहते हैं, क्या उनके लिए भी सरकार के पास कोई छूट देने की योजना है अगर नहीं है, तो क्या सरकार उनके लिए कोई छूट देने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने यह अपना उत्तर दिया है कि 5 सितारा होटल, 4 सितारा होटल और 3 सितारा होटलों में यह छूट देंगी, लेकिन जो छोटे होटल हैं जिनमें अधिकांश लोग भोजन करते हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं और जिसमें ज्यादातर लोग काम पर लगे हुए हैं क्या उन होटलों को भी उद्योग मान कर छूट देंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय, शायद माननीय सदस्य सुन नहीं पाये मेरा कहना है कि तीन सितारा होटल इत्यादि जिसमें एक सितारा भी हैं, दो सितारा भी है और तीन सितारा भी है, तीनों कटेगरी के होटलों में जो सुविधा है, वह दी जायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह प्रश्न है कि जो बिना सितारा के हैं उनमें छूट देंगी ?

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर तो आने दें ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय, तीन सितारा होटल का मैंने कहा है कि 15 फीसदी सबसीडी है, दो सितारा होटल को भी 15 प्रतिशत सब्सिडी है और एक सितारा को भी 15 प्रतिशत सब्सिडी है । एक सितारा होटल, दो सितारा होटल को मीन भी कोई नहीं होती है सिर्फ उसमें एक बाथरूम होना चाहिए और एक 12×12 का कमरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और छोटा फर्नीचर होना चाहिए वहीं एक सितारा होटल होता है, 2 सितारा होटल होता है, उसमें भी सब्सिडी देंगे ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राणा जी को बोलने दें यह आगरा से आते हैं, आप लोग बैठें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी से अलग से मिल लीजिएगा, मंत्री जी तो आप पर विशेष कृपा रखते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय, माननीया मंत्री जी ने होटलों की बात कही है । आगरा में पर्यटन विभाग में एक कांफ्रेंस हाल का निर्माण करना था, नारायण दत्त तिवारी जी उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं लेकिन उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है तो सरकार ने खुद अपने आप में जैसी घोषणा की है, जिसका उद्घाटन हो चुका है कांफ्रेन्स हाल के निर्माण का उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इस पर कब तक कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह प्रश्न तो एक नीति विषयक था वैसे मंत्री जी जवाब देना चाहे तो दे दें ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय, नेता विरोधी दल ने इसका शिलान्यास किया था । क्योंकि उसमें बहुत धन की आवश्यकता थी इसलिए जैसा कि तिवारी जी ने कहा इसमें बहुत सी बाहर की पार्टियां बुलानी थी लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर समझौता नहीं हो सका । इस पर फिर से विचार हो रहा है हम लोगों ने फिर से बुला लिया है जो इसमें काम करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के विभिन्न उद्यमों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने की मांग

*1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के विभिन्न उद्यमों में "न्यूनतम मजदूरी" अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अधिनियम लागू न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनकी न्यूनतम मजदूरी की दरें घोषित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री दीप चन्द्र सोनकर)—

कांच एवं चूड़ी उद्योग के विभिन्न उद्यमों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधान लागू हैं, इनमें कार्यरत कर्मकारों के लिए मजदूरी दरों का निर्धारि

25 अगस्त, 1981 को किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के परिपेक्ष्य में उसे विखंडित कर दिया गया। पुनः इन उद्यमों में कार्यरत कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि 1968 में एक अधिसूचना जारी की गयी कि श्रमिकों को मिनिमम वेज दिया जायगा, फिरोजाबाद के कामगरों को। फिर एक अधिसूचना, 1981 में आयी कि उनको मिनिमम वेज के अन्तर्गत ला दिया। फिर हाई कोर्ट ने कहते हैं कि विखंडित कर कर दिया। तो 1968 से 1991 तक मिनिमम वेज के अन्तर्गत फिरोजाबाद के चूड़ी कामगारी को मिनिमम वेज न दिलाना सरकार की सबसे बड़ी भूल है। क्या माननीय मंत्री जी एक कमेटी का गठन करके, जो मिनिमम वेज के अन्तर्गत बनती हैं, कब तक मिनिमम वेज लागू करने का प्राविधान सदन में सुनिश्चित करेंगे ?

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, 25 अगस्त, 1948 को न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गयी। इसमें कुशल श्रमिकों को 260 रुपये, अर्धकुशल को 234 और अकुशल श्रमिकों को 208 रुपये प्रतिमास की व्यवस्था की गयी। उसके बाद जनवरी, 1991 में शासन में यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

श्रीमन्, मैंने वह प्रश्न किया था कि 1968 में एक अधिसूचना सरकार ने जारी की थी मिनिमम वेज की। उसके बाद 1981 में एक घोषणा की कि मिनिमिम वेज के अनुसार इतनी वेज़ दी जायेंगी। वह विखंडित हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि 1968 से 1991 तक मिनिमम वेज ऐक्ट फिरोजाबाद में लागू न करने का क्या कारण है ? जिन अधिकारियों ने लागू नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा)—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है वह प्रतिशोधात्मक है, वह परस्पर विरोधी है। वर्ष 1981 में मिनिमम वेज लागू हुआ। उसके बाद सेवायोजक हाईकोर्ट चले गये। वहां विखंडन हो गया, स्टे हो गया। शासन ने उस स्थगनादेश को निष्प्रभावी करने के लिए बार बार प्रयास किया। वह निष्प्रभावी हुआ। सेवायोजक पुनः न्यायालय में चले गये और स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। विभाग ने पुनः स्थगनादेश को निष्प्रभावी किया है। माननीय वर्मा जी और आदरणीय सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शासन ने पुनः चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों के वेतन पुनरीक्षित करके, समय-समय पर जो आवेदन पत्र दिये गये, उनको देखते हुए पुनः वेतन पुनरीक्षण किया गया और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 208 रुपये न्यूनतम वेतन अब 725 से 750 रुपये करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, विधिक प्रक्रिया में है, जल्द ही लागू हो जायगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न नीतिगत नहीं है, बल्कि इस सरकार के प्रति खेदजनक है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया मिनिमम वेज के मुताबिक 208 से बढ़ाकर

250 रु0 या 270 रु0 करने जा रहे हैं, यह इनके विचार में है । मान्यवर, मैं जोर दे रहा हूं इतने वर्षों में 1978 से लेकर अब तक या 1981 से लेकर 1991 दे अब तक इतनें लम्बे अर्से में मिनिमम वेज ऐक्ट को लागू नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है यह आप कब तक इसे लागू कर देंगें ? इसका स्पष्ट आइवासन सदन में देने की कृपा करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी को श्रम विभाग को और श्रम विभाग के अधिकारियो को धन्यवाद देना चाहिए कि बार-बार सेवायोजक जो स्थगन आदेश की बावत माननीय न्यायालय में गये, हमारे विभाग की सक्रियता से न केवल उस स्थगन आदेश को निष्प्रभावी कराया गया बल्कि उसके अन्तर्गत एक कमेटी का गठन भी हुआ । उस कमेटी ने 208रु0 न्यूनतम वेतन था 1981 में, उसके 725 से 750 रु0 तक देनें का निर्णय लिया है, वह विधिक प्रक्रिया में है, जल्द ही उसका परिपालन हो जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

यह कब तक हो जायेगा समयबद्ध बतायें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बहुत लम्बी बहस हो जायेगी । माननीय मंत्री जी आप अपनें कक्ष में माननीय वर्मा जी को बुला लीजिये, उसमें अधिकारियों को भी बुला लीजिये और उस पर पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास करें माननीय वर्मा जी को ।

माननीय वर्मा जी को अब आप बैठे कितने सवाल करेंगें, चार हो गये ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आप निदेश दे दें मंत्री जी को कि एक माह के अन्दर लागू करें ।

श्री हरदवार दुबे एडवोकेट--

मान्यवर, हर सत्र में यह हरे काच की चूड़ियों का मामला यहां आ ता है, वास्तव में वहां की समस्या काफी जटिल है, उसका निदान जल्दी करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी चुड़ियों से प्रभावित होते हैं ख्याल रखेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

चूड़ियां इनको पहनाइये, मैं माननीय दुबे जी आप ही लोगों के लिए कह रहा हूं ।

प्रदेश की नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं एवं टाउन एरियाओं की जर्जर आर्थिक स्थिति को सुधारने की योजना

*2--श्री रविदास महरोत्रा---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर महापलिकाओं, नगर पालिकाओं एवं टाउन एरियाओं की जर्जर आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सरकार उनके वित्तीय संसाधन तथा शक्तियों में वृद्धि किए जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री धर्म सिंह सैनिया)--

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । आय के उपलब्ध स्रोतों का सही ढंग से उपयोग करके स्थानीय निकायें अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर सकती हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा---

माननीय, महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि स्ट्रीट लाईट के बल्ब होते हैं जब वह फ्यूज हो जाते हैं तो उनको बदलने के लिये उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं रहता । क्या नगर महापालिकाओं नगर पालिकाओं एवं टाउन एरियाओं ने कुछ प्रस्ताव किय है सरकार से आय बढ़ाने के लिये ? दूसरे नगर पालिकाओं एवं नगरमहापालिकाओं कि कितनी आमदनी है और उसमें से कितना खर्चा कर्मचारियों की तनख्वाहों आदि पर खर्च होता है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय, जहां तक इनकी आय-स्रोत का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं यह स्वायत्तशासी हैं और इस वजह से इनके अपने साधन हैं, उन साधनों से इन्हें व्यवस्था करनी है । जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम उनको 178.5 करोड़ नगरपालिकाओं, नगरमहालिकाओं का जो देय है, हम देते हैं । इसके अलावा जो उनकी अपनी आय है उससे व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं । इन्होंने यह पूछा है कि क्या कोई ऐसी योजना सरकार के सामने विचाराधीन है कि जिससे कि आय के स्रोत सरकार बढ़ाने में मदद कर सके ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय, हम लोग भी चिन्तित हैं क्योंकि आज जो हालत नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की है वह बहुत खराब हो चुकी है और हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इसे सुधारा जाये । लेकिन जो व्यवस्था है वाटर टैक्स, हाउस टैक्स इत्यादि की वसूली की, उन टैक्सों की वसूली में बहुत कमी है उसकी वसूली कैसे हो और उनकी व्यवस्था कैसे हो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं ।

डाक्टर ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि फैजाबाद और अयोध्या की नगर महालिकाओं और नगरपालिकाओं की हालत अत्यन्त जर्जर हो गयी है और वहां पर सड़कों और नालियों की दशा अत्यन्त गम्भीर है, तो क्या माननीय मंत्री जी को वहां की स्थिति के बारे में पता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री इन्द्रेश विक्रम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी थी कि चुंगी समाप्त करने के वक्त नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं के सामने दिक्कत होगी ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, चुंगी समाप्त करते वक्त हम लोगों ने उस पर पूर्णरूप से सोचा और विचार विमर्श हुआ । उसके तहत हम 100 करोड़ रुपये की चुंगी की इजाजत सारी नगरमहापालिकाओं, नगर पालिकाओं और टाउन एरियाओं को देते हैं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि क्या स्वायत्त शासन सरकार का कोई अंग नहीं है और क्या नगरमहापालिकायें, नगरपालिकायें, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया इनसे सम्बन्धित नहीं है । उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा है इसका विकास किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से यहां के लोगों को सुविधा मिल सकेगी, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, हमने पहले ही कहा है कि नगरमहालिकाओं, नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और उनकी जो व्यवस्था है उसमें भी कई कमियां हैं । हम लोगों का यह प्रयास है कि उसको दूर करें । लेकिन वाटर टैक्स, हाउस टैक्स जो 14 परसेन्ट हमको मिलना चाहिये और भी जो पैसा हमको मिलना चाहिये वह मिले तो इनकी व्यवस्था सुधर जाय । मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन से आग्रह करती हूं कि इन संस्थाओं को सुधारने के लिये हमको सबके सहयोग की आवश्यकता है, जिससे हम लोग इस पैसे को वसूल कर सकें और उन संस्थाओं को अच्छे ढंग से चला सकें ।

श्री किशन गोपाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कुछ नगरमहापालिकाओं/पालिकाओं के क्षेत्र ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जैसे आगरा का पश्चिमी क्षेत्र, तो क्या माननीय मंत्री जी के समक्ष ऐसे क्षेत्रों कुछ को अधिक धन/अनुदान देने की कोई योजना है ?

श्री उपाध्यक्ष—

किशन गोपाल जी, सरकार की नीयत और माननीय मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि यह स्वायत्तशासी संस्थायें अपने साधन स्वयं बढ़ाकर अपनी स्थिति को सुधारें, वैसे सरकार प्रयास कर रही है । सरकार के पास तुरन्त ऐसी कोई योजना नहीं है, इसलिये इस समय इससे सम्बन्धित कोई प्रश्न करना बेकार है ।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मेहरोत्रा जी, आपका अगला प्रश्न है, उसमें आप बोलियेगा ।

श्री किशोरी श्याम--

मान्यवर, मैं भी इससे सम्बन्धित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, मथुरा आप अलग से प्रश्न करें ।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के पुनः प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आप जल्दी से अपना प्रश्न करें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या नगर महापालिकाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जैसे मनोरंजन कर, रोड टैक्स का कुछ हिस्सा नगरपालिकाओं को दिया जाना आदि । दूसरी बात जो पूछना चाहता हूं कि चुंगी समाप्त करने के पहले नगर पालिकाओं को आय कितनी थी और अब सरकार द्वारा उसकी कितनी क्षतिपूर्ति की जा रही है । तीसरी बात पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के दौरे के समय नगरपालिकाओं को जो खर्चा होता है, क्या सरकार उसकी पूर्ति करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, जहां तक चुंगी के टैक्स का सवाल है, उसके अतिरिक्त हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तहबाजारी, विज्ञापन, शो टैक्स, बाजार से लाइसेन्स आदि ऐसे टैक्स हैं, जिनके द्वारा अधिकृत रूप से नगर पालिकाओं को पैसा मिलता है । इस समय जो परेशानी हो रही है, और जिससे माननीय सदस्य चिन्तित हैं, हमें भी उसकी चिन्ता है कि इधर टैक्स की वसूली ठीक से नहीं हो पा रही है, इस वजह से वित्तीय परेशानी है । इसी सम्बन्ध में मैंने आग्रह किया कि नगरपालिकायें इन सभी टैक्सों का अस्सी प्रतिशत भी वसूल कर लें तो जो बहुत सी वित्तीय व्यवस्थायें नहीं हो पा रही है, वह हो जायेंगी ।

(शोर/व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीया मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना यह है कि जिलों में मन्त्रियों आदि का जो कार्यक्रम लगा होता है और उसमें जो बत्तियां आदि लगाई जाती हैं, उस पर जो खर्च आता है क्या उस खर्च को देने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, मेरे पास ऐसे खर्च की कोई जानकारी नहीं आई है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी के जाने में क्या खर्च हुआ और मन्त्री जी के आने में क्या खर्च हुआ ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश नगर

पालिकाओं और महापालिकाओं में कई महीनों से कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पा रहा है। विकास की बात तो दूर रही। क्या माननीय मन्त्री जी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिलवाने की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, वेतन नहीं मिल पा रहा है। उसी बात पर यहां पर चर्चा भी हो रही है। नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को अपने संसाधनों से जितना जमा करना चाहिये था, उतना वह नहीं कर पा रही हैं।

[श्री उपाध्यक्ष द्वारा नत्थी (ग) पर प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर श्री रविदास मेहरोत्रा जी सदन के फ्लोर पर आ गये।]

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मेहरोत्रा जी आप कृपा करके अपने स्थान पर चले जायं। आपने चार प्रश्न कर लिये हैं। मैं अब आपको सप्लीमेन्टरी करने की अनुमति नहीं देता हूं। अब हम आगे बढ़ गये हैं। मैंने आपको चार बार टोका पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से सदन नहीं चलेगा ?

[श्री मेहरोत्रा जी सदन के फ्लोर पर आकर कहने लगे कि मान्यवर, एजेन्डे में मेरा जो दूसरा प्रश्न है, मैं उसी पर सप्लीमेन्टरी करने के लिए खड़ा हुआ था, पर आपने उसके बाद वाला प्रश्न ले लिया। इसलिए आप पहले मेरे प्रश्न को लीजिये। उनके सदन के पटल पर आकर खड़े रहने से घोर व्यवधान हो गया।]

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें समझने का फर्क रहा। हम यह कह रहे थे कि नगर विकास का प्रश्न कीजिये क्योंकि श्रम विभाग का प्रश्न समाप्त हो गया है। माननीय मेहरोत्रा जी ने श्रम विभाग पर ही अनुपूरक पूछना शुरू कर दिया।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, एजेण्डा हम भी देख रहे हैं। आप एक व्यवस्था देते हैं और जब लोग दौड़ कर "वेल" में आते हैं तो अपनी व्यवस्था बदल देते हैं। दूसरा प्रश्न चल रहा था, जब माननीय सदस्य दौड़ कर "वेल" में आ गये तो आप फिर पुराने प्रश्न पर चले गये।

श्री उपाध्यक्ष—

हमने माननीय सदस्य की बात को सच माना जब उन्होंने कहा कि वह उसी पर अनुपूरक पूछ रहे थे। हम इसलिये पीछे नहीं हटे कि वे दौड़ कर सदन के "वेल" पर आ गये।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, आप देखिये 70 मिनट में कुल तीन प्रश्न हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए आप हमें सहयोग करें।

शुक्रवार दिनांक 22 फरवरी, 1991 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिये जाने की वर्तमान सरकार की नीति

*1--श्री रविदास मेहरोत्रा--

क्या श्रम मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की वर्तमान सरकार की नीति है ? यदि हां, तो उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री दीप चन्द्र सोनकर--

जी नहीं, वर्तमान में इस प्रकार की कोई व्यापक नीति नहीं निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

बेरोजगारी हमारे प्रदेश की एक गम्भीर समस्या है। इनके उत्तर से लग रहा है कि प्रदेश सरकार इस गम्भीर विषय पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? दूसरी बात, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि व्यापक नीति नहीं है, तो क्या कोई सूक्ष्म नीति है या कोई अल्प नीति है, मैं जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या नीति है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अभी उत्तर में स्पष्ट ही कह दिया गया है और माननीय सदस्य मेहरोत्रा जी को बड़ी चिन्ता है, लेकिन उससे कम चिन्ता शासन की और सरकार को भी नहीं है। बेरोजगारी चिन्ता का विषय है, इसका निदान भी होना चाहिए, यह भी अपेक्षा करूंगा कि इस काम में आप हमारा सहयोग करें।

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिये और सुनिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तो मैं कह रहा था कि यह चिन्ता का विषय है हमारे लिये भी ओर आपके लिए भी। बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है लेकिन शासन और विभाग तमाम काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग स्व-रोजगार योजना को प्रोत्साहित कर रहा है। ग्राम्य विकास आई० आर० डी० के द्वारा सहायता कर रहा है, श्रम विभाग में आई० टी० आई० हैं, श्रम कार्यालय हैं। इनके माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षित करते हैं जिससे रोजगार मिलने में सुविधा हो ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में कितने लोगों को रोजगार मिला है ? एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिले इस नीति से क्या सरकार सिद्धान्त रूप से सहमत है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन् माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब मैंने तो दे दिया है पहले ही ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मेहरोत्रा जी कृपया विराजें, शासन के विधाराधीन है मामला यह माननीय मन्त्री जी ने बता दिया है । नत्थी "ग" प्रश्न संख्या 2 ।

प्रदेश के नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करने की मांग

*2—श्री हरिवंश कपूर—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के समस्त कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्म सिंह बालियान—

जी नहीं ।

नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं । यह स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और उन्हीं के यह कर्मचारी हैं । अतः इनके वेतन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिवंश कपूर—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इस मामले में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है । दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह बतायी कि नगरपालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों को वेतन उनके कोष से ही दिया जाएगा क्योंकि वह सरकार के कर्मचारी नहीं हैं । हालांकि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को स्वयं पता होगा कि आये दिन इन कर्मचारियों की स्थिति वेतन समय से न मिल पाने के कारण बिगड़ती ही जा रही है, इनकी इस स्थिति में सुधार लाने हेतु वो ही उपाय...।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया प्रश्न पूछिए, भाषण न दीजिए

श्री हरिवंश कपूर—

मान्यवर, मैं प्रश्न ही करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकार इन कर्मचारियों के विषय में अब तक विश्वास दिलाती रही है आश्वासनों के जरिए कि 25 प्रतिशत धन इनके वेतन के लिए सरकार देने जा रही है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था जल्दी ही की जा रही है, यदि हां तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय मान्यवर सदस्य ने जो इस विषय में चिन्ता व्यक्त की है, उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करती हूं और इस ओर सरकार द्वारा बराबर प्रयास भी जारी हैं कि इन कर्मचारियों को समय से वेतन मिले खासकर सफाई मजदूरों को जो बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं, इन्हें वेतन पहले मिलना चाहिए। अब चूंकि यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, इसलिए हम सीधे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इन सबके बावजूद भी प्रयास जारी है कि इन्हें पैसा जो वसूल करना होता है, करों की शक्ल में, वह प्रभावी हो और जल्दी से वसूल हो जाए ताकि इनकी समस्याएं हल हों और समय से सभी कर्मचारियों को वेतन आदि प्राप्त हो सके, इसके भरपूर प्रयास जारी हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए हमने अलग से आदेश निकाले हैं कि यह अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं, इन्हें सबसे पहले वेतन दिया जाना चाहिए, बाद में दूसरे कर्मचारियों को।

श्री उपाध्यक्ष--

नत्थी 'ग' प्रश्न संख्या 3

बदायूं नगर में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने के उपाय

*3-श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बदायूं नगर में पेयजल संकट व्याप्त है ? यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह बालियान--

बदायूं नगर में पेयजल संकट व्याप्त नहीं है यद्यपि पेयजल आपूर्ति की कुछ कमी अवश्य है।

बदायूं नगर में 8 नलकूप एवं 4 अवर जलाशय उपलब्ध हैं। नगर की वर्तमान जनसंख्या हेतु जल भंडारण क्षमता पर्याप्त है। जल वितरण प्रणाली काफी पुरानी होने के कारण जल भंडारण क्षमता का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस हेतु बदायूं नगर जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना वर्ष 1984-85 से स्वीकृत है। योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में रु0 16·00 लाख का प्राविधान किया गया है।

राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर सदन में पढ़ा गया।

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय नहीं रहा।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों की भांति अनुमन्य असुविधा भत्ता प्रदान करने पर विचार

*4-श्रीमती सरस्वती तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय कार्य करने के लिए जंगलों, नदी, नालों एवं खाईयों से गुजरना पड़ता

नोट--नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

है जिसमें अक्सर दुर्घटना हो जाया करती है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य असुविधा भत्ता के समान जोखिम भत्ता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरफिया लाल जुवांठा)--

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा असुविधा भत्ता नामक कोई भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः तदनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोई ऐसा भत्ता स्वीकृत करने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

हरिजन विभाग में हरिजनों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली सबसिडी कम करने की जानकारी

*5-श्री शिव करन सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली सबसिडी कम कर दी गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*6-श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

[अर्ध-न्यायिक होने के कारण निरस्त]

नगर फिरोजाबाद के सीवेज का पुनर्निर्माण कराने की मांग

*7-श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर फिरोजाबाद के सीवेज का गन्दा पानी ले जाने हेतु वर्ष 1972 में लाइन बिछाई गई और उक्त लाइन का ढाल उल्टा हो गया तथा पानी को इकट्ठा करने हेतु निर्मित तालाब का तल ऊंचा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में सीवेज का तत्काल पुनः निर्माण करायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

त्रुटिपूर्ण कार्यों हेतु 6 अधिकारियों/कर्मचारियों को दो से पांच वर्ष के वेतन वृद्धि रोकने एवं सेन्सर प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकल्प के रूप में नए सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कर योजना चालू की जा चुकी है ।

उ0 प्र0 में व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करने की योजना

*8—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संशोधित अप्रेन्टिसशिप कानून के अन्तर्गत अब उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा में व्यवसायिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को एक साल का अप्रेन्टिसशिप का अवसर प्रदान करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स लि0 सीतापुर पर लाखों रुपये बकाये का भुगतान न करने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही किया जाना

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स लि0 सीतापुर पर भविष्य निधि, ई0 एस0 आई0 ग्रेच्युटी तथा बीमा प्रीमियम का लाखों रुपया बकाया है तथा नियमित भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो भविष्य निधि अंशदान, ई0 एस0 आई0, ग्रेच्युटी तथा बीमा प्रीमियम का कितना-कितना रुपया फैक्टरी पर देय है जो जमा नहीं किया गया है ? रुपया न जमा करने के अपराध पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा रुपया कब तक जमा करा दिया जायेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह सही है कि सम्बन्धित उद्योग द्वारा भविष्य निधि का माह मई 88 से दिसम्बर 1990 तक रु0 16,34,918.80 (सेवायोजकों का अंशदान), ई0 एस0 आई0 का जून, 1988 से दिसम्बर, 1990 तक का रुपया 8,63,619.40 जमा नहीं किया गया है जिसमें कर्मचारियों का अंशदान माह अक्टूबर, 1990 से दिसम्बर, 1990 का कुल 37,776.90 भी सम्मिलित है ।

ग्रेच्युटी का भुगतान करने का सीधा दायित्व सेवायोजकों का है । श्रमिकों को बकाया ग्रेच्युटी की धनराशि की गणना श्रमिकों द्वारा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र न प्रस्तुत करने के कारण संभव नहीं है । सीमा पालिसी के बारे में बताया गया है कि प्रीमियम का नियमित भुगतान न होने के कारण यह लैप्स हो गई है ।

भविष्य निधि तथा ई0 एस0 आई0 का रुपया जमा न करने के लिये सेवायोजकों के विरुद्ध सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हुई है ।

जनपद इलाहाबाद के इलाकों की विधवाओं को भरण पोषण भत्ता आदि वित्तीय वर्ष में दिया जाना

*10—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधवा पेंशन धनराशि बासल में 60 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमाह कर दी है ? यदि हां, तो

क्या इलाहाबाद जनपद के मंझनपुर क्षेत्र के तीनो ब्लाकों कोशाम्बी, सरसंवा व मंझनपुर में उसका क्रियान्वयन 15 अगस्त, 1990 तक कितनी विधवाओं के लाभार्थ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और यह क्रियान्वयन कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

1 जनवरी, 1990 रुपये से 60 के स्थान पर 100 रुपये प्रतिमाह मरण-पोषण अनुदान की धनराशि कर दी गई है ।

वित्तांक 27 मई, 1990 को जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय में अग्निकांड होने के कारण बढ़ी हुई दर से क्रियान्वयन के फलस्वरूप लाभार्थी विधवाओं की निश्चित संख्या बताना संभव नहीं हो पा रहा है ।

बढ़ी हुई दर से निराश्रित विधवाओं को मरण-पोषण अनुदान के भुगतान का क्रियान्वयन अभिलेखों के पुनर्गठन के साथ ही प्रारम्भ कर दिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध धनराशि का भुगतान लाभार्थियों को कर दिये जाने की सम्भावना है ।

प्रदेश में महिलाओं को नौकरी दिये जाने के लिए सरकार की विशेष योजना

*11—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को नौकरी दिये जाने के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

प्रदेश में महिलाओं को नौकरी दिये जाने के लिए सरकार के समक्ष कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद आजमगढ़/मऊ के हरिजन प्र0 पा0 जू0 हा0 स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान स्वीकार किया जाना

*12—श्री बयाराम भास्कर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त हरिजन प्रा0 पा0 व जू0 हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक, अध्यापिकाओं को राजाज्ञा संख्या 2186/15/13/149/8-77, दिनांक 20 जुलाई 1979 में दिए गए निदेशानुसार 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा कर चुके अध्यापकों को बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान कर दिनांक 30 जून, 1978 से ही प्रशिक्षित वेतनमान स्वीकार कर लिया गया है परन्तु राजाज्ञा के अनुपालन में अनियमितताएं करके काफी लोगों को इससे वंचित रखा गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26 जून 1990 को मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, हरिजन एंव समाज कल्याण मंत्री, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़/मऊ को पत्र लिखकर राजाज्ञा का अनुपालन करने की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमायोजना एंव श्रम चिकित्सा सेवायें तथा श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत फार्मेसिस्टों की शैक्षिक योग्यता में भिन्नता के कारण समान वेतन न दिया जाना

*13--श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना एवं श्रम चिकित्सा सेवायें तथा श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत फार्मेसिस्टों (आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक) एलोपैथिक के वर्तमान वेतनमान समान हैं? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा अन्तर है? क्या समता समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 21 पर दी गयी टिप्पणी कारण (1) उपरोक्त पदों के लिए अन्य विभागों में भी यही वेतनमान दिये जाने की स्पष्ट अनुशंसा की गयी है? यदि हां, तो श्रम विभाग के 2 अनुभागों द्वारा प्रसारित राजाज्ञा में एक ही पद के लिए दो वेतनमान प्रदान करने के क्या कारण हैं?

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

श्रमायुक्त संगठन तथा चारीकर्म राज्य बीमा योजना एवं श्रम चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत फार्मेसिस्टों की शैक्षिक योग्यता में भिन्नता के कारण समान वेतनमान स्वीकृत किये जाने में कठिनाई है।

समता समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 61 पर फार्मेसिस्टों कम्पाउण्डरों के वेतनमान की संस्तुतियों के अनुरूप इनको वेतनमान दिये जा रहे हैं।

आगरा नगर महापालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या

*14--श्री सत्य प्रकाश विकल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि आगरा नगर महापलिका में सन् 1975 में सफाई कर्मचारियों की कितनी संख्या थी और अब 31, जुलाई, 1990 को कितनी संख्या है? क्या बढ़ती हुई जनसंख्या तथा नगर के चातुर्दिक विस्तार के कारण आगरा नगर महापालिका द्वारा 1200 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की मांग शासन से की गयी है? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमत सुखदा मिश्रा--

नगर महापलिका, आगरा में वर्ष 1975 में 2191 नियमित सफाई कर्मचारी भिश्ती सहित तथा 300 दैनिक वेतन के सफाई कर्मचारी थे 31 जुलाई, 1990 को नियमित सफाई कर्मचारी 2191 ही रहे तथा दैनिक वेतन- भोगी सफाई कर्मचारीयों की संख्या 1090 हो गयी है।

जी हां, 1200 सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखने की अनुमति नगर महापालिका ने शासन से चाही थी।

जी नहीं।

नगर महापालिका आगरा में 1090 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी पहले से ही कार्यरत है, जिन्हें नियमित किया जाना है। ऐसी स्थिति में और 1200 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति संभव नहीं है।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र लिये बगैर कान्ट्रेक्टर लेबर्स द्वारा कार्य कराया जाना एवं कान्ट्रेक्ट ऐक्ट का उल्लंघन

*15--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सफाई, सुरक्षा, वार्ड ब्वाय, आया, पेशेंट हेल्पर, किचन व लान्ड्री जैसे स्थायी कार्यों को सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र लिये बगैर कान्ट्रेक्ट लेबर्स से करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कान्ट्रेक्ट ऐक्ट के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही शुरू की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी संस्थान, लखनऊ में सफाई, सुरक्षा, वार्ड ब्वाय/आया/पेशेन्ट हेल्पर के रूप में कार्यरत कान्ट्रेक्ट लेबर्स को उत्तर प्रदेश कान्ट्रेक्ट लेबर रूल्स 75 की धारा 25 (2) (बी) (ए) के अनुसार अनुमन्य माहवारी वेतन रु0 1180 भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? इस सन्दर्भ में देय बकाये वेतन का भुगतान उन्हें कब तक कराया जायेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

यह सही है कि इस संस्थान में सफाई पेशेन्ट हेल्पर, किचन व लान्ड्री एवं सुरक्षा सेवायें जैसे कार्य कान्ट्रैक्टर के माध्यम से ली जा रही है कान्ट्रैक्टर के लिये रजिस्ट्रेशन संबंधी मामला उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये विचाराधीन होने के कारण अन्य कार्यवाही संभव नहीं है नियमावली में ऐसा कोई धारा नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान वाराणसी में गम्भीर अनियमितताओं के निराकरण एवं जांच हेतु अध्यक्ष जल संस्थान द्वारा शासन को प्रेषित अनरोध पत्र-पर कार्यवाही

श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा---

*16--क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष जल संस्थान, वाराणसी ने अपने पत्रांक-47/का0 अ0/84-85, दिनांक 17 अप्रैल, 1984 द्वारा शासन को अवगत कराया है कि जल संस्थान वाराणसी में अनेक गम्भीर त्रुटियां एवं अनियमितताएं व्याप्त हैं ? क्या ये अनियमतताये नगर की जलापूर्ति व्यवस्था तथा संस्थान को अवैध नियुक्तियों से सम्बद्ध हैं क्या इन गम्भीर त्रुटियों और अनियमितताओं के निराकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष जल संस्थान, वाराणसी ने उपरोक्त पत्र में शासन से अनुरोध किया है कि एक उच्च स्तरीय जांच अथवा प्रान्तीय स्तर पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराया जाना समीचीन होगा ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच करायी गयी ? ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

मामले में शिकायतों की गम्भीरता को देखते हुये अध्यक्ष, जल संस्थान, वाराणसी को स्वयं जांच करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

*17--डा0 दिनेश जौहरी--

[रे3 मंगलवार के ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर की जे0 के0 काटन मिल में और कानूनी ढंग से तालाबंदी को खुलवाने की मांग

*18--श्री चंनसुख भारती--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जे0 के0 काटन मिल, कानपुर में दिनांक 15 मई, 1989 से अचानक गैर कानूनी ढंग से तालाबंदी के कारण लगभग 4500 कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त मिल को शीघ्र खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और इन कर्मचारियों को रोजी-रोटी के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

शासन स्तर से प्रतिष्ठान को चालू कराने हेतु प्रयास किये गये हैं। सेवायोजकों ने प्रतिष्ठान को चालू करने हेतु बी0 आई0 एफ0 आर0 के समक्ष पैकेज घोषित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है जिसकी सुनवाई चल रही है ।

*19—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को बछावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिये जाने की मांग

*20--डा0 दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने दैनिक समाचार-पत्र ऐसे हैं जो बछावत आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित वेतनमान अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समाचार-पत्रों में काम कर रहे लोगों को बछावत आयोग की सिफारिश के अनुसार ही वेतन दिया जावे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रदेश के 100 दैनिक समाचार-पत्र प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो बछावत वेतन मण्डल की सिफारिशों में प्रस्तावित वेतनमान अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं ।

नियमानुसार इस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कौशाम्बी, सरसवां व मंझनपुर के समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हेतु खराब हैण्डपम्पों को बदलने की मांग

1--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कौशाम्बी, सरसवां व मंझनपुर, जनपद इलाहाबाद के पेयजल समस्याग्रस्त कितने गांव हैं जिसमें इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं ? कितने ऐसे गांव हैं जो उ0 प्र0 शासन द्वारा समस्याग्रस्त घोषित नहीं किए गये हैं ? क्या मंत्री जी उपरोक्त विकास खण्डों के प्रत्येक गांव को समस्याग्रस्त घोषित करके हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोशाम्बी, सरसवां एवं मंझनपुर में क्रमशः 91, 78 एवं 99 कुल 268 समस्याग्रस्त ग्राम हैं। इनमें से 267 ग्राम इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प तथा एक ग्राम पाइप पेयजल द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है।

इन विकास खण्डों में ऐसा कोई आबाद ग्राम नहीं बचा है जो समस्याग्रस्त घोषित न हुआ हो।

प्रत्येक ग्राम समस्याग्रस्त घोषित किया जा चुका है एवं इन समस्त राजस्व ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प/पाइप द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

2--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के क्रमशः विकास खण्ड कोशाम्बी, मंझनपुर, सरसवां में उ० प्र० जल निगम द्वारा जो हैण्डपम्प लगवाये गये हैं उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो वह कौन सी ग्राम सभायें हैं जहां हैण्डपम्प खराब हैं ? खराब हैण्डपम्पों की ब्लाकवार कुल संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी खराब हैण्डपम्प के सम्बन्ध में दोषी पाए गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? खराब पड़े हैण्डपम्प कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

यह सत्य नहीं है कि जनपद इलाहाबाद के क्रमशः विकास खण्ड कोशाम्बी, मंझनपुर, सरसवां में उ० प्र० जल निगम द्वारा लगाय गये अधिकांश हैण्डपम्प खराब पड़े हैं।

सूची संलग्न है।

जनपद इलाहाबाद के क्रमशः विकास खण्ड कोशाम्बी, मंझनपुर एवं सरसवां में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा क्रमशः 308, 405 एवं 366 हैण्डपम्प लगवाए गये हैं, जिनमें से क्रमशः 21, 5 एवं 27 हैण्डपम्प खराब हैं।

खराब हैण्डपम्पों की संख्या से स्पष्ट है कि बहुत कम हैण्डपम्प खराब हैं जो सामान्य स्थिति है एवं यह अधिकारियों के सतत प्रयत्न एवं प्रभावी नियंत्रण से ही सम्भव हो सका है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकत नहीं है।

कुल खराब 53 हैण्डपम्पों में से 36 रिबोर होने हैं जो धन की उपलब्धता के अनुसार रिबोर किये जायेंगे। शेष 17 अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्प ठीक कराये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 235 पर।)

जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया करारी में पेयजल की आपूर्ति हेतु योजना का क्रियान्वयन

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की टाउन एरिया करारी में पेयजल आपूर्ति करने हेतु एक सामूहिक पेयजल योजना विगत वर्षों में लागू की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पम्प एवं योजना के प्रस्तावित निर्माण स्थल का विवाद दिखाकर उक्त योजना को अन्यत्र लागू किया गया है ? यदि हां, तो उक्त टाउन एरिया करारी में सामूहिक पेयजल योजना लागू कर जल पूर्ति कब तक सुनिश्चित कर ली जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नगर में पेयजल योजना लागू किया जाना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री फहीम अहमद सुपरवाइजर हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय बाँदा के विरुद्ध विभागीय जाँच

4--श्री राज किशोर सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री फहीम, अहमद, सुपर वाइजर हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है ? क्या जाँच के दौरान अपराध सिद्ध पाए गए ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां, श्री फहीम अहमद, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर, कार्यालय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण, बांदा के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी जो अब समाप्त हो गयी है ।

जी हां,

श्री फहीम अहमद के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर उनकी सेवायें, उपनिदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी के आदेश संख्या 1052-56/म0 उ0 नि0/ ह0 स0 क0/90, दिनांक 18 सितम्बर, 1990 द्वारा समाप्त कर दी गयीं । मौजूदा समय म मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर श्री फहीम अहमद कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड चित्रकूट जल निगम द्वारा हैण्ड पम्पों में पेयजल संकट की गम्भीरता को देखते हुए स्वीकृत हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में सूखा एवं पेयजल संकट की गम्भीरता को देखते हुए शासन से विकास खण्ड चित्रकूट (कर्वी) को पचास हैण्ड पम्प स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या समस्याग्रस्त स्थलों का चयन क्षेत्र समिति चित्रकूट अंक प्रमुख एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्धारित एवं अग्रसारित सूची के आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का परीक्षण कर सूची को अन्तिम रूप दिया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त सूची के आधार पर जल निगम द्वारा समस्त 50 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है ।

6--श्री राम प्रसाद सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय पर तैनात अधीक्षण अभियन्ता एवं निदेशक कामर्शियल विंग द्वारा, सुल्तानपुर की तैनाती अवधि में हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म निर्माण में की गयी कथित वित्तीय धांधली

7--श्री मयंकर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय पर तैनात अधीक्षण अभियन्ता एवं निदेशक कार्मशियल विंग जब इससे पूर्व सुल्तानपुर में तैनात थे तो इनके द्वारा जनपद सुल्तानपुर रायबरेली में बनवाये गये हजारों हैण्डपम्पों का प्लेट फार्म नहीं बनवाया गया था और उसका पूरा भुगतान विभाग से ले लिया गया था ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इनके द्वारा यह कार्य स्वयं न कराकर मस्टर रोल पर कराकर करोड़ों रुपये का घपला किया गया था ? यदि हां, तो ऐसे अधीक्षण अभियन्ता को उक्त कार्यकाल में किये गये कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इनका प्रशस्ति पत्र वापस लेने और नये सिरे से जांच कराकर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

इसकी जांच करायी जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जांचोपरान्त इसके औचित्य का परीक्षण किया जायेगा ।

उपर्युक्त कार्यवाही के उपरान्त इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

विवेकानन्द पालो क्लीनिक में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

8--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि विवेकानन्द पालो क्लीनिक में 20 साल से काम कर रहे कर्मचारी दैनिक वेतन पर हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस पालो क्लीनिक में कितने कर्मचारी किन-किन तिथियों से कार्यरत हैं और उन्हें क्या वेतन दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम माडल स्टैन्डिंग आर्डर एवं बोनस कानून को उक्त क्लीनिक पर लागू कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी नहीं है जिसकी सेवायें 20 साल की हो गई हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 एवं उसके अन्तर्गत बने माडल स्टैंडिंग आर्डर तथा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्राविधान इस पाली क्लीनिक के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं ।

श्री बी0 के0 तिवारी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, जौनपुर को तारकोल क्रय करने में अनियमितता बरतने पर निलम्बित किया जाना

9—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, जौनपुर को दिनांक 14 अगस्त, 1974 को तारकोल क्रय करने सम्बन्धी तथाकथित अनियमितता के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अधिशासी अधिकारी उक्त तिथि को ऋषि नगर पालिका में तैनात थे तथा वहां से 24 अगस्त, 1974 से रिलीव होकर 30 अगस्त, 1974 को जौनपुर नगरपालिका में कार्यभार ग्रहण किया था ? क्या मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि इनका निलम्बन 27 जून, 1988 को वापस ले लिया गया है परन्तु जांच अधिकारी द्वारा जांच जारी है। क्या इस पूरे प्रकरण की जांच मंत्री जी कराने तथा दोषी अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्री बी0 के0 तिवारी, अधिशासी अधिकारी को दिनांक 8 जनवरी, 1986 को तारकोल क्रय का अनियमित भुगतान करने के लिये निलम्बित किया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त अधिशासी अधिकारी को इस शर्त के साथ बहाल किया गया था कि इसका अनुशासनिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जांच कार्यवाही यथावत् चलती रहेगी । शासन के आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 1990 द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को निन्दात्मक प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है तथा निलम्बन काल का वेतन न देने के लिये कारण बताओ नोटिस दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

10—श्री असगर अली—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज की निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की मांग

11—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकास खण्ड में दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को कितनी निराश्रित महिलायें थी जो शासन द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत पेंशन पाने की अधिकारी हैं ? इनमें से कितनी विधवाओं को उक्त तिथि को पेंशन प्राप्त हो रही थी ? कितनी ऐसी विधवायें थी जिनके आवेदन-पत्र जमा हैं किन्तु पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

विधवा भरण पोषण अनुदान पाने की पात्र विधवाओं की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

उक्त तिथि को कुल 240 निराश्रित विधवायें भरण-पोषण अनुदान प्राप्त कर रही थी ।

150 ऐसी निराश्रित विधवायें हैं, जिनके आवेदन-पत्र जमा हैं, परन्तु विधवा भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़ में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण

12--श्री पंचानन राय--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवायोजन कार्यालय में किस-किस श्रेणी के कितने बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण 31 मार्च, 1990 तक है और वर्ष 1989-90 में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ में 31 मार्च, 1990 को श्रेणीवार पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :--

1--हाईस्कूल से कम	13925
2--हाईस्कूल	12761
3--इण्टर	16493
4--स्नातक	7567
5--स्नातकोत्तर	1204
योग ..	51950

वर्ष 1989-90 में 86 पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार मिला है ।

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ के विकास खण्ड की निराश्रित विधवाओं को पेंशन दिये जाने की मांग

13--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड में दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को कितनी निराश्रित विधवायें थीं जो शासन द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत पेंशन पाने की अधिकारी हैं ? इनमें से कितनी विधवाओं को उक्त तिथि को पेंशन प्राप्त हो रही थी कितनी ऐसी विधवायें थी जिनके आवेदन-पत्र जमा हैं किन्तु पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है । कितनी ऐसी विधवायें हैं जिनके आवेदन-पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं इनसे आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद--

विधवा भरण-पोषण अनुदान पाने की हकदार विधवाओं की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

उक्त तिथि को 88 निराश्रित विधवायें भरण-पोषण अनुदान प्राप्त कर रही थीं ।

55 ऐसी निराश्रित विधवायें थीं जिनके आवेदन-पत्र जमा हैं परन्तु विधवा भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

सर्वेक्षण के अभाव में ऐसी विधवाओं की संख्या बताना सम्भव नहीं है । योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, हरैया की निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिये जाने की मांग

14--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड, हरैया में दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को कितनी निराश्रित विधवायें थीं जो शासन द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत पेंशन पाने की अधिकारी हैं ? इनमें से कितनी विधवाओं को उक्त तिथि को पेंशन प्राप्त हो रही थी ? कितनी ऐसी विधवायें थी जिनके आवेदन पत्र जमा हैं किन्तु पेंशन स्वीकृति नहीं की गयी है ? कितनी ऐसी विधवायें हैं जिनके आवेदन-पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हैं ? इनसे आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद--

विधवा भरण पोषण अनुदान पाने की पात्र विधवाओं की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । अतः निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

उक्त तिथि को 72 निराश्रित विधवाये भरण-पोषण अनुदान प्राप्त कर रही थीं ।

50 ऐसी निराश्रित विधवायें हैं, जिनके आवेदन-पत्र जमा हैं, परन्तु विधवा भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

सर्वेक्षण के अभाव में ऐसी महिलाओं की संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

विधवा भरण पोषण अनुदान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है किन्तु अनुदान स्वीकृत करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

श्री विवेकनन्द सेवा निवृत प्रधानाचार्य आई0 टी0 आई0 के बकाया वेतन तथा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

15--श्री राज किशोर सिंह तथा श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विवेकानन्द भट्टाचार्य, सेवा निवृत्ति, प्रधानाचार्य, आई0 टी0 आई0 ने वेतन बकाया भुगतान पेंशन पुनर्निर्धारण तथा भुगतान मुकदमा व्यय, भुगतान अन्तिम टी0 ए0 बिल भुगतान आदि के सम्बन्ध म यू0 पी0 पब्लिक सर्विसेज ट्राईब्युनल (5) जवाहर भवन, लखनऊ के क्लेम पिटीशन नं0-4/टी/भी/80/एल/एल 1/80 में दिनांक 7 सितम्बर, 1989 के निर्णय के अनुपालन

हेतु नियोजन तथा कारागार मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्रांक 19/मी आई0/पी0/एम0/पी0 एवं जे, दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0 प्र0, लखनऊ व जिलाधिकारी वाराणसी को पत्रांक 120/एस टी0/कैम्प-90, दिनांक 29 जनवरी, 1990 लिखा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1990 जो श्रम मन्त्री को लिखा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक कार्यवाही न होने का कारण क्या है ? क्या सरकार तत्काल उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

जी हां।

जी हां।

श्री विवेकानन्द भट्टाचार्य को कर्मशाला अधीक्षक आई0 टी0 आई0 (नैनीताल) द्वारा बकाया वेतन भुगतान का बैंक ड्राफ्ट नं0-ओ0 एल0/ए-44-076414, दिनांक 18 सितम्बर, 1990, 24944.95 रु0 भेजा जा चुका है। श्री भट्टाचार्य की पेंशन ग्रेच्युटी के पुनर्निर्धारण तथा भुगतान के सम्बन्ध में कर्मशाला अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान दिनेशपुर (नैनीताल) से सेवापुस्तिका तथा संशोधित अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्राप्त हो गया है जिसका परीक्षण कर लिया गया है तथा कमियों के निरोकरण हेतु कर्मशाला अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिनेशपुर से पत्र व्यवहार किया जा रहा है जिसके प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को अन्तिमाकरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा। निदेशालय के पत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1990 के द्वारा कर्मशाला अधीक्षक को निर्देश दिये गये हैं कि वे श्री भट्टाचार्य को 150 रु0 का भुगतान कर दें। टी0 ए0 बिल आपत्तियों के निवारण हेतु निदेशालय के पत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1990 द्वारा कर्मशाला अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिनेशपुर को भेजा गया है।

जिला वाराणसी की गांव सभा विश्वनाथपुर व गांव सभा दवेथुआ आदि में पेयजल संकट को देखते हुये हैण्ड पम्प लगाने की मांग

16---श्री ऊबल---

क्या नगर विकास मन्त्री, गांव सभा विश्वनाथपुर (खांवपुर) व गांव सभा दवेथुआ ब्लाक बड़ागांव व गांव सभा चारों व बतसपुर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पेयजल के संकट को देखते हुये वहां कम से कम 6-6 हैण्ड पम्प लगवाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

गांव सभा, विश्वनाथपुर (आंवपुर) विरांवकोट ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित है। फिर भी पाइप कमाण्ड क्षेत्र में जहां पानी नहीं पहुंचता है, के अन्तर्गत इस ग्राम में इसी वित्तीय वर्ष में दो हैण्डपम्प लगाने का प्राविधान है।

गांव सभा दवेथुआ में 11 हैण्डपम्प लगाकर गांव सेचुरेट कर दिया गया है।

गांव सभा चारों में वर्ष 1989-90 में 2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर गांव का प्रारम्भिक आच्छादन किया जा चुका है।

ग्राम मरतपुर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार मात्र 78 है। अतः एक हैण्डपम्प ही लगना था जो कि लगा दिया गया है।

जनपद मऊ के अन्तर्गत अमिला टाउन एरिया में प्रकाश की समुचित व्यवस्था

17--श्री सुबास--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अन्तर्गत अमिला टाउन एरिया जो काफी सघन है, में रोशनी की समुचित व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो वहां की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए क्या रोशनी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां । टाउन एरिया कमेटी, अमिला जनपद मऊ में जहां-जहां विद्युत् पोल लग हैं उन पर बल्ब तथा ट्यूब लाइट लगाकर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

18--श्री सुबास--

[3 रे सोम के अतः प्र0 सं0 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ की टाउन एरिया दोहरीघाट अमिला घोसी में शौचालय की व्यवस्था

19--सुबास--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से सम्बन्धित दोहरीघाट, अमिला, घोसी टाउन एरिया में हिन्दु मुस्लिम की संयुक्त बड़ी आबादी होने के बावजूद भी टाउन एरिया में शौचालय की व्यवस्था नहीं की गयी ह ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त टाउन एरियाओं में सामूहिक शौचालय की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि दिये जाने पर विचार करना सम्भव होगा ।

समय सीमा बताना सम्भव नहीं ह ।

आदर्श जनता इण्टर कालेज गौराबाजार, सिद्धार्थनगर में स्वीकृत छात्रवृत्ति के वितरण में गोलमाल

20--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जनता इण्टर कालेज, गौराबाजार सिद्धार्थनगर के विरुद्ध वर्ष 81-82 में विभागीय आडिट द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी जिसे निदेशालय में ही रोककर मन्डल एवं जनपद स्तर पर नहीं भेजा गया जिसके कारण वहां छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण में भारी गोलमाल हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही ह ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड अजमतगढ़ के गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक कार्यवाही

21--श्री पंचानन राय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड में कौन-कौन से गांव पेयजल से अभावग्रस्त हैं ? क्या इनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड अजमतगढ़ के समस्त 251 आबाद राजस्व ग्राम पेयजल से अभावग्रस्त हैं ।

उक्त 251 आबाद ग्रामों में से 23 ग्राम पाइप द्वारा तथा 228 ग्राम हैण्डपम्प द्वारा लाभान्वित किये गये हैं । उक्त 228 ग्रामों में कुल 719 हैण्डपम्प सेचुरेशन हेतु प्रस्तावित थे जिसमें से 31-3-90 तक 398 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं । वर्ष 90-91 में 12 ग्रामों में 42 हैण्डपम्प लगाये जाने हैं जिनका अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है । शेष हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का कार्य अगले वित्तीय वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्रवार आवंटित मार्क-2 हैण्ड पम्पों का विवरण

22--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हिन्द मार्क-2 हैण्ड पम्प जनपद इलाहाबाद में किन-किन विधान सभाई क्षेत्र में कितनी-कितनी संख्या में आवंटित हुये हैं और सबसे अधिक हैण्ड पम्प हिन्द मार्क-2 इलाहाबाद में किस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगे हैं और उसका आधार क्या है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 में जनपद इलाहाबाद के 14 विधान सभाई क्षेत्रों में निम्नानुसार हिन्द मार्क-2 हैण्ड पम्प आवंटित हुए है :--

क्रम-संख्या	विधान सभा क्षेत्र	आवंटित हैण्ड पम्प की संख्या
1	2	3
1	267 मेजा (अ0 जा0)	174
2	268 करछना	219
3	269 बारा	145
4	270 झूंसी	78

1	2	3
5	271 हन्डिया	185
6	272 प्रतापपुर	93
7	273 सोरांव	100
8	274 नवाबगंज	98
9	275 इलाहाबाद (उत्तरी)	20
10	276 इलाहाबाद (दक्षिणी)	16
11	277 इलाहाबाद (पश्चिमी)	64
12	278 चायल (अ0 जा0)	199
13	279 मंझनपुर (अ0 जा0)	328
14	280 सिराथू (अ0 जा0)	257
	योग ..	1974

उपर्युक्त के सन्दर्भ सबसे अधिक हिन्द मार्क–2 हैण्ड पम्प विधान सभा क्षेत्र 279–मंझनपुर में लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिकतम हैन्ड पम्प लगने का मुख्य आधार यह है कि यहां ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध नहीं है।

23—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम बलुऊन का पुरा की निराश्रित विधवाओं को पेन्शन दिया जाना

24—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलुऊन का पुरा, पोस्ट आनापुर, जिला इलाहाबाद के ग्राम प्रधान के माध्यम से वहां की निराश्रित/विधवा महिलाओं को पेन्शन दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र जनवरी से मई, 1990 के मध्य सक्षम अधिकारी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त महिलाओं को पेन्शन प्राप्त हो रही है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पेन्शन प्राप्त हो जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में माह मई, 1990 में में हुई अग्निकान्ड के कारण वर्तमान अभिलेखों के अनुसार ग्राम बलुवन का पुरा, पोस्ट आनापुर, जिला इलाहाबाद के ग्राम प्रधान के माध्यम से निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान प्रार्थना पत्र जनवरी, 1990 से मई, 1990 के मध्य सक्षम अधिकारी को प्राप्त होने की पुष्टि सम्भव नहीं हो पा रही है।

उक्त ग्राम की केवल एक विधवा श्रीमती सोना देवी पत्नी स्वर्गीय सुधाकर को वर्ष 1989-90 में भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत हुआ था जिन्हें अनुदान प्राप्त हो रहा है ।

प्रश्नगत ग्राम की विधवाओं के निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान आवेदन-पत्र पुनः प्राप्त होने पर नियमानुसार धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा के कस्बा किरावली में नयी वक्फ कमेटी बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

25--श्री बदन सिंह--

क्या मुस्लिम वक्फ मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के कस्बा किरावली में पुरानी वक्फ कमेटी को भंग कर नयी कमेटी बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 1 मार्च, 1990 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व एवं पुनर्वास मन्त्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी हां ।

उक्त पत्र पर सचिव, सुन्नी वक्फ बोर्ड के आदेशानुसार वक्फ निरीक्षक ने पुरानी कमेटी के विरुद्ध जांच करके अपनी रिपोर्ट सचिव को प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 63(2) के अनुसार कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

26--श्री राजकिशोर सिंह--

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

27--श्री राजकिशोर सिंह--

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर देहात के विकास खण्ड बिल्हौर, ककवन तथा रसूलाबाद के व्यक्तियों को स्वीकार की गयी वृद्धावस्था पेन्शन का विवरण

28--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1990 से अगस्त, 1990 तक जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खन्ड बिल्हौर, ककवन तथा रसूलाबाद से सम्बन्धित गांवों की वृद्धावस्था पेन्शन के क्रमशः कितने-कितने फार्म जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय में प्राप्त किये गये और उनमें से कितने-कितने लोगों की पेन्शन स्वीकृत कर सम्बन्धित लोगों को सूचना दी गयी तथा कितने-कितने लोगों के फार्म किन-किन कारणों में अस्वीकृत किये गये ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वृद्धावस्था पेन्शन जिलाधिकारी के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। जनपद कानपुर देहात के विकास खन्ड बिल्हौर से 346, ककवन से 227 तथा रसूलाबाद से 363 वृद्धावस्था पेन्शन हेतु प्रार्थना-पत्र जनवरी, 1990 से अगस्त, 1990 तक प्राप्त हुये। जिसमें स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत् है :

	स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या	अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
1—बिल्हौर	344	2
2—ककवन	197	30
3—रसूलाबाद	305	58

कुल 846 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा सूचित कर दिया गया। शेष 90 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र निर्धारित आयु सीमा से आयु कम होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

जोशीमठ गोरसू, जनपद चमोली में रोप वे बनाने हेतु रोम विदेश से आयात किया जाना

29—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में जोशीमठ गोरसू (औली) रोप-वे हेतु रोप विदेश से आयात किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त रोप कार्य स्थल पर पहुंचा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

रोप-वे जोशीमठ के लिए मे0 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि0, इलाहाबाद, नैनी द्वारा जो इस परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, रोप का आयात अक्तूबर, 1985 में किया था तथा यह रोप अभी तक बम्बई में ही रखी हुई है। टी0 एस0 एल0 द्वारा अब आश्वासन दिया गया है कि रोप दिसम्बर, 1991 व मार्च, 1992 तक दो लाटों में जोशीमठ पहुंचा देंगे।

जनपद चमोली में औली को अत्याधुनिक शीत क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम

30—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में औली को अत्याधुनिक शीत क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु शासन ने कोई ठोस समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां।

इसके अन्तर्गत स्की लिफ्ट/चेयर लिफ्ट, जोशीमठ से औली तक रज्जू मार्ग, फाइवर ग्लास हट्स का निर्माण, डबल स्टोरी काटेजेज तथा आधुनिक रेस्तरां का निर्माण शामिल है।

31--तीरथ राज--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मण्डलायुक्त आगरा की संस्तुति पर स्वामी बाग, रामबाग टाउन एरिया को नगर महापालिका में विलोन करने की कायवाही

32--श्री बदन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में स्थित स्वामी बाग रामबाग, टाउन एरिया को समाप्त कर नगर महापालिका आगरा में बिलोन किये जाने, का प्रस्ताद शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

दयालबाग, आगरा के कर्मचारियों एवं सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग, दयालबाग की शिकायत पर मण्डलायुक्त, आगरा की संस्तुति पर कार्यवाही की जा रही है ।

स्थानीय निकायों में डेलोवेजेज कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

33--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने स्थानीय निकायों में डेलोवेजेज पर कार्यरत या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा हाल ही में की है ? यदि हां, तो यह आदेश कब से लागू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

पदों की अनुपलब्धता के कारण ।

34-35--श्री शारदा नन्द अंचल--

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

36--श्री मोती लाल देहलवी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री नुरुलहुदा वर्तमान पम्प चालक यांत्रिक शाखा जल निगम मेरठ द्वारा मशीन से पैर की हड्डी टूट जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु जल निगम उ0 प्र0 को प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

37--श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नुरुलहुदा वर्तमान पम्प चालक यांत्रिक शाखा जल निगम, मेरठ की पैर की हड्डी, दिनांक 13-9-87 को कम्प्रेशर मशीन के बेब रिंच के हैण्डिल से लगे चोट के कारण कार्य के दौरान टूट गयी थी और उन्होंने उक्त दिनांक से दिनांक 5-6-1989 तक चिकित्सा कराने के बाद पुनः

6-6-1989 को उक्त शाखा में कार्यभार ग्रहण किया था ? यदि हां, तो जल निगम प्रशासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 11731 प्र-1 कार्य प्रभारित दिनांक 21-11-1989 के सन्दर्भ में उक्त कर्मचारी के पिता श्री नियाजुल हक द्वारा सचिव प्रशासन उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ को भेजा गया प्रार्थना-पत्र जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुभाग, उ0 प्र0 जल निगम के पत्र सं0 220/कैश-सेल चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिनांक 20-4-1990 द्वारा यांत्रिक शाखा जल निगम, मेरठ को भेजा गया था, उस पत्र को मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उस पर शासन स्तर से क्या आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

चोट लगने के उपरान्त श्री हुदा दिनांक 31-12-1987 को कार्यालय में उपस्थित हुये, परन्तु दिनांक 1-1-1988 को बिना सूचना दिये अनुपस्थित हो गये एवं पुनः दिनांक 5-6-1989 को उपस्थित हुये ।

श्री हुदा के पिता श्री नियाजुल हक के पत्र के मुख्य बिन्दु एवं की गई कार्यवाही निम्नलिखित हैं :—]

मुख्य बिन्दु	की गई कार्यवाही
1—मेडिकल कालेज, मेरठ व गोरखपुर में दवा कराने हेतु रु0 10000 एवं मेरठ व गोरखपुर मेडिकल कालेज जाने एवं ले आने हेतु रु0 5,000 मांगे गये हैं ।	अनुमन्य नहीं है । भुगतान का प्रश्न ही नहीं है ।
2—दिनांक 1-1-1988 से 4-6-1989 तक वेतन के भुगतान एवं सेवा की निरन्तरता बनाये रखने दिनांक 31-12-1987 तक वेतन का भुगतान किया गया । दिनांक 1-1-1988 से 4-6-1989 तक कार्य-स्थल से बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण न तो वेतन अनुमन्य है और न ही सेवा में निरन्तरता बनाये रखी जा सकती है, दिनांक 5-6-1989 से श्री हुदा को पुनः नये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य पर लगा लिया गया है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है ।	अनुमन्य नहीं है । परन्तु सहायता के रूप में मेरठ म इलाज के दौरान
3—श्री हुदा का स्थानान्तरण, बेबरिया या गोरखपुर कार्यरत किसी शाखा में करने की मांग ।	

झांसी मंडल के जल संस्थान के प्रबन्धक पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

38--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मंडल, झांसी के जल संस्थान के प्रबन्धक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-6-1990 का शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उच्चस्तरीय जांच के आदेश पारित हुये हैं ? यदि हां, तो किस उच्च अधिकारी ने जांच की तथा जांच में क्या-क्या अनियमितायें पायी गयी ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जी हां । मामले की जांच हेतु आयुक्त/अध्यक्ष, झांसी मंडल जल संस्थान को निर्देशित किया गया था । उनसे प्राप्त जांच आख्या के अनुसार प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39 --श्री मोती लाल देहलवी--

(2 रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद कानपुर के नगरमहापालिका में 10 वर्ष से कार्यरत उप नगर अधिकारियों का विवरण

40--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका कानपुर में ऐसे कौन-कौन उप नगर अधिकारी हैं, जिन्हें नगर महापालिका, कानपुर में इसी पद पर कार्यरत रहते लगभग दस वर्ष हो चुके हैं ? क्या ऐसे अधिकारी स्थानान्तरित होने के 6 माह पश्चात पुनः नगर महापालिका कानपुर में पूर्ववर्ती पदों पर तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे अधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

नगर महापालिका कानपुर में ऐसा कोई उप नगर अधिकारी नहीं है जिसे इसी पद पर कार्य करते हुये 10 वर्ष हो गये हों ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को नियमित वेतन, पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

41--श्री दयाराम भास्कर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रायमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को नियमित वेतन, पेंशन, जीवन बीमा, ग्रेच्युटी आदि की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि होगी तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद--

विभाग द्वारा प्राथमरी पाठशालायें संचालित नहीं है । अतः स्वैच्छिक संस्था के अध्यापकों को इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन वेतनमान दिये जाने की मांग

42--श्री दया राम भास्कर--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगें कि विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों को नवीन वेतनमान दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन समाज एवं कल्याण विभाग द्वारा बलिया में हरिजन प्राइमरी पाठशालायें संचालित न किया जाना

43--श्री दया राम भास्कर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा बलिया में संचालित हरिजन प्रा0 पाठशालाओं के अध्यापकों का मार्च, 1990 से अब तक के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जनपद बलिया में विभाग द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं । प्रश्न नहीं उठता है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा बलिया, आजमगढ़ मऊ में हरिजन प्राइमपी पाठशालायें संचालित न किया जाना

44--श्री दया राम भास्कर--

क्या मंत्री जो यह भी बताने को कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बलिया, आजमगढ़ मऊ में हरिजन प्राइमरी पाठशाला के भवन नहीं हैं ? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद --

इन जनपदों में विभाग द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोहम्मदाबाद (मऊ) द्वारा मुख्य सेविकाओं को परिवार नियोजन विषयक विशेष वेतन वृद्धि की स्वीकृति

45--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी मोहम्मदाबाद (मऊ) द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 1990 को किन-किन मुख्य सेविकाओं को परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष वेतन वृद्धि दिये जाने का अनुरोध निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार से किया गया है ? इनमें से किनको-किनको उक्त वेतन वृद्धियां दे दी गई हैं ? जिनको नहीं दी गई हैं उन्हें कब तक दे दी जायेंगी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोहम्मदाबाद मऊ द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 1990 को श्रीमती कलावती, मुख्य सेविका को परिवार कल्याण हेतु एक विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुरोध किया गया है ।

मात्र एक ही प्रस्ताव था जो नियमानुसार देय नहीं है । सरकारी सेवा में आने से पूर्व ही नसबन्दी आपरेशन कराया गया था इसलिए विशेष वेतन वृद्धि देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के इण्टर कालेज सलोज का प्रान्तीयकरण

46--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में वित्तीय कमी के कारण प्रान्तीयकरण से वंचित इण्टर कालेज, सलोज, जनपद अल्मोड़ा का प्रान्तीयकरण कर दिया गया है ? क्या वर्ष 1982-83 के बाद प्रदेश सरकार ने कोई प्रान्तीयकरण नहीं किया है और यदि किया है तो इस कालेज का प्रान्तीयकरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस कालेज के प्रान्तीयकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ?

श्री बरफिया लाल जुबांठा--

जी नहीं ।

1982-83 के बाद बजट में प्राविधान को दृष्टिगत रखकर कतिपय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण हुआ है और सीमित संसाधन के कारण प्रश्नगत विद्यालय का प्रान्तीतकरण नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

47--डा0 दिनेश जौहरी--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण ।]

आगरा नगर में नाई की मण्डी तथा नामारे क्षेत्र में पेयजल हेतु ओवर हेड टैंक की निर्माण योजना

48—श्री हरद्वार दुबे, एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के नाई की मण्डी तथा नामारे क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ओवर हेड टैंक बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

टाउन एरिया कमेटी, दुद्धी, जनपद सोनभद्र में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

49—श्री तीरथ राज—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, दुद्धी, जनपद सोनभद्र में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सन् 1979 से अब तक कार्यरत हैं, उन्हें अब तक स्थाई न किए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उन कर्मचारियों को स्थाई करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

टाउन एरिया कमेटी, दुद्धी, जनपद सोनभद्र में नियमित पद उपलब्ध न होने के कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करना सम्भव नहीं है ।

50—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[2 रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध छात्रवृत्ति एवं विधवा पेंशन में कथित धांधली के आरोप की जांच

51—श्री राम ललित—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 21 जून, 1990 को एक शिकायती-पत्र, जो जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध छात्रवृति विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन के वितरण में धांधली तथा अन्य अनियमितताओं की जांच कराने के बारे में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से और कब कराई गई ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच श्री एल0 डी0 पाण्डेय, सहायक निदेशक के द्वारा माह अगस्त, 1990 में की गयी ।

52—श्री शारदानन्द अंचल—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

खुरजा टिन फैक्टरी, गांधी रोड, खुरजा में मजदूर की मशीन से उंगली कट्ने के कारण क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने की मांग

53—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह, निवासी सोही, डा० खास, ब्लाक पहासू, जनपद बुलन्दशहर खुरजा टिन फैक्टरी, गांधी रोड, खुरजा में बोटम प्रेसमैन के पद पर उपरोक्त फैक्टरी में छः वर्ष से कार्यरत था ? क्या दिनांक 30 जुलाई, 1989 को उपरोक्त मजदूर की सीधे हाथ की दो उंगलियां बोटम प्रेस से मशीन पर कार्य करते वक्त कट गयी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रेस के मालिक नें मजदूर को मुआवजा दिया ? यदि नहीं, तो फैक्टरी मालिक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए क्या मन्त्री जी मजदूर को फैक्टरी में रोजगार एवं क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत हाटमिक्स प्लान्ट से सड़के बनाये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की मांग

54—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत हाटमिक्स प्लान्ट से सड़कें बनाये जाने हेतु वर्ष 1988–89, 1989–90 एवं चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में कितनी-कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी ? आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि किस–किस वर्ष में खर्च कर ली गई ? कितनी धनराशि शेष सड़कों का कार्य अधूरा छोड़कर किन–किन कारणों से सरकार द्वारा वापस ले ली गई ? क्या उपरोक्त शेष धनराशि वापस नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में शेष सड़कें हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा बनाये जाने हेतु दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

नगरपालिका फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत हाटमिक्स प्लान्ट से सड़कें बनाये जाने हेतु वर्ष 1988–89, 1989–90 एवं चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 में शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

55—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

[3 रे सीमवार में अता० प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ का बकाया जलकर एवं गृहकर की वसूली

56—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ का जलकर एवं गृह कर का कुल कितना रुपया बकाया ह ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पच्चीस हजार या उससे अधिक की धनराशि किन-किन व्यक्तियों पर बकाया हैं ? इस धनराशि के तत्काल वसूली हेतु अब तक क्या-क्या ठोस कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

नगर पालिका फर्रुखाबाद फतेहगढ़ का वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल बकाया जलकर रु0 32,67,341.35 पैसे तथा गृहकर रु0 25,03,391.11 है ।

सूची संलग्न है ।

बकाया धनराशि की वसूली हेतु की गई कार्यवाही सूची में दर्शायी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 237 पर ।)

नगर पालिका बाराबंकी के सेवा निवृत कर्मचारियों को दिये गये पेन्शन का विवरण

57—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983 में (जनवरी से दिसम्बर तक) नगरपालिका बाराबंकी में कौन-कौन कर्मचारी किन-किन पदों से सेवा निवृत्त हुए ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से किन-किन कर्मचारियों को पेन्शन दी जाने लगी है तथा कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक पेन्शन नहीं स्वीकृत की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

विवरण संलग्न है ।

9 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारियों की पेन्शन दी जाने लगी है ।

पेन्शन विनियमावली 1984 की औपचारिकता पूर्ण न करने के फलस्वरूप 3 कर्मचारियों को पेन्शन के लिये पात्र नहीं पाया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 239 पर ।)

58—श्री बलबीर सिंह—

[3रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गोरखपुर में नगर पालिका के उप नगर अधिकारी तथा प्रधान लिपिक पर तहबाजारी की वसूली के ठेके में क्षति का आरोप

59--श्रीमती शारदा देवी--

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि नगर पालिका गोरखपुर में नौसड़ बाजार चौराहा की तहबाजारी की वसूली का ठेका माह जुलाई, 1990 में 117·00 रु0 में दिया गया और माह अगस्त में मात्र रु0 8376.00 में ही देकर नगर पालिका गोरखपुर को मु0 रु0 3349·00 की क्षति उप नगर अधिकारी श्री राणा भानु प्रताप सिंह एवं उनके प्रधान लिपिक श्री हनुमान मिश्र ने की है, जिसकी लिखित सूचना विधायक श्री शिव प्रताप शुक्ल व श्री शारदा नन्द अंचल ने क्रमशः दिनांक 2 अगस्त, 1990 व 9 अगस्त, 1990 को मुख्य नगर अधिकारी, मन्डलायुक्त, गोरखपुर एवं उन्हें दी थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, गोरखपुर के आदेशानुसार माह अगस्त, 1990 का ठेका रु0 8376 रु0 में दिया गया था जो बाद में दिनांक 20 अगस्त, 1990 को नीलामी द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु रु0 1,98,000 में दे दिया गया था ।

श्री राणा भानुप्रताप सिंह, उप नगर अधिकारी तथा श्री हनुमान मिश्र, प्रधान लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई ।

वाराणसी शहर के कमच्छा स्थित भूतपूर्व काशी नरेश से धर्मकार्य निधि ट्रस्ट को शहरी सीलिंग अधिनियम 1976 के प्रभाव से मुक्त करने का औचित्य

60--श्री राजकिशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर के कमच्छा स्थित भूतपूर्व काशी नरेश के नगर महापालिका परिसर सं0 बी-21/1128 व बी-21/129, जो लगभग छः बीघे में है तथा जिसमे अप्पू हाउस का निर्माण हो रहा है, को भूतपूर्व काशी नरेश धर्मकार्य निधि ट्रस्ट के नाम से शहरी सीलिंग अधिनियम, 1976 के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्राइवेट ट्रस्ट की भूमि को सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी को मुक्त करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या शहरी सीलिंग विभाग उक्त भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

महाराजा काशी राज धर्मकार्य निधि ट्रस्ट मार्च, 1958 में पंजीकृत है । सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत उक्त ट्रस्ट को धार्मिक ट्रस्ट मानते हुए प्रश्नगत भूमि को उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया । सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आदेश धारा 8(4) के अन्तर्गत दिया जिसके लिये सक्षम थे । कालान्तर में यह ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पर अप्पू घर का निर्माण कराया जा रहा है जिस कारण ट्रस्ट धारा 19 की छूट के लिए अनुमन्य नहीं रह गया है । इस बिन्दु पर जांच चल रही है जांचोपरान्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

भूतपूर्व काशी नरेश आदि की वाराणसी शहर में स्थित भूमि पर निर्बल आयवर्ग के लोगों को भवन बनाकर आवंटन की कार्यवाही

61—श्री राज किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी सीलिंग अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत भूतपूर्व काशी नरेश एवं अन्य की वाराणसी शहर में स्थित जो भूमि निर्बल आयवर्ग को आवास बनाकर आवंटित करन हेतु छोड़ी गई थी, क्या उसके सम्बन्ध में कमजोर वर्ग के "निर्बल वर्ग" के आय की सीमा का निर्धारण शासन ने कर दिया है ? यदि हां, तो वह कितनी है ? क्या उक्त भूमि पर बने भवन निर्बल आयवर्ग के लोगों को आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो उनके आवंटन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

निर्बल वर्ग के आय की सीमा 700'00 रु0 प्रतिमाह निर्धारित है ।

जी नहीं ।

प्रथम दृष्टया यह मामला दी गई छूट के दुरुपयोग का है । इस सम्बन्ध में की जा रही जांच प्रगति पर है ।

शहरी सीलिंग विभाग वाराणसी के कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किये जाने की मांग

62—श्री राम किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी सीलिंग विभाग वाराणसी के कर्मचारियों द्वारा वहां के भूतपूर्व सक्षम प्राधिकारी श्री नरेन्द्र देव पाठक के दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1989 में 77 दिनों तक जो हड़ताल की गई थी, उस हड़ताल अवधि का वेतन कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों ने अपना-अपना अर्जित अवकाश कटवाकर उक्त हड़ताल अवधि के वेतन की प्राप्ति हेतु जो प्रार्थना-पत्र निदेशक, नगरभूमि सीमारोपण उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित किये हैं, उन पर क्या कार्यवाही हो रही है और अब वेतन देने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

हड़ताल अवधि के विनियमन व वेतन भुगतान का मामला शासन के विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी शहर के मौजा, परगना देहात अमानत स्थित बड़ी गैबी मन्दिर से आस-पास की भूमि शहरी सीलिंग अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अधिग्रहण

63—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर के मौजा जोल्हा, परगना देहात अमानत स्थित बड़ी गैबी मंदिर के आस-पास लगभग 19-20 बीघे भूमि के सम्बन्ध में शहरी सीलिंग अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही

चल रही है ? यदि हां, तो क्या अब तक इस भूमि को सीलिंग विभाग द्वारा अधिगृहीत किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो शासन का कब्जा कब तक इस भूमि पर हो जायगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जो हां, वाराणसी के मौजा जोल्हा, परगना देहात अदालत स्थित बड़ी गैबी मंदिर के आस-आस की 42,938·15 वर्गमीटर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 76 के अन्तर्गत प्रगति पर है । इसमें से 7498·87 वर्गमीटर के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है । शेष भूमि पर उत्तर प्रदेश शासन का नाम अंकित किये जाने हेतु नामान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत शिक्षण एवं मार्ग निर्देशन केन्द्र में कार्यरत अनुदेशकों की सेवा प्रोन्नति का प्राविधान

64--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत चल रहे शिक्षण एवं मार्ग निर्देशन केन्द्र (कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर) में कार्यरत अनुदेशकों की सेवा अवधि में उनकी प्रोन्नति के क्या प्राविधान किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन शिक्षण एवं मार्ग निर्देशन केन्द्र में कार्यरत अनुदेशकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु अधोलिखित राजपत्रित सेवा-नियमावली में सहायक सेवायोजन अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में जो सेवा नियमावली बनाई जा रही है, उसमें उक्त अनुदेशकों की प्रोन्नति का प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया गया है ।

जनपद अलीगढ़ नगर में स्थित हड्डी गोदामों को नगर के मध्य से हटाये जाने का आदेश

65--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या नगर विकास मंत्री को पता है कि अलीगढ़ नगर में आठ हड्डियों के गोदाम नगर के मध्य में स्थित हैं जिनकी दुर्गन्ध तथा पक्षियों द्वारा उन गोदामों में से ले जाकर गंदगी के अंश आसपास के मकानों तथा खाने-पीने के बर्तन में डालने से आसपास का जनजीवन दुभर हो गया है ? क्या यह सही है कि गोदाम वालों को हटाने के आदेश दे दिये गये हैं और उचित स्थान का आवंटन भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार हड्डी गोदाम को शीघ्र हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

केवल 3 हड्डी गोदाम हैं । अंशतः यह सही है कि पक्षी छोटी-मोटी हड्डी ले जाकर घरों में डाल सकते हैं । गोदामों के आसपास दुर्गन्ध भी आती है ।

यह सत्य है कि गोदाम हटाने के आदेश दे दिये गये हैं परन्तु उन्हें अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

इस कार्य के लिए दिनांक 11 फरवरी, 1990 में बोर्ड की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास कर एक समिति गठित कर दी गई है जिसमें प्रश्नकर्ता श्री कृष्ण कुमार नवमान भी सम्मिलित हैं ।

66--श्री ऊदल--

[3रे मंगलवार में अता० प्र० संख्या 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

67--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[2रे सोमवार के अता० प्र० संख्या 186के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

टाउन एरिया कमेटी, मंडावर द्वारा स्वीकृत सड़क अनुदान

68--श्री सुखबीर सिंह--

विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, मंडावर को स्वीकृत अनुदान तीस लाख दस हजार की धनराशि से कौन-कौन सी सड़कें बनाई गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी गलत उत्तर देने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या सड़कों का निर्माण इसी वित्त वर्ष में कराया गया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

टाउन एरिया कमेटी, मडावर द्वारा सड़क अनुदान की धनराशि 3,10,000 रु० से 17 निर्माण कार्यों का सम्पादन कराया गया है, जिसका *विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सड़कों का निर्माण वित्तीय वर्ष 1989-90 में कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 240 पर)

अध्यक्ष, नगरपालिका, बिजनौर को 500 रु० तक व्यय स्वीकृत करने का अधिकार

69--श्री सुखबीर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बिजनौर के अध्यक्ष को नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कितनी सीमा तक व्यय स्वीकृत करने का अधिकार है ? क्या यह सही है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 1988-89 और 1989-90 में अपनी वित्तीय सीमाओं से अधिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की है ? क्या उक्त अध्यक्ष द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं पर उनके विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

अध्यक्ष, नगरपालिका, बिजनौर को नगरपालिका अधिनियम की धारा 96 के अन्तर्गत मात्र 500 रु0 तक व्यय स्वीकृत करने का अधिकार है ।

जी हां ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, बिजनौर द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं पर उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

शाहजहांपुर नगर में नगरपालिका द्वारा अवरुद्ध सड़क पर यातायात चालू किया जाना

70--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में सीवर लाइन का कार्य पिछले दो वर्षों से रुका हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सीवर लाइन पड़ने के कारण पिछले दो साल से सड़क अवरुद्ध है जिससे जनसामान्य को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इसको दूर करने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी नहीं ।

सीमित संसाधनों के कारण कार्यों की प्रगति धीमी अवश्य है ।

जी नहीं, नगरपालिका द्वारा सड़क पर खड़ंजा बिछाकर यातायात चालू करा दिया गया था ।

जनपद शाहजहांपुर को जलापूर्ति हेतु विशेष अनुदान

71--सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 मई, 1990 का पत्र शाहजहांपुर में जलापूर्ति हेतु विशेष अनुदान दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विशेष अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था

72--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की घोषित नीति के अनुसार 250 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था शाहजहांपुर में

पूरी की गई है ? यदि नहीं, तो क्या शाहजहांपुर नगर में वर्तमान पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को राहत देने हेतु सरकार उक्त नीति के अनुसार हैण्ड पाइप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण घोषित नीति के कारण आंशिक रूप से व्यवस्था की जा सकी है।

जी नहीं ।

उक्त नीति शहरी (नगर) क्षेत्रों में लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में कड़ेरा एवं खंगार जातियों को पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग

73—शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कड़ेरा एवं खंगार जातियां पिछड़ी या अनुसूचित जाति की सूची में हैं ? यदि नहीं, तो क्या अब सरकार इन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

74—श्री ऊदल--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को मूल जाति का ही प्रमाण--पत्र दिया जाना

75—श्री अनवर हुसैन बाबर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की मूल जाति की उप जातियों को उसकी मूल जाति का प्रमाण-पत्र निगत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या गोंड़ जाति की उप जाति धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़ को गोंड़ जाति का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

राजाज्ञा में उल्लिखित जातियों को ही अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76--श्री रामरती विन्द--

[मन्त्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद कानपुर के विजयनगर में अतिक्रमण हटाते समय महापालिका के उपनगर अधिकारी द्वारा नागरिकों पर कथित फायरिंग करवाने का आरोप

77--श्री गणेश दीक्षित--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विजय नगर, कानपुर में 10 अगस्त, 1990 को अतिक्रमण हटाते समय कानपुर नगर महापालिका के उप नगर अधिकारी, श्री सी0 पी0 शुक्ला ने पुलिस दल की मौजूदगी के बावजूद अपने मित्र से नागरिकों पर कोई 25 राउन्ड फायर करवाये ? क्या उप नगर अधिकारी को इस तरह नागरिकों पर अपने मित्र द्वारा फायरिंग कराने का कोई अधिकार प्राप्त था ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित उप नगर अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

विजय नगर, कानपुर में 10 अगस्त, 1990 को अतिक्रमण हटाते समय कानपुर नगर महापालिका के उप नगर अधिकारी, श्री सी0 पी0 शुक्ला द्वारा अपने मित्र से नागरिकों पर कोई फायरिंग नहीं करवायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के कतिपय ग्रामों में मुसहरों का जीवन-स्तर उठाने की मांग

78--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव दशरथपुर, गोढ़िया, रतनपुर, झंझोर, बेलारी घरसोना, खरगपुर, मंगारी, घोंघरी, रामनगर पिंडरा जमापुर, थाना, कहरका जगदीशपुर माऊडीह, अहरक कृष्णापुर, तक्की, सरांय, मसई, बसंतपुर, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के मुसहरों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संस्तुति किये गये पाठशालाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

79--श्री दयाराम भास्कर--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कुल 55 प्रा0 पा0 की सूची जिला ह0 क0 अधिकारी, आजमगढ़ ने संस्तुति करके दिनांक 12 अप्रैल, 1990 को निदेशालय कल्याण भवन, लखनऊ में जमा की है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्य मन्त्री

व उन्हें एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ को हरिजन विद्यालयों में सेवारत सम्पूर्ण जनपद के उन अध्यापकों को जिनकी सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उन्हें प्रशिक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुपालनार्थ प्रार्थना-पत्र दिनांक 25 जून, 1990 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

बल्कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित 55 प्राइमरी पाठशालाओं के मामले संदर्भित किये गये ।

इनमें से 37 प्राइमरी पाठशालाओं के मामले शासन को शर्तों से आवृत्त नहीं होने के कारण वापस कर दिये गये तथा 18 पाठशालाओं में आपत्तियां थीं, जिनके निराकरण हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

प्रार्थना-पत्र 25 जून, 1990 का न होकर 26 जून, 1990 का है ।

जनपद आजमगढ़ में 17 अध्यापकों का प्रशिक्षण मुक्ति प्रमाण-पत्र जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हो गये हैं जिन पर नियमानुसार विचार किया जा रहा है तथा शेष प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ को प्रशिक्षण मुक्त प्रमाण-पत्र हेतु भेजा गया है जिनके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा निर्मित और बन्द पड़े नलकूपों को चालू करने हेतु नलकूप विभाग को हस्तांतरित करने की मांग

80--श्री शिव राम सिंह कुशवाहा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन के हरिजन कल्याण विभाग द्वारा निर्मित नलकूप बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो उन्हें चालू करने हेतु क्या नलकूप विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद--

प्राप्त सूचना के अनुसार सामूहिक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में 11 नलकूप निर्मित कराये गये हैं तथा 5 नलकूप निर्माणाधीन हैं । निर्मित नलकूपों में से 9 नलकूप बन्द हैं ।

इन्हें चालू करने हेतु नलकूप विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है बल्कि उक्त नलकूपों में से निर्माणाधीन नलकूपों को तत्काल पूर्ण करने तथा बन्द नलकूपों को चालू करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, लालगंज की टाउन एरिया के कर्मचारियों को वर्ष 1989-90 के वेतन का भुगतान न किया जाना

81--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टाउन एरिया, लालगंज, जनपद आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों का वर्ष 89-90 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? भुगतान कब करा दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

टाउन एरिया कटघर, लालगंज जनपद आजमगढ़ में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों का वर्ष 89–90 का वेतन भुगतान कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक में पेयजल हेतु लगाये गये हैण्ड पम्पों तथा निर्मित चबूतरों का विवरण

82—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया ब्लाक में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कितने हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा लगाये गये हैं ? इनमें से कितने हैण्ड पम्पों के चबूतरे 31 जुलाई, 90 तक निर्मित नहीं थे और 31 अगस्त, 1990 तक वहां कितने हैण्ड पम्प अलग–अलग कितने–कितने दिनों से खराब थे ? चबूतरा निर्माण और हैण्ड पम्पों के ठीक कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ तथा हरैया विकास खण्डों में क्रमशः 398 तथा 367 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा लगाये गये हैं ।

अजमतगढ़ ब्लाक में 50 तथा हरैया ब्लाक में 150 चबूतरे 31 जुलाई, 1990 को बनाये जाने शेष थे ।

31 अगस्त, 1990 तक ब्लाक अजमतगढ़ में अस्थाई खराब 14 हैण्ड पम्पों एवं हरैया में अस्थाई खराब 34 हण्ड पम्पों को मरम्मत कराया गया तथा ब्लाक अजमतगढ़ में 13 एवं ब्लाक हरैया में 10 हैण्ड पम्प स्थाई रूप से एक–दो वर्षों से खराब पाये गये (सूची संलग्न* है) ।

चबूतरा निर्माण हेतु कार्यवाही त्वरित गति से प्रारम्भ कर दी गयी है । अस्थाई खराब हैण्ड पम्पों को तुरन्त बनवाने की व्यवस्था की जाती है । स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों के पुनः प्रतिष्ठापन हेतु आदेश दिये गये हैं ।

*(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 241 पर ।)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड आजमतगढ़ के अन्तर्गत ग्राम छपरा सुल्तानपुर में सिंचाई हेतु बोरिंग की सफाई न किये जाने की शिकायत

83—श्री दयाराम भास्कर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984–85 में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ के अन्तर्गत ग्राम छपरा सुल्तानपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना से हरिजनों के विकास के लिए सिंचाई हेतु नलकूप की बोरिंग हुई है ? यदि हां, तो क्या बाद बोरिंग उसकी सफाई कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा योजना के अन्तर्गत उसे चालू करने के लिए पम्पिंगसेट (इन्जन) अथवा विद्युत मोटर की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ? क्या वर्ष 1990–91 में उक्त बोरिंग की सफाई कराकर उसे चालू कराया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित निर्माण इकाई लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग की सफाई नहीं कराई गई । प्रश्नगत बोरिंग हेतु पम्पिंग सेट की व्यवस्था है किन्तु लगाने के पूर्व बोरिंग की सफाई कराई जानी अपेक्षित है ।

जी हां ।

उ0 प्र0 में खरवार जाति को अनुसूचित जाति माने जाने विषयक राजाज्ञा की जानकारी

84—श्री दयाराम भास्कर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किस मण्डल में गोंड एवं खरवार जाति अनुसूचित जाति में मानी जाती है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी में किन-किन आधारों पर गोंड एवं खरवार जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की राजाज्ञा है और राजाज्ञा संख्या व दिनांक क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रदेश की अनुसूचित जाति में गोंड जाति नहीं है वरन् खरवार जाति पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति मानी जाती है ।

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की व्यवस्थाओं के अधीन प्रश्नगत जातियों में केवल खरवार जाति ही अनुसूचित जाति में अधिसूचित है । इसलिए खरवार जाति के लिए ही अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का नियमानुसार आदेश है जिसकी राजाज्ञा संख्या 6744/26-77-17(21)-74, दिनांक 29 अगस्त, 1977 है ।

श्री बी0 एल0 पाँडेय, सेवायोजन अधिकारी, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र पर बेरोजगार युवकों के पंजीकरण रजिस्टर को कथित रूप से फाड़ने के आरोप की जांच

85—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सेवायोजन अधिकारी, सोनर एच0 एन0 पाण्डेय ने वहां से हटाये जाने के पूर्व बेरोजगार लोगों का जो रजिस्ट्रेशन किया था उसको फाड़ कर फेंक दिया और दूसरा रजिस्टर पूर्व के तारीखों में बनाकर 810 बेरोजगार युवकों का नाम पंजीकृत किया और उनका नाम स्थापित एन0 पी0 एल0 व एन0 टी0 पी0 एस0 आदि संस्थाओं में भेजा ? क्या इस सम्बन्ध में श्री गुलाब सिंह विधायक व श्री विजय सिंह गौड़, श्री तीरथ राज तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने माननीय मुख्य मंत्री को 8 अगस्त, 1990 का ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करायेगी और तद्नुसार कार्यवाही करेगी ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्री एच0 एन0 पाण्डे नाम का कोई सेवायोजन अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय, सोनभद्र में कार्यरत नहीं रहे । श्री0 बी0 एल0 पाण्डेय, दिनांक 27 जून, 1986 से 27 फरवरी, 1990 तक नगर सेवायोजन अधिकारी, राबर्ट्सगंज के रूप में कार्यरत थे । प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कार्यकाल में कार्यरत एवं वर्तमान में कार्यालय में विद्यमान कर्मचारियों से पूछ-ताछ करने एवं पंजीयन सम्बन्धी अभिलेख देखने से ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा न कोई रजिस्ट्रेशन रजिस्टर फाड़कर फेंका गया एवं न ही पूर्व के तारीखों से कोई दूसरा रजिस्टर बनाया गया ।

सम्बन्धित विषय पर माननीय विधायक गण एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को कथित रूप से दिया गया ज्ञापन शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद इटावा के हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में लाखों रुपयों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत की जांच

86--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इटावा में रु0 22,42,295 के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया है ? उसके लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय-चमोली में करोड़ों रुपयों का घपला करने के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

87--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय आडिट दल द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, चमोली का आडिट किया गया ? क्या आडिट में रु0 38,88,056.99 पै0 के शासकीय धन के दुरुपयोग एवं अनियमित भुगतान का मामला प्रकाश में आया है ? इस अनियमित भुगतान आदि के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

इन अनियमितताओं के लिए श्री बलदेव प्रसाद त्रिपाठी, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं श्री गंगा राम, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर तथा श्री शिशुपाल लाल, वरिष्ठ लिपिक, श्री गोविन्द सिंह जम्माड़ा, कनिष्ठ लिपिक, श्री खुशहाल सिंह राणा, कनिष्ठ लिपिक उत्तरदायी पाये गये, जिनमें से श्री गंगा राम, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर एवं श्री शिशुपाल लाल, वरिष्ठ लिपिक को पूर्व में ही निलम्बित किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद जालौन के विकास खण्ड रामपुरा में महिला चेयरमैन के होते हुये महिला सदस्यों को नामित करने का औचित्य

88--श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया में महिला चेयरमन होने पर उसमें महिला सदस्य का नामित होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो जनपद जालौन में विकास खण्ड रामपुरा में महिला चेयरमैन होते हुये महिला सदस्यों को नामित क्यों किया गया ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश टाउन एरिया, अधिनियम 1914 की धारा-5 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार को इन महिला सदस्यों को नामित करने का अधिकार प्राप्त है ।

89--श्री दयाराम भास्कर--

[दिनांक 25 जनवरी, 1991 को अता0 प्र0 सं0 72 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के बाल विकास परियोजना केन्द्रों पर पुष्टाहार आदि की आपूर्ति

90--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सेवारत बाल विकास परियोजना केन्द्रों पर वर्ष 1987-88 और 1988-89 एवं 1989-90 में केन्द्रों पर कितना पुष्टाहार और कितने धन की स्टेशनरी की आपूर्ति की गई ? क्या यह सत्य है कि पुष्टाहार की आपूर्ति पी0 सी0 एफ0 के गोदामों से मध्यस्थ ठेकेदारों द्वारा विभाग से अग्रिम धन लेकर की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद एटा के जलेसर में बाल विकास परियोजना केन्द्र में भारी घपला होने पर कनिष्ठ लिपिक को आरोप-पत्र जारी किया जाना

91--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाल विकास परियोजना केन्द्र, जलेसर, एटा में व्याप्त घपलों और स्टेशनरी खरीद तथा पुष्टाहार के बिलों के फर्जी होने की शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, जलेसर, एटा ने की और क्या परगनाधिकारी ने दिनांक 20 अक्तूबर, 1989 को निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ को जांच रिपोर्ट भेजी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां ।

उक्त जांच रिपोर्ट में श्री विजय सिंह, कनिष्ठ लिपिक को दोषी पाया गया है उसके आधार पर श्री विजय सिंह को आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली व्यासघाट में न्यारघाटी में विद्युत लाइन को मोटर मार्ग के साथ न्यार नदी के एक ओर ले जाने की मांग

92--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अर्न्तगत सतपुली-व्यासघाट न्यारघाटी में निर्मित 11 के0 वी0 विद्युत लाइन को मोटर

मार्ग के साथ-साथ न्यार नदी के एक ही ओर ले जाने हेतु जनपद विकास समिति, गढ़वाल के पत्रांक जनपद/16 विद्युत/89-90, दिनांक 24 नवम्बर, 1989 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, देहरादून को लिखा गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

सतपुली-व्यासघाट-न्यारघाटी में निर्मित 11 के0 वी0 लाईन को मोटर मार्ग के साथ न्यार नदी के एक ही ओर से ले जाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

93-श्री कुंवर सिंह नेगी—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रामपुर में आई0 टी0 आई0 के छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण की मांग

94-श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में आई0 टी0 आई0 के छात्र पिछले दो माह से लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं एवं उन छात्रों ने संस्थान पर पथराव किया जिसकी थाना कोतवाली में एफ0 आई0 आर0 भी लिखाई गई ? यदि हां, तो छात्रों की मांगे क्या हैं ? सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जी हां ।

छात्रों की मांग थी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर के प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण कर दिया जाय ।

इस सम्बन्ध में जांच कराई गई । जांच में प्रधानाचार्य को हटाए जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर जल संस्थान में मीटर निरीक्षकों से दोहरा कार्य लिया जाना

95-श्री गणेश दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जल संस्थान में राजस्व वसूली के लिए 9 राजस्व निरीक्षक तथा कैश काउन्टर होने के बावजूद मीटर निरीक्षकों से उनके पद के मूल कार्य मीटर रीडिंग तथा मीटर बदलने सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त राजस्व वसूली का दोहरा कार्य कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि कानपुर में 70 प्रतिशत मीटर खराब हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मीटर निरीक्षकों को मूल कार्य न दिए जाने के कारण मीटर किराये के रूप में लाखों रुपये की प्रतिवर्ष की आर्थिक क्षति हो रही है तथा जनता को गलत बिल प्राप्त हो रहे हैं ? इस आर्थिक क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है ? मीटर निरीक्षकों को उनके पद के मूल कार्य सौंपने के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

मीटर निरीक्षकों से सामान्य कार्य के अतिरिक्त वसूली का कार्य उनकी सेवा शर्तों के मनुसार लिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नवसृजित जनपद मऊ के जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में सुन्दरी-करण योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों का विवरण

96-श्री सुबास--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद मऊ में पिछले दिनों जिला अधिकारी के कार्यालय के बगल में सुन्दरीकरण स्कीम के अन्तर्गत काम किया गया था ? यदि हां, तो क्या सड़कों के बनने तथा शहर की साज-सज्जा तथा चौकी की सजावट की कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब भी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर पानी का जमाव रहता है ? यदि हां तो क्यों ? क्या पुनः उसके बनाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड बिल्हौर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बकाया मानदेय देने की मांग

97- श्री मोती लाल वेहलवी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि विकास खण्ड बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 7 माह का मानदेय नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मानदेय हर माह निश्चित समय पर देना सुनिश्चित किया जायेगा ? उन्हें बकाया मानदेय कब तक दे दिया जायगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माह मार्च से दिसम्बर 1990 तक का भुगतान किया जा सुका है । भुगतान किया जा चुका है ।

जी हां ।

देय मानदेय का भुगतान (माह दिसम्बर 1990 तक का) किया जा चुका है ।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया बेनीगंज को निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि

98—श्री रामपाल वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया बेनीगंज को शासन द्वारा वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में निर्माण कार्यों हेतु कितना धन आवंटित किया गया ? उक्त आवंटित धन से कौन–कौन से निर्माण कार्य सम्पादित कराये गये ? क्य, यह सही है कि निर्माण कार्यों में धांधली की गयी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराने को कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

टाउन एरिया कमेटी, बेनीगंज, जनपद हरदोई को वर्ष 1989–90 में सड़क निर्माण हेतु रु0 80,000 स्वीकृत हुआ था । वर्ष 1990–91 में अभी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है ।

वर्ष 1989–90 में सम्पादित कराये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है ।

1—चुंगी चौकी नं0 2 से स्टेशन रोड तक खड़ंजा निर्माण ।

2—श्री कुशल चमार के मकान से मास्टर लालता प्रसाद के मकान के आगे तक खड़ंजा निर्माण ।

3—बिहारी मुराऊ के मकान से पी0 डब्लू0 डी0 रोड तक खड़ंजा निर्माण ।

4—श्री दलगंजन के मकान से पी0 डब्लू0 डी0 रोड तक खड़ंजा निर्माण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

99—श्री किशन गोपाल—

[तीसरे मंगल में अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में अनुसूचित शौचालय, पाइप लाइन, विद्युत् आदि लगवाने की मांग

100—श्री किशन गोपाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में अनुसूचित शौचालय, पाइप लाइन, नाली, खड़ंजे बीच आबादी के (पोखर), गड्ढे बन्द कराने, सड़क, सीवर व विद्युत् लगवाने हेतु दिनांक 23–5–90/150, 13–6–90/104, 105, 20–6–90/116, 25–7–90/147, प्रश्नकर्ता ने पत्र द्वारा मुख्य मन्त्री को अवगत कराया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कोई कार्यवाही की गई, यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुलक्षा मिश्रा—

जी हां ।

दिनांक 23 मई, 1990 के पत्र को छोड़ कर अन्य सभी पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य नगर अधिकारी, आगरा को दिये जा चुके हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श जनता इन्टर कालेज, गौराबाजार, सिद्धार्थनगर की छात्रवृत्ति में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कथित घोटाले की जांच रिपोर्ट

101—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श जनता इन्टर कालेज, गौराबाजार, सिद्धार्थनगर की छात्रवृत्ति घोटाले में मण्डलीय उप निदेशक की जांच आख्या में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया था उनमें से कुछ के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है तथा कुछ ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो दोषी नहीं पाये गये थे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रश्नगत जांच आख्या में अन्तर्ग्रस्त सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध ही कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत तपोवन एवं बड़ागांव में आलू विपणन की व्यवस्था न होने से काश्तकारों को हुई आर्थिक क्षति के फलस्वरूप मुआवजा दिये जाने की मांग

102—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत तपोवन एवं बड़ागांव क्षेत्र में आलू विकास अधिकारी, जोशीमठ द्वारा काश्तकारों के बीज हेतु प्रमाणीकृत आलूओं को बोरियों में बन्द कर टैप करवाया गया जिसके लिए प्रति काश्तकार से लगभग 20 रु0 वसूले गये परन्तु बाद में उन आलूओं के विपणन की व्यवस्था नहीं की गयी जिससे काश्तकारों को भारी आर्थिक क्षति हुई ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा काश्तकारों की क्षतिपूर्ति देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

जी नहीं ।

वस्तुतः कुल 26 काश्तकारों द्वारा उत्पादित 864 कुन्तल आलू जो 85 कि0 ग्राम प्रति बोरे की दर से लगभग 1016 बोरों में आता है पर बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा 30 पैसे प्रति बोरे की दर पर प्रमाणीकरण के टैगिंग व सील चार्जेज के निमित्त कुल 305·00 रु0 वसूल किया गया। उक्त 864 कु0 आलू बीज में से उद्यान विभाग द्वारा 650.68 कु0 निर्धारित मूल्य पर आलू बीज के वितरण हेतु क्रय किया गया और शेष 213.32 कु0 आलू बीज काश्तकारों द्वारा निजी प्रयोग में लाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

समान पद हेतु समान वेतनमान के अनुसार ५०००- के टाउन एरिया सचिव का वेतनमान निर्धारित करने की मांग

103—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के टाउन एरिया सचिव के पद के समकक्ष केन्द्र सरकार में कोई पद ऐसा है जिनके वेतनमान 360–620 थे ? क्या यह सही है कि समता समिति (वेतन आयोग) द्वारा इनके वेतनमानों में भिन्नता कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पूर्व की भांति समान पद के समान वेतन के अनुसार उक्त पदधारक का वेतन निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

केन्द्र सरकार में इस पद के समकक्ष कोई पद विद्यमान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

यदि कोई विसंगति प्रकाश में आयेगी तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित किया जायेगा। शासन स्तर पर इस समय विचार करने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद जालौन के विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों के हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने की मांग

104—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन के विकास खण्ड रामपुरा, माधौगढ़, कुठौन्द के किन गांवों में कितने हैण्ड पम्प लगे हैं ? उनमें कितने गांव वार कितने पम्प खराब हैं तथा कितने ठीक हैं ? क्या खराब हैण्ड पम्पों को सरकार ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

विकास खण्ड रामपुरा, माधौगढ़ एवं कुठौन्द के क्रमशः 47, 73 एवं 68 ग्रामों में 143, 276 एवं 139 हैण्ड पम्प माह दिसम्बर 1990 तक लगाये गये। जिनमें से स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्प ब्लाकवार क्रमशः 10 ग्रामों में 10, 11 ग्रामों में 11 एवं 7 ग्रामों में 7 है। इस प्रकार ब्लाकवार क्रमशः 133, 265 एवं 132 हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं। स्थाई रूप से खराब इन हैण्ड पम्पों की मरम्मत तत्काल सम्भव नहीं है क्योंकि इनके स्थान पर हैण्ड पम्प रिबोरिंग करने पड़ेंगे।

सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए शनैःशनैः रिबोरिंग का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण

105—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में कितने-कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और निर्धारित लक्ष्य के विपरीत प्रत्येक विकास खण्ड में कितने-कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? शेष ग्रामों के विद्युतीकरण न किए जाने के कारण क्या हैं और उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1989-90 में विकास खण्ड कोट के एक गांव का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है, जबकि विकास खण्ड कलजीखाल के लगभग दस गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो इस असमानता के कारण क्या हैं, और उसके लिए कौन उत्तरदाई है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में वर्ष 1987-88 म 200, 1988-89 में 126 तथा 1989-90 में 126 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के विपरीत विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की विकास खण्ड एवं वर्षवार तालिका संलग्न* है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विद्युतीकरण पूर्ण न हो सकने का मुख्य कारण निर्माण सामग्री की कमी रही जैसे कन्डक्टर, स्टेराड, डिस्क इन्सूलेटर व अन्य सामग्री का समय से उपलब्ध न हो पाना।

वर्ष 1989-90 में विकास खण्ड कोट के 9 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु निर्माण सामग्री पहुंचाने हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण ट्रांसफार्मर इत्यादि पहुंचाने में काफी कठिनाई हो रही है। इसी कारण से 3/90 तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका।

106—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

श्रम संराधन अधिकारी, वाराणसी द्वारा मुन्नीलाल बनाम पंचमुखी इंजीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी के बारे में श्रमायुक्त, कानपुर को प्रेषित रिपोर्ट पर कार्यवाही

107—श्री ऊदल तथा श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी श्रम संराधन अधिकारी ने सी0 बी0 केस नं0 30/88, मुन्नी लाल बनाम पंचमुखी इंजीनियरिंग वर्क्स (सिखी), वाराणसी के बारे में अपनी रिपोर्ट पत्र सं0 10349 दिनांक 5 जुलाई, 1988 के द्वारा श्रम आयुक्त, कानपुर को भेजी है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जी हां। श्रम संराधन अधिकारी, वाराणसी ने प्रश्नगत वाद में अपना प्रतिवेदन पृष्ठांकन संख्या 10349, दिनांक 8 जुलाई, 1988 द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया था न कि दिनांक 5 जुलाई, 1988 द्वारा।

वाद अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय, वाराणसी को दिनांक 23 नवम्बर, 1990 को प्रेषित कर दिया गया है।

*(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 243 पर)।

प्रदेश के समस्त अध्यक्ष नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराया जाना

108--श्री शिव करन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 666111/9-1-90-3 सं0/90 विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त अध्यक्ष नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया को नगर विकास अनुभाग-1 के द्वारा नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु 9 फरवरी, 1990 को लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर टाउन एरिया, रामनगर, बाराबंकी को उक्त योजना के तहत कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार धन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

प्रश्नगत टाउन एरिया को उक्त योजना के अन्तर्गत कुल रुपये 1,26,212 उपलब्ध कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया, रामनगर में तहसील मुख्यालय पर पानी की टंकी के निर्माण की मांग

109--श्री शिवकरन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया रामनगर में तहसील मुख्यालय पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या यह सही है कि वहां पर शुगर फैक्टरी, ब्लाक मुख्यालय, पुलिस थाना तथा कई इण्टर कालेज स्थित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां तत्काल पानी की टंकी का निर्माण करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण टंकी का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मऊ के अन्तर्गत हरिजन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की मांग

110--श्री सुबास--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अन्तर्गत चलाये जा रहे हरिजन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन विद्यालयों के भवन तथा बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी मऊ जनपद के हरिजन विद्यालयों को उक्त समस्याओं के निदान हेतु अनुदान देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

उक्त विद्यालय विभाग द्वारा संचालित नहीं अपितु अनुदान पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

स्वंविछक संस्थाओं के लिये भवन निर्माण की योजना विभाग में संचालित नहीं है ।

अनुदानित पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु योजना विभाग में संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त वक्फ, उ0 प्र0, लखनऊ के अधीन कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण

111—श्री ऊबल—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वक्फ आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ के अधीन कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण वार्षिक नीति के अनुसार जो वक्फ आयुक्त द्वारा दिनांक 4 मई, 1990 को किया गया था, शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वक्फ आयुक्त ने वार्षिक नीति के आधार पर किन-किन कर्मचारियों का किस-किस आधार पर स्थानान्तरण किया था तथा उसके लिए क्या नीति अपनायी थी ? क्या वह नीति शासन द्वारा निर्धारित नीति के विपरीत थी ? यदि नहीं, तो स्थानान्तरण निरस्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

शासन की मितव्ययिता नीति को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरण निरस्त किये गये ।

वक्फ आयुक्त द्वारा 11 वरिष्ठ वक्फ निरीक्षकों, 18 वक्फ निरीक्षकों, 22 वरिष्ठ लिपिकों एवं 16 टंककों के स्थानान्तरण किये गये थे । शासन ने जो नीति उस समय तय की उसी के आधार पर स्थगन आदेश हुए ।

जी हां ।

जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त थीं तथा जिन कर्मचारियों ने अपने स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे उनको छोड़कर शेष कर्मचारियों के स्थानान्तरण मितव्ययिता की नीति के अन्तर्गत निरस्त कर दिये गये ।

112—श्री ऊदल तथा श्री राम प्रसाद सिंह—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी में नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी द्वारा श्रीमती शशिकला की नियुक्ति के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास को प्रेषित अनुरोध-पत्र पर कार्यवाही

113—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका वाराणसी के मुख्य नगर अधिकारी ने सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ को अपने पत्र संख्या I/999/के0/90-91, दिनांक 25 अप्रैल, 1990 के द्वारा महापालिका कर्मचारी के

सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के सदस्य को सेवा में लिये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 620-ए/11-न0/410-4-74, दिनांक 26 अप्रैल, 1974 का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि उमराव सिंह महापालिका द्वारा संचालित इण्टर कालेज के श्री जे0 पी0 मेहता जो वाराणसी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और जिनकी मृत्यु सेवाकाल में 20 अक्तूबर, 1989 को हो गई, की विधवा पुत्रबधू श्रीमती शशिकला को सेवा में ले लिया जाये ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश को शिथिल करते हुए मृतक कर्मचारी की जीवित एकमात्र सदस्या शशिकला विधवा की योग्यता के अनुसार नियुक्त करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जी नहीं । नियमानुसार श्रीमती शशिकला को नियुक्त करना सम्भव नहीं है ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट में विद्युत् आपूर्ति तथा गड़बड़ पम्प सेट ठीक कराकर सुचारू रूप से चालू किया जाना

114--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट में पेयजल की आपूर्ति विगत लगभग एक डेढ़ वर्ष से ठप है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक पेयजल आपूर्ति ठप रहने और पम्प सेट न बदलने का क्या कारण है तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? नये पम्प सेट को कब तक स्थापित कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, के पेयजल की आपूर्ति बिजली की सुचारू रूप से आपूर्ति न होने तथा पम्प सेट की गड़बड़ी के कारण अव्यवस्थित रही है । अब नया पम्प सेट लगा दिया है और पाइप लाइन का निर्माण करा दिया गया है । पम्प सुचारू रूप से चल रहा है । इसे दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 को उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

115--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत धनराशि के विपरीत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है तथा अवशेष धनराशि के उपभोग न होने के कारण क्या है ? उक्त के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा अवशेष राशि का उपभोग कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति 9.58 लाख रु0 की लागत पर दी गई थी ।

पुनरीक्षित स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त निर्माण पर 15·05 लाख ₹0 जनवरी 1991 तक व्यय किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं है ।

116—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

117—श्री फौजदार प्रसाद—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 संख्या 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर देहात में ब्लाकवार अधिष्ठापित इण्डिया मार्क II हैण्ड पम्पों का विवरण

118—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि जनवरी 1990 से सितम्बर 1990 तक जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ब्लाकवार कितने-कितने इण्डिया मार्क-II हैण्ड पाइप जल निगम द्वारा लगाये गये हैं ? वर्ष 1984 से दिसम्बर, 1989 तक ब्लाकवार कितने-कितने हैण्ड पाइप लगाये गये थे ? क्या, प्रत्येक ब्लाक में बराबर-बराबर हैण्ड पाइप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सितम्बर 1990 तक पूरी जनपद में लगाये गये सम्पूर्ण हैण्ड पाइपों की संख्या क्या है और ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद में लगाये गये हैण्ड पाइपों की संख्या क्या है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनवरी 1990 से सितम्बर 1990 तक तथा वर्ष 1984 से दिसम्बर 1989 तक जनपद कानपुर (देहात) में ब्लाकवार अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम-संख्या	ब्लाक	जनवरी 1990 से सितम्बर 1990 तक	1984 से दिसम्बर 1989 तक	सितम्बर 1990 तक कुल
1	2	3	4	5
1	बिल्हौर	34	131	165
2	ककवन	04	106	110
3	शिवराजपुर	07	084	091
4	चौबेपुर	31	163	194
5	रसूलाबाद	13	092	105
6	झींझक	05	172	177
7	संडलपुर	08	154	162
8	डेरापुर	10	178	188
9	मंधा	10	123	133
10	अकबरपुर	14	071	085

1	2	3	4	5
11	सरवनखेड़ा	27	119	146
12	राजपुर	08	503	511
13	मलासा	03	321	324
14	अमरौधा	14	214	228
15	पतारा	12	148	160
16	भीतरगांव	37	130	167
17	घाटमपुर	13	237	250
	योग ..	250	1946	3196

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

गढ़वाल जल संस्थान के अधीन ग्राम बालासौड़ में गढ़वाल नशाबंदी परिषद् को पाइप लाइन पर दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत

119--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल में गढ़वाल जल संस्थान के अधीन कोटद्वार भाबर में ग्राम-बालासौड़ में श्री जगमोहन भारद्वाज अध्यक्ष, गढ़वाल नशाबन्दी परिषद् की पाइप लाइन (भारद्वाज पाइप लाइन) पर जुलाई 1990 में पानी की सप्लाई कम कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस लाइन पर दूषित कीटाणुयुक्त पानी माह जुलाई 1990 में सप्लाई किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जी हां ।

नदी में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जुलाई 1990 में जलापूर्ति में कमी हुई थी किन्तु माह नवम्बर में एक नये नलकूप का निर्माण होने से जलापूर्ति सामान्य हो गई है ।

जी नहीं ।

गढ़वाल जल संस्थान द्वारा क्लोरीनेशन के पश्चात् पेयजल उपलब्ध कराया जाता है ।

श्री राम आशीष को हरिजन प्रा0 पाठशाला, दुवारी, आजमगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की मांग

120—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता पत्र के साथ श्री राम आशीष, पुत्र श्री स्वयंबर प्रसाद, ग्राम-तिघरा, पो0-गजियापुर, जनप मऊ का आवेदन-पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1990 व दिनांक 31 अगस्त, 1990 व उन्हें प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि श्री एस0 डी0 विश्वकर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक के पत्रांक 845-46/7-81/138-शिक्षा (9), दिनांक 9 सितम्बर, 1982 द्वारा जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ को यह स्पष्ट आदेश दिया गया था कि श्री राम आशीष प्रसाद को हरिजन प्रा0 पाठशाला, दुवारी, आजमगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर रामलखन के स्थान पर नियुक्त करने का कष्ट करें ? यदि हां, तो क्या उसकी नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेश की अवहेलना करने वाले प्रबन्धक-तन्त्र तथा अधिकारी के विरुद्ध मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्री हां ।

श्री हां ।

श्री नहीं ।

नियमानुसार अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका गौरा-बरहज में मृतक आश्रित श्री रामाश्रय तिवारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में उप सचिव, नगर विकास के आदेश का क्रियान्वयन

121—श्री तीरथ राज—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका गौरा-बरहज में मृतक आश्रित श्री रामाश्रय तिवारी के सेवा में रखने हेतु उप सचिव, नगर विकास अनुभाग-6 के आदेश सं0 223/एन0 वी0 एम0/11-6-2 (30)/90, दिनांक 5 अप्रैल, 1990 के अनुसार मृतक आश्रित को सेवा में रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं ।

मृतक के वास्तविक बंध वारिस का प्रकरण विवादित होने के फलस्वरूप नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका में महिला सदस्यों का मनोनयन

122—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान सरकार ने शाहजहांपुर की नगर पालिका में दो महिला सदस्यों का मनोनयन किया है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों एक ही परिवार की हैं ? यदि हां, तो उक्त मनोनयन का क्या [redacted] ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के नगर पालिका टाण्डा में सार्वजनिक मार्ग पर नाली और खड़ंजा बिछाने की मांग

123—कुंवर अरुण—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के नगर पालिका टाण्डा में राजा साहब की कोठी के पूरब तरफ स्थित सार्वजनिक मार्ग पर नाली और खड़ंजा बिछा दिया जायेगा ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण फिलहाल कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के मुहल्ला हयातगंज स्थित अलीगंज में श्री खैरुल्लाह को वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग

124—कुंवर अरुण—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद के मुहल्ला हयातगंज स्थित अलीबाग में खैरुल्लाह नामक व्यक्ति, जिसकी वृद्धावस्था पेंशन की दरख्वास्त कई बार संबंधित अधिकारी को दी जा चुकी है, को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्री खैरुल्लाह द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की दरख्वास्त नहीं दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

125—श्री शारदानंद अंचल—

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव

126—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने मंत्री जी को इस सम्बन्ध में दिनांक 26 अप्रैल, 1990 को एक पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या आदेश पारित किया गया तथा कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी हां ।

भारत सरकार के जनगणना विभाग के आदेशानुसार किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में परिवर्तन करन पर वर्तमान में प्रतिबन्ध है । अस्तु अभी कस्बा मधुबन को टाउन एरिया कमेटी घोषित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद इटावा में शासन द्वारा स्वीकृत हैण्ड पम्पों का निर्वाचन क्षेत्रवार अधिष्ठापन

127—श्री रवीन्द्र सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष इटावा जनपद में हैण्ड पम्प लगाया जाना शासन ने स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कितने और उनका वितरण विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किस आधार पर किया गया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जनपद इटावा में चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल 1215 हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का लक्ष्य है । हैण्ड पम्पों का निर्वाचन-क्षेत्रवार वितरण निर्धारित मानक एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार किया गया है :—

निर्वाचन क्षेत्र	हैण्ड पम्पों की संख्या
1—इटावा	334
2—जसवन्तनगर	338
3—बिधूना	187
4—भरथना	132
5—औरैया	33
6—लखना	162
7—अजीतमल	29
योग	1215

जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पूर्व में ही आवश्यकतानुसार हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं वहां हैण्ड पम्पों की संख्या कम है ।

ग्राम कुटरा–फतेहगढ़ में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा सरकारी भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन का विवरण

128–विमल प्रसाद तिवारी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुटरा–फतेहगढ़ में वर्ष 1989–90 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का निर्माण सरकारी भूमि पर लाभार्थियों द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है तथा लाभार्थियों को निर्माण कार्य हेतु धन कब और किस प्रकार दिया गया तथा क्या इसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

शासन की वर्तमान नीति यह है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण उक्त निगम के अधिकारियों की देख–रेख में लाभार्थी द्वारा स्वयं स्थानीय राजमिस्त्री से कराया जाए । शासन के आदेशानुसार उक्त दुकानों का निर्माण यथासम्भव निःशुल्क भूमि अथवा लाभार्थी की निजी भूमि पर कराया जा सकता है और यदि ऐसी भूमि उपलब्ध न हो तो उसे क्रय करने के लिये 5,000 रु0 तक प्रति दकान व्यय किया जा सकता है ।

प्रश्नगत लाभार्थियों को निर्माण कार्य के लिये भुगतान नियमानुसार तीन किश्तों में आवश्यकता के अनुरूप अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) द्वारा स्वीकृत किया गया था जो इस प्रयोजन के लिये सक्षम अधिकारी थे । भुगतान तीन किश्तों में दिनांक 14 जून, 1989, 29 जून, 1989 तथा 24 जुलाई, 1989 को क्रमशः किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुटरा–फतेहगढ़ में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत विवादित भूमि पर दुकानों का निर्माण कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

129–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989–90 के जून माह में ग्राम कुटरा–फतेहगढ़ में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत दुकानें ऐसी विवादित भूमि पर लगाई गई हैं, जिसके बारे में सक्षम न्यायालय में मामला चल रहा था ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत दुकानें विवादित भूमि पर नहीं बनवाई गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुटरा–फतेहगढ़ में उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जनपदीय कार्यालय की देख–रेख में दुकानों का निर्माण

130––श्री विमल प्रसाद तिवारी––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुटरा–फतेहगढ़ में वर्ष 1989-90 में निर्मित दुकानें जो स्पेशल कम्पोनेंट योजना में बनाई गई हैं, शासनादेशों के अनरूप अधिकृत अधिकारी द्वारा ही बनवाई गई हैं ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा व किस अधिकारी की देख–रेख में कार्य कराया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत दुकानें शासनादेश के अनुसार लाभार्थियों द्वारा स्वयं उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जनपदीय कार्यालय की देख–रेख में बनवाई गई हैं ।

हरिद्वार शहर में आने वाले पर्यटकों से यात्रीकर के रूप में अर्जित धनराशि का विवरण

131––श्री जसदेव सिंह विष्ट––

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिद्वार शहर में आने वाले पर्यटकों से 1 अप्रैल, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक (यात्री–कर) एक रुपये प्रति यात्री की दर से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई है ? क्या पर्यटकों को एक रुपये की रसीद या टिकट दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस सम्बन्ध में एक पत्र श्री जगमोहन भारद्वाज, एडवोकेट, कोटद्वार, पौड़ी–गढ़वाल द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1990 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा––

हरिद्वार शहर में आने वाले पर्यटकों से दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक यात्रीकर एक रुपये की दर से पालिका द्वारा अंकन 34,72,715·00 रुपये वसूल किये गये । इसमें वह धनराशि सम्मिलित नहीं है, जो यात्री रेल द्वारा हरिद्वार में आये थे । पर्यटकों को अलग से एक रुपये की रसीद या टिकट नहीं दिये जाते हैं वरन् जिस बस, कार या अन्य वाहन से यात्री सफर करते हैं, उसके ड्राइवर को सामूहिक रूप से एक रसीद जारी की जाती है । यदि किसी यात्री द्वारा रसीद की मांग की जाती है तो उसे अलग से रसीद जारी की जा सकती है ।

जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के चिरई गांव विकास क्षेत्र के भगतुआ में पानी की टंकी का निर्माण कार्य

132––श्री अमर नाथ यादव––

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के चिरई गांव विकास क्षेत्र के भगतुआ में जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा––

जनपद वाराणसी के राजस्व ग्राम अमौली के भगतुआ पुरवे में नहीं अपितु इससे सटे ग्राम सिरस्ती में एक नलकूप अमौली ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रस्तावित है । जिससे भगतुआ पुरवा भी लाभान्वित होगा ।

योजना स्वीकृति के अधीन है ।

श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ, लखनऊ के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

133—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सी0 बी0 विवाद सं0 76-87 (अलीगढ़) को अभिनिर्णय हेतु सन्दर्भादेश पारित किये जाने विषयक श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ, लखनऊ का प्रत्यावेदन-पत्र संख्या 145 (1)/उ0 प्र0 वि0 म0 संख्या 90, दिनांक 14 मई, 1990 व श्रीकृष्ण कुमार नवमान, विधायक का पत्र दिनांक 14 मई, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या शासन द्वारा सी0 बी0 विवाद संख्या 76/87 (अलीगढ़) नैसर्गिक न्याय हित में अभिनिर्णय हेतु संदर्भित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा इस मामले में पूर्व ही निर्णय लिया जा चुका है और वाद को संदर्भ के लिये अनुपयुक्त पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक न्याय विभागों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके बकाये वेतन के भुगतान की मांग

134—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1989 में औद्योगिक न्याय विभागों में कितने पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1989 में नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारियों में से कुछ को सितम्बर, 89 में जुलाई 90 तक की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस पीठासीन अधिकारियों के नाम क्या हैं ? पीठासीन अधिकारियों को वेतन भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और पीठासीन अधिकारियों का बकाया वेतन का भुगतान किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वर्ष 1989 में औद्योगिक न्यायाधिकरणों में दो पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियां की गईं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात की नगरपालिका बिल्हौर में जल निगम द्वारा पानी की सुविधा प्रदान करने की योजना

135—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत नगर पालिका, बिल्हौर क्षेत्र के लिए जल निगम द्वारा पीने के पानी की

सुविधार्थ शासन को कोई योजना है ? क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन म प्रथम चरण में कुछ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ? यदि हां, तो शासन को इस योजना के क्रियान्वयन में कितने धन का प्राविधान किया गया है ? क्या उक्त कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? उक्त अधूरा कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी हां ।

दो नलकूप एवं एक पम्प हाउस व स्टाफ क्वार्टर का कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 1989-90 में रु0 7.00 लाख का प्राविधान था । चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में रु0 6.60 लाख का प्राविधान है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण किया जायेगा ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिल्हौर कानपुर हेतु भवन बनाये जाने की योजना

136—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0 बिल्हौर, जनपद कानपुर किराये के भवन में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका भवन बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों और किराये के भवन में आई0 टी0 आई0 कब तक चलाया जायेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिल्हौर, कानपुर वर्तमान में किराये के भवन में संचालित है ।

उक्त संस्थान के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने तथा इस सम्बन्ध में जिला योजना से अनुमोदित कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण शासन में भवन निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है ।

137—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरण]

138—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरण]

139—श्री ऊबल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सभा हरखूपुर, विकास खंड छपिया, जिला गोंडा में हरिजन कालोनी के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं के दुरुपयोग की शिकायत

140—श्री ऐदल सिंह तथा श्री ओम प्रकाश—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हरखूपुर, विकास खंड छपिया, जिला गोंडा में सरकारी अभिलेखों में कोई हरिजन कालोनी दर्ज है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सभा में हरिजन कालोनी नाम का कोई निर्माण कार्य या योजना नहीं है तथा उक्त कालोनी के नाम पर सरकार द्वारा समय-समय पर मिलने वाली सारी सुविधा (बिजली आपूर्ति, बालू, मोरंग, ईंट) का उपयोग उक्त ग्राम के निवासी श्री काशी प्रसाद मिश्र द्वारा आरम्भ से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के नगरपालिका दादरी में पद सृजित किये बगैर सफाई निरीक्षक की नियुक्ति का आधार

141—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका दादरी, जनपद गाजियाबाद में सफाई निरीक्षक का कोई पद सृजित है ? यदि नहीं, तो क्या बिना पद सृजन के तत्कालीन प्रशासक/ए0 डी0 एम0 (एफ0) द्वारा दिनांक 1-11-1988 को श्री रवीन्द्र कुमार शुक्ला की नियुक्ति केन्द्रीय सेवा का पद होते हुए सफाई निरीक्षक के पद पर की गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार इसे निरस्त करेगी तथा इस अवैधानिक नियुक्ति के फलस्वरूप नगरपालिका, दादरी को हुयी क्षति की पूर्ति उत्तरदायी अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

नगरपालिका, दादरी (गाजियाबाद) में सफाई निरीक्षक का पद सृजित नहीं है। तत्कालीन प्रशासक नगरपालिका दादरी द्वारा सफाई निरीक्षक के पद पर की गई श्री रविन्द्र कुमार की अस्थाई/तदर्थ नियुक्ति को शासनादेश संख्या 353/11-4-91-38 ए0 वयू/90, दिनांक 8-2-1991 द्वारा समाप्त करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं क्षति के उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी ।

142—श्री मोतीलाल देहलवी—

[तीसरे अता0 प्र0 सं0 187 के अन्तर्गत स्थगनप्रस्ताव]

जनपद चमोली के भोटिया जनजाति के ग्राम विधराण में ऊन का कार्डिंग प्लान्ट लगाने की मांग

143—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को जनपद चमोली में भोटिया जनजाति के ग्राम विधराण में गढ़वाल मण्डल अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से ऊन का कार्डिंग प्लान्ट लगाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और उक्त प्लान्ट कब तक लगाया जायेगा ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां,

निगम से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के बारे में कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए निगम को आवश्यकतानुसार संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है, जिसके प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

जनपद मिर्जापुर में सिटी ब्लाक में स्थित लोहदी तथा देवकी पेयजल योजना में सम्मिलित ग्रामों को जलापूर्ति किया जाना

144—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मीरजापुर जनपद में सिटी ब्लाक में स्थित लोहदी तथा देवकी पेयजल योजना के अन्तर्गत बनाये गये नलकूप निर्धारित क्षेत्र में पेयजल नहीं दे पा रहे हैं तथा इन नलकूपों से पेयजल योजना में सम्मिलित ग्रामों को सप्ताह में औसतन एक दिन में केवल आधे घंटे तक पानी प्राप्त हो पाता है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? इन पेयजल योजनाओं के सुधार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी एवं पहाड़ी में निर्मित लोहदी ग्राम समूह पेयजल योजना एवं देवरी ग्राम समूह पेयजल योजना में निर्मित नलकूपों से योजना के अन्तर्गत लाभान्वित सभी ग्रामों क्रमशः 21 एवं 25 में जलापूर्ति 5 से 6 घंटे प्रतिदिन की जा रही है । विद्युत की अनियमित आपूर्ति के कारण सीधे पम्पिंग से लम्बी-लम्बी जल वितरण नलिकायें होने के कारण जलापूर्ति सम्भव नहीं हो पाती है एवं केवल अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जानी सम्भव हो पाती है जिससे कि अवर जलाशय से दूरस्थ ग्रामों में कभी-कभी लगभग आधे घण्टे तक जलापूर्ति हो पाती है ।

उक्तानुसार इसके लिए कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है ।

जिन ग्रामों में आधे घंटे तक ही जलापूर्ति हो पाती है उन ग्रामों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा रहा है तथा उक्त योजनाओं के 39 ग्रामों में 50 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं एवं 28 हैण्डपम्प और लगने प्रस्तावित हैं ।

इसके अतिरिक्त लोहदी कलां पेयजल योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नलकूप (700 लीटर प्रति मिनट) का निर्माण किया जा चुका है तथा पम्प हाउस का निर्माण प्रगति पर है ।

जनपद बुलन्दशहर की टाउन एरिया स्थाना के सचिव/बख्शी श्री राम निवास गर्ग का निलम्बन

145—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामनिवास गर्ग, तत्कालीन सचिव/बख्शी वर्ष 1978 टाउन एरिया स्थान, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा 409, 420, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत मेरठ सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा की गई जांच पर दिनांक 17 मार्च, 1990 को शासन द्वारा दी गई स्वीकृति तथा सी० आई० डी०, मेरठ के पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1990 के अन्तर्गत शासन/निदेशक, स्थाना जि० उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा श्री गर्ग को तत्काल निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्री राम निवास गर्ग को शासनादेश दिनांक 8 नवम्बर, 1990 द्वारा निलम्बित किया गया था परन्तु मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 1990 द्वारा श्री गर्ग का निलम्बन आदेश स्थगित कर दिया है । प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम सभा बझेड़ा भगवानपुर के विकलांग वृद्धों को भरण-पोषण अनुदान हेतु प्रेषित उनके प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

146—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खेड़ा रठ तथा ग्राम सभा बझेड़ा भगवानपुर, विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला-शाहजहांपुर के कितने विकलांग वृद्धों के पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र 8 सितम्बर, 1990 से 18 सितम्बर, 1990 तक शासन को प्राप्त हुए ? उनमें किन-किन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये ? उनके पूरे पते क्या हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

विभाग द्वारा निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है । विकलांग वृद्ध पेंशन सम्बन्धी कोई वर्गीकरण नहीं है । प्रश्नगत क्षेत्र के दो आवेदन-पत्र (1) श्रीराम पाल पुत्र ढोढ राम, ग्राम सभा बझेड़ा भगवानपुर का विकलांग भरण-पोषण अनुदान हेतु, तथा (2) हसीना बानो पत्नी स्व० अहमद हुसैन, ग्राम सभा बझेड़ा भगवानपुर का विधवा भरण-पोषण अनुदान हेतु परगना अधिकारी तिलहर, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए हैं ।

किसी को नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण उपान्त, लखनऊ के कथित अनुज्ञा-पत्र के असत्य व अवैध होने के सम्बन्ध में विभागीय जांच किया जाना

147—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण उपान्त, लखनऊ के कथित अनुज्ञा-पत्र संख्या 781/प्रश्नोत्तर/न० भू० सी०/

87–88, दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 असत्य व अवैध हैं ? यदि हां, तो शासन दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

कथित अनुज्ञा–पत्र संख्या 781/प्रश्नोत्तरी/न0 मू0 सो0/87–88, दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 असत्य व फर्जी है ।

इस सम्बन्ध में विभागीय जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गृहकर निरीक्षक का स्थानान्तरण तथा गृहकर समाप्त करने की मांग

148—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गृह कर निर्धारण करने का कोई सूत्र एवं नियम बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह कर निरीक्षकों के स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किये जाते हैं ? यदि हां, तो पिछले सत्र 89–90 में कितने गृह कर निरीक्षकों के स्थानान्तरण लखनऊ, इलाहाबाद व मेरठ से किये गये थे ? क्या सरकार गृह कर निरीक्षकों व फूड एवं स्वच्छता निरीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति एक–जैसी बनाये जाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार व्यापारियों के हित में चुंगी कर समाप्त करने की भांति जनता के हित में गृह कर समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

गृहकर निर्धारण के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम एवं नगर महापालिका अधिनियम में वार्षिक मूल्य की परिभाषा एवं नियम प्राविधानित हैं । प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर निर्धारण के सम्बन्ध में अपने उपनियम तैयार करके उनका प्रकाशन करके आपत्तियां/सुझाव मांगकर विचार करके अधिनियम में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ड्राफ्ट उपनियम सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त लागू करते हैं ।

जी हां, उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के नियम 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरण किय जान का प्राविधान ह ।

वर्ष 89 में लखनऊ, इलाहाबाद व मेरठ से किसी भी राजस्व/गृहकर निरीक्षक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

वर्ष 90 में लखनऊ, इलाहाबाद से किसी भी कर निरीक्षक का स्थानान्तरण नह किया गया । मेरठ से श्री के0 डी0 कौशिक कर/राजस्व निरीक्षक का स्थानान्तरण नगर–महापालिका, बरेली को किया गया है ।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के नियम 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जाने की नीति एक समान है ।

जी नहीं ।

स्थानीय निकायों के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये गृहकर समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जनपद गाजियाबाद को आपूर्ति आदेश देने के कारणों की जानकारी

149--श्री भोला पाण्डेय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में फेरोसीमेन्ट मैन होल कवर्स की निविदा व अनुबन्ध स्टील उद्योग एवं वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद का पंजीकरण उ0 प्र0 जल निगम, अष्टदश मण्डल, गाजियाबाद में हुआ एवं दोनों फर्मों का आर्डर साथ-साथ मिलता रहा ? क्या वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज को गोपनीय आर्डर इस वर्ष के अगस्त में 6.5 लाख रुपये का दिया गया एवं स्टील उद्योग गाजियाबाद को उपेक्षित कर दिया गया ? केवल वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज को ही आपूर्ति आदेश देने के कारण क्या हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

माह अगस्त, 1990 में नहीं वरन् 29 जुलाई, 1990 को मैसर्स वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग को रुपये 6.49 लाख का आदेश दिया गया । वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज को आपूर्ति आदेश इसलिए दिया गया, क्योंकि इससे पूर्व के दो आदेशों की आपूर्ति उस समय तक मे0 स्टील उद्योग, गाजियाबाद द्वारा नहीं की गयी तथा सामग्री की तुरन्त आवश्यकता थी ।

150--श्री किशन गोपाल--

[छठे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के हरिजन विद्यालय को दी गयी अनुदान राशि का विवरण

151--श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत कितने हरिजन विद्यालयों को वर्ष 1989-90 में अनुदान दिया गया ? कुल अनुदान राशि कितनी दी गयी है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

17 हरिजन विद्यालयों को अनुदान दिया गया ।

कुल रु0 12,18,173.40 (बारह लाख अट्ठारह हजार एक सौ तिहत्तर और पैंसा चालीस मात्र) की अनुदान राशि दी गयी ।

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल सेवा-निवृत प्रधान लिपिक, श्रम कार्यालय, अलीगढ़ के देयों का भुगतान

152--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी-40, मसूदाबाद, अलीगढ़ जो 31 जुलाई, 1986 को अलीगढ़ श्रम कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्य करते हुए सेवा-निवृत हुये हैं को लगभग साढ़े चार वर्ष के बाद भी पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन तथा 1985-86 का बोनस नहीं मिला है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक उपरोक्त भुगतान कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जी हां । श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पर सरकारी धन (12,000 रु0) बाकी है । जब तक वे उसे अदा नहीं करते उनके देयों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है ।

153—श्री किशन गोपाल—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0—14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला उत्तरकाशी के तीर्थ स्थान यमुनोत्री तक मोटर मार्ग बनाने की मांग

154—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला उत्तरकाशी के तीर्थ स्थान यमुनोत्री तक मोटर मार्ग के लिए जनता कई वर्षों से मांग कर रही है ? क्या यह सही है कि इस मार्ग के लिए क्षेत्रीय जनता ने श्री राजेसिंह रावत, एडवोकेट वर्तमान विकास खण्ड प्रमुख के नेतृत्व में 6 मास तक आन्दोलन चलाया और शासन ने सड़क बनाने का शीघ्र आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां । क्षेत्रीय जनता द्वारा श्री राजेसिंह रावत, एडवोकेट, वर्तमान विकास खण्ड प्रमुख के नेतृत्व में आन्दोलन हनुमान चट्टी–जानकी चट्टी मोटर मार्ग के लिये चलाया गया था । यह मार्ग यमुनोत्री मार्ग का ही भाग है । हनुमान–चट्टी–जानकी चट्टी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था । हनुमान चट्टी–जानकी चट्टी मोटर मार्ग में आरक्षित वन भूमि व सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है और प्रदेश शासन का औपचारिक स्वीकृति विचाराधीन है । औपचारिक स्वीकृति आदेश निर्गत हो जाने के उपरान्त ही हनुमान चट्टी–जानकी चट्टी मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद मऊ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग

155—श्री सुवास—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा और जनपदों की भांति मऊ जनपद में भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जनपद मऊ में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना शासन के विचाराधीन है ।

श्रीनगर (गढ़वाल) में आयुक्त, उद्योग, पर्वतीय क्षेत्र कार्यालय की स्थापना के निर्णय का कार्यान्वयन

156—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने श्रीनगर (गढ़वाल) में आयुक्त, उद्योग, पर्वतीय क्षेत्र कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या वहां उक्त कार्यालय खोला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरखिया लाल जुवांठा--

जी हां। ग्राम एवं लघु उद्योग आयुक्त (पर्वतीय) के पद पर नियुक्ति के अभाव में उक्त कार्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हो सका है।

जनपद जालौन की फैक्ट्रियों में स्थानीय व्यक्तियों को ही नियुक्ति प्रदान करने की मांग

157--श्री शिव राम सिंह कुशवाहा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन के उरई शहर में कितनी फैक्ट्रियां संचालित हैं ? उनमें जनपद जालौन के कितने व्यक्ति किस-किस वेतन में नियुक्त हैं ? उक्त फैक्ट्रियों में जनपद जालौन के ही अधिकांश कर्मचारी रखे जायं, इस हेतु शासन क्या फैक्ट्रियों के प्रबन्धकों को आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जनपद जालौन के उरई शहर में कुल 25 कारखाने हैं जिनमें से 13 कारखानों में जनपद जालौन के 337 श्रमिक नियोजित पाये गये जिनका वेतनमान 800 रु0 से 2,000 मासिक के मध्य है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के महोबा शहर में कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत

158--श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हमीरपुर के महोबा शहर में कब्रिस्तान की कोई भूमि है ? यदि हां, तो उसकी गाटा संख्या तथा उसका रकबा क्या है ? क्या इस भूमि पर किसी का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को स्वतंत्र कराने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जनपद हमीरपुर के तहसील महोबा में कब्रिस्तान की भूमि राजस्व ग्राम मट्टीपुरा में गाटा संख्या 52/2/1/0-50 एकड़, 361-मि0/11-00 एकड़, 614/1/0-43, 70/1/1-86 एकड़, 48/1/3-50, 54-मि0/1-90 एकड़ तथा नान-जेड0 ए0 गाटा संख्या 1918/0-75, 1919/0-05, 2007-मि0/0-14, 2007-मि0/0-16, 2003/0-81, 1889/0-24, 2159/0-11, 2003/0-26, 2174/0-75, 1710/0-12, 1875/2-44 व 2174/0-05 नान-जेड0 ए0 तथा मौजा दरीबा स्थित गाटा संख्या 476/2/1-27 नान-जेड0 ए0 2589/0-10 व 2588/0-11 जेड0 ए0 हैं।

उक्त गाटों में से गाटा संख्या 361-मि0/11-00, 70/1/1-86 तथा 48/1/3-50 एकड़ पर 196 व्यक्तियों का कब्जा है।

उक्त भूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा 122-बी0 जेड0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार स्तर से की जा रही है। नान-जेड0 ए0 ऐक्ट क्षेत्र में वक्फ बोर्ड द्वारा 4 मुकदमें जिला जज, हमीरपुर के न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं, जहां वे विचाराधीन हैं।

जनपद वाराणसी, पुरवा बस-स्टेशन के पास बने तिकोनिया पार्क में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग

159--श्री राज किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में पुरवा बस-स्टेशन के पास बने तिकोनिया पार्क को आजाद पार्क घोषित कर उसमें शीघ्र शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव ने अपने पत्र संख्या मन्त्री (पर्यावरण एवं वन)/3/89-4205, दिनांक 29 सितम्बर, 1989 द्वारा स्पष्ट निर्देश सचिव, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को दिए थे ? यदि हां, तो क्या शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

जी नहीं ।

टाउन एरिया कमेटी, पुरवा में धनाभाव के कारण ।

जनपद कानपुर में कालपी रोड पर जे0 के0 काटन स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स के0 लि0 में चल रही तालाबन्दी को समाप्त करने की मांग

160--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 29 जनवरी, 1990 को जे0 के0 काटन स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स कं0 लि0, कालपी रोड, कानपुर में 15 मई, 1989 से चली आ रही अवैध तालाबन्दी को समाप्त करने हेतु उन्हें पंच निर्णायक माना गया था और मुख्य मन्त्री जी को अपना निर्णय एक माह में देना था ? क्या वह पंच निर्णय दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? पंच निर्णय कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा समस्या के निस्तारण हेतु प्रमुख पक्षों से विस्तृत से वार्ता की है परन्तु अभी तक आशाजनक हल नहीं निकला है । इसी बीच सेवायोजकों ने अपने प्रतिष्ठान की आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र बी0 आई0 एफ0 आर0 में दिया है ।

जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में इन्टेन्सिव कोरोनटी केयर यूनिट हेतु हृदयरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की मांग

161--श्री महेन्द्र सिंह--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में इन्टेन्सिव कोरोनरी केयर यूनिट स्थापित की गई थी और अभी तक इस सुविधा का लाभ जनपद के मरीजों को प्राप्त नहीं हो सका ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह यूनिट कब स्थापित की गई थी और इस यूनिट को स्थापित करने में कितना धन व्यय हुआ था ? क्या इस यूनिट में कार्य हेतु हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

इस यूनिट की स्थापना वर्ष 1983-84 में की गयी थी तथा इस पर कुल रु0 1,44,204 व्यय हुआ था ।

हृदयरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति चिकित्सकों के अभाव में नहीं की जा सकी किन्तु ऐसे रोगियों को चिकित्सा सुविधा फिजीशियन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है ।

राजकीय महिला पालीटेकनिक, अल्मोड़ा में कम्प्यूटर अप्लीकेशन कोर्स प्रारम्भ किये जाने की मांग

162--श्रीमती सरस्वती तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला पालीटेक्निक, अल्मोड़ा में इस सत्र (1990-91) से कम्प्यूटर अप्लीकेशन कोर्स प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उक्त कोर्स के प्रारम्भ न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, थाना कालिंजर, ग्राम दोषपुर में अराजक तत्वों द्वारा कुयें का पानी दूषित किये जाने की शिकायत

163--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15 मार्च, 1990 का पत्र श्री रामकिशोर, ग्राम दोषपुर (गुढ़ाकला), थाना कालिंजर, जनपद बांदा के पत्र के साथ अराजक तत्वों द्वारा कुयें में भैंस काटकर मांस डालने तथा जहर डालने, कुआं का पानी दूषित हो जाने से पेयजल के लिए हैण्डपम्प एवं कुआं निर्माण करवाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पेयजल के लिए क्या व्यवस्था की गई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अकबरपुर कताई मिल में प्रबन्धकों पर शोषण, अत्याचार, अनियमितता का आरोप तथा जांच कराने की मांग

164--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेटली ने जुलाई, 1990 को वन मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एक ज्ञापन श्रम सचिव, उत्तर प्रदेश को अकबरपुर कताई मिल में शोषण, अत्याचार, अनियमितताओं के अतिरिक्त प्रबन्धकों पर पक्षपात पूर्ण आरोपों के तमाम प्रमाणों के साथ दिया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी संबंधित ज्ञापन को सभी संलग्न साक्ष्यों के साथ मूल रूप से सदन के पटल रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन में मुख्य आरोप क्या हैं ? क्या शासन आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर उसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के मुहल्ला तकिया कवलदह की भूमि पर बिना रजिस्ट्री बैनामा के कतिपय व्यक्तियों द्वारा मकान बनवाया जाना

165--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि महानगर गोरखपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत तकिया कवलदह राजस्व गांव की लगभग 300 एकड़ सीलिंग की भूमि पर बिना रजिस्ट्री बैनामा कराये बहुत से लोगों ने मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से लोग दोषी हैं और क्या सरकार इनकी जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां, गोरखपुर के मुहल्ला तकिया कवलदह की 74,112.70 वर्ग मीटर भूमि अवैध रूप से अन्तरित कर दी गयी है जिस पर कुछ लोगों ने निर्माण कार्य कराया है ।

मामलों की जांच जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है । परीक्षणोपरान्त यदि आवश्यकता हुई तो सतर्कता जांच कराई जावेगी ।

जनपद गोरखपुर में तहसीलदार खजनी द्वारा कब्रिस्तान की पैमाइश कराकर सम्बन्धित पक्षों को संतुष्ट किया जाना

166--श्री मिठाई लाल शास्त्री--

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील खजनी, थाना सिकरीगंज के अन्तर्गत ग्राम सिकरीडीह कब्रिस्तान के विवाद को हल करने हेतु क्या उक्त कब्रिस्तान की पैमाइश कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्नगत ग्राम के कब्रिस्तान की तहसीलदार खजनी द्वारा पैमाइश कराकर सम्बन्धित पक्षों को संतुष्ट कर दिया गया है । मामले में अब कोई विवाद नहीं है ।

फैजाबाद रोड पर ग्राम इस्माइलगंज में स्थित झील के पानी से कतिपय ग्रामों की भूमि तथा मकान का जलमग्न होना

167--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर की सीमा में फैजाबाद रोड पर स्थित ग्राम इस्माइलगंज के उत्तर में एक बड़ी झील स्थित है जिसके पानी से ग्राम कमता, पानीगांव, विजयपुर आदि ग्रामों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है एवं सैकड़ों घर पानी से घिर गये हैं ? यदि हां, तो शहरी क्षेत्र में स्थित इस झील के पानी को पूर्व की भांति नाला खोदकर निकालने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुलभा मिश्रा—

जी हां ।

इस क्षेत्र में अधिक पानी भरने पर फैजाबाद मार्ग पर बनी पुलिया से कठौता झील होकर पानी गोमती नदी में चला जाता है । महापालिका की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण वहां नाला बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद नैनीताल के पतलोट तथा जोस्यूड़ा, ओखलकांडा में स्थित ध्वस्त इण्टर कालेजों के भवनों का निर्माण करने की मांग

168—श्री यशपाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि पतलोट तथा जोस्यूड़ा विकास खण्ड ओखलकांडा, जनपद नैनीताल में स्थित इण्टर कालेजों के भवन ध्वस्त हो गये हैं ? क्या इन भवनों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी नहीं ।

प्रश्नगत भवन खराब स्थित में हैं । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण के बारे में विचार किया जाना सम्भव होगा ।

नव स्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीड़ावानी तथा पैटना विकास खण्ड ओखलकांडा, जनपद नैनीताल में स्टाफ तथा विद्यालय सामग्री की व्यवस्था करने की मांग

169—श्री यशपाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवस्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मीड़ावानी तथा पैटना विकास खण्ड ओखलकांडा जनपद नैनीताल में स्टाफ तथा विद्यालय सामग्री की व्यवस्था अभी नहीं की गई है ? यदि हां, तो वहां स्टाफ एवं विद्यालय सामग्री की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

आंशिक व्यवस्था की जा चुकी है ।

अवशेष पदों पर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा-निवृत चिकित्साधिकारी, डा0 रमेश चन्द्र वार्ष्णेय का बीमा योजना में जमा धनराशि का भुगतान करने की मांग

170—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रमेश चन्द्र वार्ष्णेय जो श्रमिक कल्याण केन्द्र, प्रीमियर नगर, अलीगंज के चिकित्साधिकारी पद से दिनांक 31 जुलाई,

1988 को सेवा-निवृत्त हुए हैं को अब तक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में जमा 5,000 रु0 की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जी हां, डा0 वार्ष्णेय के राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत जमा 5,000 रु0 के भुगतान हेतु आवश्यक कागजात श्रमायुक्त द्वारा राज्य बीमा निदेशालय को भेजे जा चुके हैं ।

नियम 301 की सूचनायें

अब हम नियम 301 की सूचनाएं लेते हैं । इसके अन्तर्गत आज 22 फरवरी, 1991 को कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं ।--

1--जिसमें से सर्वप्रथम सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार की है जो जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन को कतिपय ग्राम सभाओं की कृषि योग्य भूमि का वन विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

इनका विषय मैं इसलिये पढ़ रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सन्तुष्ट हो जांय ।

2--श्री पंचानन राय की सूचना है जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में राजकीय नलकूपों की खराबी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

3--श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की सूचना है जनपद शाहजहांपुर में लगातार विद्युत् कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

4--श्री सुन्दर लाल जी की सूचना है जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में गोमती नदी पर सुबेहा-देवीगंज सिद्धौर-जैदपुर मार्ग पर राजघाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में ।

5--श्री दीप नारायण जी की सूचना है जनपद सोनभद्र में आनपारा तापीय विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

6--श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी जी की सूचना है जनपद फैजाबाद में के0 एम0 शुगर मिल, मसौधा तथा दुर्गा बंगल फर्टीलाइजर द्वारा प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

7--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की सूचना है जनपद इलाहाबाद के कौशम्बी ब्लाक में कथित रूप से किये जा रहे घोटाले के सम्बन्ध में ।

इनके अतिरिक्त दो सूचनायें प्रतीक्षा सूची में भी हैं, अन्य सभी सूचनायें शलाका में नहीं आ सकीं ।

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इनमें से जो सदस्य नहीं हैं उनके स्थान में हमारी सूचना को ले लिया जाय ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, देख तो लीजिये कि जिनकी सूचनायें आपने पढ़ी हैं वे सदस्य उपस्थित भी हैं या नहीं ? अन्यथा प्रतीक्षा सूची में से सूचना आप ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

पहले उपस्थिति देख कर ही माननीय सदस्य उसे पढ़ते थे, लेकिन आपस में विचार-विमर्श करके इसके लिये निश्चय हुआ था कि समय को बचाने के लिये यह प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी कि विषय को हम पढ़ देते हैं ।

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

मैं इसलिये कह रहा था कि हैं नहीं वे लोग ।

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

(उक्त सात सूचनायें पढ़ी हुयी मान ली गयीं ।)

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन की कतिपय ग्राम सभाओं की कृषि योग्य भूमि का वन विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री निरवेन्द्र कुमार—

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र-72 निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील निघासन की ग्राम सभाओं की उपजाऊ भूमि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटन होनी थी, उदाहरणार्थ तहसील व परगना निघासन ग्राम सभा बैलहा-1855.47 एकड़, लाल बोझी-1203.29 एकड़ आदि उसे वन विभाग द्वारा गुप्त तरीके से श्रेणी 20 में दर्ज करा लिया है । जिससे भूमिहीन खेतिहर मजदूर रोजी-रोटी से वंचित रह गये हैं ।

अतः मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि उक्त भूमि को पुनः ग्राम सभाओं को वापस कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटन कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जायें ।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में राजकीय नलकूपों की खराबी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय—

[महोदय, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी में राजकीय नलकूपों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिसके कारण किसानों को भारी हानि हो रही है । अनेक नलकूपों की नालियां जर्जर और क्षतिग्रस्त हैं । कागजी खानापूरी के लिये कूप चालकों पर फर्जी पड़ताल करने का दबाव डाला जा रहा है । नलकूपों की मरम्मत और नालियों के पुनर्निर्माण की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । उदाहरण के लिये विश्व बैंक पोषित नलकूप जो ग्राम भोपतपुर में लगा है पिछले करीब नौ महीने से बन्द है । यही हालत राजकीय नलकूपों की भी है । इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुय अनुरोध है कि नलकूपों और उनकी नालियों की मरम्मत के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद शाहजहांपुर में लगातार विद्युत् कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[महोदय, शाहजहांपुर जनपद में लगातार अघोषित विद्युत् सप्लाई की कटौती से नागरिक त्रस्त ह सरकारी घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भी 14 घंटे विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पा रही है। स्थानीय विद्युत् अधिकारियों से पूछने पर इस सम्बन्ध में एक ही उत्तर मिलता है कि ऊपर से आपातकाल रोस्टरिंग है। 1990 के माह नवम्बर, दिसम्बर व 1991 जनवरी, फरवरी में शाहजहांपुर नगर में पीक आवर्स अर्थात् सायंकाल 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक अधिकांश दिनों में विद्युत् सप्लाई में कटौती की गयी और अभी भी की जा रही है इसका कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया। विद्युत् आपूर्ति की दशा यदि कहा जावे कि प्रदेश के सर्वाधिक खराब शाहजहांपुर में ही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्युत् सप्लाई सुचारु न होने से कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन व स्थानीय जनजीवन सभी बुरी तरह प्रभावित होता है। जनहित में अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर अविलम्ब ध्यान देकर शाहजहांपुर में विद्युत् सप्लाई विविध रूप से सुनिश्चित कर तथा अभी तक की अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करें।]

जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में गोमती नदी पर सुबेहा-देवीगंज सिद्धौर जैदपुर मार्ग पर राजघाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल—

[महोदय, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के सुबेहा-देवीगंज, सिद्धौर, जैदपुर मार्ग पर गोमती नदी के राजघाट पर पुल न होने से हजारों नागरिकों को जिला मुख्यालय पहुंचाने के लिये जनपद के अतिरिक्त सुल्तानपुर, रायबरेली के लोगों को भी आवागमन में भयंकर असुविधा होती है। राजघाट पर पुल बन जाने से क्षेत्र की जनता को मुख्यालय पहुंचने में लगभग 50 कि0 मी0 की दूरी कम हो जायेगी तथा समीपवर्ती तीन जिलों के लोग भी सुगमता से मुख्यालय पहुंचने में कामयाब होंगे।

लोक महत्व के इस प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये राजघाट पर पुल बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र में आनपारा तापीय विद्युत् परियोजना में तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण—

[महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सन् 1985 में आनपारा विद्युत् परिषद् में तृतीय श्रेणी की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र मांगा गया था जिसके अनुसार लिखित एवं टाइप आदि की

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

परीक्षा हुयी तथा 97 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये जिसके मात्र 13 व्यक्ति जो पूर्व के एडहाक नियुक्ति के थे पास हुये। लेकिन पूर्व एडहाक नियुक्ति हुये लोगों ने न्यायालय से साक्षात्कार का स्थगन कर दिया। जो दिनांक 23, 24 तथा 29 मार्च 90 को था। स्थगन आदेश के बाद वे सभी लोग पुनः नियुक्ति कर दिये गये जिनमें हरिजनों की संख्या मात्र चार है जब कि कुल सात होने चाहिये था। इस प्रकार वे हरिजनों को सुविधा से वंचित रखते हुये उनका आरक्षित कोटा रिक्त रखा गया है।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करा कर उन्हें नियुक्त किया जाय तथा हरिजनों का भी कोटा पूरा किया जाय।]

जनपद फैजाबाद में के0 एम0 शुगर मिल मसौधा तथा दुर्गा बंगाल फर्टीलाइजर द्वारा प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी—

[महोदय, के एम0 शुगर मिल मसौधा, जनपद फैजाबाद का गन्दा एसिड युक्त पानी क्षेत्र में - कि0 मी0 तक फैल गया है। इससे फैली दुर्गन्ध के कारण फैजाबाद-इलाहाबाद रोड से आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। इस प्रदूषित जल का कुप्रभाव फसलों पर पड़ रहा है। गन्दे पानी का प्रदूषण भूमि के अन्दर जल स्तर तक फैल गया है। जिससे बड़ी संख्या में पशु व मानव गम्भीर रूप से बीमार हो गये हैं इस प्रदूषित जल के कारण हजारों पशु-पक्षी अब तक काल कवलित हो चुके हैं।

इसी प्रकार दुर्गा बंगाल फर्टीलाइजर मंगारी चोरेबाजार बरहपुर, खिटिरपुर, रामनगर के आस-पास फर्टीलाइजर कारखाने से गैस रिसाव के कारण हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। गैस रिसाव के कारण मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

इन दोनों मिलों द्वारा फैले प्रदूषण से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के सज्ञान में लाकर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कर अविलम्ब प्रदूषण संयन्त्र लगाने के निर्देश जारी करें तथा प्रदूषित जल के फैलाव को रोकें।]

जनपद इलाहाबाद की कौशाम्बी ब्लाक में कथित रूप में किये जा रहे घोटाले में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद इलाहाबाद के विकास खंड कौशाम्बी में व्याप्त अनियमितताओं एवं विधायक कोटे की योजनायें एवं विकास कार्य एक वर्ष से लगातार रुका पड़ा है। अधिकारियों की अकर्मण्यता से अनियमिततायें एवं मनमानापन चरम सीमा पर है। विधायक द्वारा जो भी सम्पर्क मार्ग एवं कूप निर्माण या अन्य विकास कार्य हेतु धन स्वीकृत किये गये हैं/ संस्तुति की गयी है, विकास खंड अधिकारी एवं कर्मचारियों की अकर्मण्यता से नहीं कराये जा रहे हैं, न तो क्षेत्रीय विधायक से सम्पर्क कर निराकरण कर रहे हैं।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास खंड कार्यालय पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी किया गया, परन्तु विकास खंड अधिकारी और ब्लाक प्रमुख के रिश्तेदार होने तथा अत्यधिक जोर जबरदस्त होने के कारण मनमाना कर रहे हैं ।

विभिन्न प्रकार की गम्भीर शिकायतें उच्च अधिकारियों एवं सम्बन्धित मन्त्री को भी की गयी हैं । परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी लगभग दो वर्ष से एक विकास खंड अधिकारी अभी तक केवल एक ब्लाक में ही तैनात है । गम्भीर शिकायतों के बाद भी स्थानान्तरण तक नहीं हुआ ।

अतः मैं मांग करता हूं कि अब तक की गयी शिकायतों की रिपोर्ट मांगकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं औचित्य के प्रश्न को इसके बाद लेता हूं, पहले मैं नियम 311 की सूचनाओं को लेता हूं । नियम 311 में तीन सूचनायें प्राप्त हुयी हैं पहली है श्री रविदास मेहरोत्रा की, दूसरी है ईश्वर शरण विद्यार्थी की और तीसरी है श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की । माननीय रविदास मेहरोत्रा जी की सूचना एक घटना से सम्बन्धित है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं । माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी जी आप कृपया एक मिनट बोल लें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना है कि अभी हम कुण्डा और गौरा काण्ड को भूल भी नहीं पाये थे कि प्रदेश में उप कृषि मन्त्री के पुत्र की घर में घुस करके नृशंस हत्या कर दी गयी । इसके लिए दो तरह की बात हो रही है कि एक तरफ गृह सचिव और पुलिस की एजेन्सी बता रही है कि आठ दस लोगों, सशस्त्र डकैतों ने यह काम किया है और वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बावरिया घुमक्कड़ लोगों ने यह काम किया है । आज प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं रह गये हैं । श्री देवी प्रसाद के पुत्र के साथ मान्यवर, यह घटना घटी है और मान्यवर मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि प्रदेश के उप कृषि मन्त्री श्री देवी प्रसाद अपने घर में रहते तो उनकी भी हत्या निश्चित कर दी जाती इस लिये मान्यवर वहां के आई० जी०, डी० आई० जी० जिम्मेदार हैं इनके द्वारा इसका पता लगाया जाय कि ये घुक्मकड़ लोग कौन थे ? वहां की क्षेत्रीय पुलिस उनसे मिली हुई है इसलिए इसकी कड़ाई से जांच की जाय ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, क्या आपको इस पर कुछ कहना है ?

लोकः निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

बिना आपकी अनुमति के नियम 311 में ये बोल नहीं सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मात्री जी, हमने इनको बोलने की अनुमति दी थी, आपको इस पर यदि कुछ कहना है तो कहें अन्यथा बैठ जायं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वहां एक मन्त्री जी को भेजा भी था, उसमें क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुरेश कुमार खन्ना की सूचना डीजल के सम्बन्ध में है, इसकी में अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि इस पर चर्चा निर्धारित हो गयी है इसलिए इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कृपया आप बैठ जायं ।

आप कृपया बैठ जायें । यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मैं नियम 311 में अनुमति नहीं दे रहा हूं और आपकी कोई भी बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी ।

मेरठ में हुए हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा कार्यवाही किये जाने के विषय में आश्वासन दिये जाने की मांग

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मेरठ में लगातार हत्याओं का सिलसिला चला और उसी के अन्तर्गत प्रोफेसर सतवीर सिंह की हत्या हुई और उस घटना को रिपोर्ट में दर्ज नहीं का गयी । उस सम्बन्ध में कल मेरठ मण्डल के और तमाम जिलों के माननीय सदस्यों ने धरना दिया था और धरना पर बैठे थे । मैं कहना चाहता हूं कि आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है और न ही हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है । मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदस्यों की भावना और उनकी उत्तेजना को देखते हुये पश्चिम उत्तर प्रदेश की गम्भीर स्थिति को देखते हुये सरकार को इस सदन को आश्वासन करना चाहिये कि वहां पर समुचित कार्यवाही की जायेगी । यह मेरा आग्रह है और मुख्य मन्त्री जी को बुला कर आश्वस्त करावें ।

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, जब इधर से उधर कोई बैठ जायें, तो उसकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । जब वह सरकार में थे और इधर बैठा करते थे तो उनका क्या दायित्व था और आज जब वह उधर बैठने लगे हैं तो उनका क्या दायित्व है । इस विषय पर कल प्रश्न यहां पर उठा था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका उत्तर भी दिया था । अगर उनके उत्तर से कोई सन्तुष्ट नहीं है, तो और भी नियम हैं, जिनके माध्यम से वह अपनी बात सदन में कह सकते हैं, लेकिन सदन में उत्तेजना फैलाना संसदीय परम्पराओं के विपरीत है । हम सब लोगों को अनेक अधिकार हैं और नियमों के अन्तर्गत अपनी बात को प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं । अगर आप नियमों में नहीं उठा सकते हैं, तो क्या शोर शराबे से सरकार पर दबाव डालेंगे । यह नहीं हो सकता है कि जिस प्रकार का यह उत्तर चाहें, सरकार उसी प्रकार का उत्तर दे। कल इस

पर चर्चा हो चुकी है । कहा गया कि एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एफ0 आई0 आर0 लिखी जा चुकी है और इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा विवेचना भी हो रही है । कहीं पर हत्या होती है, तो वह दुखद होती है। सरकार का जो दायित्व है, अगर वह उसको नहीं करती है, तब तो आप आरोप लगा सकते हैं, उसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं । आप अपनी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 द्वारा विवेचना के आदेश हो गये हैं, तो अब किसी प्रकार की उत्तेजना सदन में फैलाना ठीक नहीं है और यह सदन की गरिमा के विपरीत है । इस तरह की बातें उठा कर सदन की गरिमा को और जन भावनाओं को ठेस पहुंचती है ।

श्री अध्यक्ष---

जब माननीय मन्त्री जी बोल रहे थे, तो बीच में किरन पाल सिंह खड़े हो गये । जब वह अपनी बात समाप्त कर लें, आप अपनी बात कहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी पहले पूरे तथ्यों से अवगत हो जाते, तो ज्यादा अच्छा होता । यह पूरे तथ्यों से अवगत नहीं हैं और अधूरी बात जानते हैं इसलिए अधूरी बात कर रहे हैं कल इस प्रकरण पर क्या बात हुई उन्हें मालूम नहीं है और तर्क दे रहे हैं कि जब हम इधर थे तो वैसी बात करते थे और अब उधर हैं तो कैसी बात कर रहे हैं । आप शायद वकील भी हैं, वकालत आपने शायद की है तो वकील के नाते आप समझते होंगे वकील वही सही समझा जाता है जहां रहता है वहीं की वकालत करता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

संसदीय कार्य मन्त्री जी के खड़े होने पर मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री पारस प्रताप शुक्ल---

मान्यवर, यह बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

अगर हमें बीच में कोई बात कहनी है तो हम खड़े हो जायेंगे और अगर कुंवर साहब बैठ जायेंगे तो हम अपनी बात कह लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी अगर नेतागण बैठ जायं तो जरूर कहिये अन्यथा आप भी परम्पराओं का पालन करें ।

(व्यवधान)

श्री बनी प्रसाद वर्मा--

उन पर भी यह नियम लागू होगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को संसदीय परम्पराओं का ज्ञान होना चाहिये जब वही उसका उल्लघन करेंगे तो माननीय सदस्यों से क्या अपेक्षा की जा सकती है । मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जो यहां पर बैठे हैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये कल जो उत्तेजना इस सदन में थी उसके अनुसार समुचित कार्यवाही करने की घोषणा करें ।

*मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय नरेन्द्र सिंह तथा और माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये उसके सम्बन्ध में मैंने कल ही को कहा था कि किसी तरह के कोई तथ्य छुपाने की बात नहीं है और सी० आई० डी० को आदेश इसी लिए किये गये हैं एक आफिसर की बात उठाई तो इसी लिये सी० आई० डी० की जांच की बात की है बिना सदन की मांग के पहले ही माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुये सी० आई० डी० को जांच के आदेश दिये हैं । जब जांच होगी तो तुरन्त रिपोर्ट मंगा लेंगे । सी० आई० डी० पूरे तथ्यों पर विचार करेगी इसमें माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनादर की कोई बात नहीं है ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी आपने एक सूचना दी है क्या उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ? वर्मा जी आप दो मिनट में कह लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा बजट की आवंटित धनराशियां समय से जनपदों के विभागाध्यक्षों को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 जुलाई, 1990 को माननीय सदन में वर्ष 1990-91 का वार्षिक बजट पारित किया । बजट प्रस्ताव के अनुरूप विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को उनके सम्बन्धित विभागों का बजट प्राप्त होकर जनपदों में काम प्रारम्भ किया जाना नियत था जिससे प्रदेश के विकास के कार्य तेजी से होने थे । मुझे दुख है कि सरकार की विवेकहीनता के कारण विभागाध्यक्षों को अभी तक बजट का पैसा नहीं मिल पाया है उसका नतीजा यह है कि विभागाध्यक्षों के पास पैसा नहीं है । अब मार्च शुरू होने वाला है तब उनको पैसा जायेगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि सारे के सारे फर्जी आंकड़े इकट्ठा करके वाउचर बनाकर पैसा निकाल कर पी० एल० ए० एकाउन्ट में डाल दिया जायेगा फिर दुबारा काम शुरू कब होगा मालूम नहीं इससे प्रदेश के अन्दर विकास के कार्य में बाधा आ रही है और हम पिछड़ते जा रहे हैं । यह परम्परा प्रदेश में पिछली सरकारों के जमाने से चली आ रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें आपकी बात आ गयी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

विकास को नयी दिशा देने के लिये बजट का वन हर 3 माह में जनपदों में पहुंचे और उसका विषद परीक्षण हो तथा कार्यों का लेखा-जोखा मौके पर हो ।

श्री अध्यक्ष--

औरों को भी समय मिलना है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

समय से जो रुपया जिस काम के लिये दिया गया है उसमें वह खर्च हो उसका विवरण सदन में आना चाहिये । पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट में डालने की प्रक्रिया बन्द की जाय यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमें सहयोग दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

समय पर विकास कार्यों का पैसा जनपदों में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

*श्री मुईद अहमद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा भी औचित्य का प्रश्न है कि इस सरकार की अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता का एक ही उदाहरण है, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं वह जांच किसी एक क्षेत्र की करा लें कि वर्ष 1990-91 में सुल्तानपुर जनपद में मेरे क्षेत्र में बजट के माध्यम से कितना विकास का कार्य हुआ है । मान्यवर, मुझे जानकारी है कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत एक खम्भा या एक इंच तार लगाने का काम हुआ हो, इसी प्रकार नगरपालिका में, आर0 ई0 एस0 और सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ है । इसलिये बजट जिसे हम लोग यहां बैठकर पास करते हैं और विभागों को पैसा न जाये तो यह एक तरह से संविधान का एवं संसदीय परम्पराओं की हत्या है । हम लोगों ने 1990-91 का जो बजट पास किया था उसका पैसा नहीं जा रहा है और दूसरा बजट आज फिर 5 बजे पेश कर दिया जायेगा और पैसा यहीं रह जायेगा, पता नहीं वह पैसा कहां जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि 1990-91 में मेरे क्षेत्र में कितना विकास का कार्य हुआ है, इसकी जांच करायी जाये ? इस पर आप व्यवस्था दें ?

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं प्राक्कलन मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने अच्छा प्रश्न उठाया है और श्रीमन् इसमें सभी लोगों की रुचि होनी चाहिए कि जो बजट पास हुआ है इसका उपयोग विकास कार्यों में ठीक से हो । लेकिन कुछ उनको जानकारी में भ्रम हो गया है, इसलिए उनको यह प्रश्न यहां उठाना पड़ा । लेकिन उनकी चिन्ता महत्वपूर्ण है । मान्यवर, 1990-91 में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप सभी को मालूम है कि विलम्ब से बजट पास हुआ और 15 जून, 1990 को पास हुआ था। 31 अक्टूबर, 1990 को, जो प्रश्न उठाया है, उसकी समीक्षा की गयी थीं और 82·44 प्रतिशत योजना पक्ष में तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 92·69 प्रतिशत स्वीकृतियां जारी हुई थीं इनको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी प्रयास है कि स्वीकृतियां जो विलम्ब से जारी होती हैं वह शीघ्र जारी की जायं और विभागवार देखें तो इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा स्वीकृतियां जल्दी जारी हुई। अनिवार्य मदों को छोड़कर प0 एल0 ए0 में जो व्यवस्था है उसे ज्यादा प्रोत्साहन न दिया जाये। इसलिये आपकी चिंता महत्वपूर्ण है इस पर हम ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 में इसे हम इसे अस्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मंत्री जी इस पर बता दें कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने आश्वासन दे दिया है, अब आप बैठिये।

श्री चन्द्रशेखर द्वारा आय-व्ययक के साथ लेखानुदान प्रस्तुत किये जाने पर उठाया गया औचित्य का प्रश्न

*श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)--

मैंने अपना औचित्य का प्रश्न उठाया है, जो यह है कि आज शाम को 5 बजे वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद 4 महीने का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जाएगा। मेरी समझ में इसका कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता है। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या नीति है और क्या नैतिकता है मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि जब सत्र चल रहा है और बजट का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसी समय लेखानुदान भी 4 महीने का क्यों लिया जा रहा है? क्या वित्त मंत्री को यह कमजोरी महसूस हो रही है कि कहीं बजट पास कराते-कराते कांग्रेस उसका साथ तो नहीं छोड़ देगी। क्या इसके पीछे यही डर या भय नहीं काम कर रहा है, अन्यथा यह किस भय के कारण आय-व्ययक और लेखानुदान एक साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जब आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण आज होना है तो लेखानुदान भी लेने का प्रश्न नहीं है। या तो बजट-सत्र चलाने की इनकी मंशा नहीं है या इस सरकार को इस बात का अंदेशा है कि हम 4 महीने से अधिक नहीं चल सकते हैं। मेरा यह औचित्य का प्रश्न है कि बजट के साथ-साथ लेखानुदान नहीं प्रस्तुत किया जाए और सदन इसको अस्वीकार कर दे।

(मुख्य मंत्री जी के पास कुछ सदस्यों के आने और बात करने पर व्यवधान।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री पंचानन राय--

देखिए मान्यवर, यह क्या हो रहा है । जब सदन चलता है और कोई गम्भीर बात है तो मुख्य मंत्री को उसे शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन वह उनसे बात कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के बगल की कुर्सी ही हटा दी जाए । मेरे पास यह जो सम्बन्धित सूचना है, इसमें चन्द्र शेखर सिंह जी के अतिरिक्त श्री अनुग्रह नारायण सिंह और भोला सिंह जी के नाम हैं । अब अनुग्रह नारायण सिंह जी बोलें । (श्री अनुग्रह नारायण सिंह के अनुपस्थित पाये जाने पर) अब भोला सिंह जी बोलें (भोला सिंह जी भी अनुपस्थित रहे ।)

श्री सत्य प्रकाश विकल--

शेष दोनों मेम्बर नहीं हैं यह ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ अन्य माननीय सदस्यों को आप इस पर बोलने का मौका दे दें । मैं भी निवेदन करना चाहता हूं इस पर । क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 को मैं ले रहा हूं । इसमें आपका नाम तो है नहीं । नियम 300 की सूचना जिन्होंने दी है, उनसे ही मैं चाहता हूं कि वह इस पर अपने विचार प्रकट करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

जो चन्द्र शेखर जी ने विषय उठाया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है ।

श्री अध्यक्ष--

फिर भी मैं इस पर आपको अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आज यह बजट शाम को पेश होना है और लेखानुदान भी शाम को पेश होना है । इनमें कोई कार्यवाही हो जाए तभी उसे नियम 300 में उन्हें उठाना चाहिए । लेकिन उन्होंने पहले ही पेश कर दिया है । लेकिन यह जो इन्होंने प्रश्न उठाया है, इसके सम्बन्ध में यदि इन्होंने खुद ही विचार किया होता तो यहां इसे वह न उठाते । श्रीमन्, शाम का बजट पेश होगा, जो इनको साहित्य मिलता है, उसको इन्होंने पढ़ लिया होता तो इस प्रश्न का उठाने की उनको आवश्यकता न प्रतीत होती । हमारा बजट का कार्यक्रम 5 अप्रैल तक है और उसके पहले 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है । इसलिए बजट और लेखानुदान दोनों हम प्रस्तुत कर रहे हैं । यह कोई नई बात नहीं है । इससे पहले भी समय-समय पर इस प्रकार के प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां उठाए गए हैं। और उस पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाएं भी दी गई हैं। 26 मार्च, 1969 को वित्त मंत्री जी बजट पेश करने के बाद लेखानुदान बजट पेश करने वाले थे तब श्री माता प्रसाद त्रिपाठी ने श्री अध्यक्ष से उसको प्रस्तुत करने की आज्ञा न देने का अनुरोध किया था, जिसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने कहा कि समय ले सकते हैं, इसमें लेखानुदान दिया जा सकता है इस प्रश्न का औचित्य नहीं है। इन्होंने साहित्य पढ़ा नहीं पांच अप्रैल तक बजट का पूरा कार्यक्रम है। उससे पहले लेखानुदान नहीं लेंगे तो कैसे आवश्यकता पूरी होगी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

तो विनियोग आपके पास करा लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाएं लेखानुदान प्रस्तुत करना या न करना। पास करना या न करना यह सब शासन पर निर्भर है। आपने जो लिखा कि संविधान की धारा 203 और 204, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसलिए इसको अस्वीकृत करता हूं।

बाल चन्द्र मिश्र का जो मामला है यह व्यक्तिगत मामला है इसलिए इस पर आप बोल।

श्री बालचन्द्र मिश्र--

मान्यवर विगत दिसम्बर माह में एक मुस्लिम कट्टरपंथी अख्तर हुसैन अख्तर ने बहुत बड़ा हुजूम लेकर वातावरण खराब करने का मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रयास किया किन्तु समय से प्रशासन को सूचना देकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अख्तर हुसैन अख्तर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां से उनको संरक्षण देकर छुड़वाया गया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गैंग लेकर थाने पर हमला किया, और पुलिस वालों पर गोलियां चलाई जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गये। तीन चार अपराधी भी मारे गये। मान्यवर, उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर आदेश हुए कि पचास-पचास बहुसंख्यक लोग हर थाने से पकड़कर लाए जाएं। जिसकी वजह से पचास-पचास निर्दोष बहुसंख्यक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पचास-पचास लोग हर थाने से गिरफ्तार होने लगे, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मान्यवर, हमारे यहां सहदेव गुप्ता एक व्यक्ति अपनी लड़की से मिलने जा रहा था। चार-पांच अल्पसंख्यक समुदाय के अपराधियों ने उसे पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी गई। अपराधियों द्वारा हत्यायें की जा रही हैं और थानों में निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ कर बन्द किया जा रहा है। जब सहदेव गुप्ता के मामले में कार्यवाही करने को कहा गया तो एक दीवान ने अपनी घड़ी जमा कर दी और यह दिखा दिया गया कि इनकी राहजनी में हत्या हुई है। मैंने अनशन किया कि सही केस चलाया जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें।

दिनांक 26 दिसम्बर, 1990 को श्री बालचन्द्र मिश्र स0 वि0 स0 के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने एवं कारागार फतेहगढ़ में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बालचन्द्र मिश्र—

मान्यवर, 26 तारीख को पुलिस के लोगों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में बन्द किया ।

(व्यवधान)

26 दिसम्बर, को काराकार फतेहगढ़ में मुझे साधारण कैदी की तरह बन्द किया गया । जब मैंने जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का ध्यान आकृष्ट कराया तो 31 दिसम्बर को उच्च श्रेणी में रखने के आदेश किए गये और 1 जनवरी, 1991 को रासुका में कर दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब बैठ जाएं ।

श्री बालचन्द्र मिश्र—

मान्यवर, मुझे साधारण बन्दी की तरह रखा गया । उच्च श्रेणी की सुविधा नहीं दी गई । भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों को रासुका लगाकर बन्द किया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी को दो-दो घंटे भा0 ज0 पा0 नेताओं से वार्ता हुई उन्होंने वायदा किया था उन सबको छोड़ दिया जाएगा लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब को समय मिलेगा । शान्ति रखें ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठ जायं । आप पूरा भाषण करेंगे तो फिर अन्य लोगों को समय कैसे मिलेगा ।

आपका प्रतिवेदन मैंने पूरा पढ़ा है । उसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि शासन, आपने जिस ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर कार्यवाही करेगा ।

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

श्रीमन्, चाहे सदन के सदस्य हों या साधारण नागरिक, कोई कानून से ऊपर नहीं है । अगर अपराध करेंगे, जुर्म करेंगे तो जेल में बन्द किये जायेंगे । प्रदेश में जब भयंकर साम्प्रदायिक स्थिति चल रही थी तो उसमें चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करेंगे तो सरकार कार्यवाही करेगी, विशेषाधिकार होना अलग चीज है । अगर कोई प्रदेश का साम्प्रदायिक सौहार्द नष्ट करता है तो वह चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों न हो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सरकार करेगी ।

(शोर)

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब बोल रहे थे तो मैं आशा करता था कि जो प्रश्न माननीय बालचन्द्र मिश्र ने उठाया है उसका मंत्री जी उत्तर देंगे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और आरोप लगाने की कोशिश की उसकी मैं निन्दा करता हूं।

(शोर)

श्री बालचन्द्र मिश्र--

मान्यवर, मेरा कहना है कि एक विधायक होते हुये भी जिलाधिकारी ने राजाज्ञा पत्र पर लिखा कि इनको साधारण श्रेणी में रखा जाय। विधायक को नियमानुसार जो सुविधायें मिलती हैं वह मिलनी चाहिये लेकिन उनको नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और यातनायें दी गयीं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। यद्यपि यह सूचना औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती फिर भी मैंने निर्देश दिया है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। इसमें उत्तेजना की क्या आवश्यकता है।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट--

मान्यवर, एक विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। विधायक को जेल में उच्च श्रेणी का अधिकार है लेकिन माननीय सदस्य को निम्न श्रेणी में रखा गया। यह साम्प्रदायिक सौहार्द की बात नहीं है, एक विधायक को निम्न श्रेणी देने की बात है। आदेश में लिखा है कि इनको निम्न श्रेणी में रखा जाय।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विधायक को उच्च श्रेणी के बजाय निम्न श्रेणी में रखा गया। इस सम्बन्ध में केवल आप बता दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह सही है कि विधायकों का आदर होना चाहिये, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन विधायकों को चाहिये कि नियमावली का अध्ययन करके कोई प्रश्न उठायें। यह प्रश्न नियम 300 में कैसे आ जायगा। विशेषाधिकार की अवहेलना हो तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठायें। नियम 300 को आप कैसे अनुमति देंगे और हम कैसे आश्वासन देंगे।

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 में मैंने अस्वीकार किया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह इस बिन्दु पर जांच करा लेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरद्वार दुबे, एडवोकेट--

मान्यवर, जब माननीय विधायक ने अपनी बात रख दी तो आपको निर्णय लेना ही होगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन्हें उच्च श्रेणी क्यों नहीं दी गयी, इसकी वह जांच करा देंगे । इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, माननीय बालचन्द्र मिश्र जी ने जो बात कही, उनका बिन्दु यह था कि उनको अनशन करते हुए गिरफ्तार किया गया और रा० सु० का० में निरुद्ध करते हुए जिलाधिकारी, कानपुर ने उस पर यह लिखा कि विधायक होते हुए भी इन्हें "सी" श्रेणी में रखा जाय और पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बजाय इन बिन्दुओं पर उत्तर देने के अन्य प्रकार के अनर्गल आरोप लगाये, जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि विधायकों के सम्मान की रक्षा की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मसला होने के कारण मैंने उनको सुना । माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इसकी वह जांच करा लेंगे । मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह इसकी जांच करा लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, हम सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि माननीय विधायक ने स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी का नाम लेकर कहा है कि यह "सी" श्रेणी में रखे गये । इस पर भी बजाय कार्यवाही के आश्वासन के जांच के नाम पर बात को टाले जाने के विरोध में हम अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करके चले गये ।)

जनपद आगरा में खारी नदी के ऊपर गांव रामनगर पिनानी में बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन सिंचाई मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, नियम 300 में केवल वे विषय उठाये जाते हैं जो विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित रहते हैं । विधान सभा की कार्यवाही के प्रति हमारी, आपकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और सत्ता पक्ष की समान रूप से जिम्मेदारी है। हम यहां जो विषय उठाते हैं, उसके सम्बन्ध में शासन जो भी घोषणायें, आश्वासन या बात कहता है, उसका परिपालन सुनिश्चित होना चाहिए और उसका परिपालन नहीं होता है, तो उसका परिपालन कराने की या उसके परिपालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है।' मान्यवर, यहां विधान सभा के सदन के पटल पर 27 सितम्बर, 1989 को तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय लोकपति त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि "मान्यवर, चार बैराज खारी नदी पर बनाये गये हैं, जिनका वर्णन आपको दे दिया गया है। इसी बरसात में उनमें पानी रुकेगा, बरसात बीतने के बाद उसका क्या अंजाम होता है, उसके सर्वेक्षण के बाद बांध बनाये जायेंगे।" माननीय मंत्री जी का यह कथन विधान सभा की कार्यवाही के खण्ड 393, अंक (2) दिनांक 27 सितम्बर, 1989 के पृष्ठ 19 पर अंकित है, आप चाहें तो कार्यवाही देख लें।

मान्यवर, इसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बांध बन गये हैं तो उन्होंने अपनी भूल सुधार करते हुये कहा कि मुझसे भूल हुई "मैंने कहा कि 4 जगह बांध स्वीकृत हुये हैं जो वर्षा काल के बाद निर्मित होंगे और उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है कितना जल रुकता है इसका क्या असर होता है कुओं पर इसको देखने के बाद बांध बनायेंगे जिनकी चर्चा आपने की है यह कार्यवाही के अगले पृष्ठ 20 पर अंकित है तो माननीय सिंचाई मंत्री जी को चाहे पहली बात को मान लिया जाय या दूसरी बात को मान लिया जाय दोनों बातों में कोई अन्तर नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि बांध बन गया है और दूसरी बात कहा कि बरसात के बाद बांध बना दिया जायेगा। तो मान्यवर, न तो बांध बने हैं और न तो बरसात के बाद बनाया जाना प्रारम्भ किया है जब कि उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिये था। मान्यवर, यह बात सदन में कही गयी है। मेरा कहना यह है कि सत्ता में कोई पार्टी आये इस सदन का आश्वासन है, इसकी घोषणा है उसका परिपालन हरेक को करना है। मान्यवर, यह घोषणा हो चुकी है कि आगरा में खारी नदी के ऊपर गांव रामनगर पिनानी में एक बांध बनाया जायेगा लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। यह स्पष्ट घोषणा विधान सभा में हो चुकी है उसका परिपालन कौन करायेगा ? इसका परिपालन कब तक सुनिश्चित कराया जायेगा इसको माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय राणा जी, मैं सिंचाई मंत्री को निदेश देता हूं कि आपके विषय के सम्बन्ध में कार्यवाही करें, 300 में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए इसे अस्वीकार करता हूं। अब एजेन्डा की मद संख्या 4 लेता हूं।

(श्री पंचानन राय, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री विजय सिंह राणा के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष—

राणा जी आप बैठ जायं, 300 की कोई बात अब राणा जी की कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष--

श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री पंचानन राय इसे मैं अस्वीकृत करता हूं ।

पंचानन जी, आपने नियम बना रखा है कि 5 सूचनाएं इसमें सुनी जायेंगी ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

300 में वह कौन से नियम से नहीं आती है ?

श्री अध्यक्ष--

राणा जी को कोई बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

माननीय पंचानन राय जी, नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना आप देते हैं उन सूचनाओं में यह निर्णय होता है कि कितनी सूचनाएं सुनी जायेंगी जो 300 में आ रही हैं । जो 300 के अन्तर्गत नहीं हैं उनको सुनने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मेरी सूचना 300 में आती है अगर नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा । मेरी सूचना 300 में है आप खुद देख लें, अगर नियम विरुद्ध है तो मैं अपनी बात बन्द करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि आपकी सूचना 300 में आती है तो मैं इस पर पुनर्विचार आज ही करता हूं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुये विचार कर लूं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, अगर किसी नियम से वह सूचना 300 में नहीं आती है तो मैं अपनी बात नहीं कहूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 61वां प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 61वां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा तथा गृह विभाग के वर्ष 1978 से 1988 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 62वां प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 62वां प्रतिवेदन, जो गोपन, कार्मिक तथा निर्युक्ति विभागों के वर्ष 1981 से 1989 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 63वां प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 63वां प्रतिवेदन, जो नगर विकास तथा आवास विभागों के वर्ष 1978 से 1990 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 64वां प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 64वां प्रतिवेदन, जो उद्योग, वित्त तथा वित्त बिक्रीकर विभागों के वर्ष 1982 से 1990 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 65वां प्रतिवेदन†

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 65वां प्रतिवेदन, जो वन, प्राविधिक शिक्षा विभागों के वर्ष 1981 से 1990 तक तथा परिवहन विभाग के वर्ष 1980 से 1989 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

सत्रकाल में जिला स्तरीय बैठकें न बुलाये जाने की मांग

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर आपकी पीठ से निर्देश दिये जाते रहे हैं कि जब भी इस सदन की बैठक आहूत होगी और सदन चलता रहा होगा तो जिला स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं की जायगी । शासन भी इस सम्बन्ध में आश्वासन देता रहा है । लेकिन मुझे दुःख है कि इस नियम और सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन की लगातार अवहेलना होती रही है । इस प्रकार का एक प्रकरण वाराणसी में उपस्थित हुआ है । यहां पर 27 तारीख को बैठक है । सभी सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे । लेकिन 27 को ही वाराणसी नगर महापालिका ने भी बैठक आयोजित कर ली है, जिसमें यहां के माननीय सदस्य भी उपस्थित होते हैं । अब विकट स्थिति यह है कि वे सदस्य यहां पर मतदान करें या वहां पर । आपकी पीठ से कहा जाता रहा है कि जब इस सम्मानित सदन की बैठक होगी तो जिला स्तर या अन्य स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं की जायगी । मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें कि ऐसी बैठक रद्द की जाय और भविष्य में शासन सचेत करे अधिकारियों को कि जब कभी भी सदन की बैठक आहूत हो तो कोई अन्य बैठक आहूत न हो ।

* श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)--

मान्यवर, 27 तारीख को इस सदन की बैठक है । उसी दिन वाराणसी नगर महापालिका ने भी बैठक रखी है । इस सदन का नियम है कि यहां पर बैठक चल रही हो तो जिला स्तर या अन्य किसी जगह दूसरी बैठक न हो । मैं आपके जरिये से अनुरोध करता हूं कि जो प्राविधान है कि यहां पर बैठक चल रही हो तो जिला स्तर पर बैठक न हो, उसका परिपालन कराया जाय ।

---

† छापा नहीं गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

श्रीमन्, इसको विखवा लिया जायगा । नियमों के प्राविधानों का उल्लंघन न हो, इस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसमें अधिकारियों के लिए स्पष्ट आश्वासन आना चाहिये । यहां सदन की बैठक हो तो वहां बैठक नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्देशित करता हूं कि जो बैठक हो रही हो, उसको स्थगित करवा दें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरा भी विशेषाधिकार की अवहेलना से सम्बन्धित मामला है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार 6 सूचनायें चयनित की गयीं ।

पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल, डा0 दिनेश जौहरी, श्री रविन्द्र शुक्ला व श्री रघुवर दयाल बर्मा, श्री बदन सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा की है--दिनांक 8 फरवरी, 1991 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा दिनांक 19 फरवरी, 1991 को गाजियाबाद में हुये बम विस्फोटों से हुयी मौतें तथा प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों से जनता मे व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, प्रदेश में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों का पिछले काफी समय से भयानक तांडव हो रहा है और बढ़ते-बढ़ते स्थिति यह हो गयी है कि 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक साथ एक ही समय पर रात्रि के लगभग 8 बजे चारबाग स्टेशन पर, नत्था होटल चौराहे पर और उदयगंज में भयानक बम विस्फोट हुये । बम विस्फोट इतने भीषण हुये कि 14 लोगों की इसमें मृत्यु हो गयी और 50 से अधिक उसमें गम्भीर रूप से घायल हो गये । जो लोग मारे गये उसमें काफी बच्चे थे, कई छोटे गरीब लोग थे, उनमें यात्री भी थे और जो चारबाग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के टिकट घर के पास खड़े थे । जिस समय यह बम विस्फोट वहां पर हुआ था उस समय स्थिति इतनी भयानक थी कि वहां पर छतों पर लोगों के मांस के लोथड़े चिपक गये थे । यह ऐसे आधुनिक बम थे जिनमें ढाई किलो तक बारूद भरा था ।

इसी तरह से गाजियाबाद में एक बम विस्फोट हुआ बस में, बस जो दिल्ली से देहरादून रूट पर थी और मेरठ रोड पर यह बम विस्फोट बस में हुआ 19 फरवरी, 1991 को । उस बम विस्फोट में बस के परखच्चे उड़ गये । 15 लोग इसमें मारे गये, 30 से अधिक लोग इसमें घायल हुये, कई के हाथ-पैर व खोपड़ी उड़ गई । आतंकवादी गतिविधियों का काफी समय से तराई के क्षेत्रों में काफी प्रभाव रहा है, पीलीभीत, मुरादनगर में पिछले काफी समय से और अब लखीमपुर में यह गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं । कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, बढ़ती हुई गुण्डागर्दी और इन आतंकवादी गतिविधियों के कारण जनजीवन की सुरक्षा पर काफी असर पड़ रहा है । 8 तारीख को लखनऊ में यह घटना हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसमें कौन लोग थे, 19 तारीख को गाजियाबाद में घटना हुई, इन घटनाओं के पीछे कौन लोग थे, यह शर्म की बात है कि दो हफ्ते बीतने पर भी सरकार न कुछ बता पा रही है और न किसी को पकड़ा जा सका है । केन्द्रीय खुफिया संगठन के कमल सुन्दर भी जाँच करने आये और चले गये । यह आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं कि इनके पीछे आतंकवादी हैं, इसमें उग्रवादी लोग हैं, जो विघटनकारी तत्व हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस प्रकार की घटनाओं के पीछे किन लोगों का हाथ है जो हमारे प्रदेश की शांति-व्यवस्था को और यहां के अमन-चैन को खतरे में डालकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ।

माननीय, इस गम्भीर विषय पर और एक ऐसे विषय पर जो लोगों के जीवन से प्रदेश की स्थिति से और लोगों के जानमाल से जुड़ा हुआ है, इस पर तत्काल चर्चा कराने का निदेश देने का कष्ट करें ।

---

*डा0 दिनेश जौहरी--

माननीय, लखनऊ और गाजियाबाद की घटनाओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र चाहे वह पीलीभीत हो या नैनीताल हो वह मिनी पंजाब बन गया है । यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गयी है । अभी दिन दहाड़े एक बैंक डकैती पड़ी थी । तीन आतंकवादी आये और बन्दूक दिखायी और लूट कर चले गये पुलिस देखती रह गई इसमें बैंक का कर्मचारी भी मारा गया । जो लोग उनका मुकाबला करते हैं वह मारे जाते हैं तथा जो सूचना देते हैं पुलिस उनको देखती रहती है । उनके सामने आतंकवादी कार्यवाहियां होती रहती हैं । एक घटना अभी डेढ़ माह पहले घटित हुई थी । आतंकवादियों की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ट्रक में जा रही थी । पीछे तीन दरोगा बैठे थे और सिपाही भी उसमें थे । रास्ते में आतंकवादियों ने देख लिया और दरोगाओं पर गोलियां चला दीं । सिपाही देखते रहे और फिर कूदकर भाग गये । माननीय, आज तराई क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है । हर आदमी यह सोच रहा है कि जिस बस या ट्रेन से मैं यात्रा कर रहा हूं कहीं ऐसा न हो कि उसमें विस्फोट हो जाये । हर आदमी आतंकवादी माहौल से भयभीत है । विशेष तराई क्षेत्र में हर आदमी शाम को अपना मकान बन्द करके सोने का प्रयास करता है । माननीय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल—

माननीय, इस समय पूरे प्रदेश में आतंक का एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सारी प्रदेश की जनता जब सड़कों पर निकलती है तो उस समय उसके दिमाग में यह आता है कि वह वापस घर लौटकर जा पायेगी या नहीं । आज पूरे प्रदेश के अन्दर हत्याओं का ऐसा सिलसिला मचा हुआ है कि इससे सारे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गयी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है । मेरी निश्चित जानकारी है कि जब लखनऊ के अन्दर बम विस्फोट हुआ था उस समय गुप्तचर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार को आगाह किया गया था कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे यह काण्ड रुक पाता । इससे सरकार की अकर्मण्यता प्रदर्शित होती है । पूरे प्रदेश के अन्दर कहीं भी ला एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं रह गयी है । सारे प्रदेश की जनता इस समय भयातुर है और यह देख रही है कि कहीं भी सरकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रह गया है और आतंकवादी गतिविधियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं । मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी तथा फजाबाद में एक साथ बम विस्फोट की घटनायें हुई हैं । श्रीमन् पूरे प्रदेश में रेड एलर्ट कर दिया गया और सारे प्रदेश को यह सूचना दे दी गयी है कि आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पायें और सतर्क रहें । इस आदेश के तत्काल बाद 14 लोगों के खून का अंश अभी सूख भी नहीं पाया था कि पीलीभीत में बैंक डकैती हो गयी । उसके बाद फिर रेड एलर्ट कर दिया गया । अभी 19 तारीख का एक यात्री बस जो दिल्ली से गाजियाबाद जा रही थी कि उसमें बम विस्फोट हो गया । इसमें 10 व्यक्ति मारे गये और 30 व्यक्ति घायल हो गये । आज स्थिति यह है कि समूचा प्रदेश भयावह और दहशत भरा आतंकपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है । यह सरकार नकारा साबित हो रही है । सारे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है । श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश की स्थिति अत्यन्त खराब हो चुकी है । कई लोग साम्प्रदायिक दंगे में मारे जा चुके हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं । सी० आई० डी० ने आग्रह भी किया किन्तु सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है । जिन लोगों को खोजा गया कि वह आतंकवादी हैं, उनको श्रीमन् थाने से छोड़ दिया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशासन को कम से कम काबू में लिया जाये तथा जिन अधिकारियों ने यह घिनौना कार्य किया है, आतंकवादियों को छोड़ने का, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आतंकवादी गतिविधियों में हमारे प्रदेश के कोई भी नेता शामिल हों, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने में इस सरकार को घुटने नहीं टेकने चाहिये । इस प्रदेश को आतंक और भय के वातावरण से बचाने के लिये तथा इससे छुटकारा पाने के लिये आप इस गम्भीर मसले पर सदन में चर्चा करायें । साथ ही प्रदेश के लोगों को कम से कम शान्ति सद्भाव की जिन्दगी व्यतीत कराने के लिये इस सरकार को निर्देशित करें ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, लखनऊ में जो बम विस्फोट हुये हैं, उन बम विस्फोटों में 15 व्यक्तियों की जानें चली गयीं और 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये । इतना ही नहीं, इन बम विस्फोटों के द्वारा चारबाग रेलवे स्टेशन को उड़ाने की योजना थी, लेकिन वह बम किसी दुकान के पास ही फट जाने के कारण चारबाग रेलवे स्टेशन तो बच गया, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश सरकार द्वारा जो रेड एलर्ट और जांच पड़ताल कराई गयी, उसके पश्चात् मो बिजनौर और पीलीभीत में भयंकर हत्यायें हुयी हैं और बंक डकैतियां पड़ी हैं। इससे पूर्व प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय खुफिया पुलिस की एजेन्सी ने जनवरी के महीने में इन आतंकवादियों के प्रदेश में प्रवेश कर जाने की सूचना दी थी, लेकिन यह सरकार इतनी निष्क्रिय रही कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और जिस कारण ऐसे आतंकवादी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को अशान्त कर रखा है, वह प्रदेश में प्रवेश कर गये मान्यवर, जहां तक सूचना है इन बम विस्फोटों के पीछे भिंडरावाला टाइगर फोर्स के खुफिया का हाथ बताया जाता है, यदि इस पर काबू न पाया गया तो प्रदेश का जीवन नष्ट होने के शिखर पर पहुंच जायेगा। मैं इस प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और अविलम्बनीय है, इसलिये आज इस सदन की कार्यवाही रोककर इस गम्भीर मसले पर चर्चा कराई जाये और इस विषय को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय, नहीं तो यह प्रदेश जम्मू-काश्मीर की दशा में पहुंच जायेगा।

*श्री रविदास मेहरोत्रा--

मान्यवर, 8 तारीख को विधान भवन से एक किलोमीटर के अन्दर बम विस्फोट की घटना हुई, इसके साथ-साथ एक ही समय पर लखनऊ में तीन जगह बम विस्फोट हुये, जिसमें 15 लोग मर गये और कई घायल हुये। इस मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि जो लोग मरे, और जो घायल हुये, उनमें से कई एक का एक हाथ, एक पैर उड़ गया, कई की आंख चली गयी, इसी सम्बन्ध में मैं 13 तारीख को डी0 एम0 से भी मिला। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को एक रुपये का मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से घायलों के परिवारजन उनका ठीक से उपचार नहीं करा पा रहे हैं। सभी प्रभावित व्यक्ति अत्यन्त गरीब हैं। मान्यवर, इस घटना के बाद केवल जनता ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के दो विधायक श्री रियाज अहमद और श्री हर नरायन से इन आतंकवादियों ने मांग की है कि 2 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम लोगों की हत्या कर दी जायेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में एक दरोगा मलिक ने एक आतंकवादी को हत्या कर दी, तो उस आतंकवादी ने उस दरोगा के भाई की उसी समय हत्या करवा दी। इन्हीं सब आतंकवादी गतिविधियां के कारण मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जनता दल के नौजवानों पर आज अभी पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया है, जिसमें बीसियों लोग लालबाग और विधान भवन के सामने घायल हो गये हैं। इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है, जिसके कारण जनता भयभीत है और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शन कर रहे नौजवानों पर क्रूररूप से लाठीचार्ज किया गया है। मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस मामले पर चर्चा कराई जाये, क्योंकि आज इन आतंकवादी गतिविधियों के कारण सभी लोग भयभीत और आतंकित हैं। इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें। आज प्रदेश में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां तेज हो रही हैं, उसको रोकने में यह सरकार बिलकुल असफल रही है। इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त किया जाय।

(श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी के खड़े होने पर।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी मैंने पहले कह दिया था कि श्री मेहरोत्रा जी के बाद श्री तिवारी जी बोलगे । यदि आप नहीं चाहते हैं कि तिवारी जी बोलें तो आप अपनी बात कहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । मैं बैठ जा रहा हूं ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत करने के लिए आपने अनुमति दी है, इसके आशय से मैं भी सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने प्राह्यता पर बोलने की अनुमति दी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । मान्यवर, आज अनुपूरक बजट है । सामान्यतः हमारी ससदीय पद्धति यह रही है कि जो भी प्रश्न यहां पर हों, उन्हें बिना काम को स्थगित किए हुए, हम उनके बारे में अनुपूरक बजट में कह सकते हैं । पालिया-मन्ट्री पद्धति यह भी रही है कि जब अनुपूरक बजट चल रहा हो तो काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होते । लेकिन फिर भी यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्यों ने इसकी महत्ता को देखते हुए और ससदीय मर्मज्ञ होने का प्रयास करते हुए, यह प्रस्ताव यहां पर रखा गया । इसलिए इसके मर्मज्ञ से मैं भी सहमत हूं । आखिरकार ये उग्रवादी कौन हैं । श्रीमन्, आज कई प्रकार के उग्रवादी कार्य कर रहे हैं ये उग्रवादी कौन हैं, क्या इनका संगठन है और इस सम्बन्ध में आज तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है । क्योंकि श्रीमन्, ऐसे ही बम विस्फोट पिछले वर्ष भी हमारे शासनकाल में हल्द्वानी में हुए, काशीपुर के सिनेमा घर में हुए । उस समय इन बम विस्फोटों की जांच भी कराई गई थी । जांच में उन बमों में जो पदार्थ निकलकर आये कि बम बिस्फोट के बाद वहां पर केवल धुआं ही धुआं रह जाता है और जो केमिकल उसमें होते हैं, वह बड़े ही प्रभावकारी ढंग से रिएक्शन करते हैं । चूंकि इस प्रकार के बम पहले भी प्रयोग हो चुके हैं, इस लिए मुझे आशंका है कि ये बम भी वही होंगे ।

जो हमारे बैलेस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो सेना के एक्सपर्ट्स हैं, मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा भी, उन्हें यहां बुलाया गया था और उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की गई होगी । मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्र से तालमेल रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आतंकवादी केवल एक प्रदेश में ही नहीं अपितु कई प्रदेशों में अपनी ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि बहुत सी सूचनायें गोपनीय होती हैं । इतने दिनों से यह मामला चल रहा है इसलिए उस पर शासन को जनमत को आश्वस्त करने के लिए कुछ प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए । पुलिस का ध्यान तो अब तक शान्ति-व्यवस्था के दूसरे पहलुओं पर रहा । अब प्रदेश में जब शान्ति-व्यवस्था साधारण होती आ रही है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को अब इस ओर अधिक ध्यान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देना चाहिए । ये उग्रवादी कौन हैं, इनका रूप क्या है, किस प्रकार के ये उग्रवादी हैं, क्योंकि आज देश के अनेक प्रदेशों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं । आज जनता में आतंक का वातावरण व्याप्त है । जनमत को भी आश्वस्त करना चाहिये और साथ ही सरकार को भी प्रबन्ध करना चाहिये । ताकि जनता आश्वस्त हो और भय का वातावरण न हो और भी कदम आवश्यक हैं, जिनका विवरण नहीं देना चाहता हूं, इनको शासन को और समाज को मिलकर करना चाहिये । होमगार्ड संगठन क्या कर सकता है, युवक विकास दल की क्या भूमिका हो सकती है, युवक मंगल दल इसमें क्या कर सकता है, रक्षा समितियां क्या कर सकती हैं । यदि सतर्कता का वातावरण रहेगा तो उग्रवादियों को मौका नहीं मिलेगा । पुलिस को भी अत्यन्त प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए । आधुनिकीकरण की योजनायें जो हैं, हमारे पास उपकरण नहीं हैं कि उनका मुकाबला कर सकें । डिटेक्शन की जहां तक बात है, इसमें भी उपकरणों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है । पुलिस के आधुनिकीकरण की मांग चल ही रही है, इसमें कुछ रुपया भी मिला था, क्या हुआ जानना चाहूंगा । जिन जिलों में उग्रवादी सक्रिय हैं वहां पर पुलिस बल को हथियार देने चाहिये, मोबिलिटी आनी चाहिये । ऐसा मोबाइल दल होना चाहिये जो सारे क्षेत्र में घूम सके । यह ऐसा प्रश्न है जिसमें बिना थाने और जिले का ध्यान किये हुए कई मोबाइल यूनिटें घूमती रहें, इसकी बहुत आवश्यकता है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस ओर ध्यान दें और प्रभावकारी कदम उठायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है पूरे सदन के लिए कि आज आतंकवाद की घटनायें उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से तराई क्षेत्र में हुई लेकिन लखनऊ में पहली बार विस्फोट की घटना हुई है । इतना सशक्त बम था कि पूरे लखनऊ स्टेशन को क्षति पहुंच सकती थी । काफी दूर तक उसके टुकड़े लोगों को लगे हैं । यह इस बात का द्योतक है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि जो आज इन्टेलीजेन्स है, अगर ठीक ढंग से काम कर रही होती तो घटना न होती । आज पूरे तराई एरिया में 6 बजे शाम के बाद 5 बजे सुबह तक आतंकवादियों के हाथ में ही वहां का क्षेत्र रहता है । वहां की पुलिस और प्रशासन पंगु हो गया है । यहां तक कि दो विधायकों को, जैसा माननीय सदस्य रविदास मेहरोत्रा जी ने कहा, उनकी जान को खतरा है ।

आतंकवादियों ने उनको चिट्ठी लिखी है । ये घटनायें धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बढ़ती जा रही हैं । मैं चाहूंगा कि यह भी जांच करा लें कि ए० के० 47 राइफिलें और अन्य उपकरण और शस्त्र उनके पास कहां से आये, जिनका आज खुलेआम उपयोग हो रहा है । हमारी इन्टेलीजेन्स कहीं भी चेक नहीं कर पा रही है । अगर लखनऊ में हुआ है तो आगे भी हो सकता है, पूर्वी जिलों में भी ऐसी घटनायें हो सकती हैं । मैं चाहूंगा कि तत्काल प्रभावी कदम उठाये जायं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके ।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, ग्राह्यता पर पूरी बात सुन ली गयी है, आप बगैर अनुमति के जो भी बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । कृपया बैठ जाएं । माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देने जा रहे हैं, कृपया उसे सुनें ।

नोट--[×××] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[× × × ×]

(व्यवधान)

*मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं व माननीय सदस्यों द्वारा उग्रवादियों के सम्बन्ध में और प्रदेश में आतंकवाद के सम्बन्ध में जो भी बातें यहां जिक्र की गयीं, उसके सम्बन्ध में मैं नेता विरोधी दल को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ सुझाव भी दिये और जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा है, उसे मैं उचित नहीं समझता हूं। यह समस्या देश में कई जगहों पर है, कश्मीर में है और पंजाब में भी है परन्तु यहां पर अभी ऐसी कोई बात नहीं है। आतंकवाद के बारे में यहां पर बढ़ा-चढ़ा कर कहने से इसे और बढ़ावा देना होगा, जिससे जनता में भी भय अधिक बढ़ेगा और इस भय के बढ़ने से किसी को कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। न ही सरकार को और न ही किसी और को। बल्कि ऐसे मौके पर हम सब को एक मत होना चाहिए और इसके निवारण के लिये आप लोगों की जो भी राय होगी, संबंधित विधि परामर्शियों की जो भी राय होंगी, उन पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है। साथ ही आपको यह जानकर खुशी होगी कि लखीमपुर में हमारी पुलिस लगातार ऐसे लोगों से पूरी बहादुरी व साहस के साथ मुकाबला कर रही है और दो आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना भी मिली है। अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। सरकार इस ओर पूरी तरह से विचार गम्भीरता से कर रही है। और आतंकवादियों से पूरी तरह मुकाबला करने के लिए आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिये निर्णय ले लिये गये हैं और उन्हें खरीदकर उपलब्ध भी कराये जा रहे हैं।

पूरे प्रदेश में जहां पर भी इस प्रकार की सूचनायें मिलती हैं, उन पर गम्भीरता से कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्णय ले लिए गये हैं। और दिल्ली में केन्द्र में जो विभाग इन कामों से संबंधित हैं, उनसे बराबर सम्पर्क बना हुआ है, इनसे जो भी सूचना हमारे यहां की मिलती है, उस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और उसके अनुसार पूरी कार्यवाही की जा रही है। लेकिन साथ ही इस ओर आप लोगों के भी पूरे-पूरे सहयोग की आवश्यकता है इसमें राजनीतिक भेदभाव को छोड़ते हुए जितना आप सहयोग हमें देंगे, उसी के साथ हम कठोर कार्यवाही की ओर बढ़ते रहेंगे और यदि इस ओर आपका सहयोग न हुआ बल्कि बढ़ा-चढ़ाकर बातें सामने आयेंगी तो इससे जनता का मनोबल भी टूटेगा और पुलिसकर्मियों का भी साथ ही आतंकवादियों का मनोबल और बढ़ेगा। इसलिये इस संबंध में आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं गम्भीरतापूर्वक उसको हम सुनेंगे और गम्भीरता से उस पर विचार करेंगे।

नोट--[× × ×] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में भीषण महंगाई व्याप्त है और महंगाई से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये सरकार की तरफ से सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं जिसमें सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को महीने में 8 किलो गेहूं, 6 किलो चावल, 900 ग्राम चीनी तथा 6 लीटर मिट्टी का तेल दिये जाने का प्राविधान है, लेकिन इसके बावजूद आये दिन सारे सस्ते गल्ले के दूकानदार मनमाने तरीके से राशन बांट रहे हैं और इनके साथ में खाद्य विभाग और खाद्य-नियंत्रक विभाग की मिली भगत से 8 किलो गेहूं की जगह पर केवल दो-तीन किलो गेहूं, 6 किलो चावल की जगह पर केवल 2 किलो चावल और 900 ग्राम चीनी की जगह पर केवल 700 ग्राम चीनी दी जा रही है और इसी तरीके से मिट्टी के तेल में मनमानी की जा रही है।

खुले बाजार में सामान बहुत महंगा है इसलिए ये दूकानदार खुले बाजार में सारा सामान बेच रहे हैं। जब कम राशन मिलने से गरीब जनता का पेट नहीं भरता है तो वह मजबूर हो कर खुले बाजार से सामान क्रय करती है। जहां आज वर्तमान समय में गेहूं 5 रु0 किलो पहुंच गया है। महंगाई अधिक होने के कारण गरीब जनता अपना पेट भरने में अक्षम है। बिहार में गेहूं महंगा होने के कारण खुले बाजार का अनाज की बिहार तस्करी हो रही है और आपका खाद्य-नियंत्रक विभाग उससे मिला हुआ है। गरीबों के सामने अपना पेट पालने का संकट उत्पन्न हो गया है। मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन के बाद भी आज प्रशासन गरीबों को पेट भरने के लिए पूरी राहत भी नहीं दे पा रहा है अनाज की चोरबाजारी खुले आम हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जनता को सस्ते गल्ले की दूकानों से पूरी की पूरी मात्रा में राशन मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये, आपकी बात को सुन लिया गया है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप बोल रहे हैं, यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के नाम पर कितनी-कितनी बात आप लोग करने लगेंगे ? यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री पंचानन राय--

[× × ×]

(जनता दल के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

नोट--[×××] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय बिमल प्रसाद तिवारी का नाम ले रहा हूं। मुझे बड़ा कष्ट है, आप लोग इतना लाभ न उठायें, समय औरों के लिए भी दें, यह समझ लें। आप सब कृपया बैठ जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं बोल नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब आप बोल नहीं रहे हैं तो आप फिर मेरे कहने से बैठ जायं। मैंने माननीय बिमल प्रसाद तिवारी का नाम ले लिया है, अब मैं आपको कैसे बोलने दूं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं बोल कहां रहा हूं।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, जब ये बोल नहीं रहे हैं तो क्यों सदन के समय का हनन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

रेवती रमण जी आप दल के नेता हैं, जब मैंने विमल प्रसाद तिवारी जी का नाम ले लिया है, तो कम से कम बीच में तो न बोलें। जब वह अपनी बात को समाप्त कर लें, तभी खड़े हों।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना पर उसकी ग्राह्यता पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं इस सम्बन्ध में 2-3 बिन्दुओं पर कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

इनके इस प्रकार के आचरण के कारण ही गम्भीर जन समस्याओं पर विचार नहीं हो सका है। यह इन्हीं के कारण है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अनेक जनपदों में नगरीय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को गेहूं न दिया जाना बहुत ही गम्भीर बात है। यह लोक महत्व का विषय है और इस पर तत्काल चर्चा करानी चाहिए, जिससे पेट की जो आग आज जल रही है, उसे बुझाया जा सके। मान्यवर, शासन की ओर से घोषणा होती है कि सरकारी गोदामों में प्रचुर मात्रा में गेहूं उपलब्ध है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आर० एफ० सी० के यहां से गेहूं का आवंटन किया ही नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर इस तरह की बात होगी तो उसका उत्तर देने के लिये मुझे भी विवश होना पड़ेगा। माननीय वर्मा जी आप एक वर्ष तक मुख्य मंत्री की चमचागिरी कर रहे थे।

(व्यवधान)

माध्यवर, कितनी बदकिस्मती है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। वर्मा जी जब आप का नम्बर आये तो आप बोलें। इस तरह शोर करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। इस सम्बन्ध में एक शेर याद आ गया—

हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम।
यह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती।

(व्यवधान)

माननीय, कितना गम्भीर विषय है। सारे प्रदेश की जनता इससे जुड़ी हुई है। नगरीय क्षेत्र के निवासियों का प्रश्न ह ...

श्री अध्यक्ष—

अब आपकी बात आ गयी। अब अधिक समय नष्ट न करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अगर व्यवधान करके आवाज बन्द करना चाहेंगे, तो मैं भी यही कर सकता हूं। आपकी आज्ञा मिली तभी मैंने बोलना शुरू किया इनको खामोशी से सुनना चाहिये।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह शासन की [××] हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

यह 12 महीने से मुलायम सिंह यादव की [××] रहे और अब यहां पर बैठ कर बिधवा विलाप कर रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष—

शासन की ओर से इस पर कोई उत्तर देना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री जी आपके बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय, इसी सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा तत्काल गरीबों को राहत देने की कार्यवाही की जाय। आज गेहूं के दाम खुले बाजार में 4 रु0 और 5 रु0 हो गये ह, चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकारी गल्ले की दुकानों में गेहूं का दाम दो रुपये पचहत्तर पैसा किलो है।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी बहुत समय आपने ले लिया है

(व्यवधान)

नोट—[××] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपकी बात कार्यवाही में आ गयी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

यह बहुत गम्भीर विषय है इस पर तत्काल समस्त कार्यवाही रोक कर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और आपकी सूचना अस्वीकार हुई । माननीय रेवती रमण सिंह जी आपने बुनकरों के सम्बन्ध में दिया है उस पर कुछ कहना चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी बहुत बुजुर्ग हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा--

हमारी सूचना का क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्याम देव राय चौधरी जी अब आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है और उसे अस्वीकार कर दिया है

(व्यवधान)

दीक्षित जी आपको अब क्या कहना है आप बैठें ।

श्री सुन्दर लाल--

मेरी सूचना का भी ध्यान रखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय विमल प्रसाद तिवारी पुराने सदस्य हैं और बुजुर्ग हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मुझे खेद है...

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी यह उचित नहीं है यह कोई बहस की बात नहीं है, जो वह कहने लगेंगे तो आप भी बोलने लग ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आज से एक साल पहले जनता दल ने, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 हजार रुपया तक के सारे कर्जे माफ कर दिये जायं उसमें खास-कर, किसानों, बुनकरों और छोटे दुकानदारों के कर्जे की बात थी और यह घोषणा-पत्र में भी लिखा गया है कि 2 अक्तूबर 1989 तक के सभी कर्जे माफ होंगे। लेकिन आज पूरे प्रदेश में एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है 80 फीसदी कर्ज माफ नहीं हुये हैं खासकर बैंक आफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक के ज्यादा तर लाभार्थियों से आज भी वसूले जा रहे हैं उनको तहसीलों में बन्द किया जा रहा है। इसमें भी खासतौर पर आई० आर० डी० ए० के कर्जे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिये गये थे उनको बन्द किया जा रहा है। मैं कई जिलों में गया था तो ज्ञात हुआ कि उनके साथ कड़ाई की जा रही है और लोग घर छोड़ कर भागे हुये हैं जबकि घोषणा-पत्र में यह बात थी और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घूम-घूम कर इस बात को कहा था कि 10 हजार रु० तक के कर्जे माफ होंगे चाहे वह किसी बैंक के हों। आज तक वह माफ नहीं हुये हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाय और जो घोषणा-पत्र में वायदा किया है उसे पूरा किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं क्रम से बुला रहा हूं।

*श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं अपने नेता ने जो बातें कही हैं उनको दोहराऊंगा नहीं और संक्षेप में कहूंगा। मान्यवर, जो वायदा किया था 10 हजार रु० तक के कर्ज माफ करेंगे वह माफ नहीं हुये हैं यह बहुत दुखदाई है उससे बड़ी दुखदायी बात यह है कि प्रदेश के किसानों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि कर्ज माफी का मांप-दंड क्या है? इससे स्थिति यह है कि प्रदेश का किसान उस घोषणा को जो चुनाव के समय की गयी थी उसे आधार मानकर देने वाले थे उन्होंने भी उसकी अदायगी नहीं किया। परिणाम-स्वरूप पूरा प्रदेश संकट से घिर गया है। अब बैंक वाले वसूली कलेक्ट्रेट में भेज देते हैं और कलेक्टर के कर्मचारी उनको पकड़ कर, गिरफ्तार कर, जेल में बन्द करते हैं। इससे जो सरकार की स्कीम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं उनको स्वयं पता नहीं कि वह लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं।

अमीन जाते हैं और जो लाभान्वित हो रहे हैं उनसे अलग से धन उगाही करते हैं। जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं वह भी कर्जे का रुपया नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार भयंकर रूप से दोनों प्रकार के लोग पीड़ित हैं। यदि सरकार 2 अक्टूबर, 1989 तक के कर्जे माफ नहीं कर पायेगी तो स्पष्ट रूप से मुख्यालय पर, तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर लिखकर टांगने की व्यवस्था करे कि यह-यह शर्तें हैं और उसके अनुसार कर्जदारों से वसूली होगी और बाकी कर्जदारों से वसूली नहीं होगी जिससे किसान को परेशानी न हो और वसूली भी हो सके।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। ग्राह्यता पर कितना बोलेंगे, आप समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केदार नाथ सिंह---

माननीय, ऐसी स्थिति है जिससे प्रदेश के प्रत्येक गांव और परिवार का व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, इसलिये भयावह स्थिति है, इसलिये सदन का काम रोककर इस पर चर्चा करायें ।

*श्री रमेश करन---

माननीय, मैं अपने नेता की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ से काफी हरिजन, बुनकर लोग आये हैं जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है । माननीय, एक विडम्बना है कि सरकार ने एक कमी छोड़ी है कि जिन छोटे काश्तकारों, मजदूरों और बुनकरों ने कर्जे की एक किश्त जमा कर दिया है उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है । इस समय जो लिस्ट बनी है बैंक वाले उसमें हेराफेरी कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है । इसलिये निवेदन है कि जब मोर्चा की सरकार थी तो उस समय मुख्य मन्त्री ने घूम-घूमकर प्रदेश में कहा था कि 10 हजार रुपये के कर्जे जो बुनकरों, हरिजनों और छोटे काश्तकारों पर हैं वह माफ किये जायेंगे लेकिन उसमें इतनी शर्तें रखी हैं जिससे आज तक कर्जे माफ नहीं हुये हैं, इसलिये यह कर्जे माफ किये जायं और जिससे गरीबों का शोषण बंद हो ।

*श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय, इसी सदन में आय-व्ययक मतदान के समय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि जो कर्जे माफी की घोषणा सदन में किया था वह वी० पी० सिंह के दबाव में किया था, इसलिये निश्चित रूप से यह अवमानना का प्रश्न होता है कि सदन में कहने के बावजूद कर्ज माफ नहीं किया गया जिसके कारण जो किसान, मजदूर और दुकानदार ने वोट दिया था आज वही लोग सरकार के विरुद्ध हो गये हैं । क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था और मोर्चा दल को वोट देकर जिताया था । लेकिन आज वही कांग्रेस के श्री नारायण दत्त तिवारी जो विरोधी दल के नेता हैं, सरकार का सहयोगी दल बना है । सदन के सामने आज ही अनुपूरक अनुदान और बजट प्रस्तुत होने वाला है जिसे सदन में पेशकर सरकार बेकार में फिजूलखर्ची कर रही है । दूसरी तरफ किसानों को तहसील में लाकअप में बन्द किया जा रहा है । इसलिये यह सरकार जो सदन और अपने विधायकों के प्रति जिम्मेदार न हो और कहे कि वी० पी० सिंह के दबाव में आकर कर्ज माफी की घोषणा यहां किया था वह सरकार निकम्मी है, उसको एक दिन भी यहां रहने का औचित्य नहीं है और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय, जो अभी सवाल उठाया कर्ज माफी का, जहां तक उसमें स्पष्ट निदेश का सवाल है, यह स्पष्ट निर्देश न होता तो यह कर्ज माफी कैसे हो गई और प्रमाण-पत्र लोगों को कैसे मिल गए । आज जो लोग बोल रहे हैं, उनके साथ ही माफ किया गया था और प्रमाण-पत्र भी उनके साथ बांटे गए थे । इसे कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि इसमें पहले के प्रधान मन्त्री ने हमें धोखा दिया था और बहुत बड़ा धोखा दिया था और उसके गवाह कुंवर रेवती रमण स्वयं हैं । उन्हीं के सामने फतेहपुर की सभा में उस समय प्रधान मन्त्री थे, हमने कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का यह वायदा है इसको पूरा किया जाए । तो फतेहपुर के डाकबंगला में कुंवर साहब की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आप 50 प्रतिशत कर्ज माफी की घोषणा कर दें, तो हमारा भार कम हो जाएगा, अन्य राज्यों को हमें कम देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो बी० पी० सिंह तो कांग्रेस पार्टी में थे ।

कर्ज माफी का हमारा वायदा था । लेकिन केन्द्र सरकार ने वायदा किया था कि हम पूरा माफ करेंगे और जब 50 प्रतिशत कह दिया तो हमने स्वीकार किया है कि 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार करेगी और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देगी । हमने अपना जो वायदा किया था उसमें राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधान मन्त्री ने हमें पूरा धोखा दिया और एक पैसा भी हमको नहीं दिया गया

(व्यवधान)

पहले भी बता दिया और कहेंगे तो हम फिर बतायेंगे । 20 नवम्बर को बताया था । इतनी बड़ी धोखाधड़ी और कपटी काम किसी ने नहीं किया, जितना प्रधान मन्त्री ने किया । इसके बाद भी 633 करोड़ रुपये के कर्ज उत्तर प्रदेश में माफ किये गए । अब जो वर्तमान सरकार है, वह किसी प्रकार से इसमें हमारी मदद कर रही है । फिर भी जहां विधायकगण यह कहेंगे कि किसी का गलत हो गया या किसी को उस नियम में नहीं आता है, तो हम उस पर विचार कर लेंगे ।.....

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो उल्लेख किया, जहांतक मुझे मालूम है केन्द्रीय बजट में इस बात का प्राविधान किया गया था कर्ज माफी के लिए । न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश में कर्ज माफी के लिए बैंकों से जो ऋण लिया गया था, उसकी पूर्ति के लिए बजट में पूरा प्राविधान किया गया था । आज यह स्पष्ट कर दें पूरे सदन के सामने कि अब आपको इसमें क्या नीति है, और किस तारीख तक के कर्ज इन काश्तकारों माफ किए के आपने हैं ? और किनके नहीं माफ किए हैं ? यह स्पष्ट कर दें तो प्रदेश के सभी किसानों को मालूम हो जायेगा कि कब तक के कर्ज माफ हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह सही है कि यह लोक महत्व से जुड़ा प्रश्न है । इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया, बहुत अच्छा सुझाव दिया है राजनाथ सिंह ने, किन लोगों का कर्जा माफ है इसकी सूची ब्लाक स्तर पर टांग दी जाये तो ठीक रहेगा ।

इन सब सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कहना चाहता हूं साम्प्रदायिक दंगे जो हुए उससे कानपुर बड़ा प्रभावित हुआ । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, कानपुर में एन० टी० सी० और बी० आई० सी० मिले हैं उसमें दंगों के दौरान कर्फ्यू का पैसा दिया गया । दुबारा जब दंगा हुआ तो एन० टी० सी० और बी० आई० सी० के 25 हजार से ज्यादा मजदूर, जो वहां काम करते हैं उनको कर्फ्यू की अवधि का पैसा नहीं दिया गया । श्रम मंत्री ओझा जी बैठे हैं वह श्रमिक नेता रहे हैं पता नहीं किस तरह उनको कह दिया गया कि मजदूरों ने पैसा ले लिया है, लेकिन कर्फ्यू की अवधि का पैसा नहीं दिया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानपुर में एच0 ए0 और ट्रैफ्कों जो हैं यह सरकारी प्रतिष्ठान हैं यहां कर्पयू अवधि का पैसा मजदूरों को नहीं दिया गया । एन0 टी0 सी0 और बी0 आई0 सी0 की जो मिलें हैं यहां मजदूरों व क्लर्कों को पैसा दे दिया गया लेकिन मजदूरों को भुगतान नहीं दिया गया श्रम विभाग ने मालिकों से हाई कोर्ट में रिट दाखिल करा दी । 25 हजार मजदूरों को कर्पयू की अवधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है जिससे कानपुर के मजदूर आन्दोलित हैं । कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है यह गम्भीर मामला है । श्रम मंत्री ओझा जी बैठे हैं, अखबार में निकला कि श्रम मंत्री जी ने कहा है कि कर्पयू अवधि का पैसा दिया जायेगा वहां इनका खूब स्वागत हुआ । इनको माला पहनाई गई, उसके बाद भी मजदूरों को कर्पयू अवधि का पैसा नहीं दिया जा रहा है । मैं इस गम्भीर मामले पर मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय । यह 25 हजार श्रमिकों का मामला है । माननीय मुख्य मन्त्री जो बैठे हैं वह माननीय श्रम मंत्री जी से कर्पयू की अवधि का पैसा दिलाने का आश्वासन दिलायें ।

*श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आश्वासन पहले भी था और आज भी आश्वासन है । शासन ने एक महीने का वेतन दिलाया है । एन0 टी0 सी0 तथा बी0 आई0 सी0 के प्रबंध निदेशक, भारत सरकार के सचिव से इसमें वार्ता चल रही थी, कपड़ा मंत्री जी उस समय उपलब्ध नहीं थे । कामरेड सुभाषिनी अली भी आयीं थीं उनसे तय हुआ कि हम लोग वार्ता करेंगे । लेकिन बदकिस्मती से श्रमिकों ने अर्जित अवकाश के अन्दर समायोजन करा लिया । वेतन जब अर्जित अवकाश में उठा लिया तो वार्ता नहीं हो सकती है । अर्जित अवकाश के अंग्रेस्ट जब समायोजन करा लिया तो जो वार्ता चलनी थी बंद हो गई । वेतन अधिनियम, 1936 में व्यवस्था है कि केवल श्रमिकों को अधिकार है कि वह अपने वेतन का समायोजन करा सकते हैं । अगर श्रमिकों में कोई आक्रोश है अगर श्रमिक समायोजन नहीं कराना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन शासन को भेजें । शासन उस पर विचार करेगा शासन की स्पष्ट नीति है ।

श्री अध्यक्ष—

इसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, जब उनको वेतन नहीं मिल रहा था और वह लोग 4 महीने से भूखों मर रहे थे तो ऐसे में वह क्या करते ।

श्री अध्यक्ष—

श्रम मंत्री जी ने स्पस्ट कहा है कि बी0 आई0 सी0 और एन0 टी0 सी0 भारत सरकार के अंतर्गत हैं । आप प्रतिवेदन दे रहे हैं तो वह प्रयास करेंगे ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैंने दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

दिया हैं तो विचार करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, आप अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुये हैं, आप कानपुर के हैं मैं तो उन्नाव का हूं । इसका असर आप पर भी पड़ेगा । यह समझ लीजिये कि इसका असर आप पर भी पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

वह कह तो रहे हैं कि हमारी नीति श्रमिकों के हित की है इसके आगे वह क्या कहें । उन्होंने आश्वासन दे दिया है ।

श्री मनोहर लाल--

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आश्वासन दे दिया है, आप कार्यवाही देख लें ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, 11/12 की रात को प्रदेश के मऊ जनपद में एक इंटर कालेज की महिला प्रधानाचार्या की विद्यालय के प्रांगण में हत्या कर दी गई । प्रदेश में यह पहली घटना है कि किसी महिला प्रधानाचार्या की प्रबंधकीय विवाद में विद्यालय के प्रांगण में हत्या कर दी गई है । श्रीमती प्रमिला सिंह, एस० जी० डी० सिंहल बालिका इंटर कालेज, जनपद मऊ की प्रधानाचार्या थीं । वह गर्भवती थीं, उनकी हत्या कर दी गई । मऊ के पुलिस अधीक्षक से मैं मिला, उन्होंने कहा कि अपराधियों की हमें जानकारी है लेकिन अभी तक किसी अपराधी को राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । प्रदेश में आज तक किसी महिला प्रधानाचार्या की विद्यालय में हत्या नहीं हुई है । एक हफ्ते से ज्यादा बीत गया है ।

मऊ जिले के सभी विद्यालय बंद हैं और सभी अध्यापक आंदोलित हैं । एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया । इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि शिक्षकों और प्रधानाचार्या की प्रबंधकीय विवाद में हत्या हो । एक प्रबंधक जो जो दिवंगत हो गये हैं उनके 2 बेटे और सगे भाई प्रबंधक पद के लिये झगड़ा कर रहे हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं । एक भाई ने प्रधानाचार्या से जबरदस्ती रात में अपने पत्र पर हस्ताक्षर कराने की चेष्टा की और प्रधानाचार्या की कार्यालय में हत्या कर दी गई । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करें । जो हत्यारे हैं वह तत्काल गिरफ्तार किये जायें और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाये और सदन का काम रोक कर चर्चा कराई जाये ।

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, माननीय राय साहब ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत दुखद और गंभीर है । किसी भी प्रधानाचार्या की इस तरह की निर्मम हत्या निंदनीय है । इस सम्बन्ध में राय साहब को मालूम होगा कि इस परिवार से हम लोगों का भी सम्बन्ध रहा है। अभी पूरी सूचना हमारे पास नहीं आ पाई है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर आप वक्तव्य स्वीकार कर लें । उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जायेगी और आज ही प्रभावी निर्देश दे दिये जायेंगे कि हत्यारों की किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी हो ।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना अस्वीकार है । माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुरूप कार्यवाही होगी ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, यह सूचना प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करने की दिशा में जो सरकार ने कदम उठाया है, उससे सम्बन्धित है । मान्यवर, चलचित्र निगम खत्म हुआ, हार्टिको खत्म हुआ, अब धीरे-धीरे एक के बाद एक निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है और इसको बड़े-बड़े जो पूंजीपति हैं, उनके हवाले किया जा रहा है । मान्यवर, सीमेण्ट कारपोरेशन जहां तक हम लोगों को सूचना प्राप्त है, उसको भी विष्णुहरी डालमियां जो विश्व हिन्दू परिषद् के उपाध्यक्ष हैं, उनके आदमी के हाथों बेचा जा रहा है । उसके जो सैकड़ों श्रमिक, कर्मचारी और मजदूर थे, वे आज बरोजगारी के कगार पर खड़े हो गये । उसी प्रकार से प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर को बेचा जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है । वहां पर मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है । तीसरी बात जो बिजली के जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठान हैं, उसको भी व्यक्तिगत हाथों में दिये जाने का सरकार द्वारा निर्णय हो रहा है । इस तरह से धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के महत्व को छोड़ कर, सब धीरे-धीरे पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है ।

मान्यवर, इन मजदूरों, कर्मचारियों के शोषण के कारण इन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हुई थी, लेकिन आज ये सब निगम और सार्वजनिक उपक्रम कुचले जा रहे हैं । देश में एक बेरोजगारों की पलटन खड़ी होने जा रही है । मान्यवर, जब यह सरकार कह रही है कि एक परिवार में एक को रोजगार देंगे, वहीं पर हमारे प्रदेश में इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका मुकाबिला करना सरकार के बूते के बाहर हो जायेगा । इस तरह से अगर हमारे इन पब्लिक सेक्टरों को बेंच दिया गया, तो फिर रह ही क्या जायगा करने के लिए, बावजूद इसके कि हर पब्लिक सेक्टर के अन्दर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े-बड़े अधिकारियों के कारण, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह सरकार असमर्थ है, जिनके कारण ये निगम समाप्त हुए । आटो ट्रैक्टर की जांच बैठाने के बावजूद आप उसको पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं, जो देश को चौपट करने वाले लोग हैं । मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर आप चर्चा करा दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह जो निजीकरण, ज्वाइंट सेक्टर का काम शुरू हो रहा है, मान्यवर, पब्लिक सेक्टर में उन निगमों को जो निगम सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे और जिसको सरकार ने निर्णय लिया था कि इनको हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे या ज्वाइंट सेक्टर को देंगे, उसमें एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सीमेंट कारपोरेशन को भारत सरकार का सीमेंट निगम इसको खरीदना चाहता है और उसके लिए दो बार बात भी हुई उत्तर प्रदेश सरकार की । अगर सीमेंट कारपोरेशन, भारत सरकार की जो उपक्रम है, उसमें अगर बातचीत हुई थी, तो उसे न देकर एक प्राइवेट पूंजीपति को देने के लिए सरकार बाध्य है । 9 करोड़ रुपये घाटे के बावजूद भी सीमेंट कारपोरेशन ने सेल्स टैक्स के रूप में इस सरकार को दिया है और यह प्रावधान कर दिया गया है कि 5 साल तक कोई सेल्सटैक्स नहीं लिया जायगा । तो मान्यवर, इतना बड़ा लाभ एकदम से उस पूंजीपति को कर दिया गया और जब भारत सरकार का उपक्रम उसको लेने के लिए तैयार था । मान्यवर, सीमेंट कारपोरेशन जिसका काम इतना अच्छा चल रहा है, उसे न बेच कर उसे पूंजीपतियों को बेचने का क्या तात्पर्य है ?

(समय 2 बज कर 20 मिनट)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आटो ट्रैक्टर्स का भी है ।

श्री अध्यक्ष—

ग्राह्यता पर बोलने की बात है, चर्चा तो हो नहीं रही है जिसने इसको उठाया था उनको सुन लिया आप खड़े हो गये आपको सुन लिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इसी तरह से सिपानी को आटो ट्रैक्टर्स बेंचा जा रहा है यह मद्रास की कम्पनी है और बहुत ही बदनाम कम्पनी है । उसने कहा कि हम मान्टोना और डालफिन कारें निकालेंगे लेकिन आज तक वह कारें सड़क पर नहीं आई और आई भी तो चली नहीं उसने अपने एजेन्टों से बड़ी तादाद में पैसा ले लिया और उनका पैसा नहीं लौटाया । यह बड़ी बदनाम फर्म है, उसको इसे देने का क्या कारण है ? जबकि एच० एम० टी० का 98 फीसदी मशीनरी और पैसा उसमें लगा हुआ है और एच० एम० टी० उसे लेना भी चाहती है फिर भी उसको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय राजकिशोर सिंह जी ने और नेता जनतादल ने यहां पर प्रश्न उठाया है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निजी क्षेत्र में दिये जा रहें हैं । राजकिशोर सिंह जी की बात तो समझ में आती है लेकिन हमने पहले भी कहा था और फिर हम कह रहे हैं और नेता जनता दल से अनुरोध कर रहा हूं कि जिस काम में आप खुद सरीक हुआ करें उसकी आलोचना कुर्सी बदल जाय तो न किया करें । यह जो निर्णय लिया गया है 4 सार्वजनिक उपक्रमों को उ० प्र० सीमेन्ट निगम, आटो ट्रैक्टर्स लि०, यू० पी० हार्टिको और उ० प्र० चलचित्र निगम यह सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है इस सदन का फैसला है ।

जब गतवर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि घाटे में चल रहे उपक्रमों के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों का गहन अध्ययन किया जायेगा और जिन इकाइयों का चलाना लाभप्रद नहीं समझा जायेगा उनके संविलयन, पुनर्गठन, संयुक्त क्षेत्र में संचालन, निजीकरण अथवा परिसमापन के विकल्पों पर विचार किया जायेगा, वह बजट आपकी राय से स्वीकार किया गया था । ताज्जुब तो राजकिशोर सिंह जी के प्रश्न से होता है कि उस बजट का समर्थन राज किशोर सिंह जी ने भी किया था । मान्यवर, यह 4 सार्वजनिक उपक्रम हैं इनकी स्थिति है—उ० प्र० सीमेन्ट निगम अंशपूंजी 68—28 और संचित हानि 155.26 आटो ट्रैक्टर्स लि० अंश पूंजी 7.50 और संचित हानि 54.67, यू० पी० हार्टिको की अंशपूंजी 6.70 और संचित हानि 8.08 तथा यू० पी० चलचित्र निगम की अंशपूंजी 7.45 और संचित हानि 6.87 करोड़ रुपये है । इन पर विचार करने की बात मैं समझता हूं कि यह विचार जब माननीय नेता जनतादल सरकार में थे तो उनके समय ही इस पर विचार हो गया था कि इनको संयुक्त क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में दे दिया जाय ।

जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा या तो उनको एब्जार्ब किया जायेगा या जो भी श्रम विधियां हैं उनके अनुसार उनको मुआवजा दिया जायेगा उसमें कोई कमी हम नहीं रखेंगे । यह हम लोगों का फैसला नहीं है इस सदन द्वारा अनुमोदित जो पिछले वर्ष का बजट था उसमें हम लोगों ने उल्लेख किया था जिसमें कुंवर रेवती रमण सिंह जी भी थे और जिनका राजकिशोर

सिंह जी ने समर्थन किया था उसके अनुसार कार्यवाही की गयी है। हमारा मानना है कि जो घाटे में उपक्रम चल रहें हैं अगर उनको निजी क्षेत्र में नहीं दिया जायेगा तो इस प्रदेश का आर्थिक ढांचा इतना कमजोर हो जायेगा कि हमारे प्रदेश के विकास की गति पर उसका प्रभाव पड़ेगा और हम विकास के क्षेत्र में पिछड़ते जायेंगे। हम इसके पक्षधर नहीं थे कि राजनीतिक रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाय लेकिन मुझे 40–45 साल का अनुभव है कि जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र हैं वह क्यों घाटे में जा रहे हैं।

जो आपके प्रदेश को आमदनी होती है, उसी अनुपात में केन्द्रीय सहायता मिलती है।

इस तरह से प्रतिवर्ष यदि आमदनी घटती जायेगी तो केन्द्रीय सहायता कम मिलेगी (बिजली चली गयी) विकास की गति पिछड़ती जायगी। यह कोई आलोचना का विषय नहीं है। हर मामले को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। सरकार क्या कर रही है, केवल उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। जब आप सरकार में थे, तब आप औचित्य मानते थे, अब आलोचना कर रहे हैं। श्रीमन्, सरकार का निश्चित मत है कि जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो घाटे में चल रहे हैं, जिनका अंशपूंजी से ज्यादा घाटा है, उनके बारे में विचार किया जाना चाहिये। इस प्रदेश के गरीबों की खून पसीने की कमाई उसमें लगाई जाय या दूसरे कामों में लगाई जाय? उसको निजी क्षेत्र में क्यों नहीं दिया जायगा। सरकार ने जो निर्णय लिया है, ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय नेता जनता दल ने कहा कि बिक्री-कर माफ कर दिया है, जो रुग्ण इकाइयां होती हैं, उनको स्थगित किया जाता है। स्थगित किया गया है। एच0 एम0 टी0 ने कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई प्रमाण दे सकें तो दें। जहां तक सीमेंट कार्पोरेशन का सवाल है, भारत सरकार के, उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। यह असत्य और निराधार है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह वेलफेयर स्टेट है। इसमें ऐसा कोई निर्णय दे दें कि ईस्ट इंडिया कम्पनी जैसी कोई कम्पनी बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकार किया। इसके अलावा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री यदुनाथ सिंह, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री ऊबल, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री धर्मज्ञ मिश्रा, श्री सुन्दर लाल व श्री भारत सिंह रावत की सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपने नियम बनाए हैं कि 5 सूचनाएं सुनी जाएंगी, सुन ली गयीं। अब कोई चना नहीं सुनी जायगी। कोई बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या--1 आबकारी विभाग

लोक निर्माण विभाग संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा—)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,56,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

लखनऊ के दयानिधान पार्क में जनता दल के जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आप इस तरह से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालेंगे तो ठीक नहीं है मैं इंगित कर सकता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप इंगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आज दया निधान पार्क से युवा जनता के लोग काम के अधिकार को लेकर और जो इस समय प्रदेश में तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं । जो अपराधीकरण है, उसको लेकर वह लोग जुलूस निकाल रहे थे । जैसे ही वह जुलूस दयानिधान पार्क से निकला, पुलिस ने उस पर बर्बर लाठीचार्ज किया । उसमें श्री मुख्तार अनीस जो जनता दल के उप नेता हैं उनके हाथ पैर में चोट लगी है । श्री समरपाल सिंह जो एम0 एल0 सी0 हैं उनके सिर में चोट लगी है । श्री लालराम हरिजन हैं उनको चोट लगी ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है यह बात शासन के संज्ञान में आ गयी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

श्री चन्द्रपाल ब्लाक प्रमुख फतेहपुर के हैं उनको चोटें आयी हैं, श्री संगम शाही घायल हो गये हैं । इस तरह से लगभग डेढ़ सौ कार्यकर्ता घायल हो गये हैं ।

(जनता दल की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय, इन लोगों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया और उनको बस में बिठाकर ले जाया गया । फिर रास्ते में बस को रोककर फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया । माननीय, माननीय मुख्तार अनीस जो इस सदन के सदस्य हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रेवती रमन सिंह जी आपकी बात आ गयी, अब आप बैठें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, यह लोग परमिशन लेकर मीटिंग किये थे और परमिशन लेकर जुलूस निकाल रहे थे, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये उनको मुअत्तल करना चाहिये उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रेवती रमण जी आपकी बात सदन में आ गयी, सरकार के संज्ञान में आ गयी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय मुख्तार अनीस इस सदन के सदस्य हैं, इस पर सरकार कुछ कहे कि क्या करने जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात सरकार के संज्ञान में आ गयी, शासन कार्यवाही करे मैं उसमें क्या कहूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

सरकार इस पर कुछ कहे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रेवती रमण जो नियम के अनुसार ही तो कार्य करेंगे । आपकी बात सदन में आ गयी, सरकार के संज्ञान में आ गयी । शासन की तरफ से खड़े होकर कोई कहना चाहे तो कह देगा, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

अब मैं मद संख्या--13 में जाता हूं ।

(और व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा--

माननीय, आप सुन लें ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या—13

लोक निर्माण विभाग संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय, यह तो मैंने पढ़ दिया, पुनः पढ़े दे रहा हूं ।

मद संख्या—13 (1) आबकारी विभाग ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,56,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, आपका भाषण पहले होना था, कुछ बोलना है ।

नहीं बोलना है ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,56,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

(श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मूल चन्द आदि जनता दल के अनेक माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े रहकर नारे लगाने लगे "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी"।)

(घोर व्यवधान)

13 (2)—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)—

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 10,25,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष (1990-91) के लिए स्वीकार की जाये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—2 आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 10,25,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रविदास मेहरोत्रा सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव

(श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मूल चन्द आदि जनता दल के अनेक सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं श्री रविदास मेहरोत्रा को आज की सदन की कार्यवाही से निलम्बित किये जाने हेतु इंगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण विभाग संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री रविदास मेहरोत्रा को आज की सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री शारदा प्रताप शुक्ला, श्री मूल चन्द व जनता दल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारा लगाने लग "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी") ।

(घोर व्यवधान)

(श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री शारदा प्रताप शुक्ला, श्री मूल चन्द व जनता दल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी") ।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें ।

(श्री रविदास मेहरोत्रा को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री शारदा प्रताप शुक्ला, सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं श्री शारदा प्रताप शुक्ला को आज की सदन की कार्यवाही से निलम्बित किये जाने हेतु इंगित करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शारदा प्रताप शुक्ला को आज की सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें ।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ला को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

(जनता दल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहकर नारे लगाते रहे— 'लाठी गोली की यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी")

(घोर-व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री सोमांश प्रकाश, श्री किरनपाल सिंह, श्री नरेन्द्रपाल सिंह, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री बदन सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री विश्राम दास, श्री जी० एस० विनोद, श्री रमेश किरन, श्री हरिवंश सहाय, श्री सुखबीर सिंह गहलौत, श्री होशियार सिंह, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश दिवाकर तथा श्रीमती गौरी देवी, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं श्री मूल चन्द्र व उनके साथ बैठे साथियों को इंगित करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मूलचन्द्र व उनके साथ बैठे साथियों को सदन की आज की शेष कार्यवाही के लिए निलम्बित कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो नं जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, कृपया तदनुसार कार्यवाही करें :

(श्री मूलचन्द्र, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री सोमांश प्रकाश, श्री किरनपाल सिंह, श्री नरेन्द्र पाल सिंह, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री बदन सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री विश्राम दास, श्री जी० एस० विनोद, श्री रमेश करन, श्री हरिवंश सहाय, श्री सुखबीर सिंह गहलौत, श्री होशियार सिंह, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश दिवाकर तथा श्रीमती गौरी देवी को सदन के बाहर ले जाया गया) ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री वर्मा जी, अपनी बात कहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इन माननीय सदस्यों को आज तक निलम्बित करने का प्रस्ताव किया और आपने इस प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया कि इन लोगों को पूरे सदन के लिये निलम्बित किया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से आप सहमत थे, या आपने कोई दूसरा प्रस्ताव किया है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव किया है, जो पारित हुआ है, वही मूल प्रस्ताव है । यदि इस शोरगुल में कोई बात अलग हो गई हो, तो वह सही नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव ही मूल प्रस्ताव है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय, मेरा प्रस्ताव वही था, जो आपका आशय था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय, आज पूरे दिन के लिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री कुंवर रेवती रमण सिंह व उनके साथ दल के अन्य सदस्य सदन के बाहर चले गये) ।

विसीय वष 1990-91 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या--3 के आवास तथा नगर विकास विभाग

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत 1,17,39,78,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत 1,17,39,78,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 2,62,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 2,62,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 10,25,31,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 10,25,31,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 9,63,29,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 9,63,29,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 56,57,86,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 56,57,86,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 6,75,15,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 6,75,15,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल का सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 25,00,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 25,00,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,25,75,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,25,75,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)—

"माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 5,03,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 5,03,58,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री चौधरी शंकर सिंह)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 27,49,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 27,49,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 39,99,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 39,99,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज्य) के अन्तर्गत 29,88,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 29,88,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री जमुना प्रसाद बोस)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,41,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,41,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कुक्कुटशाला विकास)

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कुक्कुटशाला विकास) के अन्तर्गत 3,05,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कुक्कुटशाला विकास) के अन्तर्गत 3,05,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

श्री जमुना प्रसाद बोस--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (वत्स्य) के अन्तर्गत 1,49,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,49,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 74,85,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 74,85,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 12,64,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 12,64,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 74,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 74,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--खाद्य एवं रसद विभाग

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 7,59,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 7,59,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--खेल विभाग

सांस्कृतिक कार्य एवं खेलकूद मंत्री (श्री सरदार सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--खेल विभाग के अन्तर्गत 92,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—खेल विभाग के अन्तर्गत 92,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,04,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,04,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार)

होमगार्ड्स उपमंत्री (श्री राम करन आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 11,62,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 11,62,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27---गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 43,14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 43,14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

श्री राम करन आर्य---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28---गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,23,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28---गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,23,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

श्री राम करन आर्य---

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29---गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 21,90,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29---गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 21,90,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30---गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना तथा अन्य व्यय)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30---गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री माता प्रसाद पान्डे)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 20,93,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 20,93,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

श्री माता प्रसाद पान्डे--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 58,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत 58,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 41,75,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 41,75,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 6,76,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 6,76,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 7,65,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 7,65,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग

नियोजन एवं 21 सूत्रीय कार्यक्रम मन्त्री (श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)--

म श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 27,39,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 27,39,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग के अन्तर्गत 75,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग के अन्तर्गत 75,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग

परिवहन मन्त्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से और श्री
हूं कि अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत रुपये की अनुपूरक
मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,76,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,08,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,08,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थति किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा विज्ञान एवं प्रोद्योग मन्त्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,69,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,69,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47--पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बर्फिया लाल जुंवाठा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 44,76,39,000 रुपये की नुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 46,76,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री सन्त बख्श रावत)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 28,03,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 28,03,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

श्री सन्त बख्श रावत—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 45,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 45,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990—91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

श्री संत बख्श रावत—

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 15,59,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 15,59,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री मगौती सिंह)—

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 1,02,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54—वन विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की शिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—वन विभाग के अन्तर्गत 13,33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—वन विभाग के अन्तर्गत 13,33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की शिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (कोषागार तथा सेवा प्रशासन) के अन्तर्गत 24,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 24,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 10,45,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 10,45,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय वित्त मंत्री (श्री बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 11,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 11,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

श्री बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61--विधान परिषद् सचिवालय

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 17,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 17,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62--विधान सभा सचिवालय

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 56,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 56,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63--विधायी, एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत 50,00,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

श्री विक्रमादित्य पाण्डे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 91,00,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 91,00,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,90,18,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,90,18,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

(अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा)

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से वह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 92,25,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 92,25,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 31,43,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 31,43,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 9,84,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 9,84,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 69--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, म आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 4,40,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 4,40,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम राज्य मन्त्री (श्री दीप चन्द्र सोनकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 75,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 75,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71—श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,80,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग वित्तीय संख्या 71—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,80,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 11,48,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 11,48,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 10,06,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 10,06,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,65,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,65,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 17,09,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 17,09,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री बाबू राम यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 4,40,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, 1990-91 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 4,40,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 80--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

श्री बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 27,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 27,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

श्री बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,21,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,21,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

श्री बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 3,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 3,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 83--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

श्री बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,41,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,41,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 84--सचिवालय प्रशासन विभाग

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,14,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,14,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 85--सतर्कता विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 29,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 29,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 86--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 3,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 3,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 87--सांस्कृतिक कार्य विभाग

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,00,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,00,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 88--सामान्य प्रशासन विभाग

श्री अशोक बाजपेयी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,31,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,31,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 90--सूचना विभाग

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90-सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,77,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90-सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,77,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 91--सैनिक कल्याण विभाग

श्री अवधेश प्रसाद---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91---सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 28,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 28,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 16,58,65, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 16,58,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 93—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 2,33,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 2,33,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 94—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 5,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 5,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(मद संख्या 16 पुकारे जाने पर)

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, इस विधेयक के माध्यम से शासन को एक हजार सात सौ बयालिस करोड़ सत्तासी लाख रुपये के लगभग विनियोग करने का अधिकार दिया जा रहा है । अभी जो अनुदान इस कुल मद से संबंधित हैं, उन अनुदानों को बिना विवाद के सदन में पारित किया गया और यह अपने में एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि कुछ न कुछ विवाद किसी न किसी मुद्दे में सदा होता रहा । लेकिन, इस बार बिना किसी विवाद के सभी अनुदान पारित हुए । यह एक तरफ चिंतनीय भी है और दूसरी तरफ स्वागत योग्य भी है । चिंतनीय इसलिये है कि मुझ जैसे पुराने सदन के सेवक को यह देखकर चिंता होती है कि अनुपूरक बजट और बजट जैसे मुख्य विषय पर हम चर्चा किसी न किसी कारण, रचनात्मक चर्चा करने में अपने को समर्थ नहीं पाते, यह देखकर चिंता होती है, दुख भी होता है, क्योंकि श्रीमन्, कोई भी सदन संसार का हो, जितने भी प्रजातांत्रिक सदन हैं, वहां पर आय-व्ययक, बजट, एक ऐसा अवसर होता है ।

बजट का पारण, जिसमें माननीय सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों, मण्डलों, प्रदेश और यहां तक कि प्रदेश के संदर्भ में देश की समस्याओं पर भी विचारों का अवदान प्रदान करने का अवसर मिलता है । प्रभावी ढंग से शासन को प्रभावित करने का अवसर मिलता है । कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गयी हैं कि सदन अधिक नहीं चल पाता । सदन में अधिक गम्भीर चर्चा नहीं हो पाती है । ऐसा वातावरण हो जाता है कि सदन कदम से कम चले, ऐसी स्थिति हो जाती है, जबकि होना इसके ठीक विपरीत चाहिये । होना यह चाहिए कि सदन अधिक से अधिक चले और प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिक से अधिक अवसर मिले । यह एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में गम्भीर चिंतन करने की आवश्यकता है । हम घटनाओं पर अधिक समय देते हैं लेकिन गम्भीर विषयों पर चर्चा नहीं कर पाते । मैं इस विधेयक पर विचार करते समय नम्रता-पूर्वक आग्रह करूंगा कि इस सदन में जबकि आज मुख्य बजट आने वाला है, हम इसकी प्रत्येक अनुदानों पर इस तरह से गम्भीर चर्चा करें कि जो पुराना इतिहास है, उसको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे, जिससे प्रतिदिन अनुदानों पर चर्चा हो सके । सरकार की प्रखर आलोचना हो और उससे जो विचार मंथन हो, उससे कार्यक्रमों का नवनीत निकले, कार्यान्वयन का नवनीत निकले और सही माने में हम अपने प्रतिनिधि होने को सार्थक कर सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आशा ह कि मुझे पुराने सेवक का यह आग्रह आप लोग स्वीकार करेंगे और यह विचार करेंगे कि जो एक महीने के लगभग बजट चले तो उसमें हम प्रत्येक अनुदान पर पूरा समय देकर उस पर विचार करें, चर्चा करें। विवाद में भाग लें। श्रीमन्, यह एक बात इस विधेयक को देखने से लगती है कि 1742 करोड़ रुपया खर्च करने का शासन को अधिकार दे रहे हैं। इसमें तीन प्रकार के खर्च की व्यवस्था है। एक तो जो खर्च हो चुका है, बहुत से ऐसे खर्च हैं जो एक डेढ़ साल पहले खर्च हो चुके हैं, लेकिन वह अनुपूरक अनुदानों में नहीं आ सके। आकस्मिकता निधि से ले लिये और खर्च हो गये। दूसरा खर्च वह है जिसका पिछले साल के बजट में प्राविधान किया गया था, लेकिन कम पड़ गया, उसको पूरा करने के लिए व्यवस्था की गयी है। तीसरा वह खर्च है जो बिलकुल नया खर्च है, जिसकी अभी तक व्यवस्था नहीं है जब इन तीन प्रकार के व्ययों को देखते हैं तो दो व्यय, मुख्य रूप से सरकार से कहना चाहूंगा कि दो व्यय पर मुख्य रूप से निगाह रखें। क्योंकि, वर्ष का केवल डेढ़ महीना रह गया है।

अब हमारा अनुभव बताता है कि बहुत सा धन जो मार्च के महीने में खर्च किया जाता है, ठीक से खर्च नहीं हो पाता है। पुराना अनुभव हमें भी है, जो शासन में हैं उनको अवश्य होगा, सभी दल के लोगों को होगा, सभी दल किसी न किसी रूप में शासन में रह चुके हैं। यह मार्च का खर्च है, जब इतने मन्त्री हमारे सौभाग्य से बने हुए हैं, उन मंत्रियों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने-अपने विभाग को अधिक सतर्कता से देखें और यह देखें कि खर्च ठीक हो। कुछ खर्च पी० एल० ए० में जमा होता है, यह भी बाध्यता है मैं पी० एल० ए० के पक्ष में नहीं हूं, पर्सनल लेजर एकाउन्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी स्थिति है वेज एण्ड मीन्स की ओवर ड्राफ्ट न हो जाये, ज्यादा रिजर्व बैंक रुपया न रोक दे, रिजर्व फंड के रूप में कभी-कभी पी० एल० ए० में जमा हो जाता है।

राज्य की बदनामी न हो इसलिए पी० एल० ए० को बफर के रूप में स्वीकार करना पड़ा, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन पी० एल० ए० का रुपया है हर विभाग में, पी० एल० ए० बजट से बाहर निकल जाता है, विभागों के पास पहुंच जाता है, फिर यह जांच करना कठिन हो जाता है कि जो मदें पी० एल० ए० के अन्तर्गत खर्च हो रही हैं, कौन सी नयी मदें और हैं, कभी-कभी जिला स्तर पर मंडलीय स्तर पर, कोई निरंकुश अधिकारी दुरुपयोग कर सकता है इस प्रकार के धन का इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है और जो मार्च महीने का खर्च है, हमारा यह प्रयास रहता है, प्रयास रहने के बाद भी यह कमी दिखाई देती है, विभाग ठीक से खर्च नहीं कर पाते हैं फिर मानिटरिंग करते हैं और हमारी मानिटरिंग में बुनियादी कमी है।

जिलों में जाते हैं, अधिकारियों की बैठक करते हैं, बैठकें कैसे करते हैं, जो हमें आंकड़े दिये जाते हैं खर्च के मिसाल के तौर पर, पूछा कि खर्च हो गया, रुपया कहा गया कि खर्च हो गया, पूछा गया कितना रुपया था, कहा गया हमारे जिले में इस मद में 2 करोड़ रु० था, कितना खर्च हुआ, कहा कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख खर्च हो गया, बहुत अच्छा, बाकी 90 लाख, उन्होंने कहा यह भी हो जायेगा। खर्च की मानिटरिंग क्वालिटी की मानिटरिंग नहीं है, गुणात्मक मानिटरिंग नहीं है, फिजिकल प्रोग्रेस, जब हम यह नहीं देखेंगे कि वास्तविक योजनाओं में क्या कार्य हुआ है गुणात्मकता के आधार पर हुआ या नहीं। जब तक खाली रुपये की मानिटरिंग को ही मान लेंगे तो नहीं हो पायेगा। क्या लक्ष्य था, क्या योजना था क्या खर्च हुआ क्या प्राप्ति हुई। केवल रुपये के खर्च के आधार पर प्रतिशत को बढ़ाना यह किसी भी शासन के लिए उचित नहीं है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि बगैर बड़े अधिकारियों की मीटिंग के एक-एक विभाग को लें, एक-एक सड़क लें खर्च की मानिटरिंग और फिजिकल मानिटरिंग हो यानी वास्तविक रूप से कितना उपयोग हुआ है क्वालिटी के रूप में हुआ है या नहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी देखें, यह आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में मुझे एक शिकायत है माननीय मुख्य मन्त्री जी आपके शासन से वीरे हो रहे हैं शासन के मन्त्रियों के, आपने जरूर किया होगा, मुझे जानकारी नहीं है मैं बहुत समय तक बाहर था, बड़े-बड़े प्रोजेक्टों में उन प्रोजेक्टों को देखने की उनके डिटेल में जाने की उनके व्योरे मे जाने की कोशिश कम हो रही है। मिसाल के लिए शारदा सहायक योजना, सवा हजार करोड़ रु0 की और जिसने पूर्वांचल का कांया पलट किया है, उत्तर प्रदेश में साढ़े चार प्रतिशत के आधार पर अनाज आदि की पैदावार बढ़ी है, धान की पैदावार बढ़ी है प्रत्येक वर्ष में विश्व बैंक को रिपोर्ट है उसका मुख्य कारण शारदा सहायक योजना है, उसका पानी कितने खेतों तक पहुंच पाया है, हर जिले में कहां-कहां तक पहुंच पाया है, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जो इतना बड़ा मंत्रालय है, उनके मंत्री से कहूंगा कि इसको देखें हर जिले में देखें जनरल मीटिंग कर लें कमांड एरिया की बैठक हो, प्रतापगढ़ में साढ़े पांच लाख सिचाई होनी थी। आजमगढ़ जिले में 5 लाख एकड़ सिचाई होनी चाहिए। मुझे याद है जब हम इस सदन की सेवा में थे, उस समय मुश्किल से 2 लाख तक पहुंच पाता था। कारण क्या था। कारण यह था कि उस जमाने में कुलाबे नहीं बने थे, कुलाबे का चुनाव नहीं हुआ था जो पहले खेत में आते थे उसमें पानी चला जाता था। आज भी हमें देखना होगा कि चाहे शारदा सहायक हो या राम गंगा हो इसका पानी कहां-कहां कितने जिलों में पहुंचा है। आज माननीय सिचाई मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोनीटरिंग होनी चाहिए गंगा कैनाल की। आज इतने बड़े-बड़े आन्दोलन चल रहे हैं। सबसे बड़ा किसानों के हितों का आन्दोलन चल रहा है।

वर्ल्ड बैंक से 12 करोड़ रुपया लिया है। इसके अन्तर्गत गंगा कैनाल की लाइनिंग होनी चाहिए और यह लाइनिंग पक्की होनी चाहिये। यदि यह लाइनिंग पक्की हुई तो इससे निश्चय ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की कांया पलट हो जायेगी। अगर दो और उपहार योजना आ जायेगी तो उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश लहलहा उठेगा। तो इसकी मोनीटरिंग होनी चाहिए। मैं जब इस सदन की सेवा में था तो उस समय मैंने मोनीटरिंग करने की कोशिश की थी। साढ़े बारह घंटे तक मीटिंग चली लेकिन फिर पूरी तरह से मोनीटरिंग नहीं हो पायी। जो आपका सरयू प्रोजेक्ट है, जो गण्डक, बहराइच, बस्ती के एक तरफ से आती है, को भी बढ़ाया जाय तो उससे सरयू का पानी बढ़ सकता है, उसकी कोशिश की जानी चाहिए। आज हमारी जो आनपारा योजना है क्या उसकी मोनीटरिंग हुई है। राजघाट बुन्देलखण्ड के विकास की कुंजी है। मैं अभी राजघाट गया था तो मुझे वहां के अधिकारियों ने बताया कि डेढ़ साल से वहां कोई भी नहीं आया है। आज आप आये हैं तो यह सुनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे जो कुन्जियां जैसे राजघाट है हिहरी है, किसाऊ है, यह जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्हें देखने की आवश्यकता है।

आई0 टी0 आई0 जो हमारा ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट है, उनकी स्कीम की मोनिटरिंग हुई है। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि आई0 टी0 आई0 में जो मशीनें आ रही हैं वह कहां से आ रही हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। आज टेक्नोलोजी काफी एडवान्स हो गयी है परन्तु अभी भी आपके पास वही पुरानी मशीनें ही उपलब्ध है तो इस पर हमें ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यदि यह टेक्नोलोजी में पिछड़ा रहेगा तो फिर इस प्रदेश का विकास कैसे सम्भव हो पायेगा। मुझे मालूम हुआ है कि आज पोलिटेक्निक में छात्रों को उन्हीं 50-60 वर्ष पुरानी मशीनों से सिखाया जा रहा है तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय श्रम मन्त्री जी स्वयं इसको जाकर देखें कि क्या हो रहा है। अच्छी क्वालिटी की मशीनें उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं। तो इससे यह होगा कि

अधिकारियों का भी उत्साह बढ़ेगा जब हम इस दृष्टिकोण से खर्चे की मोनिटरिंग करेंगे - श्रीमन् दूसरी बात है पुलिस के उपकरणों के बारे में मैं यह जरूर सुझाव दूंगा कि पुलिस के उपकरणों को आधुनिकतम बनाने के बारे में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाना चाहिये, जो विश्लेषण करें कि हमारी पुलिस के पास कौन से उपकरण हैं और उसे किस तरह उपकरण दिये जाने चाहिए। इस ग्रुप में रिटायर्ड लोग भी हों, भारत सरकार के भी हों जो यह देखें कि आजकल की आवश्यकता के अनुरूप क्या इक्यूपमेंट पुलिस के पास होने चाहिए। हमारे पास पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन वह भी अब पुरानी पड़ चुकी है। पुलिस की ट्रेनिंग के सेलेबस पुराने पड़ गये हैं। हमारा पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में और पी० ए० सी० की ट्रेनिंग का सीतापुर में है। हमें इनके केरीकुलम को बदलना होगा और इनको यह भी सिखाया जाय कि ए० के० 47 कैसे चलाया जाता है। इनको यह भी सिखाया जाय कि आज उग्रवादी क्या कर रहे हैं उनके तौर तरीके क्या हैं, इसके लिए रिफ्रेसर कोर्स बनाया जाना चाहिए। आप यह भी विश्लेषण करें कि आज जो उग्रवादी, डाकू वगैरह नये-नये तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे निपटने की शक्ति हमारे पुलिस के जवानों में, अर्द्ध सैनिक बल के जवानों में है ?

मुझे इसका थोड़ा अनुभव है और मैंने कहा भी था कि कुछ कार्य इस दिशा में अवश्य हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और इस अधूरे काम को पूरा करना है। पुलिस के लिए खर्च के लिए आप जो पैसा ले रहे हैं, उसके संबंध में मुझे विश्वास है कि चाहे उग्रवादी हों, चाहे डाकुओं के गिरोह हों, चाहे अन्य किसी प्रकार के उग्रवादी संगठन हों, उन पर बड़े प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। आपको यह भी देखना होगा कि किस तरह बिना गोली चलाये, हिंसा के क्राउड कन्ट्रोल किया जाय। जापान आदि देशों में इस तरह का काम हुआ भी है। मैंने इसके संबध में कहा भी था और नोट भी लिखा था कि किस तरह हम भीड़ों को नियंत्रण बिना गोली चलाये, बिना लाठी चार्ज किये कर सकते हैं। कई देशों में आज इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। सन् 1961 में अजित प्रसाद जैन पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी इसी संबंध में इसके अलावा और भी कई प्रकार से आप भीड़ का नियंत्रण कर सकते हैं। आज इसी तरह के एक विषय पर कुछ सम्मानित साथियों ने वाक आउट कर दिया।

हम लोग कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, लाठी खाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार कराते हैं। समस्या मूल वही है पुलिस की लाठी, वह जिस पर भी पड़ जाये। उनका शासन उनकी लाठी है। इस मानसिकता को बदलना होगा, जिससे हम पुलिस को एक आधुनिक पुलिस बना सकें, इसके लिये आपने धन रखा है, जिसे आप खर्च करेंगे। मुझे आशा है कि आप 5 हजार लोगों का जो नया पुलिस बल बना रहे हैं, जिसका प्राविधान इसमें नहीं है, शायद शाम के बजट में होगा, उसके अलावा पुरानी पुलिस के लिये भी ठीक से इस धन को खर्च करेंगे। एक विषय आज भी आया, ऋण के बारे में। ऋण के प्रतिदान के लिये जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रश्न उठाया, अगर वह पूरक बजट देखते, तो इस पूरक बजट में 105 करोड़ 33 लाख रुपये का प्राविधान है, जिसको खर्च करने का अधिकार आपको दे दिया गया। इसके प्रतिदान के लिये आप नाबार्ड को 3 किश्तों में कर्ज को तारेंगे और 3 करोड़ का ब्याज भी देंगे, क्योंकि 2 साल तक आधा रुपया नाबार्ड ने कोआपरेटिव्स में चरवाही बहियों में चढ़ाया है, उसके ऋण का प्रतिदान होगा, नाबार्ड से। इस सम्बन्ध में मैंने भारत सरकार के नये मंत्रियों से भी बात की है। वह खुद मानते थे कि एक बड़ा बोझ राष्ट्र के ऊपर आयेगा। 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ केन्द्र सरकार के ऊपर आयेगा इस योजना से। आज जो उनको भी डगमगा रहा है। 105 करोड़ रुपये अगर हमारा माफी में नहीं जाता तो इससे अस्पताल

बनते, सड़के बनती और चीजें बनती । इस माफी से कोई श्रेय भी नहीं मिल रहा है । लोग कहते हैं कि हमारा तो माफ नहीं हुआ । हमसे कहते हैं कि यह कैसा माफी है । आप भी तो समर्थन कर रहे हैं । हमारी योजना न होते हुए भी हमारे ऊपर यह आरोप आ रहा है । इसका तो अन्त ही नहीं है । मैं तो सभी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घोषणा न करें कि अगर कल सरकार में आ जाओ तो उससे आपको कितनी परेशानी होगी । श्रीमन्, अब आप देखिये, बैंकों से कोई ऋण माफ नहीं हुआ, कुछ गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने नहीं दिया । 1 हजार करोड़ रुपये अगर दे भी दे तो 9 हजार करोड़ रुपये कहां से आयेगा । अगर उस समय वित्त मन्त्री जो 10 हजार करोड़ रुपये दे देते तो बजट का घाटा कितना चला जाता । यह जो ऋण के प्रतिदान का प्रश्न है, इसमें हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । आज कोआपरेटिव सोसाइटीज बहुत मुसीबत में हैं । 10 हजार रुपये तो उन्होंने अपने खाते में जोड़ दिये और पैसा उन्हें मिला नहीं, जिसे हम फर्जी इन्ट्री भी कहते हैं । मैं नहीं कहता कि यह फर्जी इन्ट्री है, उन्हें पैसा चाहे रिजर्व बैंक दे या नाबार्ड दे, उन्हें पैसा दिया जाना चाहिये । आज तो सबसे बड़ी मुसीबत कोआपरेटिव सोसाइटीज की यह है कि उन्हें 40 करोड़ का ब्याज देना है, उस खर्च को जिसे राइट आफ कर दिया गया है । 3 करोड़ रुपये आप नाबार्ड को दे रहे हैं तो अपने प्रदेश को जो ये सहकारी समितियां हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इन्हें भी रुपया दिया जाना चाहिये । मुझे विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे । मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे प्रदेश की जो जडमूल इकाइयां सहकारी समितियां हैं, उन्हें कम से कम ब्याज तो मिल ही जाना चाहिये । इसका तरीका क्या होगा, इस पर आपको विचार करना होगा । इसमें तो मुझे यह कहीं दिखाई नहीं देता है, हो सकता है बजट में आपने इसका प्राविधान किया हो । अगर उसमें भी नहीं है तो इस पर अवश्य ही शासन को पुनर्विनियोग करके या बचत के द्वारा इसको पूरा करना चाहिए । जो आपने यह पुस्तक दी है इसकी भूमिका में ही लिखा है कि यह प्रथम किश्त है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी वित्तीय वर्ष में दूसरी किश्त भी आने वाली है । मैं विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहा हूं । मैं नहीं जानता कि शासन का इस पर क्या विचार है । हैण्डलूम कारपोरेशन ने जो ऋण दिये हैं, उनके प्रतिदानों का क्या होगा । उसके लिए कोई प्राविधान इसमें नहीं दिखाई देता । दूसरे जो और कारपोरेशन हैं जिन्होंने 10 हजार रुपये के ऋण दिये हैं, उनके प्रतिदानों का क्या होगा, उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं मिलता है । जो प्राइवेट बैंक हमारे प्रदेश में हैं जैसे बनारस बैंक, नैनीताल बैंक, बरेली कारपोरेशन बैंक, उन्होंने जो 10-10 हजार रुपये तक के ऋण दिये, उनका उल्लेख नहीं है । जो नेशनल हैण्डलूम कारपोरेशन या प्रादेशिक कारपोरेशन ने कर्ज दिये, उनका उल्लेख नहीं है । उन्होंने कह दिया कि 10 हजार रु0 तक के कर्ज माफ हो जायेंगे । लोग समझते हैं कि सभी कर्ज माफ हो जायेंगे, वे कहते हैं कि तिवारी जी आप कहिए, आवाज उठाइए, तो अब हम आवाज उठा रहे हैं । खर्च का अधिकार दिया लेकिन अधूरा खर्च का अधिकार दे रहे हैं । इसका निर्णय होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है जबकि यह वायदा तो निभाना ही मुश्किल है ।

दूसरी स्थिति यह है कि नगरपालिकाओं की पूर्ति के लिये नगर विकास मन्त्री जी को 70 करोड़ 29 लाख रुपया चुंगी कर और पथकर की प्रतिपूर्ति का दिया जा रहा है । इतनी बड़ी रकम है, इसके बाद भी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है । जिस नगरपालिका में जाइए कहते हैं घाटा है । चाहे लखनऊ नगर महापालिका को लीजिये चाहे जिसे लीजिये 90 प्रतिशत नगरपालिकाओं को घाटे की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है । 1986 के आंकड़े हैं, उसके बाद चुनाव हुए, साधन बढ़ाये हैं, लेकिन उसका हिसाब नहीं लगाया जा रहा है, आज हड़तालें हो रही हैं । खर्च का अधिकार आप ले रहे

हैं, नगरपालिकाओं को ऋण देंगे। इतना तो दीजिये कि वहां के जनजीवन में जो अशान्ति है, वह तो दूर हो जाय। घोषणा अच्छी है, लेकिन ऐसी घोषणाओं से क्या फायदा जो पूरी न हो पायें। अगर इसे पूरा नहीं किया जायेगा तो आने वाले दिनों में कठिनाई बढ़ जायेंगे, मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। मैंने उस समय भी कहा था जब मैं मुख्य सेवक था, भारत सरकार से कहा था, केन्द्र की मीटिंगों में कहा था कि नगरपालिकाओं के अधिकार का हनन कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये, लेकिन चुनाव करा देंगे साधन देंगे नहीं तो कैसे रुपया इक्ट्ठा करेंगे। चाहे ग्राम सभायें हों या नगरपालिकायें हों, साधन देने होंगे। इसमें भारत सरकार से मिलकर विचार करना चाहिये कि या तो भारत सरकार योगदान दे और चुंगीकर और octroi की प्रतिपूर्ति करे। फाइनेन्स कमीशन ने सिफारिश की है कि प्रदेश फाइनेन्स कमीशन बैठे। हमें यह सोचना चहिये कि कैसे प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। एक सुझाव यह आया है कि 2 प्रतिशत की जो एक्साइज ड्यूटी है उसका हिस्सा जो मिलेगा वह नगरपालिकाओं को दिया जायेगा, कोई न कोई तरीका निकालना चाहिये। तमाम प्रस्ताव आ रहे हैं, इसका कारण यह है कि नगरपालिकाओं के पास कुछ भी नहीं रहा तो उन्होंने हाउस टैक्स बढ़ा दिया। इससे अविश्वास का प्रस्ताव हर पार्टी की नगरपालिका के ऊपर आया। जो रुपया केन्द्र से मिलता था जैसे अगर 10 प्रतिशत मिलता था तो जो आबंट्राय आती है वह भी ठीक से नगरपालिकाओं को नहीं मिल रही है। इसकी पूर्ति होनी चाहियें।

अब हम इस विधेयक के द्वारा बिजली बोर्ड को 225 करोड़ 67 लाख रुपया कर्ज दे रहे हैं और यह ऐसा विषय है जिस पर कि सदन को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिजली बोर्ड को क्यों दे रहे हैं कर्ज, यह उन्होंने मांगा नहीं है। यह इसलिये दे रहे हैं कि भारत सरकार ने जो हमको योजना में ग्राण्ट मिलती थी, वह घटा दी है। अब बताइये पहले तो यह सहायता ही कम मिलती है उत्तर प्रदेश की। प्लानिंग कमीशन तो यहां कहता है कि तुम तो रुपया अदा ही नहीं करते हो इसलिए बिजली बोर्ड को क्या रुपया दिया जाए। तो श्रीमन्, इस प्रकार से यह जो कटौती 224 करोड़ रुपयों की हुई है, वह बिजली बोर्ड की वजह से हुयी है राज्य सरकार की। अगर यह पैसा मिलता राज्य सरकार को तो वह अपने स्कूलों, कालेजों व स्नातकों में लगाता। बिजली बोर्ड को पैसा न देने की कई वजूहात हैं, हमारे जमानों में भी यही हुआ करता था कि कहीं इन्होंने कोयले का पैसा नहीं दिया तो कहीं पर रेलवे वैगन्स के किरायों का पैसा नहीं दिया। यह क्यों नहीं देते पैसा, इसके कारण क्या हैं कारण यही है कि इनके पास पैसे है ही नहीं। यह श्रीमन् बिजली बोर्ड की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आप चर्चा तो करते नहीं और चर्चा किन बातों पर करते हैं अगर कोई सदस्य कहीं गिरफ्तार हो गया, तो उस पर दो-दो दिन चर्चायें होती हैं और हाउस भी इसकी वजह से सुचारु रूप से नहीं चल पाता है, जिससे यह गम्भीर समस्यायें रह जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे बुनियादी बातों पर चर्चा हो चाहे दो ही दिनों के लिए हो, तो इससे फायदा होगा और हो सकता है कि इस ओर कोई सुझाव ऐसा आ जाए जो बिजली बोर्ड के लिए कारगर साबित हो। और बिजली बोर्ड के जो सालाना खर्चों व आय का विवरण आता है, उस पर विचार किया जाए, बैठकें हों, माननीय सदस्य को उसके सालाना विवरण बांटे जाएं, ताकि वह समझें कि यह किस प्रकार के खर्च हैं, जो जेन्यून है या इनकी आवश्यकता नहीं है, फिर अब सदन में आएं तो फिर वह इस पर गम्भीरता से बिचार करें कि यह खर्च कहां से आएगा वरना ऐन वक्त पर आदमी सोच नहीं पाता है कि यह पैसा कहां से जुटाया जाए, सिवाय सिर पकड़ के बैठ जाने के, जब पहले से माननीय सदस्य परिचित होंगे, तो वह इस बारे में भली-भांति सोचेंगे और उस सोच-विचार के बाद हाथ पैर इधर-उधर करेंगे। इसके साथ ही आप फिर यूनियन्स से भी बात करें

पहले से हो और इन्जीनियर्स से पहले ही बात करें। और इस सम्बन्ध में टिकैत साहब से भी वार्ता करें कि वह एक सीमा तक अपनी मांगों को सीमित रखें क्योंकि बिजली बोर्ड की स्थिति क्या है, और किस तरह से कितने-कितने साधन जुटाए जाएं, उनके सामने भी यह समस्याएं हो तो वह भी आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं टिकैत साहब से बात करने का प्रयास करूंगा कि यह जो खर्चे हैं बिजली बोर्ड के, वह कैसे कम किए जाएं और कहां से ज्येन्यून खर्चों को मीट आउट किया जाए वरना यह खर्चे तो आगे के लिए खतरे की घंटी हैं। आज 224 करोड़ रुपयों के बाटने की बात आयी है और आगे के वर्षों में हो सकता है कि 500 करोड़ के कटने की नौबत न आ जाए। इस प्रकार तो जो यू0 पी0 को मिलने वाला धन है वह सब कहीं भविष्य में कटौती में न चला जाए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन के नियमों के आगे किसी की भी नहीं चलती है, चाहे वह जनता दल हो, जनता पार्टी हो, जनता दल (स0) हो या कांग्रेस पार्टी ही क्यों न हो, उसूल व आर्थिक सिद्धान्त सब के लिए वही हैं।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

आर्थिक वसूली से जो खिलवाड़ करेगा वह अंत में झुलसेगा इसलिये आलोचना ऐसी होनी चाहिये आर्थिक सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर। हम लोग गांव की तरफ रुपया ले जाना चाहते हैं तो फिर गांव की सहायता क्यों नहीं हो पा रही है।

निर्बल आवासीय योजना के लिये 47 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार के समय में रखा गया था। मैं नहीं जानता कि इस वर्ष इसके लिये कितना रुपया रखा गया है इसको तो मैं पांच बजे के बाद ही देखूंगा, लेकिन निर्बल आवासीय योजना हमारे प्रदेश के लिये बहुत आवश्यक है और इसके लिये मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि इसके लिये बैंकों से सहायता लेने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हम कई बार आप से निवेदन कर चुके हैं और मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से भी निवेदन कर चुके हैं कि बैंकों के साथ इस सम्बन्ध में बैठकें आयोजित की जांय और उनके अधिकारियों को बुला कर राय ली जाय कि गरीबों के लिये जो हम 4 प्रतिशत ब्रूग ले रहे थे, हमने इसके बारे में केन्द्र सरकार में भी पूछवाया था और एक बैंक से भी पता लगाया, बैंक आफ बड़ौदा से पता किया तो उन्होंने बतलाया कि एक प्रतिशत यानी कि 0.38 प्रतिशत, जो 4 प्रतिशत लिया गया है इसकी गुंजाइश है मार्च तक, एक महीना बहुत है, इसे लिया जाय। मैंने बैंक वालों से बातचीत की है। इस सम्बन्ध में। हमारे जो संस्थागत वित्त मंत्री हैं, वे इस ओर सक्रिय हों, हम अपना पूरा योगदान देने के लिये तैयार हैं तभी हमारे प्रदेश का क्रेडिट बढ़ेगा। यह कोई अकेले मुलायम सिंह का मामला नहीं है, लेकिन अगर इसमें आपका ही नाम हो जाता है तो इसमें क्या है? यह दृष्टिकोण हमारा नहीं है। प्रदेश में बैंकों का इनवेस्टमेन्ट बढ़ता है तो यह स्वागत योग्य बात है।

6 करोड़ रुपया आप जेल सुधार के लिये ले रहे हैं। जेल मंत्री युवा हैं, तेजस्वी हैं या नहीं, नहीं मालूम, लेकिन अब वे बदल गये हैं। तो इसके लिये जेल मंत्री जी देखें, जेल में हम सब तभी रहते हैं, जब विरोध में रहते हैं, मैं पकड़ा तो नहीं गया लेकिन दो-चार दिन वहां की व्यवस्था को देखने गया था। क्या शौचालय जेल के थे, बैरकें किस तरह से बनी हुई हैं, इसे आप जरा देखिये। आपको दस करोड़ रुपये विनियोग विधेयक के द्वारा दिये जा रहे हैं। कौन बैरकों को, शौचालयों को बना रहा है पी0 डब्लू0 डी0, आर0 ई0 एस0? जेल के अन्दर जाकर इसकी मानीटरिंग होनी चाहिये।

जो आपके जेल के बाहर सुलभ शौचालय बन रहे हैं वह ठीक हैं किन्तु जेल के अन्दर सुलभ शौचालय नहीं हैं। वहां पर क्लासवाईज भी कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। इसको देखना चाहिये।

नवम् बित्त आयोग द्वारा जो शासन से करोड़ों रुपये खर्च करने के लिये लिये गये हैं इसको ध्यान से देखना चाहिये। हमने अष्टम् वित्त आयोग में प्रयास किया था पता नहीं हम सफल हुए या नहीं सफल हुये परन्तु आपको यह देखना चाहिये कि किस मत में किसके लिये रुपया दिया गया था और हम उसमें से कितना खर्चा कर पाये हैं। जिन प्राईमरी स्कूल के भवनों को बनाने की बात अष्टम् बित्त आयोग में रखी गयी थी और कहा गया था कि हर प्राईमरी स्कूल की बिल्डिग बन जायेगी, माननीय मुलायम सिंह जी की भी सरकार ने कहा है कि हर प्राईमरी स्कूल की बिल्डिग बन जायेगी। मैंने भी अपने भाषण में कहा था कि प्राइमरी स्कूलों के भवनों को पूरा किया जायेगा, लेकिन नहीं हो पाया। 12 हजार प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिन के भवन नहीं हैं। उनको न तिवारी जी बना पाये और मुलायम सिंह जी का प्रयास जारी है, पता नहीं वह कितना इसमें सफल होते हैं। कांग्रेस को शक्ति लगी और आप की शक्ति लग रही है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के भवन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मेरी तो असफलता है, यह मेरे लिये कहना कठिन है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, नहीं तो मैं आपको बताता। दो किस्म के आने चाहिये बयान, एक तो वित्त आयोग ने थानों जेलों और अदालतों के भवनों के लिये अलग से पैसा दिया है। अदालतों के जो भवन बने हैं, उनका पैसा फाइनन्स कमीशन ने दिया है। इसका विवरण आना चाहिये। इससे सरकार को मदद मिलेगी फाइनेंस कमीशन ने किस किस मद के लिये पैसा दिया था और कहां कहां पर वह खर्च हुआ है। एक बहुत बड़ी कमी रही है कि जो विदेशी सहायता मिलती है केन्द्र के जरिये, हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं। 100 फीसदी रुपया बिजली प्रोजेक्ट को छोड़कर और किसी योजना में नहीं खर्च हुआ मान लीजिये हालैंड ने आर्थिक सहायता दी इंग्लैंड ने सहायता दी, पहले उस सहायता का 75 प्रतिशत रुपया राज्यों को मिलता था, लेकिन अब यह कर दिया है कि सारा का सारा रुपया राज्यों को मिल जायेगा। वह हमारे संसाधन हो गये हैं, तो इस बात का पता लगाना चाहिये कि उसको पूरा खर्च करने में क्या रुकावट है। मैं कहना चाहूंगा कि आप एक्सटरनल प्रोजेक्ट सहायता का मिनिस्टर बना दें, जो यह देखे कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से या किसी अन्य विदेशी सहायता से जो नलकूप बन रहे हैं, वह ठीक से रहे हैं। या नहीं बन रहे हैं, कहीं पैसे का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। हालैंड की सहायता वाला प्रोजेक्ट चल रहा या नहीं चल रहा है। आगरा में बीहड़ सुधार का कार्य ठीक से चल रहा है, या नहीं चल रहा है। जो रुपया बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत मिला है, उसका सुधार भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह योजना ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। उसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। वह मंत्री वहीं पर उद्घाटन करें। पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम शिलान्यास में विश्वास नहीं करते हैं, उद्घाटन में विश्वास करते हैं। बजट भाषण में था कि शिलान्यास नहीं होंगे, उद्घाटन होंगे। बजट भाषण में था कि शिलान्यास के स्थान पर उद्घाटन का कल्चर डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक्सटरनल प्रोजेक्ट का एक इन्चार्ज हो जाये, तो जो रुपया बेकार हो जाता है, उसकी मानीटरिंग नहीं हो पाती है, यह सब हो जाये और विकास में सहायता मिलेगी। 8 वीं योजना बन रही है केन्द्र में, जो प्रोजेक्ट हैं उनके सम्बन्ध में विशेष प्रयास होने चाहिये। हमें देखना है कि कितनी जगहों पर रेलवे ओवर ब्रिज बन पायेंगे। रेलवे की योजना दिल्ली में बन रही है। आप फंस योजनायें बनायें, टेलीफोन की फंस योजना 8 वीं योजना में क्या होगी। रेलवे की 8 वीं योजना क्या होगी, केन्द्र के बिजली घरों की सेन्ट्रल पावर प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स डिपार्टमेंट की योजना क्या होगी यह हमारे योजना मंत्री देखें वह केवल यही न देखें बल्कि यह भी देखें कि दूसरे राज्य जो योजनायें केन्द्र से मंजूर करा ले जाते हैं उसमें हम भी पीछे न रहें।

दंगों से जो नुकसान होता है इसके आंकड़े इसमें दिये हैं उसके लिये 24 करोड़ रुपया खर्च करने का हम अधिकार दे रहे हैं उसमें होमगार्ड्स और पुलिस व्यवस्था में ज्यादा रुपया खर्च करने के लिये दे रहे हैं यह मूल बजट के अनुदान में जो रुपया दिया है उसके अतिरिक्त है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मैं एक बात बताना चाहता हूं ।

श्री जय सिंह--

आप तो निलम्बित हैं ।

*श्री यदुनाथ सिंह--

तो क्या हैं मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जो बैठे हैं, आलमबाग में दो एम0 एल0 ए0 और एम0 एल0 सी0 मारे जा रहे है, बड़ी दयनीय स्थिति है इसको ज़रा देखे कृपा होगी । हम लोग कई बार मारे जाते हैं, आप भी मारे गये होंगे, माननीय नेता विरोधी दल भी वहां पर हैं इस पर आप तत्काल कार्यवाही करायें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् हम खर्च करने का अधिकार आपको दे रहे हैं लेकिन वह सही खर्च हो यह भी आपको देखना है । पूर्वांचल विकास निधि में 20 करोड़ रुपया और बुन्देलखंड विकास निधि में 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं इसके अलावा अगले साल के बजट का भी संकेत आ गया है जिसमें लिखा है 30 करोड़ पूर्वांचल और साढ़े सात करोड़ बुन्देलखंड के लिये आप व्यय करेंगे तो कुल मिला कर करीब 50 करोड़ पूर्वांचल और साढ़े बारह करोड़ बुन्देलखंड के लिये हो जायेगा । तो वह कौन सी योजनायें होंगी किस प्रकार इसको आप खर्च करेंगे इसका पता नहीं है । तो वह कौन सी 20 करोड़ की योजनायें होंगी जिन पर आप खर्च करेंगे । यह हमें मालूम होना चाहिये । सरकार ने जो बजट बनाते समय 20 करोड़ खर्च करने की बात कही उनका विवरण इसमें नहीं मिलता है । हम खर्च की मंजूरी दे देंगे लेकिन इन योजनाओं की जानकारी हमें होनी चाहिये और यह खर्च उत्पादन और रोजी देने वाला होना चाहिये ।

आपरेशन फ्लड दुग्ध विकास के लिये साढ़े 3 करोड़ खर्च करने का अधिकार दे रहे हैं जिससे आप दुग्ध विकास की योजनायें चलायेंगे । हमारे देश के डाक्टर कुर्यन दुग्ध विकास के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं मैं सुझाव दूंगा कि सेन्ट्रल डरी डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक लखनऊ में बुलायी जाय । अब तो आपके इसके अलग मंत्री हैं, अलग-अलग विभागों के आपके मंत्री हैं खेल कूद के अलग मंत्री है, सब तेज तर्रार हैं तो उनका लाभ मिलना चाहिये ।

(श्री राम शरण दास) सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री--

अभी खेल के अलग होंगे कूद के अलग होंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह वरिष्ठतम हमारे मंत्री हैं इसलिये इनका आप ध्यान रखेंगे । यह प्यार की आलोचना है । खेल कूद मंत्री क्या करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय, अंत में खर्च का सबसे बड़ा अधिकार दे रहे हैं, प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को, यह जानकर खुशी हुई कि इस विनियोग विधेयक द्वारा 336 करोड़ रुपये उनको महंगाई भत्ते, बोनस और वेतन के लिये दे रहे हैं। जो केन्द्र के बराबर वेतन भत्ते, देने का निर्णय साल डेढ़ साल पहले लिया था वह इस बजट में पूरा आ रहा है। लेकिन कितना भार आया वह स्पष्ट होता है। 336 करोड़ रुपये इसमें दे रहे हैं। कितनी बड़ी मद है, इसलिये आग्रह करता हूं कि इस प्रदेश ने, सदन ने इतना बड़ा खर्चा अपने सर पर लिया है, इसलिये आग्रह होगा।

अध्यापकों से कि उनकी बड़ी भारी मांग पूरी हुई है, इसलिये प्राइमरी शिक्षा के स्तर को वह ऊंचा उठायें। उनकी मांग सही थी इसलिये वह मंजूर हुई लेकिन वह भी अपने दायित्व को निभायेंगे ऐसी मुझे आशा है और प्राइमरी शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में वह अपना योगदान देंगे।

श्रीमन्, खर्च विनियोग विधेयक के माध्यम से किस तरह से होना चाहिए इस सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिये। हो सकता है कि जो मेरे कड़वे और मीठे अनुभव रहे हैं उनका मैं यहां विश्लेषण न कर पाया हूं लेकिन इस विनियोग विधेयक में जो निहित अनुदान हैं उनके सन्दर्भ में जो सुझाव दिये मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी और सरकार इस पर विचार करेगी। मैं पुनः इस आग्रह को दोहराऊंगा कि जो बजट चर्चा हो वह इस प्रकार गहराई से की जाये कि प्रत्येक विभाग समस्याओं के बारे में मनन करे और प्रभाव शासन पर डालें और जो पुराना इतिहास रहा है वह चमक उठे। इन शब्दों के साथ विनियोग विधेयक पर विचार करने के लिये आपका आह्वान करता हूं।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

(व्यवधान)

भ्रष्टाचार के बारे में आपने कोई सुझाव नहीं दिये हैं, वह दे दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

माननीय, 1990-91 के अनुपूरक बजट के विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। माननीय विरोधी दल ने तो बहुत सारगर्भित शब्दों में और विस्तार से जिस खर्च के अधिकार को सरकार ने मांगा है और देने का निर्णय सदन करने जा रहा है उसके प्रत्येक मद के बारे में बहुत विस्तार से अपने विचार रखे। माननीय, इस अनुपूरक बजट में 1742 करोड़ रुपये मांगा गया है। जिसमें से 744 करोड़ रुपया यानि 45 प्रतिशत रुपया केवल तीन मदों पर दिया जा रहा है। कुल मदों से तीन पर। केवल तीन-शिक्षा ऊर्जा और नगर विकास के लिए लगभग 45 प्रतिशत रुपया इन तीन मदों पर जाएगा। बहुत सी मदों के बारे में माननीय नेता विरोधी दल, श्री तिवारी जी ने बहुत विस्तार से बातें कहीं हैं। मैं केवल इन तीन मदों के बारे में सरकार से कहना चाहूंगा कि नगर विकास के लिए 127 करोड़ 53 लाख रुपया करीब हमने सरकार को दिया है। प्रदेश के जो कस्बे हैं, नगर और महानगर हैं, उनके बारे में प्रायः यहां चर्चा होती रहती है। यह जो रुपया दिया जा रहा है उसे मात्र 37 दिन में खर्च किया जाना है। हम लोगों का यह दुखद अनुभाग है कि वर्ष के अन्तिम दिनों में इस तरह से सरकार करोड़ों-अरबों रुपया देती है और यह रुपया इसी तरह अफरा तफरी खर्च होता है वास्तविक खर्च कम होता है और बेजरूरत की चीजों पर खर्च ज्यादा कर दिया जाता है। अनाप-शनाप खर्चों पर इस तरह के धन को खर्च करके सब बराबर कर दिया जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है मुख्य मन्त्री जी से और विशेषकर नगर विकास मन्त्री जी से कि वह देखें कि जो हम धनराशि दे रहे हैं वह ऐसे कार्यों पर खर्च हो,

जिससे वहां की सड़कों, सफाई व्यवस्था और जल संकट को दूर करने में सहायता मिल सके । ऐसे कार्यों में पूरा पैसा खर्च किया जाना चाहिए, जिससे वहां के नागरिकों की नित्य प्रति की तमाम समस्यायें दूर हो सके, कम हो सकें । यद्यपि इनमें से बहुत सा पैसा वहां के कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च होगा । इसके बाद भी जो पैसा बचता है, उसको ठीक से खर्च करने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूं कि नगर विकास मद में जो हम इतनी बड़ी धनराशि दे रहे हैं मात्र 37 दिनों में वह ठीक प्रकार से काम होने चाहिए । आज पूरे प्रदेश में शहरों के लोग जितनी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, सड़कों, सफाई और जल-संकट आदि के लिए, उसमें कुछ सुधार हो सकेगा । मान्यवर, इसमें से 70 करोड़ 90 लाख रुपया केवल इसलिए दिया जा रहा है, जिससे चुंगी समाप्ति की क्षतिपूर्ति हो सके । इतना पैसा देने के बाद भी कोई भी महापालिका या नगरपालिका नहीं है कि जितनी उसको क्षति हुई है, उतना पैसा उसको मिल सके । इस मद में किसी की आमदनी 10 लाख थी तो उसको पांच लाख मिला है और 10 हजार किसी की थी तो उसे 5 हजार मिल पा रहा है । इसके परिणामस्वरूप वह आज जितने घाटे में थीं, उससे और ज्यादा घाटे में वह चली गयी है । इस स्थिति के चलते उनके लिए अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर सकना भी दुरूह हो गया है । मुझे आशा है कि इस मामले में सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

दूसरी मद ऊर्जा है । इसमें हम 225 करोड़ 67 लाख रुपया दे रहे हैं । लेकिन तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार के साथ इसके बारे में बताया है कि आज हमारे ऊर्जा विभाग की वित्तीय स्थिति कितनी दयनीय है और उसकी विद्युत व्यवस्था भी कितनी जर्जर है । आप आज किसी भी स्थान पर जाय, चाहे प्रदेश की राजधानी में ही देखें, यहां पर बिजली का कितना, किस तरह का संकट है । मैं आगरा से आता हूं, वहां के उद्योग-धन्धे, व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, समाचार-पत्र और नागरिक रात-दिन बिजली के व्यवधान से परेशान रहते हैं । वहां ट्रान्सफार्मर फुंके पड़े हैं वहां पर बिजली का छोटा मोटा सामान भी नहीं है केबिल नहीं है । छोटी-मोटी चीजों के लिए वहां के लोग लिखते हैं, लेकिन वह उनको नहीं मिलता है । यह जो 225 करोड़ रुपया है, वह देने के बाद प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार हो सके, प्रदेश की 12 करोड़ जनता का संकट दूर हो सके तो बहुत बड़ी बात होगी । परन्तु इसकी उम्मीद कम ही है । इतनी धनराशि देने के बाद भी विद्युत परिषद् रूपी यह सफेद हाथी सारा रुपया हजम कर जाय और प्रदेश को यही बिजली न दे पाए तो हमारा यह पैसा देना व्यर्थ ही हो जायगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार और हमारा ऊर्जा मन्त्रालय इस बात को देखेगा । अन्त में मैं कहूंगा कि यह जैसा नेता विरोधी दल ने भी इशारा किया है कि 339 करोड़ रुपया बेसिक शिक्षा पर दिया जा रहा है हमारे छोटे-छोटे बच्चे बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के के लिए प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं । उनके भविष्य के निर्माण की शुरुवात वहां से होती है, लेकिन घोर दुर्दशा है वहां प्राथमिक स्कूलों के भवन टूटे पड़े हैं, अध्यापक नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टाट-पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इन्तजाम नहीं है । इतने करोड़ इतने अरब रुपया खर्च करने के बाद जो प्राथमिक चीज जो है । राष्ट्र के निर्माता बच्चों को शिक्षित करने की जो भारत के भविष्य हैं और जिनको आप शिक्षित करना चाहते हैं इतने पैसे का प्राविधान किया जाता है लेकिन उनको सुविधा नहीं दी जाती है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और उनकी सरकार से कहना चाहता हूं और इस आशा के साथ कहना चाहता हूं कि इतना पैसा जो विनियोग विधेयक में आपको दिया जा रहा है इस पर आप नियन्त्रण रख कर खर्च करें । यह पैसा किस तरीके से खर्च हो, जिससे प्रदेश की बारह करोड़ जनता लाभान्वित हो सके, इसको आप देखें । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, अध्यक्ष जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री ऊदल--

इस वियोग विधेयक से बहुत बड़ी धनराशि सरकार को मिलने जा रही है। माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें कहीं उसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके वक्त भी अनुपूरक अनुदान पेश हुए हैं उस पर एक-एक दिन बहस कराई गई है। आज यह पहला मौका है जब बिना बहस के विनियोग विधेयक के माध्यम से इतना रुपया मिलेगा। यह बहुत ही गम्भीर बात है इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बिजली बोर्ड को इतना कर्जा दिया जा रहा है। बिजली बोर्ड की हालत बहुत खराब है। आपके वक्त में इसकी साख 600 करोड़ थी उसको बढ़ा कर 1000 करोड़ किया, जब माननीय ब्रह्मदत्त जी मन्त्री थे उस समय हुआ। आज इसको साख बढ़ा कर दो हजार करोड़ रुपया कर दिया गया। उसके बाद भी विद्युत परिषद् घाटे में है। इस पर सुझाव आने चाहिए थे, यह विचार करने की बात है। इस पर एक दो दिन विचार होना चाहिए। इसके खर्च को देखना चाहिए। विद्युत परिषद् में सैकड़ों इंजीनियर हैं जो बेकार बैठे हैं जिनको पैसा दिया जाता है, और इस पर बहस नहीं हुई। प्लानिंग पर पहले माननीय सदस्यों से सुझाव मांगे जाते थे पंचवर्षीय योजनायें बनी हैं, चार-चार दिन तक पांच-पांच दिन तक सभी माननीय सदस्यों के सुझाव लेकर भेजे जाते थे वह परम्परा खत्म हो गई। एक बात और कहना चाहता हूं आपके वक्त में भी पहले भी ऐसा हुआ है कि 30 व 31 मार्च को रातों रात भर बैंक खुले रहते हैं और बैंकों से रुपया निकाल कर पी0 एल0 ए0 में जमा होता है इसको सरकार कैसे कन्ट्रोल करेगी। श्रीमन् एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सराहनीय कार्य किये वह मैं कहना चाहता हूं। प्राइमरी जूनियर स्कूल में 50 फीसदी भवन बन कर तैयार हो गये और 50 फीसदी अगर सरकार ध्यान देगी तो जून तक सारे के सारे भवन तैयार हो जायेंगे, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं।

माननीय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस काम को आगे भी करे। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में महिलाओं के लिये जो शौचालय बनाये जा रहे हैं वह ठीक से नहीं बन रहे हैं। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे नहीं लग रहे हैं। इसलिये सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह कार्य बहुत अच्छा कार्य है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और सरकार से चाहता हूं कि वह यह रुपया ढंग से खर्च किया जाय।

श्री राजकिशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग साढ़े 17 अरब रुपये का यह अनुपूरक अनुदान है। यह बहुत भारी रकम है। जो भिन्न-भिन्न शीर्षक हैं उसके अन्तर्गत वह रुपया दिया जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से खर्च किया जाय तो अच्छी बात होगी लेकिन यह देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इसी कारण से बहुत से निगम टूट रहे हैं और बहुत से बिभागों में जो रुपया जा रहा है वह पानी की तरह बह रहा है और उसमें कमीशनखोरी हो रही है। मैं बनारस की बात कहना चाहता हूं वहां के एक इंजीनियर को 30 हजार रुपये लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और वह 27 दिन तक जेल में रहे। जेल से अगर वह उसी कुर्सी पर बैठ गये और 10 लाख रुपये का भुगतान किया जिसमें लाखों रुपये कमाये। यह अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। 10 लाख रुपया उन्होंने कैसे पास कर दिया? उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया। तो जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान नहीं चलाया जायगा तब तक सुधार नहीं होगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि यह 17 अरब रुपये से अधिक धनराशि दी जा रही है। इसका आधा अधिकारी खा जायेंगे, ठेकेदार और कमीशन खोर खा जायेंगे। इसमें मन्त्री लोग भी शरीक हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

समय बहुत कम है, समाप्त करें ।

श्री राजकिशोर सिंह--

सिंचाई पर बहुत कम ध्यान रखा गया है जबकि सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है । सिंचाई के साधन बहुत कम हैं । नहरें दोषपूर्ण हैं जिसकी वजह से उतनी क्षमता से सिंचाई नहीं हो पा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राजकिशोर सिंह--

आप बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन सवाल यह है कि यह रुपया ठीक से खर्च होना चाहिये ।

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991

31 मार्च, 1991 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनु- पूरक) अधिनियम, 1991 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1991 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 17,42,87,62,000 रुपये (सत्रह अरब बयालीस करोड़ सत्तासी लाख बासठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1990-91 के लिये 17,42.87,62,000 रुपये का दिया जाना

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जावेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं । विनियोग

अनुसूची

(धाराएँ 2 व 3 देखें)

1	2		3			
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	आबकारी विभाग	राजस्व	22,40	..	22,40	
		पूंजी	1,33,72	...	1,33,72	
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	56,10	22,00	78,10	
		पूंजी	9,69,65	..	9,69,65	
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	1,17,26,78	..	1,17,26,78	
		पूंजी	13,00	..	13,00	
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	2,62	..	2,62	
		पूंजी	..	..	..	
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	8,26,79	..	8,26,79	
		पूंजी	1,98,52	..	1,98,52	
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	9,63,29	..	9,63,29	
		पूंजी	..	..	..	
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	5,96,18	1	5,96,19	
		पूंजी	50,61,68	41,37	51,03,05	

8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	6,31,39	..	6,31,39
		पूंजी	43,76	..	43,76
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	12,00	..	12,00
		पूंजी	13,00	..	13,00
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	8,83	..	8,83
		पूंजी	2,25,67,00	..	2,25,67,00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	2,92,58	2,39	2,94,97
		पूंजी	2,11,00	..	2,11,00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	20,81,48	..	20,81,48
		पूंजी	6,68,26	..	6,68,26
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	39,99,90	1,31	40,01,21
		पूंजी	..	..	..
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	29,88,19	..	29,88,19
		पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	4,10,61	..	4,10,61
		पूंजी	31,21	..	31,21
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	2,37,07	..	2,37,07
		पूंजी	68,81	..	68,81
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	1,49,41	..	1,49,41
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	7,94,64	3,00,83	10,95,47
		पूंजी	66,91,29	1,05,41,74	1,72,33,03
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	12,64,30	..	12,64,30
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	42,19	..	42,19
		पूंजी	32,26	..	32,26
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	1	15,00	15,01
		पूंजी	50,00	..	50,00
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	32,38	..	32,38
		पूंजी	7,27,50	1,84	7,29,34
23	खेल विभाग	राजस्व	33,05	..	33,05
		पूंजी	59,34	..	59,34
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	2,04,80	..	2,04,80
		पूंजी	..	1	1
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	..	15,44	15,44
		पूंजी	1,70,00	10,85	1,80,85
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	2,86,90	..	2,86,90
		पूंजी	8,76,08	..	8,76,08
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	33,58,59	80	33,59,39
		पूंजी	9,55,41	..	9,55,41
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	7,23,00	..	7,23,00
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	21,90,80	..	21,90,80
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	15,00	..	15,00
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) ..	राजस्व	..	4,05	4,05
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	8,52,04	..	8,52,04
		पूंजी	12,41,78	..	12,41,78
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	5,49	5,30	10,79
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	..	3,21	3,21
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ..	राजस्व	33,92	1,01	34,93
		पूंजी	25,00	..	25,00
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	38,21,00	83	38,21,83
		पूंजी	3,54,05	..	3,54,05
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	राजस्व	47,37	..	47,37
		पूंजी	6,29,00	..	6,29,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग ..	राजस्व	7,65,54	..	7,65,54
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग ..	राजस्व	89	..	89
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग ..	राजस्व	2,39,23	..	2,39,23
		पूंजी	25,00,00	..	25,00,00

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3		
42	न्याय विभाग	..	राजस्व	5,86	12,84	18,70
			पूंजी	69,70	..	69,70
43	परिवहन विभाग	..	राजस्व	76,87	..	76,87
			पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
44	पर्यटन विभाग	..	राजस्व	1,81	..	1,81
			पूंजी	1,06,24	..	1,06,24
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	..	राजस्व	41	..	41
			पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	..	राजस्व	3,82,83	..	3,82,83
			पूंजी	2,86,96	..	2,86,96
47	पर्वतीय विकास विभाग	..	राजस्व	22,74,35	..	22,74,35
			पूंजी	22,02,04	..	22,02,04
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	..	राजस्व	1,79	..	1,79
			पूंजी	..	..	..
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	राजस्व	4,04,61	..	4,04,61
			पूंजी	23,99,31	..	23,99,31
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	..	राजस्व	45,60,00	..	45,60,00
			पूंजी	..	..	..
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	15,59,49	45	15,59,94
			पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	राजस्व	1,02	..	1,02	
		पूंजी	..	..	..	
54	वन विभाग ..	राजस्व	12,08,00	..	12,08,00	
		पूंजी	1,25,00	..	1,25,00	
55	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	..	..	..	
		पूंजी	3,25,00	..	3,25,00	
57	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	..	..	..	
		पूंजी	24,16	..	24,16	
58	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	राजस्व	10,45,70	..	10,45,70	
		पूंजी	..	..	..	
59	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	8,53	..	8,53	
		पूंजी	3,28	..	3,28	
60	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ..	राजस्व	1,62	..	1,62	
		पूंजी	..	..	..	
61	विधान परिषद् सचिवालय ..	राजस्व	17,15	1,80	18,95	
		पूंजी	..	..	..	
62	विधान सभा सचिवालय ..	राजस्व	56,94	2,32	59,26	
		पूंजी	..	..	..	
63	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) ..	राजस्व	..	..	..	
		पूंजी	50,00	..	50,00	
64	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग ..	राजस्व	91,00	..	91,00	
		पूंजी	..	..	..	

1	2			3		
65	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	..	राजस्व	3,90,18,82	4,43,83	3,94,62,65
			पूंजी	..	..	..
66	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	..	राजस्व	89,00,76	..	89,00,76
			पूंजी	3,24,27	..	3,24,27
67	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	..	राजस्व	25,81,06	..	25,81,06
			पूंजी	5,62,91	..	5,62,91
68	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	..	राजस्व	9,84,61	..	9,84,61
			पूंजी	..	..	..
69	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)		राजस्व	4,40,85	..	4,40,85
			पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	राजस्व	75,14	61	75,75
			पूंजी	..	..	.
71	श्रम विभाग (सेवायोजन)	..	राजस्व	2,33,60	..	2,33,60
			पूंजी	46,79	..	46,79
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	..	राजस्व	9,30,42	..	9,30,42
			पूंजी	2,17,67	..	2,17,67
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	राजस्व	4,38,33	10,10	4,48,43
			पूंजी	5,67,84	..	5,67,84
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	..	राजस्व	2,00	..	2,00
			पूंजी	4,63,73	..	4,63,73

76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	राजस्व	4,29,90	..	4,29,90
		पूंजी	12,79,49	..	12,79,49
79	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	4,40,04	1,25,00	5,65,04
80	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	27,50	..	27,50
81	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) ..	राजस्व	1,39,87	..	1,39,87
		पूंजी	82,06	..	82,06
82	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ..	राजस्व	3,14	9,40	12,54
		पूंजी	..	..	..
83	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..	राजस्व	2,41,48	..	2,41,48
		पूंजी	..	..	..
84	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	राजस्व	3,14,29	..	3,14,29
		पूंजी	..	..	..
85	सतर्कता विभाग ..	राजस्व	29,27	..	29,27
		पूंजी	..	..	..
86	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग ..	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	3,51	..	3,51
87	सांस्कृतिक कार्य विभाग ..	राजस्व	1,00,53	..	1,00,53
		पूंजी	..	..	..
88	सामान्य प्रशासन विभाग ..	राजस्व	3,31,80	..	3,31,80
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
90	सूचना विभाग ..	राजस्व	1,67,55	..	1,67,5
		पूंजी	10,00	..	10,00
91	सैनिक कल्याण विभाग ..	राजस्व	2,77	..	2,77
		पूंजी	26,00	..	26,00
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	राजस्व	16,58,65	..	16,58,65
		पूंजी	..	..	..
93	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	2,33,08	..	2,33,08
		पूंजी	..	..	..
94	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	5,80	..	5,80
		पूंजी	..	..	..
	योग ..	राजस्व	10,86,78,46	8,53,53	10,95,31,99
		पूंजी	5,40,34,82	1,07,20,81	6,47,55,63
	कुल योग ..		16,27,13,28	1,15,74,34	17,42,87,62

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 व खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनि योग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91 का अनुपूरक) विधेयक, 199 1 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बजट साहित्य वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक सूचना सदन को देनी है । कुछ समय के बाद ठीक पांच बजे वित्तीय वर्ष 1991-92 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :--

"हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों के समस्त सदस्यगण, और

"नहीं" सभाकक्ष में शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

*श्री किशोरी श्याम--

माननीय, हमारा एक सिंचाई का मामला है, मेरी बात सुन लीजिए । माननीय, राप्ती गंगा की नाली पक्की बनी है, लेकिन वह ऊंची बन गयी है और पानी का स्तर नीचा है । राजबहों की सब पटरी टूटी हैं, पुल टूटे हैं, अधिक पुल टूटे हैं और राजबाहों की खुदाई नहीं होती है । अवैध कुलावे रखे हैं । एक वर्ग 18 इंच पानी उठाता है, जो आगे वालों को पानी नहीं जाने देता और सरकार ने जो मजदूरी तय कर रखी है, वह 18 रु0 रोज है और 30 रु0 रोज मजदूरी मजदूर लेता है, तो इस अन्तर से भ्रष्टाचार होता है । दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि सड़क निर्माण म एक किलो मीटर का एक लाख 50 हजार का इस्टीमेट बनाया गया है, जबकि वह 80 हजार रुपये तक सड़क बन जायगी । यह भ्रष्टाचार नहीं है, तो और क्या है ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत-बहुत धन्यवाद । आप बैठें ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

बजट भाषण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायं ।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

माध्यवर,

मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1991-92 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं । महान परम्पराओं की विरासत वाले इस आदरणीय सदन के आप सब माननीय सदस्यों के सम्मुख लगातार दूसरे वर्ष जनता की भलाई का यह दस्तावेज पेश करते हुए मैं अत्यन्त गौरवान्वित हूं । संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए पांच मास के लेखानुदान की स्वीकृति भी प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

आठ महीने पहले अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने "चलो गांव की ओर" का लक्ष्य सामने रखा था, जो व्यवस्था परिवर्तन के शुभारम्भ का सूचक था, क्योंकि उसके प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीणों, किसानों, गरीबों, हरिजनों, पिछड़े वर्गों और अल्प-संख्यकों को समर्पित थे । हमारी सरकार का यह विनम्र प्रयास पूंजीवादी, संकीर्ण साम्प्रदायिक और सामन्तवादी शक्तियों को रास नहीं आया । इसलिए इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधा डालने के अनेक प्रयास किये गये ।

पिछले एक साल के दौरान इन शक्तियों ने एकजुट होकर इस बात का जबरदस्त प्रयास किया था कि हमारा ध्यान और ऊर्जा बजट में जनता की भलाई के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में न लगे । लोगों को साम्प्रदायिक और जातीय भावनाओं को भड़काने की कोशिशें की गयी लेकिन आप सबके सहयोग से यह कोहरा जल्दी ही छट गया और समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि पिछले एक साल में हमने अनेक आधारभूत क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और हम बजट के अधिकांश वायदे और कार्यक्रम एक साल में ही पूरा कर सके हैं । यह कार्यक्रम मूल रूप में हमारी आजादी के आन्दोलन के लक्ष्यों पर आधारित थे । हमारा ऐसा मानना है कि पिछले दिनों यह जो कुछ भी हुआ, वह भारतीय संविधान में वर्णित हमारे लक्ष्यों और आदर्शों पर आक्रमण है । ये आदर्श हैं--समाजवाद, संसदीय लोकतन्त्र, सर्व धर्म समभाव, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय । मैं आभारी हूं कि इस सदन के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (आई) ने समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा पर हुए इस हमले के खतरे को पहचाना और उसे असफल बनाने के लिए हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए सहयोग और समर्थन दिया । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इस सदन के अनेक माननीय निर्दलीय सदस्यों तथा सदन के बाहर प्रदेश की जनता ने भी इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जो हमें शक्ति और समर्थन दिया है, हम उनके भी आभारी हैं । इन्हीं सबके सहयोग से हम इतनी बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए उत्तर प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित कर सके ।

माध्यवर, इसके पूर्व कि मैं इस माननीय सदन को वर्तमान वर्ष में उपलब्धियों की जानकारी दूं और अगले वित्तीय वर्ष के प्रमुख कार्यक्रमों एवं नई दिशाओं के बारे में कुछ प्रकाश डालूं, मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से उन तीन प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अपनी सरकार के दृष्टिकोण को पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा जिन्होंने न केवल प्रदेश वरन् पूरे राष्ट्र को उद्वेलित कर रखा है । यह समस्याएं हैं--राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक

भावनाओं का शोषण और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए लागू की गयी आरक्षण नीति की जातीयता और वर्ग संघर्ष के रूप में परिणित करने के प्रयास तथा भाषा नीति के बारे में भ्रामक प्रचार ।

हिन्दुस्तान कई मिली-जुली सभ्यताओं और उपासना पद्धतियों का घर है, जहां वे सब साथ-साथ पनपी हैं और सहअस्तित्व के सिद्धान्त पर फली-फूली हैं, इसलिए हमारे संविधान में सबके साथ राजनीतिक और आर्थिक न्याय का सबसे अधिक आग्रह किया गया है । राजनीतिक न्याय के लिए 'लोकतन्त्र' और आर्थिक न्याय के लिए 'समाजवादी' को हमने आदर्श माना है । समाजवाद सही अर्थ में आर्थिक मानवतावाद है । इन लक्ष्यों को क्रियान्वित करने की अनिवार्य शर्त है--धर्म निरपेक्षता या सर्व धर्म समभाव ।

दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों से इन लक्ष्यों का मखौल उड़ाया जा रहा है । खुली चुनौतियां दी जा रही हैं । यह सच है कि देश की नई पीढ़ी को संविधान के लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के साथ जोड़कर एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने की दिशा में हम अधिक सफल नहीं हो पाये हैं लेकिन इसके लिए संविधान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । जानबूझकर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि समाजवादी और धर्म निरपेक्षता के आदर्श गलत हैं । भारतीय गणतन्त्र में धर्म निरपेक्षता के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक विश्वास को सर्वोपरि मानने की छूट है लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ दूसरों के धार्मिक विश्वासों का विरोध करना मानते हैं । इसके लिए भाई को भाई से लड़ाया गया है । यह संविधान और देश के साथ विश्वास-घात है । ऐसे लोगों को अराजकता पैदा करने की छूट नहीं दी जा सकती । इस काम में हमें इस माननीय सदन का सक्रिय सहयोग मिलेगा--ऐसा मेरा विश्वास है ।

पूज्य महात्मा गांधी ने रामराज्य का सपना देखा था जिसकी रूपरेखा रामचरित मानस में दी गई है--

"सब नर करहिं परस्पर प्रीति ।
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।।"

अगर हम समझ सकें तो इन पंक्तियों में सन्त तुलसीदास ने किसी भी समाज के लिए एक उत्तम आदर्श और चुनौती दी है । वह एक ऐसे समाज का सपना है जिसमें किसी तरह की विषमता या गैर-बराबरी न हो, जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न हो और जिसमें लोग अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए परस्पर प्रेम से रहें । हमारे देश के सभी राष्ट्रनायकों--महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू, जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचारों में भी किसी न किसी रूप में ये आदर्श और लक्ष्य परिलक्षित हुए हैं ।

मुझे खुशी है कि देर से ही सही लेकिन रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में भारत को "पंच परमेश्वर" परम्परा यानी वार्ता से सुलझाने का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में गठित केन्द्र सरकार ने शुरू किया है । इस प्रक्रिया में प्रगति भी हुई है लेकिन अगर पंच पद्धति से निर्णय नहीं हो पाता तो फिर इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अदालत फैसला दे और तब तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखी जाय । हमारा प्रयास है कि आपसी बातचीत से स्थिति सामान्य हो जाय । मैं एकबार फिर अपील करूंगा कि अपने को अदालत और कानून की परिधि से बाहर समझने की प्रवृत्ति देशहित में नहीं है । यह बड़ी चिन्ता की बात है कि आज कुछ लोग संविधान की सारी बुनियादी मान्यताओं और संस्थाओं को नकारते जा रहे हैं । इन लोगों ने प्रेस कौंसिल के निर्णय पर भी उंगली उठाई है, जिसने हाल ही में प्रदेश के कतिपय समाचार-पत्रों को अफवाहों पर आधारित उत्तेजनात्मक समाचार प्रकाशित करने के लिए दोषी बताया है ।

इससे पहले मैंने विषमता और गैर-बराबरी मिटाने की बात कही थी। गैर-बराबरी मिटाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जो छोटा है, कमजोर है उसे विशेष अवसर दिया जाय। दुर्भाग्य से भारतीय समाज में कर्म के अनुसार बनी वर्णाश्रम व्यवस्था बाद में जन्मना जाति निर्धारण के कारण एक अभिशाप बन गई और अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं पिछड़ी जातियों में जन्म लेने वाले लोग ज्ञानार्जन तथा राजकाज से वंचित कर दिये गये। इस सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए भी संविधान द्वारा सरकारी सेवाओं और शिक्षा आदि में आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारे अनुसूचित जाति/जन-जाति के भाइयों के लिए यह व्यवस्था करने के लिए आजादी की लड़ाई के दौरान ही आम सहमति तैयार हो गई थी, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं आयी। पिछड़े वर्गों के लिए यह व्यवस्था करने का अभियान डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में चला, जिसमें हम और हमारे साथी जेलों में रहे, लाठी डण्डे खाए। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसे आधे-अधूरे तथा विवादास्पद ढंग से लागू करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी चाही जबकि हमने अपनी सभाओं के जरिए इसके लिए जनमत तैयार करना शुरू किया था। चूंकि हमारी नीयत साफ थी इसलिए हमने सत्ता सम्भालते ही कहा था कि इसे एक साल में लागू करेंगे और जब लागू करेंगे उस समय जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ऊंची जातियों में निर्धनता के कारण, भौगोलिक कठिनाइयों के कारण, पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों और महिलाओं का भी ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने कहा--इस योजना को एक राजनैतिक साजिश के तहत आधे-अधूरे मन से लागू किया इसलिए राज्यों के लिए अनिवार्य न करके स्वैच्छिक कर दिया और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्राविधान नहीं किया। अगर आप शिक्षा में भी विशेष अवसर देकर उन्हें ग्रजुएट, पोस्ट-ग्रेजूएट, डाक्टर, इंजीनियर बनने नहीं देंगे तो फिर सरकार की ऊंची नौकरियों में वे आरक्षण का लाभ कैसे उठायेंगे। मण्डल आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में इन पर खास बल दिया था। इसलिए विशेष अवसर के सिद्धान्त को व्यापक और सर्वस्वीकार्य बनाने के लिए हमने अपने प्रदेश में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 27 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही अन्य लोगों को यह लाभ देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री श्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में समिति गठित की जो तेजी से काम कर रही है। हमने अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, सभी धर्मों के पिछड़े वर्गों एवं अन्य निर्धन छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए छात्रवृत्तियों का एक नया पैकेज तैयार किया है और हम यह भी देखेंगे कि इन वर्गों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए और क्या व्यवस्था की जा सकती है ताकि वे आरक्षण का लाभ वास्तव में उठा सकें।

हमारी सरकार ने अपनी भाषा नीति के बारे में अपनी स्थिति समय-समय पर स्पष्ट की है किन्तु चूंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है इसलिए मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी नीति यह है कि प्रदेश के समस्त सरकारी और सार्वजनिक काम-काज में केवल हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाय तथा जहां कहीं भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसे तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय। हम अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विरुद्ध नहीं हैं। जो लोग उसमें रुचि रखते हैं उसे अवश्य पढ़ें किन्तु नौकरियां पाने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता न रहे। हम राष्ट्रभाषा के विकास के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत एवं उर्दू, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है, के विकास के भी पक्षधर है। इसके साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट शेष की 12 भाषाओं के विकास के लिए भी हम प्रयत्नशील है और हमने यह निर्णय लिया है कि अहिन्दी भाषी राज्यों से उनकी क्षेत्रीय भाषा में पत्राचार किया जाय। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से क्षेत्रीय भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भावात्मक एकता एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का संचार करने के

उद्देश्य से प्रथम चरण में प्रदेश के आठ जनपदों के 16 विद्यालयों में 8 क्षेत्रीय भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था का शुभारम्भ 2 अक्तूबर, 1990 से किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं का समुचित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के तीन जनपदों-लखनऊ, देहरादून तथा इलाहाबाद में अंशकालिक भारतीय भाषा केन्द्रों की स्थापना करके 2 अक्तूबर, 1990 से 8 क्षेत्रीय भाषाओं—तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली तथा उड़िया के पठन-पाठन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। संविधान की अष्टम सूची की अन्य चार क्षेत्रीय भाषाओं-असमिया, पंजाबी, कश्मीरी तथा सिन्धी के पठन-पाठन की व्यवस्था भी करने का प्रस्ताव है।

आर्थिक स्थिति

माननीय सदस्यों को सम्भवतः स्मरण होगा कि पिछले वर्ष के बजट भाषण में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मैंने कुछ विस्तार से उल्लेख किया था। यद्यपि आज उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन हमारे लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है। कोई भी क्षेत्र ले लें, उत्तर प्रदेश अधिकांश राज्यों की तुलना में पीछे है।

वर्ष 1988-89 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,698 रु0 थी, जो देश की प्रति व्यक्ति आय, 3,835 रु0 से 1,137 रु0 अर्थात् लगभग 30 प्रतिशत कम थी। अधिकांश राज्यों की प्रति व्यक्ति आय से भी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम थी तथा पंजाब एसे समृद्धिशाली राज्य की प्रति व्यक्ति आय (6,227 रु0) का तो केवल 43 प्रतिशत थी।

विद्युत् के विकास पर आय की वृद्धि बहुत कुछ निर्भर करती है परन्तु इस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। वर्ष 1987-88 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग 135 के0 डब्लू0 एच0 था, जो देश के प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग 201 के0 डब्लू0 एच0 का लगभग 67 प्रतिशत और पंजाब के 515 के0 डब्लू0 एच0 का केवल 26 प्रतिशत था।

कृषि और उद्योग में भी हमारी स्थिति भिन्न नहीं है। 1984-85 से 1988-89 तक के पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की औसत उत्पादकता 15·26 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी, जो इसी प्रदेश से मिलते-जुलते पंजाब और हरियाणा ऐसे प्रदेशों की उत्पादकता क्रमशः 31.03 कुन्तल और 19 67 कुन्तल प्रति हेक्टेयर का केवल, 49 प्रतिशत और 78 प्रतिशत थी। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंश 16·2 प्रतिशत था, किन्तु देश के कुल पंजीकृत कार्यशील कारखानों में इस प्रदेश के कारखानों का अंश 30 जून, 1987 को केवल 3·3 प्रतिशत था, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब ऐसे छोटे प्रदेशों के ये अंश क्रमशः 11·1 प्रतिशत, 7·5 प्रतिशत और 5·4 प्रतिशत थे। वर्ष 1988-89 के अन्त तक देश के समस्त केन्द्रीय उपक्रमों के विनियोग में भी उत्तर प्रदेश का अंश केवल 8·6 प्रतिशत है जबकि महाराष्ट्र का अंश 16·7 प्रतिशत है।

1981 की जन-गणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 27 प्रतिशत थी जबकि देश की साक्षरता दर 36 प्रतिशत थी। दूसरी ओर 1986-88 की अवधि में प्रदेश की औसत शिशु मृत्यु दर 128 प्रति हजार, देश की शिशु मृत्यु दर 95 प्रति हजार, से कहीं अधिक थी। साक्षरता की कमी और शिशु मृत्यु दर के आधिक्य का प्रभाव जन्मदर पर भी होता है। परिणामस्वरूप, इसी अवधि में प्रदेश की औसत जन्म दर 37·4 प्रति हजार थी जबकि देश की जन्म दर केवल 32 प्रति हजार थी।

लगभग सभी क्षेत्रों में हमारी स्थिति ऐसी है । मैंने केवल यहां विकास के कुछ प्रमुख सूचकांकों का हवाला दिया है । अपनी इस स्थिति को ध्यान में रख कर ही हमें अपने भावी विकास की रणनीति तय करनी होगी ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना का "प्रारूप" हमने केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्तुत किया है । योजना में रोजगार-सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में गुणात्मक सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । विगत वर्षों में आय की वृद्धि दर पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया, रोजगार-सृजन और आय के न्यायोचित वितरण के पक्षों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया । परिणामस्वरूप, विगत 14-15 वर्षों में राज्य की आय में वृद्धि तो हुई किन्तु बेरोजगारी की समस्या गम्भीर होती गई, गरीबी बढ़ती गई, व्यक्तिगत आय और क्षेत्रों में विषमताएं बढ़ती गयीं तथा गांव और शहर के बीच खाई कम होने के बजाये और अधिक बढ़ गई । इसी परिप्रेक्ष्य में योजना का यह प्रारूप तैयार किया गया है ।

योजना के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार रखे गये हैं :—

राज्य की आय में 6 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि,

लगभग 50 लाख व्यक्तियों के लिए पूर्ण और टिकाऊ रोजगार का सृजन और गरीबी में पर्याप्त कमी,

ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में गुणात्मक सुधार । इसके लिए शत-प्रतिशत गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने, कक्षा 1-5 (वय वर्ग 6-10) के शत-प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधायें सुनिश्चित करने, साक्षरता एवं महिला शिक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य-सुविधाओं में समुचित विस्तार एवं शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है,

अन्तर्प्रदेशीय विषमतायें कम करने के उद्देश्य से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का त्वरित विकास, और

जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी ।

आय में वार्षिक वृद्धि तथा रोजगार-सृजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने, सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करने, कृषकों को बीज, खाद आदि निवेश समय से उपलब्ध कराने एवं उनके लिए ऋण की सुविधाओं को और अधिक चुस्त और सरल करने, पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने लघु एवं सीमान्त कृषि जोतों में विशेष रूप से मिश्रित खेती का प्रसार, फल और सब्जी के क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि, दूध, अण्डा, मछली आदि पशुधन-उत्पाद में विशेष वृद्धि, कृषि तथा पशुधन-उत्पाद पर आधारित छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाने, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का व्यापक विस्तार एवं निर्माण-कार्यों को अधिकतम प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है ।

उपरोक्त आधार पर योजना के लिए भौतिक लक्ष्य और अपेक्षित विनियोग का निर्धारण किया गया है । वर्ष 1989-90 के भावों पर योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपये के विनियोग की आवश्यकता आंकी गई है । इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग का अंश लगभग 24,500 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) तथा संस्थागत वित्त आदि अन्य स्रोतों से लगभग 35,500 करोड़ रुपये (59 प्रतिशत) का विनियोग प्रस्तावित है ।

योजना के इस प्रारूप पर केन्द्रीय योजना आयोग के कार्यकारी दलों में विचार-विमर्श भी हुआ था परन्तु जैसा आप सभी जानते हैं, इस बीच खाड़ी युद्ध के कारण देश के सामने संसाधनों की एक अत्यन्त विषम स्थिति पैदा हो गई। अतः फिलहाल योजना आयोग ने आठवीं योजना पर अंतिम विचार अभी स्थगित कर दिया है।

इस बीच हमने अपना यह दृष्टिकोण केन्द्र के समक्ष पूरी स्पष्टता और मजबूती से रखा है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह है कि विगत पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निरन्तर कम विनियोग होता आया है। देश में संतुलित विकास के लिए तथा क्षेत्रीय विषमताएँ कम करने में केन्द्र की प्रमुख भूमिका है किन्तु इस भूमिका का निर्वाह नहीं किया गया। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश ऐसे पिछड़े राज्यों की अपने स्वयं के संसाधन जुटाने की क्षमता अत्यन्त सीमित है। अतः इन राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केन्द्र का यह विशेष दायित्व है कि सभी उपलब्ध स्रोतों से इन राज्यों में अधिक विनियोग किया जाय। हमने केन्द्र से जोरदार आग्रह किया है कि राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता में, केन्द्रीय उपक्रमों तथा संस्थागत वित्त से उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों में राज्य के अंश में समुचित वृद्धि की जाय।

वार्षिक योजना 1991-92

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि केन्द्रीय योजना आयोग ने हमारी वार्षिक योजना 1991-92 के लिए 3,710 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमानित है। इस प्रकार 1991-92 की वार्षिक योजना 3,910 करोड़ रु0 1990-91 की योजना के 3,383 करोड़ रुपये की अपेक्षा 527 करोड़ रुपये अथवा 15.6 प्रतिशत अधिक है। इस परिव्यय में पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय 375 करोड़ रुपये है। शेष 3,535 करोड़ रुपये मैदानी क्षेत्र का परिव्यय है। योजना आयोग के इस न्यायसंगत दृष्टिकोण के लिये हम उनके आभारी हैं।

योजना के कुल परिव्यय में ऊर्जा के लिये 1,281 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत), कृषि एवं सम्बर्गीय कार्यक्रम तथा ग्राम्य विकास के लिये 760 करोड़ रुपये (19 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये 439 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत), यातायात के लिये 387 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत), शिक्षा के लिये 222 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत), जल सम्पूर्ति के लिये 140 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) और चिकित्सा के लिये 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जनता से किये गये वायदे के अनुरूप वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये परिव्यय का लगभग 52 प्रतिशत भाग सुरक्षित किया गया है।

आठवीं योजना के "प्रारूप" के उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप 1991-92 की वार्षिक योजना में भी रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन-स्तर में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

उपलब्धियाँ : नये कार्यक्रम

आप सब माननीय सदस्य अवगत ही हैं कि हमने जो प्रमुख वायदे किए थे

उनमें से अधिकांश पर हमने पहले ही अमल शुरू कर दिया । संक्षेप में ये इस प्रकार हैं—

हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों, बुनकरों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण शिल्पकारों को राहत देने के लिए उनके 10,000 रु0 तक के बैंकों के कर्जे माफ करने का फैसला लिया और युद्धस्तर पर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कर इस फैसले को अमली जामा भी पहना दिया । सरकार के इस निर्णय से 46·5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए और 819 करोड़ रुपये से अधिक राशि की राहत प्रदान की गई है ।

इसके अलावा हमने किसानों के 120 करोड़ रुपये के बिजली के बकाये को माफ करने का फैसला लिया है साथ ही उन्हें सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की । किसानों की फसल को ओला से हुई क्षति के लिए राहत सम्बन्धी योजना को भी लागू कर दिया है ।

हमने वायदा किया था कि वायोवृद्ध नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु नई वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करेंगे । वायदे के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन योजना को काफी व्यापक और उदार बनाया जिसके अन्तर्गत पेंशन की राशि 60 रु0 से बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिमाह कर दी गई और न्यूनतम अर्हता आयु को 65 से घटाकर 60 वर्ष की । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में 5 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे साथ ही वर्ष 1991–92 में तीन लाख नये वायोवृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिस पर 36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है ।

हमने निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों को दिए जाने वाले भरण-पोषण अनुदान को उदार बना दिया है ।

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने तथा खेती के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि सेना का गठन करके प्रदेश में उपलब्ध समस्त ऊसर और बंजर भूमि को सरकारी खर्च से कृषि योग्य बनाने, भूमि सुधार के बाद उसे भूमिहीनों एवं खेतिहर मजदूरों में बांटने का जो हमने वायदा किया था उसके अन्तर्गत अब तक प्रदेश के 14 मैदानी तथा 2 पर्वतीय जनपदों में इस योजना को अग्रगामी परियोजना के रूप में लागू कर दिया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊसर सुधार, वनीकरण, सिंचाई साधनों का विकास, फलोत्पादक कार्यक्रम तथा प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम अपनाए गए हैं । अब तक 14370 हेक्टेयर क्षेत्र चयनित किए गए हैं और लगभग 25 हजार भूमि सैनिकों को विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया गया है । वनीकरण के लिए भी एक हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र चयनित किए जा चुके हैं । वर्ष 1991–92 में इस योजना के लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 2 लाख निजी शौचालयों का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा । वर्ष 1991–92 में भी 2 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा ।

हमने यह निर्णय लिया था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण सुनिश्चित करायेंगे । मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायगा ।

हमारी सरकार ने कक्षा 12 तक बालक–बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का जो वायदा किया था उसे हम पूरा कर चुके हैं ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान पेंशन 401 रु0 से बढ़ाकर 500 रु0 प्रति माह किए जाने का निर्णय लागू हो चुका है ।

वयोवृद्ध पत्रकारों को सम्मान स्वरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं 60 वर्ष के ख्यातिपूर्ण साहित्यकारों व कलाकारों जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं, को आर्थिक सहायता दिए जाने सम्बन्धी निर्णयों को भी अमली जामा पहना दिया गया है।

प्रदेश में आर्थिक विकास की गति में तत्परता लाने तथा परिवहन क्षेत्र में क्षमता के पूर्ण उपयोग एवं चुंगी शुल्क के कराधान में व्याप्त उत्पीड़न से मुक्ति हेतु प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों से चुंगी शुल्क को दिनांक 1 अगस्त, 1990 से समाप्त करने के निर्णय को भी लागू किया जा चुका है

इसके अतिरिक्त छोटे समाचार-पत्रों को प्रथम बार टेलीप्रिन्टर सुविधा के लिए अनुदान सम्बन्धी योजना, अम्बेदकर ग्राम विकास योजना, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को अधिक सक्रिय रूप देने, रिक्शा-चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना तथा रैन बसेरा निर्माण की योजना के कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों में संशोधित वेतन वितरण व्यवस्था लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अनुदान की राशि में वृद्धि कर दी गई है।

आपने देखा होगा कि तमाम झंझावातों के बावजूद हमने इनके क्रियान्वयन में रुकावट नहीं आने दी, बल्कि हमारे मंत्रि मण्डलीय सहयोगियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं गांवों और गलियों में जाकर इन्हें गति दी और चुनौतियां हमारे लिए अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत बनीं। अब अगले वर्ष में हम इन कार्यक्रमों का संख्यात्मक दृष्टि से विस्तार करते हुए गुणात्मक सुधार पर भी जोर देंगे।

आज देश की सबसे ज्वलन्त समस्यायें बेरोजगारी एवं महंगाई हैं। हमें इनका सामना दृढ़तापूर्वक करना है, जो हम उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करके तथा आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करके करेंगे।

विभिन्न सामान्य कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करने के अतिरिक्त वार्षिक योजना में प्रथमबार 50 करोड़ रुपये धनराशि की एक मुश्त व्यवस्था की गई है जिसका उपयोग केवल रोजगारपरक विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। योजना की संरचना इस प्रकार की जायेगी कि संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिक विनियोजन उपलब्ध हो सके।

केन्द्रीय योजना आयोग के सहयोग से प्रदेश में आगामी परियोजना के रूप में "आदर्श ग्राम" योजना चलाई जायेगी। इस योजना में प्रत्येक जिले में एक ग्राम का चयन करके उस गांव के समस्त बेरोजगार व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर व्यवसायिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के अवसर सुलभ कराये जायेंगे। इसके लिये 6·30 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

लघु उद्योग के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिये विकास खंड को केन्द्र विन्दु माना गया है। यह प्रस्ताव है कि प्रदेश के विकास खंडों में कम से कम 30 उद्योग प्रति विकास खंड स्थापित किये जायं। इसी प्रकार खादी ग्रामोद्योगों द्वारा भी विकास खंडों में छोटी-छोटी इकाइयों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग इकाइयां मुख्यतः निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित की जायेंगी और राज्य सरकार की योजनायें प्रेरक के रूप में भूमिका निभायेंगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो। अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से इस प्रकार की जागरूकता के कारण रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। अतः यह प्रस्ताव है कि प्रदेश के चुने हुए अल्पसंख्यक इंटर कालेजों/हाई स्कूलों में "वोकेशनल" प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी मात्र डिग्री प्राप्त करने के बजाय तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वतः रोजगार योजना को अपना सकें।

प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों की संख्या इस समय लगभग 45 हजार है । इन्हें सेवायोजित करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और जल्दी ही दस हजार रिक्त पदों पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों को सेवायोजित कर लिया जाएगा ।

कृषि पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करने की योजना, जिसको वर्ष 1990-91 में प्रदेश के 14 जनपदों में लागू करने का कार्य प्रगति पर है, को वर्ष 1991-92 में प्रदेश के शेष समस्त जनपदों में लागू कर दिया जायेगा ।

वर्ष 1991-92 में युवक एवं महिला मंगल दलों के सदस्यों को स्वतः रोजगार प्रदान करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने की नई योजना प्रस्तावित है ।

हमने प्रदेश के 40 नियोजनों, जिनमें गत 5 वर्षों में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण नहीं किया गया था कार्यरत अकुशल श्रमिकों को 20 रु0 से लेकर 29 रु0 तक दैनिक वेतन दिए जाने का निर्णय लिया है । इसके फलस्वरूप मिष्ठान उद्योग, डेरी मिल्क, बांध तटबन्ध, खाण्डसारी, ऊनी कम्बल, ईंट भट्ठा, हथकरघा, वानिकी उद्योग आदि में लगे अकुशल कर्मचारियों को भारी राहत मिल सकेगी । इसके अतिरिक्त प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी और निजी प्राविधिक शिक्षण संस्थायें सम्मिलित हैं, में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का शोषण समाप्त करने के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 725 रुपये और प्रशिक्षित अध्यापक को 850 रु0 से लेकर 1250 रुपये तक न्यूनतम वेतन मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त अब उन्हें परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी प्राप्त हो सकेगा । हमने चीनी उद्योग के लिए गठित तृतीय मजदूर बोर्ड की संस्तुतियों को भी शासकीय अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 1991 द्वारा लागू कर दिया है, जिससे इस उद्योग में लगे कर्मकारों को भारी राहत मिली है ।

वर्ष 1990-91 में प्रथमबार राज्य के दो पिछड़े क्षेत्र,--पूर्वी और बुन्देलखण्ड के विकास के लिए क्रमशः 20 करोड़ एवम् 5 करोड़ रुपये की दो "निधियों" का सृजन किया गया था । इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास जारी रहेंगे और इनके निमित्त 1991-92 की वार्षिक योजना में धनराशि बढ़ाकर पूर्वी क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपये एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 7.50 करोड़ रुपये की जा रही है ।

जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही हल करने और विकास कार्यक्रमों को इन क्षेत्रों में गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में दो और नए जिलों का सृजन किया जाएगा । यह दो नए जिले होंगे--पडरौना और मदोही, जिनके मुख्यालय क्रमशः पडरौना और ज्ञानपुर होंगे ।

डा0 भीमराव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के 683 विकास खण्डों में स्थित 9,563 गांवों जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत या अधिक है, के चरणबद्ध रूप से विकास के लिए "अम्बेदकर ग्राम विकास योजना" प्रारम्भ की जाए। वर्ष 1990-91 में योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में पांच ग्रामों, इस प्रकार प्रदेश में कुल 315 ग्रामों का चयन किया गया है । इन ग्रामों का आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा चुका है ।

चयनित ग्रामों में समस्त पात्र एवं इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को निःशुल्क बोरिंग एवं पम्प सेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा । ग्रामों को मुख्य मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़ा जायेगा । अनुसूचित जाति/जनजाति की

स्तियों में खड़ंजा एवं नालियों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जाएगी। इन ग्रामों को नेबंल वर्ग आवास योजना के अन्तगत प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित ग्रामों में प्रत्येक 40 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के बीच एक इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प की स्थापना कर समुचित पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। इन ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण, विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। समस्त नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इन ग्रामों के अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के पास उपलब्ध पशुओं का प्रतिवर्ष टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त "मिलियन वेल स्कीम" तथा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय आदि के निर्माण में भी पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 1991-92 में इस योजना के अन्तर्गत 368 नये ग्राम लिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में लगभग 12.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऊसर से प्रभावित है तथा प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि ऊसर में परिवर्तित होती जा रही है। इस विषय पर विचारोपरान्त यह प्रस्ताव है कि प्रदेश के दस जनपदों-अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, इटावा, एटा, फतेहपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर में वृहद् रूप से ऊसर सुधार का एक समन्वित कार्यक्रम चलाया जाए जिससे ऊसर सुधार के प्रत्येक पहलू पर वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जाये। परियोजनान्तर्गत उक्त दस जनपदों में लगभग 64 हजार हेक्टेयर ऊसरग्रस्त भूमि का, जो कि 22 विकास खण्डों के अन्तर्गत आती है, उपचार करके कृषि योग्य बनाया जायगा। अष्टम पंचवर्षीय योजनावधि में परियोजना पर लगभग 219 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें लगभग 1,08,000 कृषक लाभान्वित होंगे। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित होगी।

जन-सामान्य में वनों के महत्व को जागृत करने तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता लाने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत "पादप क्रान्ति", "हरित मेखला" और "स्मृति वन" जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारम्भ कर रही हैं।

सड़क नहर और रेलवे लाइन के किनारे जहां एक से अधिक पंक्तियों में वृक्षारोपण कराया जाएगा वहां खेत के सन्निकट वाली पंक्ति में वृक्ष और उसके उत्पाद का पूर्ण स्वामित्व खेत के स्वामी को दे दिया जाएगा। अन्य पंक्तियों के लघु वन उपज पर भी ग्राम सभा और ग्रामवासियों को अधिकार दिया जाएगा।

प्रदेश में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने हेतु वृक्षारोपण पट्टों द्वारा हरियाली कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 50,000 एकड़ भूमि वृक्षारोपण हेतु पट्टे पर देने का लक्ष्य रखा गया है।

जौनपुर-सतहरिया तथा गोरखपुर में नोयडा की भांति औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के कार्य को 1991-92 में अधिक गति प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद व जनपद बुलन्दशहर में नोयडा की वर्तमान सीमा तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर एवम् कासना में लगे नोयडा-दादरी रोड पर अनियंत्रित विकास को कम करने तथा भारत सरकार द्वारा अपने नोटीफिकेशन फरवरी, 1989 में नेशनल कैपिटल रीजन के विषय में जारी शिथिलता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु ग्रेटर नोयडा की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

पर्यटन उद्योग के विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने इसे उद्योग घोषित करने तथा इस उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई पर्यटन विकास

नीति अपनाई है । इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण रहित पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है ।

वर्ष 1991–92 में हम समाज के लगभग सभी जरूरतमन्द छात्रों के लिए वजीफे के एक नए पैकेज की व्यवस्था करने जा रहे हैं । इस पैकेज का लाभ 13.31 लाख छात्रों को प्राप्त होगा तथा इस पर लगभग 35 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है ।

इस योजना के फलस्वरूप वर्तमान छात्रवृत्तियों में सवा गुने से लेकर डेढ़ गुना वृद्धि की गई है और संख्या इस हद तक बढ़ायी जा रही है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक निर्धारित आय सीमा वाले सभी अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को वजीफा मिल सके । यह सुविधा पिछड़ी जातियों में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट के निर्धारित आय सीमा वाले सभी छात्रों को पहली बार मिलेगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में उपरोक्त से भिन्न वर्गों के निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले पांच-पांच निर्धन छात्रों को भी यह छात्रवृत्तियां दी जाएंगी । प्राथमिक कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों के छात्रों का चालू वित्तीय वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1991–92 में 20 प्रतिशत अधिक आच्छादन किया जाएगा ।

वर्ष 1991–92 में 20 अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के भरण-पोषण पर प्रति छात्रा 240 रुपये प्रतिमास की दर से व्यय किए जाने का भी प्रस्ताव है ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए लखनऊ में स्थापित सेवा सदन के विस्तार के लिए 15 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

बहुत समय से अनेक पत्रकार संगठनों तथा पत्रकारों की यह मांग रही है कि पत्रकारों को भी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पेन्शन की सुविधा अनुलब्ध कराई जाय । हमारी सरकार ने जीवन बीमा निगम के सहयोग से अंशदायी आधार पर उन पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए जो निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हों पेन्शन सह-बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है । इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात् योजना से आच्छादित पत्रकारों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेन्शन मिल सकेगी । आच्छादित पत्रकार के असामयिक/प्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर 50 हजार और दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर एक लाख रुपये की धनराशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी ।

जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब तक 3,000 किलो मीटर तक की बस यात्रा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए में छूट दी जाती थी । अब यह यात्रा सुविधा जिले के अन्तर्गत पूर्णरूप से निःशुल्क तथा बिना किसी सीमा के अनुमन्य होगी ।

पिछले बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप टेलीप्रिन्टर लगाने के लिए छोटे समाचार-पत्रों के प्रथम वर्ष के व्यय का 25 प्रतिशत या 10 हजार रुपये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जा रही है । अब इस रियायती सुविधा को अधिक उदार बनाने का प्रस्ताव है । इसके तहत 25 हजार से कम प्रसार संख्या के समाचार-पत्रों को टेलीप्रिन्टर स्थापना के पहले तथा दूसरे वर्ष में क्रमशः 15,000 तथा 10,000 रुपये या वार्षिक व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाएगा । छोटे पत्रों

को दूसरे वर्ष में भी 5,000 रुपये या तीसरे वर्ष के व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जायेगा ।

राज्य में स्थित सभी रेजीमेन्टल सेन्टर्स में युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए सेना द्वारा उपलब्ध निःशुल्क भूमि पर सरकार के संसाधनों से हास्टल का निर्माण किया जाएगा जिसका अनुरक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य सेना द्वारा किया जायेगा ।

(इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

जाति-पांति के रुढ़िगत भेद-भाव को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पत्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये करने का प्रस्ताव है ।

हमारे समाज में वैधव्य तो वैसे ही एक अभिशाप है । अल्पायु विधवाओं के लिए जीवन में सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयां व समस्याएं और भी गहन हो जाते हैं । इन महिलाओं के जीवन को पुनः गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर वित्तीय सहायता दिए जाने की योजना वर्ष 1991-92 से प्रारम्भ की जा रही है ।

अल्प-संख्यक वित्त एवं विकास निगम को और अधिक प्रभावी बनाए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऋण सेवा शिविरों के माध्यम से अल्प-संख्यक समुदाय के लाभार्थियों को अधिकाधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके ।

उत्तर प्रदेश की संस्तुति एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है । यह महान् विभूतियों की कर्मभूमि रही है । हमारी सरकार इस धरोहर के अध्ययन, संरक्षण एवं उन्नयन के लिए प्रयासरत रही है ।

प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण कार्य में संख्यात्मक विस्तार एवं गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में 5 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गई है ।

हमारी सरकार प्रदेश के आर्थिक-सामाजिक विकास के साथ ही उसका सांस्कृतिक विकास भी चाहती है । हमारे लोकगीत, हमारे लोकनाट्य व लोकनृत्य, हमारे लोक संगीत और हमारी लोक भाषाएं और लोक गाथाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं । सरकार योजनाबद्ध रूप से यह प्रयास करेगी कि लोक-संस्कृति, लोक-साहित्य तथा लोक-कलाओं की लुप्तप्राय शैलियों एवं स्वरूपों को सहेज कर रखने की वैज्ञानिक व्यवस्था की जाय तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता दी जाय ।

प्रदेश में विभिन्न सामाजिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने, महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा एवं आतंकवादियों की गतिविधियों से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार "शान्ति सुरक्षा बल" की सात वाहिनियों का गठन करने जा रही है । इस बल को अपनी ड्यूटी कारगर ढंग से निभाने के लिए उच्चकोटि का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं आधुनिकतम साज-सज्जा से लैस किया जायेगा । वर्ष 1991-92 में इस हेतु 52.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

भारतरत्न बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी के अन्तर्गत जो कुछ अन्य प्रमुख कार्यक्रम लिए जा रहे हैं वह इस प्रकार हैं--महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाबा साहब के 14 खण्डों से प्रकाशित साहित्य व भाषणों का हिन्दी में अनुवाद,

डा0 अम्बेदकर जन्म-शताब्दी फाउण्डेशन निधि की स्थापना तथा लखनऊ में बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेदकर प्रतिष्ठान की स्थापना । इसके अतिरिक्त लखनऊ में डा0 भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाएगी ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने नीति निदेशक तत्वों के रूप में 21 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है ।

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महान समाजवादी, क्रान्तिकारी विचारक डा0 राम मनोहर लोहिया के समाजवादी समाज की स्थापना के स्वप्न को साकार करना है । 21 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख कार्यक्रमों—सिंचाई, स्वच्छ पेयजल सम्पूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, भूमि सेना, प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण तथा अम्बेदकर ग्राम विकास योजना की विशेष समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 14 सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है ।

हम भारत सरकार द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु भी कृत संकल्प हैं ।

अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा ।

पर्वतीय विकास

राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र कर जन-साधारण तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 के लिए 375 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया है जिसका 75 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया जायेगा । अब मैं माननीय सदस्यों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराना चाहूंगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को विशेष रूप से वरीयता देते हुए इस क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से प्रशिक्षित युवक एवं युवतियों हेतु रोजगार के एक हजार अवसर सृजन करने की योजना तैयार की गई है । लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जायगी । वर्ष 1991-92 में ऊन व्यवसाय के विकास हेतु ऊन बैंक की स्थापना की जायेगी । इन प्रयासों से वर्ष 1991-92 में 12 हजार से अधिक युवकों/युवतियों हेतु रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।

पर्यटन उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देते हुए एक समन्वित योजना के अन्तर्गत विभिन्न तीर्थ-स्थलों का पर्यटन ग्रिड तैयार कर यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी । शीतकालीन क्रीड़ा की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वर्ष 1991-92 में स्की-लिफ्ट/चेयर-लिफ्ट की व्यवस्था की जायेगी तथा औली-गोरसों रज्जू मार्ग का निर्माण-कार्य नवम्बर, 1992 तक पूर्ण कराया जायेगा । जनपद उत्तरकाशी में हर की दून, रामाशिराई घाटी, भीमयांछ, दयारा, डोडीताल, नचिकेता ताल, चौरंगी, जनपद टिहरी में सहस्त्रताल, बद्रीकेदार, खतलिंग, सेम-मुखेम, जनपद पौड़ी गढ़वाल में ताड़केश्वर, मंसूरी में जार्ज एवरेस्ट तथा नई टेहरी का पर्यटन की दृष्टि से विकास प्रस्तावित है ।

पर्वतीय क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जायेगी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 10,000 किलोवाट की विद्युत क्षमता का तथा वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की परियोजनाओं द्वारा वर्ष 1991-92 में 55 किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है ।

क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप चयनित फलों, बेमौसमी सब्जियों आदि के उत्पादन में वृद्धि करते हुए उनके भण्डारण के लिये शीतगृहों का निर्माण आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं । सड़कों के किनारे विशिष्ट सब्जी उत्पादन क्षेत्रों/पट्टियों का विकास किया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्र की विशेष भौगोलिक एवं भू-गर्भीय परिस्थियों के अनुरूप सड़क निर्माण तकनीक में सुधार करते हुए भूस्खलन रोकने के लिए आवश्यक मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं । वर्ष 1991-92 में 250 किलोमीटर मोटर मार्ग, 85 किलोमीटर हल्के वाहन मार्ग तथा 85 किलोमीटर पैदल मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है ।

शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 1991-92 में दुरूह एवं असेवित क्षेत्रों में नये प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल तथा नए माध्यमिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है । वर्ष 1991-92 में दो जनपदों उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा में जन-जन को साक्षर बनाने हेतु एक पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का अभियान चलाया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में महिला कर्मियों की अधिक संख्या को देखते हुए महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार एवं चलाए जा रहे समस्त कार्यक्रमों जैसे-वानिकी, चारागाह विकास, कृषि, औद्यानिकी, पशुधन विकास, हथकरघा उद्योग, इलेक्ट्रानिक उद्योग आदि में उनके प्रशिक्षण एवं क्षमताओं के विकास हेतु विशेष व्यवस्था की जा रही है । श्रम-जीवी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये तथा अल्मोड़ा एवं देहरादून में 60-60 महिलाओं के लिए तथा पौड़ी एवं हल्द्वानी में 20-20 महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण, वानिकी एवं जलागम प्रबन्ध, वनीकरण तथा चारागाह विकास पर विशेष बल दिया जायेगा ।

टिहरी बांध क्षेत्र के समन्वित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु उच्च-स्तरीय भागीरथी-भिलंगना प्राधिकरण की स्थापना की गई है ।

पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के हक-हुकूकों की सुरक्षा के लिए वन अधिनियम में सुधार प्रस्तावित है ।

विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों जैसे पौड़ी-टिहरी एवं अल्मोड़ा आदि में पेय-जल सम्पूर्ति की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जायेगी ।

कृषि

वर्ष 1990-91 में 385 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 42·20 लाख मीट्रिक टन तिलहन/दलहन उत्पादन का अनुमान है । वर्ष 1991-92 हेतु 392.00 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य एवं 45·50 लाख मीट्रिक टन तिलहन/दलहन उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है जिसकी प्राप्ति वैज्ञानिक रणनीति के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी ।

वर्ष 1991-92 में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 12.92 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज, 28 लाख मीट्रिक टन उर्वरक एवं 12.50 हजार मीट्रिक टन कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है । उन्नत कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए टी0 एण्ड वी0 कार्यक्रम को अब प्रदेश के सभी 55 मैदानी जनपदों में लागू कर दिया गया है ।

प्रदेश में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बाढ़ के कारण बोई गई फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य उपयुक्त फसल का बोया जाना आवश्यक हो जाता है। अतः किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया कि राज्य बीज निगम द्वारा ऐसी आपदाओं के लिए बीजों को बफर स्टाकिंग की जाय।

उर्वरक एवं कीटनाशक की रसायनों की गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने के लिए इनकी विश्लेषण क्षमता के विस्तार, वर्तमान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं बरेली, फैजाबाद तथा गोरखपुर में तीन नई प्रयोगशालाओं के सृजन प्रस्तावित हैं। इससे वार्षिक विश्लेषण क्षमता उर्वरकों में 4,000 से बढ़कर 11,000 नमूनों एवं कीटनाशक रसायनों में 1,500 से बढ़कर 5,000 नमूने की जा सकेगी।

किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गन्ने, आलू और सूरजमुखी के मूल्य में वृद्धि की गई है।

औद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

औद्यानिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में तीन उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं—मौजूदा संसाधनों से औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, औद्यानिक फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए रोगरहित उन्नतिशील पौध रोपण सामग्री यथा—बीज, कीटनाशक दवायें एवं आधुनिक तकनीकी जानकारी प्रदान करना और अकृषि योग्य भूमि को औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन कर उत्पादन में बढ़ोत्तरी। फलों के कार्यक्रम में विशेष रूप से क्षेत्रवार आम की विभिन्न किस्मों, प्रतापगढ़ में आंवला, इलाहाबाद और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अमरूद, बुन्देलखण्ड में नीबू तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सेब तथा अन्य फलों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त शाक-सब्जी का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए भी उत्कृष्ट कोटि के बीज एवं पौध रोपण सामग्री कृषकों को वितरित कराये जाने का कार्यक्रम है।

पुष्प उत्पादन के कार्यक्रम में किसानों को सस्ते दर पर पौध रोपण सामग्री, बीज आदि उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

प्रदेश में मसाला विशेषकर लहसुन, हल्दी, धनिया, अदरक, मिर्च इत्यादि के उत्पादन की काफी संभावनायें हैं। लहसुन का उत्पादन बढ़ाकर इसे विदेशों में निर्यात करने की योजना है। प्रदेश में पान का उत्पादन बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार लाने तथा पान उत्पादकों को तकनीकी परामर्श एवं सस्ती दरों पर उत्कृष्ट पान लतायें एवं सुविधायें प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत महोबा में स्थित प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र में गुणात्मक सुधार एवं पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में उपकेन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

किसानों को उनकी उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं उनके वितरण की समुचित व्यवस्था का भी कार्यक्रम है। कोल्ड-स्टोरेज ऐक्ट को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आलू विकास परिषद् की स्थापना भी की जा रही है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने पेराई सत्र 1990-91 के लिए लाभकारी गन्ना मूल्य मिल गेट पर 41.00 रु० प्रति कुन्तल सामान्य जाति के गन्ने के लिए तथा 44.00 रु० प्रति कुन्तल को० शा० 687 व सी० ओ० जे० 64 के लिए

निर्धारित किया है । मिल गेट से भिन्न स्थानों से गन्ना पूर्ति के लिए यह दरें 2.00 रु० प्रति कुन्तल कम रखी गई हैं । मिल गेट तथा मिल गेट से भिन्न स्थानों पर गन्ना मूल्य की वर्तमान दरें विगत वर्ष की अपेक्षा 3.00 रु० तथा 2.00 रु० प्रति कुन्तल अधिक हैं ।

पेराई सत्र 1990-91 में गन्ना उत्पादन 1016.86 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1040.00 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है । चीनी का उत्पादन भी 30.07 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32.00 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है । यह भी अब तक का सबसे अधिक चीनी उत्पादन है ।

पेराई सत्र 1989-90 में किसानों से 1,257 करोड़ रु० का गन्ना क्रय किया गया जिसमें से 1,253 करोड़ रु० गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने की हमारी नीति के अन्तर्गत किया जा चुका है । जो कुल गन्ना मूल्य का 99.7 प्रतिशत है । शासन के इस सतर्क कदम से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में 1,253 करोड़ रु० निवेशित हुआ जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । वर्तमान पेराई सत्र में भी किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से कराया जायेगा ।

वर्ष 1990-91 में किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये खांडसारी इकाइयों के चलने सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तथा नाम आदि परिवर्तन सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के अधिकार का प्रतिनिधायन भी किया गया ताकि लाइसेंसियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । नई चीनी मिलों की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिलों की क्षमता के विस्तार के लिए विशेष अभियान चलाया गया । वर्तमान में पेराई की क्षमता 1.78 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन है । वर्ष 1991-92 में सहकारी एवं राज्य सेक्टर में उन्नीस हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है ।

पशुधन

प्रदेश सरकार पशुपालकों तथा उपभोक्ताओं के हितों के परिप्रेक्ष्य में पशुधन को विशेष महत्व दे रही है क्योंकि इससे पौष्टिक आहार व रोजगार के अतिरिक्त अवसर दोनों ही स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं ।

वर्ष 1991-92 में पशुपालकों को उनके द्वार पर ही प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर इनसेमीनेटरों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो सकेंगे ।

चुने हुए 6 जनपदों-मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा इटावा में समस्त प्रजनन योग्य गाय व भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई गई है ।

पशुओं के लिए भी चारे तथा संतुलित आहार की पूर्ति हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

निजी क्षेत्र में बड़ी कुक्कुट इंचरीज को प्रोत्साहित किया जायेगा । रोजगार के अवसर तथा कुक्कुट व अण्डों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कुक्कुट काम्प्लेक्स स्थापित किये जायेंगे । भदावरी भैंस व जमुनापारी बकरियों के संवर्धन की योजना को केन्द्र सरकार की सहायता से चलाना भी प्रस्तावित है ।

दुग्ध विकास

वर्ष 1991–92 में नोएडा में 2 से 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता, अलीगढ़ में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता तथा इलाहाबाद में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेरियों की स्थापना की जायगी। इसके अतिरिक्त जनपद बलिया, सुल्तानपुर, फतेहपुर, एटा, बाराबंकी, उन्नाव तथा हरदोई के लिए नये अवशीतन केन्द्र भी लगाये जा रहे हैं। वर्ष 1991–92 में मैदानी क्षेत्रों के 8 नये जनपदों को भी दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशन फ्लड क्षेत्र के बाहर आच्छादित किया जा रहा है।

मत्स्य

वर्ष 1991–92 में मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से 5750 हेक्टेयर अतिरिक्त जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाने, 2000 लाख मत्स्य बीज का वितरण प्रदेश स्तर पर किये जाने तथा 5750 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 1991–92 में मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाये जाने की दृष्टि से प्रथम बार निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैदानी जनपदों की भांति मण्डल स्तर पर प्रथम बार दो मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना एवं झीलों में केज कल्चर कार्यक्रम की अगामी योजना प्रारम्भ की जा रही है।

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 28,000 मछुआ सदस्यों को बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार मछुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 200 आवासीय भवनों एवं 2 सामुदायिक भवनों का निर्माण भी वर्ष 1991–92 में कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में समस्त स्रोतों से मत्स्य उत्पादन जो वर्ष 1989–90 में 93,740 टन था वर्ष 1991–92 में 1,17,500 टन तक लाया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण अंचल के तालाबों का उत्पादन स्तर जो वर्तमान में 1700 किलो ग्राम/हेक्टेयर है, वर्ष 1991–92 के अन्त तक 1850 किलो ग्राम/हेक्टेयर तक लाया जाना प्रस्तावित है।

सहकारिता

प्रदेश के विकास में सहकारिता की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1991–92 में सहकारिता आन्दोलन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जायगा।

प्रदेश के सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों, भूमिहीन कृषकों आदि को ऋण के बोझ से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 633.50 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गयी है। माननीय सदस्यों को विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस योजना से अभी तक लगभग 35.95 लाख सदस्य लाभान्वित हुए हैं जो सभी नया ऋण पाने के पात्र हो गये हैं। इन सदस्यों को वर्ष 1991–92 में अधिकाधिक ऋण, कृषि निवेश आदि का वितरण कराकर लाभान्वित कराने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 1991-92 हेतु अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण के वितरण का लक्ष्य क्रमशः 575 करोड़, 50 करोड़ तथा 150 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई आवास समस्या के समाधान हेतु भवन निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से ऋण वितरण की नई योजना प्रारम्भ की गई है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु लघु/कुटीर उद्योग के लिये ऋण वितरण का कार्य भी उक्त बैंक के माध्यम से प्रारम्भ कराया गया है। वर्ष 1991-92 में उक्त प्रयोजन हेतु क्रमशः 9.00 करोड़ एवं 4.00 करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित है।

ग्राम्य विकास

हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को सुदृढ़ करके उनके माध्यम से ग्रामीण जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति कराने का प्रयास किया है। इन क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्राथमिक पाठशाला भवनों के निर्माण कार्यों आदि में पंचायतों को सक्रिय भूमिका दी गई है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति विनियोजन वृद्धि पर विशेष रूप से बल दिया जायेगा, ताकि लाभार्थी एक बार में ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें तथा उसे बार-बार सहायता की आवश्यकता न पड़े। वर्ष 1990-91 में प्रति परिवार दी गई परियोजनाओं की औसत लागत बढ़कर 8,582 रुपये हो गई है, जो कि वर्ष 1989-90 में केवल 8,568 रुपये ही थी। वर्ष 1991-92 में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रयास किया जायेगा। वर्ष 1991-92 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4·35 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है तथा इस हेतु 81·86 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

ग्रामीण महिला एवं बालविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 10 नये जनपदों को लिया जायेगा। इस प्रकार यह कार्यक्रम अब 76 जनपदों में चलाया जायेगा। इस हेतु बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 72,000 युवकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षित युवकों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए वित्त पोषण कराया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए समुचित आच्छादन सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ आधार दिया जायेगा। ग्राम सभाओं को संसाधनों के आवंटन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम सभाओं को अपेक्षाकृत अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। महिलाओं के लिए रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर आरक्षित किये जायेंगे। वर्ष 1991-92 में इस योजना के अन्तर्गत 540 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है तथा 1688 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

निर्धन वर्ग ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 1,00,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 25,000 आवास निर्मित कराये जायेंगे।

हरिजन बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 500 कूपों, 4,000 इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प

तथा 150 डिग्गियों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । वर्ष 1991-92 में 303 कूपों का निर्माण, 4,500 इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाये जाने तथा 160 डिग्गियों के निर्माण कराये जाने की योजना है ।

ऊर्जा

प्रदेश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में विद्युत् का महत्वपूर्ण योगदान है । इस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1991-92 में 1,281 करोड़ रुपये का प्लान परिव्यय रखा गया है जो कुल प्लान परिव्यय का 33 प्रतिशत है ।

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि विद्युत् एक अत्यन्त समस्या-ग्रस्त क्षेत्र रहा है । वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस क्षेत्र के लिये हमारे मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादन में वृद्धि, विद्युत् परिषद् की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रगति करना था । अब तक हुई प्लान्ट लोड फैक्टर में बढ़ोत्तरी आशाजनक है । 1 अप्रैल, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक कुल औसत प्लान्ट लोड फैक्टर 49.6 प्रतिशत रहा जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 46.5 प्रतिशत था । इस प्रकार प्लान्ट लोड फैक्टर में 3.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1990 मासों में प्लान्ट लोड फैक्टर क्रमशः 43.8 प्रतिशत 50.6 प्रतिशत तथा 56.6 प्रतिशत रहा जो उल्लेखनीय है । वर्ष 1989 में इन्हीं महीनों में यह क्रमशः 35 प्रतिशत, 36.5 प्रतिशत तथा 46.8 प्रतिशत था । प्लान्ट लोड फैक्टर के सुधार की दृष्टि से यह उल्लेखनीय प्रवृत्ति थी ।

वर्ष 1989-90 के अन्त में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण परिभाषा के अनुसार तथा एल० टी० मेन्स द्वारा क्रमशः 80,358 तथा 47,244 ग्राम विद्युतीकृत हुए थे जो प्रदेश के ग्रामों की कुल संख्या का क्रमशः 71 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1990 तक 976 ग्राम विद्युतीकृत किये गये ।

सिंचाई

वर्ष 1991-92 हेतु वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत जमनिया पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, भीम गोंडा शीर्ष कार्य का पुनरुद्धार, चित्तौड़गढ़ जलाशय केन नहर का पुनरुद्धार, सेमई रजवाहे को पक्का करने का कार्य, किशनपुर पम्प नहर तथा भोगनीपुर शाखा का आधुनिकीकरण को पूर्ण कर 88 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा ।

वर्ष 1991-92 में राजकीय लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत लगभग 600 नलकूपों का नव-निर्माण कर 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त कार्यरत राजकीय नलकूपों की कार्य-कुशलता बढ़ाने तथा असफल नलकूपों का पुनः निर्माण करने हेतु बनाये गये समयबद्ध कार्यक्रम के दूसरे चरण में इस वर्ष 300 असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण कर उनकी सिंचन क्षमता को पुनर्सृजित करने का भी लक्ष्य है ।

वर्ष 1991-92 में 10 कि० मी० लम्बे सीमान्त बांध 20 कि० मी० जलोत्सारण कार्य तथा अन्य बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण कर 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी ।

निजी लघु सिंचाई के विस्तार हेतु लघु सीमान्त कृषकों के सहायतार्थ निःशुल्क बोरिंग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वर्ष 1990-91 में 2 लाख निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य था । वर्ष 1991-92 में भी 2 लाख निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य है ।

सड़कें एवं परिवहन

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के 1,000 व इससे अधिक आबादी वाले गांवों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। वर्ष 1990–91 में इस श्रेणी के 500 गांवों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य एवं वर्ष 1991–92 में इस श्रेणी के 1,124 गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। यातायात की सुविधा के लिये यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में समी ग्रामीण मार्गों को खड़ंजा के स्थान पर लेपित स्तर तक स्वीकृत किया जाये।

प्रदेश के बहु समस्या-ग्रस्त 12 जनपदों—आगरा, इटावा, जालौन, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा, बांदा, कानपुर (देहात), ललितपुर, हमीरपुर एवं झांसी जनपदों में मार्ग एवं सेतु निर्माण हेतु वर्ष 1991–92 के लिये 8.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। विश्व बैंक से 604 कि0 मी0 लम्बे चार मार्गों (सोनौली से गोरखपुर, गोरखपुर से बलिया, इलाहाबाद से फैजाबाद व इलाहाबाद से बोहरीघाट) के सुधार हेतु 231.26 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है, जिसके लिये वर्ष 1991–92 में 43.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से 184 कि0 मी0 लम्बे वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के सुधार हेतु 65.80 करोड़ रु० की योजना पर सहमति प्राप्त हो गई है, जिसके लिए वर्ष 1991–92 में 6.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इसके अतिरिक्त इसी बैंक के सहयोग से दिल्ली से आगरा (रा0–मा0–2 प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत) मार्ग की 55 कि0 मी0 लम्बाई के लिए 45.00 करोड़ रुपये की लागत से 2 लेन से 4 लेन करने का प्रस्ताव है।

इलाहाबाद में यमुना नदी पर लगभग 90.00 करोड़ रुपये की लागत से सेतु बनाने के काफी अरसे से लम्बित प्रकरण पर विशेष प्रयासों से भारत सरकार से अन्तिम निर्णय सुनिश्चित कराया गया, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार का सेतु निर्माण सेतु अंशदान 10.00 करोड़ रुपये होगा।

वर्ष 1990–91 से मार्गों के रख-रखाव के स्तर में सुधार के लिए वार्षिक धनराशि 75.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125.00 करोड़ रुपये कर दी गई।

वर्ष 1991–92 में राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु 800 नवीन चेसिसों के क्रय किए जाने का प्रस्ताव है। पुरानी बसों के रिनोवेशन पर 3.00 करोड़ रुपये तथा कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण, उनके लिये नवीन यन्त्र संयंत्र, भूमि–भवन इत्यादि पर 4.00 करोड़ रुपये का व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

नगर विकास एवं आवास

ग्रामीण पेय जल व्यवस्था को सुलभ कराने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में 35.73 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे 3,900 नये गावों को लाभान्वित करने तथा आंशिक रूप से लाभान्वित गावों में अतिरिक्त हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित त्वरित ग्रामीण जल सम्भृति कार्यक्रम के अन्तर्गत 235 नये गांवों को लाभान्वित करने तथा आंशिक रूप से लाभान्वित गांवों में अतिरिक्त हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन-जाति बस्तियों में पेय जल उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है । वर्ष 1991-92 में 6,500 हरिजन बस्तियों एवं 10 जनजाति गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 42.32 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । इस धनराशि से 4 नये नगरों को जलापूर्ति सुविधा दिये जाने तथा 40 नगरों की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार/विस्तार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । नागर जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 2.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, ताकि निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा किए जाने के कार्य को गति दी जा सके ।

आगरा तथा कानपुर महानगरों की पेयजल की समस्या के स्थायी निदान हेतु यमुना व गंगा नदी पर बैराज निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 में क्रमशः एक-एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । साथ ही मथुरा में गोकुल बैराज के लिये 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

गंगा प्रदूषण निवारण कार्यक्रम का गुणात्मक सुधार किया जायगा एवं गतिशीलता प्रदान की जायेगी ।

वर्ष 1991-92 में 66,700 घरेलू शुष्क शौचालयों को सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जायगा तथा 100 सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा । भंगी मुक्ति योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लायी जायेगी तथा 55 नये नगरों को इस योजना में शामिल किया जायेगा । 1000 स्वच्छकारों को मैला उठाने के घृणित एवं अस्वच्छ पेशे से हटा कर अन्य स्वच्छ पेशों में पुनर्वासित करने का लक्ष्य है ।

आवासीय समस्या के निदान हेतु वर्ष 1991-92 के लिए नगरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु 4,500 तथा अल्प आय वर्ग हेतु 500 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है । इसी के साथ-साथ आवास की समस्या के निदान हेतु अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करके प्रदेश के विभिन्न नगरों में दुर्बल आय वर्ग हेतु 13,500 एवं अल्पाय वर्ग हेतु 7,000 का लक्ष्य रखा गया है । साथ ही नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों के साथ निजी तथा सहकारिता क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जायगा ।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के निर्माण विकास के लिए 5.00 करोड़ रु0 की व्यवस्था की जायेगी ।

अर्द्ध कुम्भ मेला

हरिद्वार में 1992 में होने वाले अर्द्ध कुम्भ मेले की व्यवस्था के लिए प्रथम चरण में वर्ष 1991-92 के बजट में 5.00 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

उद्योग

वर्ष 1990-91 में 30,000 लघु स्तरीय इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत माह दिसम्बर तक 22,408 लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है । वर्ष 1991-92 में 32,000 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप औद्योगिक विकास के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगीकरण को रोजगारोन्मुख व ग्रामोन्मुख बनाना है । इसी परिप्रेक्ष्य में विकास खंडों को औद्योगिक विकास का केन्द्र

बिन्दु माना गया है। 96 ब्लाकों में मिनी औद्योगिक आस्थानों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्ष 1990–91 में 46 आस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्ष के अन्त तक पूर्ण कर लिए जायेंगे तथा 34 नए आस्थानों का विकास कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प की विविधता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का यह एक आवश्यक अंग है। वर्ष 1990–91 में 40,000 बस्तकारी इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विपरीत माह दिसम्बर तक 28,659 बस्तकारी इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है।

बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हथकरघा निगम/खादी द्वारा बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 251 सूत विक्रय केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से वर्ष 1990–91 में 65 करोड़ रुपये मूल्य के सूत वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

बुनकर सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जायेगा। बुनकरों की समस्याओं के निस्तारण हेतु बुनकर बन्धु की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

रेशम उद्योग के माध्यम से लगभग 20 हजार परिवार प्रदेश में आंशिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लाभार्थी हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ-साथ परम्परागत उद्योगों में लगे कारीगरों के कौशल में सुधार करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जायेगा।

भारी तथा मध्यम उद्योगों की संख्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 690 से बढ़कर 939 हो गई है जिनके फलस्वरूप इस क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश जो छठी योजना के अन्त तक 4,251 करोड़ रुपये था, बढ़कर 9,163 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत सरकार की विकास केन्द्र विकसित करने की नई योजना के अन्तर्गत 8 विकास केन्द्र विकसित किए जायेंगे। वृहत् औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली विभिन्न योजनाओं की स्थापना का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। इस वर्ष 35 नए वृहत् उद्योगों ने उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अभी तक 926 आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा 1085 डी0 जी0 टी0 डी0 रजिस्ट्रेशन हुए व 1826 एस0 आई0 ए0 रजिस्ट्रेशन हुए हैं।

प्रदेश के उद्योग शून्य जनपदों में विकास केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 7 उद्योग शून्य जनपदों में 4300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भूमि विकास के उपरान्त उपलब्ध 3200 एकड़ भूमि में लगभग 1800 एकड़ भूमि उद्यमियों को आबंटित भी की जा चुकी है। इन विकास केन्द्रों में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः इन स्थानों पर अनेक बड़ी कम्पनियां अपनी परियोजनायें लगाने हेतु आकर्षित हुई हैं। पर्वतीय जनपदों में 15 क्षेत्रों का विकास किया गया है।

हम औरैया गैस क्रेकर परियोजना से उपलब्ध इथिलीन पर आधारित उद्योग एवं फिरोजाबाद व गाजियाबाद में द्वितीयक वितरण प्रणाली आदि परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।

वन एवं पर्यावरण

वन प्रकृति को अनुपम देन हैं । वनों से अपार लाभ हैं । वन लकड़ी, ईंधन, चारा, फल-फूल और जड़ी-बूटियों जैसे प्रत्यक्ष दान के अतिरिक्त जल व भूमि संरक्षण, बाढ़ व सूखे की विभीषिका से बचाव, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन आदि अप्रत्यक्ष वरदान से मानव को लाभान्वित करते हैं । वन यह भूमिका पूरी एवं प्रभावकारी ढंग से निभा सकें, इसके लिए आवश्यक हैं कि भू-भाग का कम से कम एक तिहाई भाग वनों से आच्छादित हो । इसके समक्ष इस समय वन प्रदेश के मात्र 17.4 प्रतिशत भाग पर ही हैं । उक्त कमी को पूरा करने के लिए वन विभाग द्वारा अनेक वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण तथा सुरक्षा सम्बन्धी योजनायें चलाई जा रही हैं। वर्ष 1991-92 में वन क्षेत्र पर 1000 हेक्टेयर तथा बनों से बाहर 13500 हेक्टेयर पर वनीकरण करने का प्रस्ताव हैं ।

वनीकरण और वृक्षारोपण के माध्यम से अवनत-वन भूमि पर रोजगार सृजन के एक बृहत् कार्यक्रम का भी सूत्रपात किया जा रहा हैं जहां अवनत-वन भूमि पर वृक्षारोपण पर वृक्ष पट्टा या हरियाली पट्टा भूमिहीन ग्रामीण बेरोजगारों के हक में किया जायेगा और उन्हें वृक्षों की उपज पर स्वामित्व दिया जायेगा । यह कार्यक्रम विन्ध्याचल और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिये विशेषकर लाभकर होगा ।

वन जन्तुओं के संरक्षण के उद्देश्य के कार्यान्वयन में कार्बेट, दुधवा और राजाजी नेशनल पार्क को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चीकृत किया जा रहा हैं ।

माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष होता हैं कि पेट्रोल संचालित मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनो-आक्साइड तथा हाइड्रोजन कार्बन गैसों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को क्रमशः 90 तथा 60 प्रतिशत तक घटाने के लिये कैटेलिटिक कनवर्टर नामक संयन्त्र का विकास कार्य पूरा कर दिया गया हैं । इससे शहरों में होने वाले वाहन चलित प्रदूषण को कारगर ढंग से रोकने में सफलता मिलेगी । डीजल चालित वाहनों के लिए इसी तरह कैटेलिटिक कनवर्टर का विकास किया जायगा । गंगा एक्शन प्लान में समाविष्ट न हो पाने वाली सहायक नदियों के प्रदूषण के नियन्त्रण के कार्य को भी समुचित अध्ययन के बाद प्रारम्भ किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रयासों के फलस्वरूप 329 उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं तथा 715 उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र लगाने हेतु प्रयास जारी हैं । प्रदेश में 212 वायु प्रदूषण उद्योगों द्वारा वायु शुद्धिकरण व्यवस्था की गई हैं । प्रदूषण नियन्त्रण कार्य को यथोचित महत्व देते हुए अधिकांश आसवनियों में प्रदूषण संयन्त्र स्थापित हो चुके हैं ।

शिक्षा

जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, प्रदेश के समस्त प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 1990-91 में पूर्ण कर लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त वर्ष 1991-92 में 1065 जर्जर प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण का भी लक्ष्य हैं ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 649 विकास खंडों के 45557 प्राइमरी स्कूलों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जा चुकी हैं । एकल अध्यापक विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की भी व्यवस्था की जा रही हैं । शेष विकास खंडों को वर्ष 1991-92 में आच्छादित किए जाने का लक्ष्य हैं ।

शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने के उद्देश्य से प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्र पुरोनिवर्तित योजना को 460 विद्यालयों में लागू किया जा चुका है। अगले चरण में 250 अतिरिक्त विद्यालयों में यह योजना लागू की जायेगी। हमारा प्रयास है कि वर्ष 1995 तक 10 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा की धारा में आ जाएं।

समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए रेमिडियल कोचिंग की व्यवस्था भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से प्रदेश के 8 राजकीय इण्टर कालेजों में की गई है। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र को 365 रुपये प्रतिमास की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को व्यापक बनाने की दृष्टि के "हर एक पढ़ाय एक" योजना आरम्भ की जा रही है। नवसाक्षर व्यक्ति पुनः निरक्षरता की श्रेणी में न जाने पायें, इस उद्देश्य से नवसाक्षरों की साक्षरता को जारी रखने हेतु 1608 जन-शिक्षण निलयम स्थापित किए गए हैं तथा 962 जन-शिक्षण निलयम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, भारत के महान सपूत संविधान निर्माता, शिक्षा-विद्, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी डा0 भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में प्रदेश म विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अब तक कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए लगभग 20.00 करोड़ रुपये की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

माननीय सदस्यों को मुझे अवगत कराते हुए सन्तोष का अनुभव हो रहा है कि एक लम्बे अन्तराल के बाद हमने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से औपचारिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया है। 19 जनवरी, 1991 को प्रदेश के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार एवं परिवर्तन करने की संस्तुतिया की गई हैं, जिनमें शिक्षा सत्र को विनियमित करना, यथासम्भव 250 शिक्षण दिवस की व्यवस्था करना, समय से परीक्षाएं कराना, समय से परिणामों को घोषित करना तथा विश्वविद्यालयों के दैनन्दिन की समस्याओं के अध्ययन, निराकरण व सामान्य पर्यवेक्षण के लिए इण्टर युनिवर्सिटी बोर्ड के गठन की महत्वपूर्ण संस्तुतियां शामिल हैं।

प्रदेश के भवनहीन राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 में 480 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

महान बलिदानी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति में एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना शिवराजपुर (जनपद कानपुर देहात) में की जा रही है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विश्व बैंक द्वारा पोषित 200.00 करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पालीटेक्निकों के भवनों तथा उपकरणों की कमी के निवारणार्थ तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्टाफ की व्यवस्था हेतु वर्ष 1991-92 में 45.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में डिग्री तथा डिप्लोमा धारकों की उपयोगिता और डिग्री–डिप्लोमा धारकों के अनुपात की स्थिति को देखते हुए तथा प्रदेश के वित्तीय संसाधन सीमित होने और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदेश के विकास में योगदान की आवश्यकता का औचित्य अनुभव करते हुए सरकार ने निजी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक औद्योगिक स्वरूप प्रदान करने तथा उद्यमता विकास की दृष्टि से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क का स्थापना की जा रही है, जो केमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नालोजी के क्षेत्रों में प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति करेगा । इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में ऐसा ही एक पार्क रुड़की विश्वविद्यालय में स्थापना हेतु परियोजना की संरचना की गयी है ।

खेल–कूद

खेल–कूद अवस्थापनाओं के निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लेने के लिए एक नयी योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके अन्तर्गत खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों/पंजीकृत संस्थाओं और स्थानीय निकायों को अनुदान देने की व्यवस्था है ।

विशद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में खेल–कूद सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा परम्परागत भारतीय खेल–कूदों––तैराकी, कबड्डी, दौड़, कुश्ती आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नयी योजना प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को इन सुविधाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एस0 पी0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत 80 से 100 ब्लाकों के बालक/बालिकाओं के लिए खेल सुविधायें विकसित की जायेंगी ।

युवा कल्याण

प्रदेश एवं राष्ट्र के विकास में युवाओं के व्यक्तित्व का विकास एक महत्वपूर्ण निवेश है । इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण एवं खेल–कूद के विकास पर हम बराबर बल देते आये हैं । इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम हैं––युवा केन्द्र एवं ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, अखिल भारतीय खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन तथा विवेकानन्द यूथ एवार्ड । इन कार्यक्रमों के संख्यात्मक विस्तार एवं गुणात्मक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए 6.38 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

स्वस्थ नागरिक हमारे जैसे विकासशील समाज की अनिवार्य आवश्यकता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है । ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में विकास की प्रक्रिया में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1991–92 में 164 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1000 उप केन्द्रों तथा 42 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा भवन निर्माण हेतु 174 उप केन्द्र, 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य रखा गया है । इसके अतिरिक्त उपचारिका

आवास गृहों का निर्माण, चौर घरों का निर्माण, एस0 डी0 टी0 क्लीनिक्स तथा 10 आई0 सी0 सी0 यूनिट की स्थापना तथा अस्पतालों में डिजल जेनरेटर्स एवं एम्बुलेन्स की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करके शून्य से एक वर्ष तक के शिशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण का प्रस्ताव है। विश्व बैंक की सहायता से 110 54 करोड़ रुपये की लागत से जो छठी भारत जनसंख्या परियोजना इस वर्ष लागू की गयी है उसके अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा तथा 750 उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण भी कराया जायेगा। वीडियो-आन-ह्वील्स द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रचार कार्यक्रम प्रयोगात्मक रूप से प्रारम्भ किया जायेगा।

वर्ष 1991-92 में ग्रामीण क्षेत्रों में चार शैय्यायुक्त, 100 आयुर्वेदिक/यूनानी तथा शहरी क्षेत्रों में 15 शैय्यायुक्त, 10 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित है। हरिजन बाहुल्य तथा जन-जाति क्षेत्रों सहित प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 55 नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।

श्रम

प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिये कन्नौज (फर्रुखाबाद), चांदा (सुल्तानपुर), बहेड़ी (बरेली), नरौरा (बुलन्दशहर) में 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का भी वर्ष 1991-92 में प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त ललितपुर, उन्नाव, सोनभद्र एवं सिद्धार्थनगर में व्यवसाय निर्देशन इकाई की स्थापना वर्ष 1991-92 में की जायेगी जिससे कि उस जनपद के लोगों को व्यवसाय प्राप्त होने में समुचित मार्ग-दर्शन प्राप्त हो सके।

श्रमिकों को शीघ्र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1991-92 में एक अतिरिक्त श्रम कल्याण केन्द्र, गाजीपुर में खोला जायेगा और जो कार्यक्रम वर्ष 1990-91 में चलाये गये हैं उन्हें भी आगे बढ़ाया जायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में दो और नये चिकित्सालयों एवं 5 नये औषधालयों को कार्यान्वित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1991-92 में 8 नये औषधालय के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिससे लगभग 20000 अतिरिक्त औद्योगिक श्रमिक लाभान्वित होंगे।

हरिजन एवं समाज कल्याण

अनुसूचित जाति के परिवारों को पम्प सेट क्रय हेतु आसान ब्याज दरों पर ण उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही इन परिवारों के युवक/युवतियों को सैनिक, अर्द्धसैनिक तथा पुलिस बलों में भर्ती तथा नर्सिंग कार्य हेतु प्रशिक्षण देकर सेवायोजन का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। पिछड़ी जाति के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को स्वतः रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कृषि उद्योग आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जायेगा।

छात्रों/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों और छात्रावासों के निर्माण एवं उनके संचालन में गुणात्मक सुधार

किया जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्रावासों के निर्माण हेतु शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। आश्रम पद्धति विद्यालयों का उच्चीकरण करने का प्रयास भी जारी रहेगा।

महिला कल्याण

एकल श्रमजीवी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ती एवं साधन सम्पन्न आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1991-92 में बरेली, फैजाबाद, इटावा तथा बाराबंकी में छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।

सैनिक कल्याण

राज्य द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के परिसर में उपलब्ध भूमि पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण कराया जायेगा जिसे भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार के लिये आवंटित किया जायेगा तथा भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार के लिये ऋण की सुविधा भी बैंकों के माध्यम से प्रदान करायी जायेगी।

खाद्य तथा रसद

शासन का यह प्रयास रहा है कि जहां किसानों को उनके उत्पाद का अच्छे से अच्छा दाम मिले वहीं उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में और उचित दामों पर मिलें। इन दोनों उद्देश्यों के बीच इस प्रकार समन्वय स्थापित किया गया है कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के ही हित सुरक्षित रहें। भविष्य में भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हम कटिबद्ध हैं। इस वर्ष गेहूं खरीद मूल्य को 183 रुपय से बढ़ाकर 215 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया गया। गेहूं की खरीद भी 13.23 लाख टन से बढ़कर अब 15.83 लाख टन हो गयी जिससे प्रदेश के किसानों को 340 करोड़ रुपये प्राप्त हुये जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 100 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार धान का दाम भी 185 रुपये से बढ़ाकर 205 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया गया।

आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने एवं उनके मूल्यों को नियन्त्रण में रखने के अपने दायित्व के प्रति हम सतर्क हैं। इस हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का पहुंचना सुनिश्चित करने के लिये विकास खंड स्तर पर वितरण केन्द्र स्थापित कर एक नियत समय सारिणी के अनुसार दुकानों को सामग्री की पूर्ति की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अपनी राशन की दुकान स्वयं चुनने का विकल्प दिया गया है। यह व्यवस्था भी की गयी है कि हर गांव सभा में चीनी के कोटेदार नियुक्त हों और उसका चयन गांव सभा की बैठक बुलाकर बैठक में सर्वसम्मति के आधार पर किया जाये। विदेशी मुद्रा के संकट के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का आयात और उनकी उपलब्धता पिछले कुछ माहों से पूरे प्रदेश में प्रभावित रही। खाड़ी की लड़ाई के परिणामस्वरूप इन पदार्थों की उपलब्धता को लेकर कठिनाइयां उत्पन्न हुयीं लेकिन बराबर प्रयास इसी बात का किया जा रहा है कि उनकी उपलब्धता प्रदेश में सामान्य रूप से बनी रहे। ऐसी स्थिति का लाभ किसी भी दशा में जमाखोर, मुनाफाखोर व अन्य असामाजिक तत्वों को उठाने नहीं दिया जायेगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष अब तक 50000 से अधिक छापे मारे गये जिनमें 873 व्यक्ति गिरफ्तार हुये,

1737 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, 2644 लाइसेंस निलम्बित हुये व 1823 लाइसेंस निरस्त कर दिये गये। इन छापों में लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुयें जब्त की गयीं।

[इस समय 6 बजकर 23 मिनट पर माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुये]

राजस्व प्रशासन

वर्ष 1990-91 में प्रदेश की कतिपय पुरानी तथा नवसृजित तहसीलों के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु आवंटित 15 करोड़ रुपये की धनराशि में से 11 नवसृजित एवं 23 पुरानी तहसीलों में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वित्तीय वर्ष 1991-92 में तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माणार्थ 2.02 करोड़ रुपये तथा अनावासीय भवनों के लिये 11.68 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिये 700 एकड़ अतिरिक्त सीलिंग भूमि के आवंटन के विरुद्ध नवम्बर, 1990 तक 863 एकड़ सीलिंग भूमि 1168 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है, जिसमें 582 एकड़ भूमि 796 अनुसूचित जाति/जन-जाति के पात्र व्यक्तियों में आवंटित की गयी है।

इसी अवधि में गांव सभा की 5432 हेक्टेयर कृषि भूमि 18573 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गयी है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 7905 व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें 2007 हेक्टेयर कृषि भूमि आवंटित की गयी है।

ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना के अन्तर्गत अब तक 2298390 पात्र परिवारों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित की गयी है जिसमें 1665873 अनुसूचित जाति के परिवार हैं। प्रदेश में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 288000 पात्र परिवार आवास स्थल आवंटन हेतु अवशेष हैं। शासन ने यह लक्ष्य रखा है कि अगले दो वर्षों में सभी पात्र परिवारों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित कर दी जाय। इसके लिये यदि आवश्यक हुआ तो भूमि अध्याप्ति भी की जायेगी।

वर्ष 1990-91 में जनपद अल्मोड़ा तथा पौड़ी-गढ़वाल में चकबन्दी योजना के प्रसार हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस हेतु चकबन्दी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

शान्ति व्यवस्था

शान्ति व्यवस्था का प्रभावी सन्तुलन किसी भी विकासशील समाज की पहली शर्त है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार का पूरा ध्यान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में लगा रहा ताकि हमारे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये उचित वातावरण बना रहे। समाज में सामान्य जन को सुरक्षा प्रदान करने, शासकीय तन्त्र तथा कानून के प्रति जन-सामान्य की आस्था बनाये रखने तथा कानून-व्यवस्था का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाने की चुनौतियों का प्रदेश की पुलिस बल ने पूरे समर्पण व निष्ठा से निर्वाह किया है। कानून-व्यवस्था के सभी आयामों जैसे साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण, डकैतियों तथा अन्य अपराधों पर नियन्त्रण और घटनाओं की जांच-पड़ताल इत्यादि के कार्य को प्राथमिकता देते हुये निष्पादित किया गया। विघटनकारी तत्वों पर हमने कारगर ढंग से नियन्त्रण किया। प्रदेश में विभिन्न सामाजिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये "शान्ति सुरक्षा बल" की स्थापना के विषय में आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं।

कारागार प्रशासन

कारागारों की दशा सुधारने तथा उनमें निरुद्ध बन्दियों के विकास व उनके पुनर्स्थापन हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है । चालू वित्तीय वर्ष में तीन कारागारों में विद्युतीकरण, 13 कारागारों मे पेयजल योजना तथा 19 कारागारों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया गया है । महिला बन्दियों तथा किशोर बन्दियों के लिए अलग-अलग कारागार बनाने की योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में एक कारागार (महिला) तथा 4 जनपदों में जेल कारागार बनाए जा रहे हैं । कारागार विभाग के बन्दी रक्षकों के लिए 104 आवासों का निर्माण, बन्दियों के लिए 39 नई बैरकों तथा 10 सेल का निर्माण भी कराया जा रहा है । इस वित्तीय वर्ष में गाजियाबाद जनपद व हरिद्वार जनपद में नई कारागार बनाने के लिए शासन द्वारा स्वीकृति दी गई है ।

जेलों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर्स की स्थापना, कारागारों के भोजनालय में कुकिंग गैस की व्यवस्था, एम्बुलेन्स, जनरेटर सेट्स, इण्टरकाम तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रस्ताव है ।

न्याय प्रशासन

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक सुधाररूपी आन्दोलन के रूप में न्यायालयों का आधुनिकीकरण तथा परिणामोन्मुख न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जा रही है । राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में कम्प्यूटर तकनीक तथा अधीनस्थ न्यायालयों की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु आधुनिकीकरण की योजना चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू की है ।

भारत सरकार की संस्तुति तथा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार ने जनपद न्यायाधीशों की अपील तथा निगरानी सम्बन्धी वित्तीय अधिकारिता में अभिवृद्धि की है तथा मुंसिफ व लघुवाद न्यायाधीश की भी वित्तीय अधिकारिता में वृद्धि की है । इससे न केवल उच्च न्यायालय में लम्बित अपीलों व रिविजनों का भार कम होगा बल्कि वादकारी जनता, जो भौगोलिक दूरी के कारण न्यायालय पहुंचने में कठिनाई अनुभव करती थी, अब आसानी से जिला स्तर पर न्यायालय में पहुंच सकेगी ।

सार्वजनिक उद्यम

सार्वजनिक उद्यमों के सम्बन्ध में अपने पिछले बजट भाषण में मैंने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा था कि आवश्यक तथा जन-कल्याण उत्पादों में सार्वजनिक उद्यम की भूमिका पूर्ववत् महत्वपूर्ण बनी रहेगी । इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां मूल्य नियंत्रण में अपनी भूमिका पूर्ववत् निभाती रहेंगी । सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार की अपेक्षा है कि जिन विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के लिए उनकी स्थापना की गई है, उनकी पूर्ति वे तत्परता एवं कुशलता के साथ करें । साथ ही अपने अर्जित लाभ से विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ताकि आम जनता पर करों का बोझ कम पड़े ।

मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर प्रबन्ध तंत्र की उदासीनता, अकुशलता तथा अपव्यय को सहन नहीं किया जायेगा । मैंने यह भी इंगित किया था कि घाटे में चल रहे उपक्रमों के उद्देश्यों एवं कार्य-कलापों के गहन अध्ययन के पश्चात् उनके संचालन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जायेगा और जिन इकाइयों को पुनर्जीवित करना सम्भव नहीं समझा जायेगा उन्हें बन्द करने से सरकार को गुरेज नहीं होगा ।

मुझे हर्ष है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा सकी है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल एवं निरन्तर हानि देने वाले रुग्ण उपक्रमों की प्रबन्धकीय व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रबन्ध तन्त्र में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय निजीकरण समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुति के अनुसार आटो ट्रैक्टर्स लि० तथा राज्य सीमेन्ट निगम को निजी उद्यमियों के साथ संयुक्त क्षेत्र में चलाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन इकाइयों की संचित हानि क्रमशः 55 करोड़ एवं 155 करोड़ रुपये थी और वर्षानुवर्ष होने वाली भारी हानि की प्रतिपूर्ति करना शासन के लिए असम्भव हो गया था। संयुक्त क्षेत्र में इन इकाइयों के संचालन से जहां एक ओर निरन्तर हानि के कारण करदाताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर आवश्यक तथा जनकल्याण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और स्थानीय जनता को इन उद्योगों से मिलने वाला लाभ भी मिलता रहेगा।

रुग्ण इकाइयों के सम्बिलयन, पुनर्गठन, संयुक्त क्षेत्र में संचालन, निजीकरण अथवा परिसमापन के विकल्पों में श्रमिकों तथा कार्मिकों के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राज्य सीमेन्ट निगम को संयुक्त क्षेत्र में संचालित करने के निर्णय के फलस्वरूप श्रमिकों/कार्मिकों की छंटनी नहीं होगी। आटो ट्रैक्टर्स लि० के छटनीशुदा श्रमिकों का निजी उद्यमों द्वारा दो चरणों में सेवायोजित करने का अनुबन्ध किया गया है। छटनी किए गए कर्मचारियों को श्रम विधियों के अनुसार मुआवजा दिया गया है। चलचित्र निगम को बन्द किए जाने पर कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। मानवीय आधार पर हाटिको के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यमों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए कृतसंकल्प है। उपक्रमों के कार्य-संचालन की शीर्ष स्तर पर गहन समीक्षा के उपरान्त प्रबन्धकीय कुशलता में वृद्धि उत्पादकता एवं परिणामों में सुधार एवं मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई है। उपक्रमों के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उनकी लाभप्रदता में सुधार की रणनीति निर्धारित करने के आशय से कतिपय उद्यमों तथा सरकार के मध्य परस्पर मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग निष्पादित कराए जा रहे हैं। उद्यमों को स्वावलम्बी बनाने के लिए उनके पुनर्गठन आदि के बारे में भी अध्ययन कराया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार

समस्त मण्डलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निम्नतम स्तर (ग्रास रूट स्तर), मण्डलीय स्तर तथा राज्य स्तर पर अधिकारीगण सामान्य जनता के सम्पर्क में इस आशय/उद्देश्य से रहें कि जन-शिकायतों का निराकरण त्वरित गति से हो। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक/कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा निहित स्वार्थ, अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं विलम्ब को दूर करने पर बल दिया गया है।

सरकारी कार्यालयों की कार्य क्षमता को चुस्त, दुरुस्त बनाने के लिए जहां एक ओर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही की गई वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों/अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पुरस्कार योजना भी लागू की गई, जिसके अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यकुशल अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान दिए जाने की व्यवस्था है। राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के उद्देश्य से सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में राज्याधीन सेवाओं के सम्बन्ध में हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तदर्थ प्रोन्नतियों पर रोक लगाई गई तथा प्रत्येक सेवा सम्वर्ग के लिए सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन को अनिवार्यता प्रदान की गई।

ग्रामों के विकास को नई गति देने तथा ग्रामीण अंचलों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए मुख्य मंत्री स्तर पर ग्राम प्रधानों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। ग्राम प्रधानों के पत्रों और सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य मंत्री कार्यालय में अलग से एक अधिकारी तैनात किया गया है।

ग्रामीण जनता की कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे ब्लाक स्तर पर प्रतिमाह द्वितीय सोमवार को "सम्पर्क दिवस" आयोजित करें। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित उच्च अधिकारी ग्रामों की समस्याओं से भिज्ञ एवं ग्रामीण जनता के प्रति संवेदनशील होने की दृष्टि से ग्रामों का भ्रमण एवं ग्रामों में रात्रि विश्राम करें। इससे क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी ग्राम स्तर पर समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित हो सकेगा और गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।

शासकीय तथा अन्य कर्मचारियों को सुविधायें

राज्य सरकार कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके हितों के प्रति जागरूक है। राज्य सरकार की विषम अर्थोपाय-स्थिति के बावजूद सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को केन्द्र के समान दिनांक 1 जनवरी, 1990 तथा 1 जुलाई, 1990 से महंगाई भत्ते की किस्तें प्रदान कर दी गई हैं।

कर्मचारियों को वर्ष 1989-90 के लिए 27 दिनों का तदर्थ बोनस भी दिया गया है। यह आदेश दिए गए हैं कि वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 का तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर दिया जाय। साथ ही यह सुविधा भी दे दी गई है कि यदि पूर्व वेतनमान के आधार पर पहले दिया जा चुका बोनस पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर देय नहीं होता है तो भी उसकी वसूली न की जाय। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अनुमन्य वैयक्तिक वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की वेतन वृद्धि के आधार पर पुनरीक्षित करने की भी सुविधा प्रदान की गई है। वृद्धिरोध वेतन वृद्धि पर अभी तक महंगाई भत्ता देय नहीं था। अब वृद्धिरोध वेतन वृद्धि की धनराशि को महंगाई भत्ते के आगणन हेतु जोड़े जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे कर्मचारी, जिनके वेतनमान का अधिकतम 3,500 रु0 तक है, को 10 वर्ष की सेवा के आधार पर एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दिए जाने के उपरान्त भी वेतन वृद्धि की तिथि में परिवर्तन न करते हुए जिस तिथि को साधारण वेतनमान में अन्यथा वेतन वृद्धि देय होती है उसी तिथि से वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के आदेश जारी कर दिए गये हैं। जो कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद की किसी तिथि में अपना विकल्प देते हैं, उन्हें भी एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करने हेतु सीमान्त विशेष भत्ता तथा पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में भी वृद्धि की गई है।

अधिक से अधिक राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकारी कर्मचारियों को आवास हेतु ऋण की सुविधा आवास विकास एवं वित्तीय निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से दिलाए जाने का प्रकरण भी सक्रिय रूप से राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य सरकार सीमित संसाधनों एवं कठिन वित्तीय स्थिति में भी कर्मचारियों के हितों का सदैव ध्यान रखती है। आशा है कि प्रदेश के कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन व परिश्रम से प्रदेश के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाकर भरपूर योगदान देंगे।

पेंशनरों की सुविधायें

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति वर्तमान सरकार ने सदैव उदार दृष्टिकोण अपनाया है। पेंशन देयों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर करने व उनके त्वरित गति से निस्तारण हेतु लम्बित प्रकरणों की सूची हर कार्यालय में रखने, पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का नियमित अनुश्रवण करने, सरलीकृत प्रक्रिया व अधिकारों के प्रतिनिधायन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को मिल रही पेंशन पर विनांक 1 जनवरी, 1990 तथा 1 जुलाई, 1990 से क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत महंगाई राहत भी समय से स्वीकृत की गई है जिससे पेंशन पर दी जा रही महंगाई राहत की अधिकतम दर 43 प्रतिशत हो गई है जो भारत सरकार द्वारा अपने पेंशनरों को दी जा रही महंगाई राहत के अनुरूप है।

अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता में शामिल कर लिया गया है।

खाड़ी युद्ध

खाड़ी युद्ध का प्रभाव देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर भी पड़ेगा। जहां तक प्रदेश का सम्बन्ध है इसका सीधा प्रभाव विद्युत उत्पादन, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल तथा पेट्रोल पर पड़ने की सम्भावना है। प्रदेश में इस कठिन समस्या पर प्रभावी रूप से काबू पाने के लिये हमने अनेक उपाय किये हैं। पेट्रोल पर पड़ने वाले प्रभाव का सामना करने के लिए हमने शासकीय गाड़ियों में पेट्रोल व डीजल की खपत में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 30 प्रतिशत की कमी करने के आदेश दिये हैं। साथ ही सरकारी गाड़ियों के उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिसमें रविवार के दिन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर गाड़ियां नहीं चलायी जायेंगी। माननीय सदस्य जानते हैं, डीजल की खपत मुख्यतः माल ढोने वाली गाड़ियों, बसों तथा निजी पम्प सेटों द्वारा होती है। जहां तक बसों द्वारा डीजल की खपत को नियंत्रित करने का प्रश्न है, उसे बसों के मार्ग का अभिनवीकरण करके तथा बस बेड़े के बेहतर उपयोग के माध्यम से किया जायेगा। मालवाहकों द्वारा भारी मात्रा में डीजल की खपत की जाती है। उनके द्वारा डीजल की खपत का एक अंश चुंगी चौकी के कारण भी होता है जहां उन्हें अनिवार्य रूप से रुकना पड़ता है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमने पहले ही इस प्रदेश में 1 अगस्त, 1990 से चुंगी कर तथा उसकी चौकियों को समाप्त कर दिया है। डीजल की खपत का एक और बड़ा अंश कृषकों द्वारा सिंचाई के लिए पम्प सेटों में भी किया जाता है। हमारा प्रयास है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त डीजल उपलब्ध करायें। साथ ही हमारी यह भी कोशिश है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले। उनके पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिए अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जायगा।

संस्थागत वित्त

प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्ष 1990-91 में 3150 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये जाने

का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष प्रथम 6 माह में ही लगभग 1566 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाये गये । व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से प्रदेश के ऋण-जमा अनुपात म वृद्धि लाने के ठोस प्रयास भी किये गये जिसके फलस्वरूप उक्त बकों का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर 1989 में 44·2 प्रतिशत से बढ़कर जून 1990 तक 47·7 प्रतिशत हो चुका था ।

उपरोक्त वित्तीय संसाधन मुख्य रूप से कृषि कार्यों, कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों, उद्योगों, चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास, ऊर्जा, परिवहन, आवास, हरिजन एवं समाज कल्याण, अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये सुलभ कराये गये । आवास विकास नीति के कार्यान्वयन को भी विशेष महत्व दिया गया । तदनुसार केवल राष्ट्रीय आवास बैंक को 88·45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं और 15 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता आवासीय एजेंसियों को सुलभ भी कराई जा चुकी है । इसी प्रकार आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत 2·71 लाख लाभार्थी परिवारों को 159·60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को 695·83 करोड़ रुपये की, अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ तथा हरिजन एवं समाज कल्याण हेतु (निगम की योजनान्तर्गत) कुल मिलाकर 14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

उपरोक्त उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर वर्ष 1991-92 हेतु 3500 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त जुटाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 1990-91 में वस्त्रों पर रंगाई तथा छपाई करने वालों, व्यक्तिगत क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों एवं दुग्ध उत्पादकों के लिये तीन नई योजनायें लागू की गई हैं और नगरीय दुर्बल वर्ग तथा खादी कत्तिनों के लिये ऐसी योजनायें अतिशीघ्र लागू करने का प्रयास जारी है ।

वित्तीय प्रबन्ध

प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण तथा प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के बीच सन्तुलन बनाए रखने की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कुशल वित्तीय प्रबन्ध द्वारा हमने किया है । बेहतर वित्तीय प्रबन्ध द्वारा ही आज हमारी अर्थोपाय-स्थिति नियंत्रित है । शासकीय व्यय में मितव्ययिता करके एवं प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त का उपयोग करके हमने प्रदेश में बेहतर पूंजी निवेश सुनिश्चित किया ।

वर्ष 1991-92 की प्रदेश की 3910 करोड़ रुपये की योजना का वित्त पोषण करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं । हमें विश्वास है कि बेहतर कर प्रशासन, बेहतर कर वसूली, नए व्यापक उपायों तथा विकास के कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय बचत के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हम प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में गति लायेंगे । आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1990-91 की योजना के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बचत की शुद्ध प्राप्ति के समक्ष भारत सरकार से प्राप्त ऋण का लक्ष्य 770 करोड़ रुपये हमने सभी के सहयोग से न केवल प्राप्त कर लिया है बल्कि उसमें बढ़ोत्तरी करके कीर्तिमान स्थापित किया है । राष्ट्रीय बचत आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया जायेगा ।

राज्य के वित्तीय संसाधन बढ़ाने सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये मंत्रि-परिषद् की एक उप-समिति बनायी गई है । पिछले वर्षों में कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में पर्याप्त वृद्धि के कारण राज्य सरकार पर एक भारी वित्तीय भार आ पड़ा है । ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक है कि राजकीय व्यय में हर सम्भव मितव्ययता

की जाय । जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, खाड़ी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग में कमी करने के उद्देश्य से शासन ने कतिपय कदम उठाये हैं । इनमें शासकीय गाड़ियों में पेट्रोल व डीजल की खपत में 30 प्रतिशत की कमी करने के आदेश पहले ही किये जा चुके हैं । इसके अलावा अनुत्पादक शासकीय व्यय में भी कमी किये जाने की परम आवश्यकता है जिससे एक ओर जहां व्यय में मितव्ययिता सम्भव होगी वहीं दूसरी ओर उसका अच्छा प्रभाव मुद्रास्फीति व मूल्य वृद्धि को रोकने पर भी सम्भव होगा । अतः इस सम्बन्ध में विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है । यह समिति राजकीय कार्यालयों के अतिरिक्त उनसे सम्बन्धित विभिन्न निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों में मितव्ययता के उपायों के विषय में भी विचार करेगी । माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि राजकीय संसाधनों में अभिवृद्धि एवं राजकीय व्यय म मितव्ययिता से सम्बन्धित अपने सुझावों से हमें लाभान्वित करें ताकि उन पर समुचित रूप से विचार कर आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जा सके ।

आय-व्ययक अनुमान 1991-92

अब मैं वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 13187·61 करोड़ रुपये हैं । राजस्व प्राप्तियों की 8814 15 करोड़ रुपये की राशि में 2505·01 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश 2264·95 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 3171·83 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 872·36 करोड़ रुपय का करेतर राजस्व सम्मिलित है । पूंजी लेखे की 4373·46 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 4257·60 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 115·86 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 10301·56 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं सम्मिलित करते हुए 2082 81 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिए तथा 8218·75 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए हैं । पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिए गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 4082·96 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इसमें 1899·22 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुये आयोजनागत मदों तथा 2,183·74 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए हैं । इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 14384 52 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण संचित निधि के अन्तर्गत 1196·91 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है ।

लोक लेखा के अन्तर्गत 962·82 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणामस्वरूप 234·09 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी में माननीय सदस्यों को वित्तीय प्रबन्ध से अवगत कराते समय दे चुका हूं ।

माननीय, पिछले वर्ष बजट भाषण में माननीय सदस्यगण को मैंने बताया था कि हमन प्रदेश की तेरह करोड़ जनता के समग्र आर्थिक सामाजिक विकास के लिए क्या रास्ता चुना था, क्या दिशायें तय की थी। हमने लोहिया के समाजवाद, गांधी के सर्व धर्म सम्भाव, विद्यार्थी के भाई-चारे, जय प्रकाश नारायण की समग्र आर्थिक क्रान्ति का रास्ता चुना था, हमने अपने लिए व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक प्रगति व खुशहाली तथा जन-जन की समृद्धि की दिशायें तय की थी। मुझे गर्व और सन्तोष का अनुभव होता है कि हम प्रदेश का खुशहाली के रास्ते को गरीब किसान के खेत खलिहान तथा मेहनतकश मजदूर की झोपड़ी की ओर ले जाने में कुछ सफल रहे। हमने पिछले बजट के माध्यम से घोषित किए गए जन-कल्याण तथा आर्थिक विकास के सभी कार्यक्रम प्रभावशाली व निष्ठापूर्ण ढंग से लागू किए हैं। चाहे मेरे सहयोगी मंत्रीगण रहे हों, शासन के सचिवगण रहे हों या फील्ड में काम करने वाला अमला रहा हो, सभी ने यथ शक्ति निष्ठा प्रकट करके इन कार्यक्रमों को लागू करने में हमें सहयोग दिया।

बजट भाषण मेरे लिए मात्र औपचारिकता हो नहीं है, यह अवसर हमारे लिए पुनः व्यवस्था परिवर्तन के अधूरे कार्य के प्रति समर्पित करने का है, पीछे मुड़ कर देखने का है कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दरिद्र नारायण की आकांक्षासिक्त आंखों से कितने आंसू पोंछे ? हमारे लिए यह अवसर सुनहरे भविष्य के स्वप्न देखने जैसा है ताकि हम अपनी शक्ति और सेवा से उन्हें सच में बदल सकें।

पिछला वर्ष हमारे लिए अत्यन्त दबाव व तनाव का वर्ष रहा है जिसने हमारी प्रत्येक आस्था, सिद्धान्त व वैचारिक सन्तुलन को झकझोरा है, चाहे वह लोकतान्त्रिक पद्धति हो, धर्म निरपेक्षवाद हो, साम्प्रदायिक सद्भाव हो, सामाजिक एकता, अहिंसा अथवा देश की एकता हो फिर भी इकबाल के शब्दों में--

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।

हमने सभी के सहयोग से उन्माद, तनाव, हिंसा, अस्थिरता व अनिश्चय के माहौल पर कारगर ढंग से काबू पाया ताकि हम जनता की सेवा में अपने जनादेश को पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल कर सकें।

माननीय, आज सारा प्रदेश उत्सुकता व आशा के साथ हमारी ओर देख रहा है कि हम किस प्रकार लोकतान्त्रिक पद्धति की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए, वर्तमान आर्थिक संकट का सामना करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश के "विकास रथ" की प्रगति यात्रा अबाध रूप से जारी रखते हैं।

मैं इस पृष्ठ भूमि में सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्र निर्माण के दौर की इस सबसे नाजुक घड़ी में प्रदेश के विकास के परम पुनीत कार्य में अपना सहर्ष योगदान दें। हमने जो रास्ता, जो दिशायें तय की हैं वह सरल नहीं है परन्तु हैं पूरे तौर पर विश्वसनीय। इन्हीं से हम सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

माननीय, जनसेवा और संविधान के प्रति समर्पण तथा आस्था मेरे सामाजिक-राजनीतिक जीवन का थाती है। इस प्रदेश की महान जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए अपनी सम्पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ संघर्ष करता रहूंगा। देशभक्ति की भावना से प्रेरित नौजवानों को इन मूल्यों के लिए लड़ने की शक्ति देना हमारा दायित्व है। सत्ता में रहें या न रहें हम इस संघर्ष में जुटे रहेंगे, यह मेरा वायदा है।

हम सभी को धैर्य के साथ कुछ न कुछ त्याग व बलिदान के लिए तैयार रहना है, अपना "आज" होम देना है ताकि आम जनता का आने वाला "कल" समृद्ध हो सके। मैंने पिछले वर्ष पर्यन्त अपने स्तर पर यह छोटी सी शुरुआत करके इसे जारी रखा है, मेरी आप सभी से गुजारिश है :

मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो,
मैंने इक शम्मा जला दी है हवाओं के खिलाफ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव वित्त, श्री भोला नाथ तिवारी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जो अपने गुरुतर कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है। सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण), श्री इन्दु कुमार पाण्डे, संयुक्त सचिव वित्त, श्री प्रेम प्रकाश बंरिया, बजट अधिकारी, श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव तथा वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है। प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित इन शब्दों के साथ में वित्तीय वर्ष 1991-92 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं।

फाल्गुन 3, शक सम्वत् 1912

तदनुसार

दिनांक 22 फरवरी, 1991।

वित्तीय वर्ष 1991-91 के एक भाग (पांच माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1991) के लिए लेखानुदान

मद सं0 19

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण जो 22 फरवरी, 1991 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ

1–5 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाये जो 52,45,10,81,000 रुपये से अधिक न हो ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव की प्रतियां वितरित कर दी जायें ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1991–92 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण जो 22 फरवरी, 1991 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाये जो 52,45,10,81,000 रुपये से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां वितरित कर दी जायें ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 व खंड 3, अनुसूची खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

1 अप्रैल, 1991 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशि के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1991 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1991-92 के लिये 67,80,28,22,000 रुपये का दिया जाना

2--ऐसे विविध व्ययों को चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1991 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 67,80,28,22,000 रुपये (केवल सड़सठ अरब, अस्सी करोड़ अट्ठाइस लाख, बाइस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धाराय 2 व 3 देखें)

अनदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1	आबकारी विभाग	राजस्व	3,08,67	4	3,08,71
		पूंजी	..	..	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	11,14,83	4,87,50	16,02,33
		पूंजी	22,12,50	2,70,83	24,83,33
3	आवास तथा नगर विकास वि ाग (नगर विकास)	राजस्व	1,58,23,97	..	1,58,23,97
		पूंजी	1,45,83	..	1,45,83
4	उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	राजस्व	1,41,08	4	1,41,12
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	10,75,03	10	10,75,13
		पूंजी	4,00,36	..	4,00,36
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	18,83,06	3,13	18,86,19
		पूंजी	43,75	2,75	46,50
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,35,19	37,90	2,73,09
		पूंजी	19,88,75	56,95	20,45,70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	उद्योग विभाग (लिखन-सामग्री और मुद्रण)	..	राजस्व	6,66,75	..	6,66,75
			पूंजी	31,25	..	31,25
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	..	राजस्व	21,13	..	21,13
			पूंजी	21,45	..	21,45
10	ऊर्जा विभाग	..	राजस्व	79,55	..	79,55
			पूंजी	4,92,64,17	..	4,92,64,17
11	कृषि-तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	..	राजस्व	13,50,00	4,90	13,54,90
			पूंजी	1,90,75	..	1,90,75
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	..	राजस्व	1,00,56,20	1,30	1,00,57,50
			पूंजी	49,45,52	21	49,45,73
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	..	राजस्व	3,73,15,86	21	3,73,16,07
			पूंजी	4,56,67	..	4,56,67
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	..	राजस्व	34,72,82	9	34,72,91
			पूंजी	25,00	..	25,00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	..	राजस्व	23,62,20	4	23,62,24
			पूंजी	1,14,33	..	1,14,33
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	..	राजस्व	2,61,85	50	2,62,35
			पूंजी	2,81,49	2,50	2,83,99
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	..	राजस्व	3,42,77	1	3,42,78
			पूंजी	42	..	42
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)		राजस्व	5,70,37	9,63,51	15,33,88
			पूंजी	84,46,64	47,85,65	1,32,32,29
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)		राजस्व	13,87,51	..	13,87,51
			पूंजी	..	..	..

1	2	3	4	5	6
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	60,82	..	60,82
		पूंजी	..	..	..
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ..	राजस्व	34,38	1,15,66	1,50,04
		पूंजी	..	..	..
22	खाद्य तथा रसद् विभाग	राजस्व	11,67,54	1,78,63	13,46,17
		पूंजी	4,96,83,33	22,91,88	5,19,75,21
23	खेल विभाग	राजस्व	2,22,60	..	2,22,60
		पूंजी	2,09	..	2,09
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	7,44,68	4	7,44,72
		पूंजी	3,45,83	..	3,45,83
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..	राजस्व	7,86,07	7,14,32	15,00,39
		पूंजी	35,41,67	76,40	36,18,07
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	12,70,71	1	12,70,72
		पूंजी	3,33,33	..	3,33,33
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	2,69,77,17	29,00	2,70,06,17
		पूंजी	2,21,23	29,25	2,50,48
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	8,40,08	..	8,40,08
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ..	राजस्व	15,16,82	..	15,16,82
		पूंजी	..	..	..
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	24,33	..	24,33
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) ..	राजस्व	..	37,55	37,55
		पूंजी	..	..	..

*मारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	79,99,37	42	79,99,79	
		पूंजी	10,93,64	..	10,93,64	
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) ..	राजस्व	14,99,12	1	14,99,13	
		पूंजी	80,62	..	80,62	
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	4,25,34	..	4,25,34	
		पूंजी	13,20	..	13,20	
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ..	राजस्व	26,01,60	10	26,01,70	
		पूंजी	7,45	..	7,45	
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	31,81,46	16	31,81,62	
		पूंजी	41,67	..	41,67	
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	राजस्व	41,74,28	21	41,74,49	
		पूंजी	1,86,78	..	1,86,78	
38	नागरिक उड्डयन विभाग ..	राजस्व	1,50,34	..	1,50,34	
		पूंजी	3,33	..	3,33	
39	नियुक्ति विभाग ..	राजस्व	24,03	..	24,03	
		पूंजी	..	..	..	
40	नियोजन विभाग ..	राजस्व	21,14,53	..	21,14,53	
		पूंजी	15,62,50	..	15,62,50	
41	निर्वाचन विभाग ..	राजस्व	1,27,53	..	1,27,53	
		पूंजी	..	..	..	
42	न्याय विभाग ..	राजस्व	24,26,16	4,03,56	28,29,72	
		पूंजी	98,94	..	98,94	
43	परिवहन विभाग ..	राजस्व	3,49,80	5	3,49,85	
		पूंजी	24,50	..	24,50	

1	2		3	4	5	6
44	पर्यटन विभाग	..	राजस्व	1,12,29	..	1,12,29
			पूंजी	45,50	..	45,50
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	..	राजस्व	20,78	..	20,78
			पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	..	राजस्व	24,00,38	45,84	24,46,22
			पूंजी	9,24,40	..	9,24,40
47	पर्वतीय विकास विभाग	..	राजस्व	63,52,30	10,42	63,62,72
			पूंजी	39,48,64	8,33	39,56,97
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	..	राजस्व	23,77	1,14	24,91
			पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	..	राजस्व	20,25,52	..	20,25,52
			पूंजी	16,50	..	16,50
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	राजस्व	23,17,69	15	23,17,84
			पूंजी	17,39,45	..	17,39,45
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	..	राजस्व	18,79,49	37,53,60	56,33,09
			पूंजी	59,26	9,31	68,57
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	77,68,43	65,52	78,33,95
			पूंजी	19,89	83,97	1,03,86
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	..	राजस्व	-38,83	..	38,83
			पूंजी	42	..	42

54	वन विभाग	..	राजस्व	40,12,69	8	40,12,77
			पूंजी	1,10,58	..	1,10,58
55	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	3,33,43,05	7,03,99,89	10,37,42,94
			पूंजी	22,52,08	6,27,29,70	6,49,81,78
56	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	..	राजस्व	96,45,82	6,40	96,52,22
			पूंजी	..	..	..
57	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	..	राजस्व	6,61,69	..	6,61,69
			पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	..	राजस्व	69,78,70	..	69,78,70
			पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	..	राजस्व	10,28,86	1	10,28,87
			पूंजी	..	..	..
60	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	..	राजस्व	7,52	12,94,66	13,02,18
			पूंजी	..	..	..
61	विधान परिषद् सचिवालय	..	राजस्व	1,08,48	2,55	1,11,03
			पूंजी	..	..	
62	विधान सभा सचिवालय	..	राजस्व	3,35,55	4,22	3,39,77
			पूंजी	..	..	..
63	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	..	राजस्व	..	..	..
			पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
64	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	..	राजस्व	3,69,33	..	3,69,33
			पूंजी	..	..	..
65	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	..	राजस्व	4,09,54,60	19,48,68	4,29,03,28
			पूंजी	..	..	..
66	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	..	राजस्व	2,63,85,03	25,00,23	2,88,85,26
			पूंजी	55,30	..	55,30

1	2			3	4	5
67	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	..	राजस्व	71,69,19	30,36	71,99,55
			पूंजी	2,41,66	..	2,41,66
68	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	..	राजस्व	8,99,49	..	8,99,49
			पूंजी	..	..	..
69	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	..	राजस्व	3,15,33	..	3,15,33
			पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	राजस्व	33,93,84	1	33,93,85
			पूंजी	..	..	..
71	श्रम विभाग (सेवायोजन)	..	राजस्व	14,32,64	8	14,32,72
			पूंजी	7,58	..	7,58
72	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	..	राजस्व	50,68,47	2	50,68,49
			पूंजी	..	..	..
73	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	..	राजस्व	4,62,65	5,98	4,68,63
			पूंजी	2,94,48	42	2,94,90
74	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	राजस्व	3,34,93	14,61	3,49,54
			पूंजी	1,59,85	21	1,60,06
75	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	..	राजस्व	36	8	44
			पूंजी	1,93,95	1,35	1,95,30
76	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	..	राजस्व	88,71,48	4	88,71,52
			पूंजी	1,18,68,42	21	1,18,68,63
77	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	..	राजस्व	5,02	..	5,02
			पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

78	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	..	राजस्व	71,13,44	42	71,13,86
			पूंजी	36,11,73	75	36,12,48
79	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	..	राजस्व	2,33,69,34	48,48	2,34,17,82
			पूंजी	1,73,81,69	44,91	1,74,26,60
80	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	..	राजस्व	20,07	1	20,08
			पूंजी	6,25	..	6,25
81	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	..	राजस्व	17,47,13	48	17,47,61
			पूंजी	7,81	..	7,81
82	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	..	राजस्व	64,72	..	64,72
			पूंजी	..	..	..
83	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	..	राजस्व	3,12,25	2	3,12,27
			पूंजी	..	..	..
84	सचिवालय प्रशासन विभाग	..	राजस्व	15,96,48	2	15,96,50
			पूंजी	..	..	..
85	सतर्कता विभाग	..	राजस्व	1,48,04	8,55	1,56,59
			पूंजी	..	..	..
86	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	..	राजस्व	6,45	2	6,47
			पूंजी	2,94	21	3,15
87	सांस्कृति कार्य विभाग		राजस्व	1,90,67	1	1,90,68
			पूंजी	10,42	..	10,42
88	सामान्य प्रशासन विभाग	..	राजस्व	48,55	1	48,56
			पूंजी	..	..	..
89	सार्वजनिक उद्यम विभाग	..	राजस्व	17,50	..	17,50
			पूंजी	..	..	..
90	सूचना विभाग	..	राजस्व	4,42,60	..	4,42,60
			पूंजी	..	.	..

1	2			3	4	5
91	सैनिक कल्याण विभाग	..	राजस्व	1,44,89	1	1,44,90
			पूंजी	83	..	83
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	..	राजस्व	64,20,34	1	64,20,35
			पूंजी	1	..	1
93	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	..	राजस्व	18,95,41	1	18,95,42
			पूंजी	..	..	..
94	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)		राजस्व	1,92,50	1	1,92,51
			पूंजी	..	..	..
	योग ..		राजस्व	35,56,42,18	8,31,21,62	43,87,63,80
			पूंजी	16,88,68,63	7,03,95,79	23,92,64,42
	कुल योग ..			52,45,10,81	15,35,17,41	67,80,28,22

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अमरमणि, श्री रघुवर दयाल वर्मा और श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पुकारने पर और उनके अनुपस्थित होने पर ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991

लोक निर्माण विभाग संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय, (श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री अमरमणि का नाम पुकारने पर और उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम. 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा ।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34, सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 22 फरवरी, 1991 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी की स्वीकार की गई हैं शेष अस्वीकार।

प्रदेश में सरकारी धान के क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों की भूमिका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

माननीय संत श्रीराम द्विवेदी, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई थी किसान क्रय केन्द्रों....।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों एवं श्री अरुण कुमार सिंह "मुन्ना" द्वारा यह कहा गया कि वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, सदन की अनुमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

[माननीय संत श्रीराम द्विवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई थी कि धान क्रय केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालित न होने के कारण बिचौलिये द्वारा काश्तकारों का शोषण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि खरीद वर्ष 1990-91 में काश्तकारों को समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से धान खरीद की योजना बनाई गई जिसे राज्य सरकार की हाट शाखा के साथ-साथ पी0सी0एफ0, यू0 पी0 एग्रो, एस0 एफ0 सी0 तथा भारतीय खाद्य निगम एवं मण्डलीय विकास निगम आदि क्रय एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किया गया। प्रदेश स्तर पर काश्तकारों को समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्रय एजेन्सियों को निम्नानुसार क्रय केन्द्र आवन्टित किये गये।—

क्रय एजेन्सी का नाम	आवन्टित क्रय केन्द्रों की संख्या।
1—पी0 सी0 एफ0	780
2—यू0 पी0 एग्रो	182
3—हाट शाखा	203
4—एस0 एफ0 सी0	10
5—भारतीय खाद्य निगम	39
योग ..	1214

इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने पर कि क्रय एजेन्सियों द्वारा धान की खरीद अपेक्षानुसार नहीं की जा रही है, मुख्यालय से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में दल गठित करके स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न जिलों में भेजा गया। इस दल द्वारा जिन स्थानों पर खरीद के कार्य में कोई व्यावहारिक कठिनाईयां हो रही पाई गयीं, उनका निराकरण किया गया। परिणामस्वरूप धान की खरीद में वृद्धि हुई और

इस वर्ष पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक खरीद हुई । वर्षवार धान खरीद की स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	धान खरीद (मी0 टन में)	वर्ष	धान खरीद (मी0 टन में)
1986–87	1701·0	1989–90	7,811·0
1987–88	..	1990–91	9,708·4
1988–89	1,739·8	..	(21 फरवरी तक)

वर्ष 1990–91 में क्रय एजेंसीवार धान की खरीद की स्थिति इस प्रकार है—

क्रय एजेंसी का नाम	कुल धान खरीद (मी0 टन में)
1—हाट शाखा	4,556.71
2—भारतीय खाद्य निगम	146.00
3—पी0 सी0 एफ0	3,665.70
4—यू0 पी0 एग्रो0	1,313.34
5—एस0 एफ0 सी0	..
6—मण्डलीय विकास निगम	26.66
	9,708.41
	मी0 टन

उपरोक्त खरीद के परिणाम स्वरूप धान के बाजार मूल्यों में स्थिरता आई और खुले बाजार में मूल्यों के बढ़ने के कारण इन केन्द्रों पर खरीद कम होकर धीरे–धीरे समाप्त हो गई । यहां यह उल्लेखनीय है कि यह खरीद व्यवस्था जो की गई थी उसका लक्ष्य धान के बाजार मूल्यों में स्थिरता लाने का ही था । कुछ विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कि धान के प्रचलित मूल्य बहुत कम है और खरीद नहीं हो रही है, इस बात की जांच करवाई गई और ऐसे कई क्रय केन्द्रों पर आ रहे धान के नमूने लेकर उनका विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि बाजार में लाए जा रहे धान की गुणवत्ता खरीदे जाने वाले धान के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप नहीं थी और इसी कारण ऐसे धान के दाम काफी कम थे । सदस्य गण इस बात से सहमत होंगे कि धान की सरकारी खरीद एक न्यूमतम मानकों के अनुरूप ही की जा सकती है और ऐसे मानकों के अनुरूप यदि धान किसी भी काश्तकार द्वारा क्रय केन्द्र पर लाया जाएगा तो उसकी खरीद सुनिश्चित की जाएगी ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते ह और सोमवार को 11 बज (पूर्वान्ह) फिर बैठेंगे ।

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही स्थगित हुई ।)

(इसके बाद सदन 7 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ।
22 फरवरी, 1991

भोला चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1991 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर का संलग्नक ।

क्रम-सं०	विकास खण्ड	ग्राम सभा	खराब हैंड पम्पों की संख्या	अभ्युक्ति (रिबोर होने हैं)
1	2	3	4	5
1	कौशाम्बी	1—म्योहर	2	1 रिबोर होना है
		2—एकौरा	1	1 रिबोर होना है
		3—मालीपुर उर्फ महराजगंज	2	2 रिबोर होना है
		4—बल्लोपुर	1	1 रिबोर होना है
		5—बिदाव	3	2 रिबोर होना है
		6—हकीमपुर	1	1 रिबोर होना है
		7—महंगपुर का पुरवा/हिमा	1	1 रिबोर होना है
		8—मकन्दा	1	1 रिबोर होना है
		9—छिकवा	2	..
		10—बेरुई	1	..
		11—जगन्नाथपुर	1	1 रिबोर होना है
		12—ऐंगवा ज्यरहार	1	..
		13—फैजुल्लापुर	1	1 रिबोर होना है
		14—भटवरिया	1	1 रिबोर होना है
		15—नन्दौली	1	..
		16—बरई बघवा	1	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
2	मंझनपुर	1—चकवामा	1	..
		2—जमौली	1	..
		3—बंशकाटी	1	1 रिबोर होना है
		4—चक शहाबुद्दीनपुर	1	1 रिबोर होना है
		5—महेन्द्र	1	1 रिबोर होना है
3	सरसवां	1—निगहा	2	2 रिबोर होना है
		2—जमुनापुर	1	1 रिबोर होना है
		3—मोबस्ता	2	2 रिबोर होना है
		4—पुनवार	2	1 रिबोर होना है
		5—डुंडवल	2	2 रिबोर होना है
		6—महेवा घाट		1 रिबोर होना है
		7—भगवतपुर	1	1 रिबोर होना है
		8—घासीपुर	1	1 रिबोर होना है
		9—रायपुर	1	1 रिबोर होना है
		10—पलरा	1	1 रिबोर होना है
		11—भुकोढ़ा उर्फ फत्तेपुर	1	1 रिबोर होना है
		12—डहरई	1	1 रिबोर होना है
		13—पश्चिम शरीरा	2	1 रिबोर होना है
		14—सोनौली	1	1 रिबोर होना है
		15—बनीखास	1	1 रिबोर होना है
		16—सिधवल	2	2 रिबोर होना है
		17—कटरी	1	..
		18—सरसवां	1	..
		19—अहोली	1	..
		20—बौली	1	..
		21—रानीपुर	1	..
		योग ..	53	36

अनुपूरक विधान सभा

अनुसूची

(देखिये अंत0 प्र0 सं0 56 का उत्तर

सू

क्रम-संख्या	नाम मोहल्ला	भवन स्वामी का नाम	भवन संख्या
1	2	3	4
1	तलैया लेन	बिजली कम्पनी फतेहगढ़	1/147
2	नगला दीना	फर्रु0 रा0 वि0 परिषद्	1/10
3	हाथी खाना	ला0 शिम्मू दयाल	1/92 व
		विशनु दयाल	1/105–अ से 1/36 तक
			1/303 से 1/315 तक
			1/444
4	नगला दीना		1/278
5	बजरिया असोगंज	,,	1/64 व 65
6	सिविल लाइन	श्री राजा शारदा नरायन तिर्वाकोठी	1/2 से 1/12 तक
	वार्ड सं0 1		योग ..
	वार्ड सं0 5		
7	नवाब नियामत खां	सरदार हरी सिंह	5/72
8	घेरशामूखां	नव भारत रेफ्रीजेरेशन ऐण्ड इण्डस्ट्रीज	5/26
9	घेरशामूखां	यू0 पी0 कोल्ड स्टोरेज	5/48
10	घेरशामूखां	के0 टी0 कोल्ड स्टोरेज	5/48–अ
11	घेरशामूखां	मदर इंडिया रेफ्रीजेरेशन	5/51
12	घेरशामूखां	पूरनचन्द्र अग्रवाल व कमल कुमार	5/42–अ
3	गढ़ी नवाब नियामत खां	नरेश कोल्ड स्टोरेज	5/43
4	घेरशामूखां	उ0 प्र0 सरकार द्वारा इ0 उ0 प्र0, लखनऊ	5/27
15	गढ़ी नवाब नियामत खां	फर्रु0 कोल्ड स्टोरेज	5/93
16	सेठ गली हुकुम चन्द	श्री विमल प्रसाद तिवारी पुत्र निर्मल प्रसाद	5/1 से 5/3 तक व 5/28 से 5/31 तक व 5/52
17	सेठ गली हुकुम चन्द्र	श्रीमती रामदेवी	5/10 से 5/16 तक

ख'
पीछे पृष्ठ 50 पर)
ची

गृहकर बकाया 89–90 तक	जलकर बकाया 89–90 तक	योग	की गयी कार्यवाही का विवरण
5	6	7	8
1257.50	01327.30	32132.40	वसूली हेतु बिल व नोटिस दिये, आर0 सी0 भेजी गयी है।
15632.40	14515.20	..	तदेव
..	..	..	तदेव
..	..	..	तदेव
..	..	..	तदेव
..	..	..	तदेव
33244.12	37345.88	70590.00	तदेव
20424.00	20089.44	40513.44	तदेव
70550.02	73277.82	153835.84	
15577.00	15040.00	30617.00	न्यायालय द्वारा स्टे
42000.00	82104.00	124104.00	तदेव
45900.00	51642.00	97542.00	तदेव
38165.50	63069.12	101234.62	तदेव
31250.00	29198.00	61248.00	तदेव
20169.60	51230.68	71400.28	वसूली हेतु बिल व नोटिस दिये, आर0 सी0 भेजी गयी है।
32645.00	34454.72	67089.72 बन्द है	तदेव
72450.00	69552.00	142002.00	तदेव
57575.25	89424.00	146999.25	न्यायालय द्वारा स्टे
12992.50	14137.55	27130.05	वसूली हेतु बिल व नोटिस दिये, आर0 सी0 भेजी गयी है।
14135.79	13393.41	27529.20	तदेव

अनुसूची 'घ'

(देखिये अना0 प्र0 सं0 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर।)

सूची

कर्मचारी का नाम	पद	सेवानिवृत्त की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1—श्री हरी शंकर	चुंगी मोहर्रिर	30-4-83	..
2—श्री बल्देव प्रसाद	सफाई नायक	31-5-83	..
3—श्रीमती सुन्दरिया पत्नी श्री राम औतार	सफाई कर्मचारी	30-6-83	..
4—श्री मेवा पुत्र श्री बुद्धू	सफाई कर्मचारी	30-6-83	..
5—श्री बुद्ध पुत्र श्री सुकई	सफाई कर्मचारी	30-6-83	..
6—श्रीमती छोटनिया पत्नी श्री मेवा	सफाई कर्मचारी	30-6-83	..
7—श्रीमती मुलिया पत्नी छेदा	सफाई कर्मचारी	30-6-83	..
8—श्री सुन्दर लाल कुशवाहा	मोटर रीडर	30-9-83	..
9—श्री इम्तियाज अहमद	चुंगी मोहर्रिर	31-10-83	..

क्रमांक 3, 5 एवं 6 पर अंकित कर्मचारियों ने पेन्शन विनियमावली, 1984 को अपनाये जाने सम्बन्धी विकल्प एवं पात्रिका अंशदान की धनराशि पेन्शन निधि में जमा न करने के कारण पेन्शन पाने के पात्र नहीं पाये गये। शेष कर्मचारियों को पेन्शन का भुगतान किया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

कराये गये 17 निर्माण कार्यों का विवरण—

1—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री नुसरत अली से चुंगी नं0 7 तक ।

2—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री अनवार से मेनरोड तक मो0 अचारजान ।

3—निर्माण खड़ंजा व नाली कुंआ ज्योतिष्यान से मकान श्री राम कुंवर तक मो0 अचार जान ।

4—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान अख्तर से मेन रोड तक बाया मकान श्रीमती हमीदन दायी मो0 कस्साबान ।

5—निर्माण खड़ंजा व नाली व मरम्मत मकान श्री हमीद से मकान श्री जमीर तक मो0 पटवारियान ।

6—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री हाफिज से मकान श्री सीताराम तक बाया मकान अब्दुल रशीद, मो0 अफगानान ।

7—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री शब्बीर से मकाम शरीफ तक मो0 कस्सा-वान ।

8—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री मजीद से मेन रोड तक मो0 कस्साबान ।

9—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान लालू से मस्जिद तक मो0 काजियान ।

10—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री सुमराती से मेन रोड तक व नाली मकान श्री अब्दुल वहीद मो0 शाह विलायत ।

11—चैनल 5 अदद ।

12—निर्माण कार्य खड़ंजा व नाली मस्जिद फराश टोली से मकान श्री पारवा तक मो0 फराश टोली ।

13—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री एबादुल्ला से मदरसे तक मो0 फराशटोली ।

14—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री नजीर से मकान श्री हमीद तक मो0 शाही विलायत ।

15—निर्माण खड़ंजा व नाली नाईयों वाली मस्जिद से मकान श्री खलीलुल रहमान तक मो0 शाह विलायत ।

16—निर्माण खड़ंजा व नाली मकान श्री चुन्नी पहलवान से मकान श्री हमीद तक मो0 बाजार शम्भा ।

17—निर्माण खड़ंजा व नाली मस्जिद काजियान से श्री फसी के मकान तक मो0 काजियान ।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1991 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री पंचानन राय के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर का संलग्नक ।

स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की सूची

क्रम-सं0	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	खराब हैण्डपम्पों की संख्या	खराब होने का माह व वर्ष
1	2	3	4	5
	हरैया—			
1		जमुवा सागर	1	जनवरी, 1990
2		अराजीदेवारा नंमीजोर	3	मार्च, 1989
3		चांदपट्टी	1	अप्रैल, 1988
4		सिरही	1	अगस्त, 1989
5		बघावर	1	मार्च, 1990
6		बछउर खास	1	नवम्बर, 1988
7		नवली	1	जनवरी, 1989
8		ब्रम्होली श्याम	1	मार्च, 1990
		योग ..	10	
	अजमतगढ़—			
9		अमवारी नारायनपुर	1	मार्च, 1989
10		पाण्डेयपुर	1	जून, 1988
11		बनौरा मैथान पट्टी	1	मई, 1988
12		मुस्लिमपुर	1	अगस्त, 1989
13		अलीपुर	1	सितम्बर, 1989
14		करनपुरखरेवा	1	जुलाई, 1989
15		गोपाईपुर	1	मई, 1989
16		मिधापुर	1	जनवरी, 1990

1	2	3	4	5
17		नत्थनपुर	1	जनवरी, 1990
18		फरीदपुर	1	अप्रैल, 1990
19		जोगियापुर	1	अक्तूबर, 1989
20		लखीमपुर रोहुवार	1	मई, 1990
21		अल्लानशहीद	1	मार्च, 1989
		योग	13	

हरैया+अजमतगढ़ = 10+13=23 हैण्डपम्प

उपरोक्त स्थायी रूप से खराब 23 हैण्डपम्प मुख्यतः असेम्बली में बालू भर जाने के कारण जाम हो गये हैं जिनके पुनः अधिष्ठापन हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 1987-88 लक्ष्य	वर्ष 1987-88 पूर्ति उपलब्धि	वर्ष 1988-89 लक्ष्य	वर्ष 1988-89 पूर्ति उपलब्धि	वर्ष 1989-90 लक्ष्य	वर्ष 1989-90 पूर्ति उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खिसूं	13	20	9	9	6	6
2	पौड़ी	10	11	8	15	3	5
3	कोट	13	12	10	4	9	..
4	कलाजीखाल	15	20	9	12	9	7
5	पावौ	14	10	9	3	6	2
6	थलीसैंण	15	8	8	11	11	2
7	एकेश्वर	7	3	9	5	9	6
8	पोखड़ा	15	17	9	6	6	9
9	दुगड्डा	15	21	8	16	11	6
10	ढांगू	14	20	7	3	8	6
11	जहरीखाल	14	17	8	8	11	5
12	रिखणीखाल	11	4	8	2	10	5
13	एमकेश्वर	15	5	8	..	10	12
14	बीरोखाल	15	9	8	5	8	7
15	नैनीडांडा	14	..	8	4	9	5
	योग	.. 200	175	126	103	125	8

पी0एस0यू0पी0---1 वि0 सभा--1-6-1991---572 प्रतियां (पी0डी0) ।